वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
छठवां अंक

भारतीय रिज़र्व बैंक
दिसंबर 2012

© भारतीय रिज़र्व बैंक
सर्वाधिकार सुरक्षित। सामग्री के पुन: प्रयोग की अनुमति है, बशर्ते कि स्रोत का उल्लेख किया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से **http://www.rbi.org.in** पर भी देखा जा सकता है।

इस रिपोर्ट का फीडबैक **fsu@rbi.org.in** पर दिया जा सकता है।

वित्तीय स्थिरता इकाई, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई 400 001 द्वारा प्रकाशित तथा एल्को कार्पोरेशन,ए 2/73, शाह एण्ड नाहर इंडस्ट्रियल इस्टेट, लोअर परेल (प), मुंबई 400013 में मुद्रित।

प्रस्तावना

यह वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो श्रृखंला में छठी है, वैश्विक तथा देशी स्थूल आर्थिक अस्थिरता और अनिश्चिता के परिवेश में तैयार की गई है।संकट की शुरुआत के समय केंद्रीय बैंकों तथा सरकारों ने जिन अपारंपरिक साधनों का प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया था, उनकी प्रखरता तथा प्रभावकारिता कम हो गई है। राजकोषीय तथा मौद्रिक कार्रवाइयों के लिए स्थान कम होता जा रहा है। अपारंपरिक उपायों के कुछ अप्रत्याशित परिणाम अब दिखलाई पड़ने लग गए है, और इन नीतियों से बाहर निकलने के समय और गति से नए जोखिम सामने आ सकते हैं और प्रणाली को अस्थिर कर सकते हैं। वित्तीय क्षेत्र में विश्वास कम बना हुआ है, अनिश्चितता बरकरार है और पूरे विश्व में निवेश परिवेश अभी भी मंद है। तकनीकी तौर से यूरोप और जापान मंदी में हैं। यूएस में वृद्धि निम्न है और यदि ''फिस्कल क्लिफ'' की समस्या का समाधान प्रभावशाली ढंग से और समय पर नहीं निकाला गया तो यूएस की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल स्थूलआर्थिक प्रभाव बहुत अधिक और अचानक होगा जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा। चीन में यथोचित रूप से वृद्धि होगी, लेकिन वृद्धि के इंजन के रूप में ब्रिक्स को देखने का अतिविश्वास कम हो गया है।

लेकिन वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों और देशी नीतिगत अनिश्चितताओं के चलते हाल ही की तिमाहियों में आर्थिक वृद्धि कम हुई है। लेकिन, यदि गरीबी हटाने, रोजगार बढ़ाने और जनसंख्या की क्षमता का लाभ उठाने में गति लानी है, तो वृद्धि की गति बढ़ानी पड़ेगी। लगातार स्फीतिकारक दबावों, कम होती वृद्धि, बढ़ते चालू खाता घाटे और गिरती विनिमय दर के बीच रिज़र्व बैंक मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थिरता और सरकारी ऋण प्रबंधन की त्रिमूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने का काम कर रहा है।

बैंकिंग क्षेत्र की गिरती आस्ति गुणवत्ता पर बैंक का ध्यान बना हुआ है हांलाकि दबाव परीक्षण यह दिखलाते हैं कि सिस्टम बहुत बड़े आघातों को सहन करने की क्षमता रखता है लेकिन हमें यह ध्यान में रखना होगा कि जैसा कि जूली डिक्सन[1] ने कहा है ''कोई भी आघात, इसलिए होता है क्योंकि कुछ अप्रत्याशित हो जाता है - सिस्टम उस प्रकार से काम नहीं करता जैसाकि हम समझते हैं कि वह करेगा'', इस प्रकार, दबाव परीक्षण संकट के पूरे डायनैमिक्स का जायजा नहीं ले सकते। इसलिए, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट सिस्टम को आघात पहुंचाने वाले तत्वों का जायज़ा लेने के लिए विविध प्रकार के साधनों तथा तकनीकों का प्रयोग करती रही है।

हाल ही के वित्तीय संकट ने हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए हैं। कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 'कैसीनो बैंकिंग' के प्रति सामान्य मोहभंग ने वास्तविक अर्थव्यवस्था के अति-वित्तीयकरण के खतरों को उजागर किया है। अपने हाल ही के लेख 'रीअसैसिंग इम्पैक्ट आफ फाइनेंस आन ग्रोथ स्टेटट में स्टीफन जी कैकेटी तथा ऐनिस खरूबी कहते है' ''हमारा अनुमान है कि बैंकों द्वारा दिए गए निजी ऋण के लिए, टर्निंग प्वाइंट जीडीपी के 90% के निकट है जो कुल ऋण से कुछ कम है। बहुत से देश इस स्तर के निकट या इससे अधिक हैं, जो यह बतलाता है अधिक ऋण से उच्चतर प्रवृत्ति वृद्धि प्राप्त नहीं होगी। उदाहरण के लिए, पुर्तगाल में वित्तीय संकट के प्रारंभ के समय बैंकों द्वारा निजी ऋण जीडीपी के 160% था। इसी प्रकार का आंकड़ा यूके के लिए जीडीपी का 180% और डेन्मार्क में तो जीडीपी का 200% था। इसके विपरीत, भारत जैसा देश जहां बैंक ऋण जीडीपी का 50% से कम है, वृदिशील उत्पादकता वृद्धि के रूप में और अधिक वित्तीय गहनता से अभी भी महत्वपूर्ण लाभ उठा सकता है।''

पिछले 60 वर्ष में, हमने विश्व के कई भागों में आर्थिक वृद्धि के कई उदाहरण देखे हैं। इस अनुभव का एक स्पष्ट सबक है - वृद्धि तब ही बनी रही सकती है, जब यह समावेशी हो। इसलिए, पूरे विश्व में सरकारें इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करते समय, इस वृद्धि की प्रक्रिया को समावेशी बनाना होगा। समावेशी वृद्धि को समझने के कई तरीके हैंः जहां तक मैं समझता हूं - समावेशी वृद्धि ऐसी प्रक्रिया है जहां निर्धन व्यक्ति वृद्धि में अपना योगदान देते हैं और वृद्धि से लाभ उठातेभी हैं। जो वृद्धि प्रक्रिया असमानता बनाती है, वह स्थायी नहीं होती, और वैध भी नहीं होती और अंततः आर्थिक और सामाजिक स्थिरता के लिए खतरा बन जाती है। स्थिरता और समावेशन के बीच मजबूत संबंध को देखते हुए, इस वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में विभिन्न वित्तीय क्षेत्र विनियामकों द्वारा वित्तीय समावेशन और साक्षरता के लिए किए गए प्रयासों और इस संबंध में प्राप्त प्रगति पर लिखा गया है।

डॉ. डी. सुब्बाराव
28 दिसंबर, 2012

[1] जूली डिक्सन सुपरिटेंडेट आफ किनैशियल इन्सटिटयूशनस्, कैनडा के कार्यालय में इस समय सुपरिटेंडैंट हैं।

विषय-वस्तु

		पृष्ठ सं.
प्रस्तावना		
चुनींदा संक्षेपाक्षर		**i-ii**
विहंगावलोकन		**1**
अध्याय I :	**व्यष्टिगतम जोखिम - एक मूल्यांकन**	**4**
	वैश्विक वृद्धि	5
	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार	6
	दीर्घकालीन समायोजक नीतियां - गिरावट जोखिम	7
	घरेलू वृद्धि	8
	प्रणालीगत चलनिधि सूचकांक	8
	वित्तीय समेकन	9
	बाह्य क्षेत्र की अनिश्चतताएं	9
	स्वर्ण आयात	11
	वित्तीय बचत	11
	भारतीय अर्थव्यवस्था में ऋण चक्र	13
	पूंजी बाजार निर्गमकर्ता - संघटन	14
	कंपनी क्षेत्र	16
	प्रमाणीगत जोखिम सर्वेक्षण	18
अध्याय II:	**वित्तीय संस्थाएं : सुदृढ़ता और आघातसहनीयता**	**20**
	बैंकिंग क्षेत्र के प्रति जोखिम	20
	आपदा निर्भरता और परस्पर सम्बद्धता	21
	बैंकिंग स्थिरता उपाय	21
	नेटवर्क विश्लेषण	23
	सुदृढ़ता और आघातसहनीयता	29
	भारत में पेंशन प्रणाली	47
अध्याय III :	**वित्तीय क्षेत्र विनियमन और बुनियादी सुविधाएं**	**48**
	विनियमक बुनियादी सुविधाएं	48
	भुगतान और निबटान प्रणालियां	59
	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद	64
	भारत में उत्पाद नवोन्मेष	64
	वित्तीय समावेशन और वित्तीय स्थिरता के लिए विनियामक पहल	65
अनुबंध : क्रियाविधियां		**71**

पृष्ठ सं.

बाक्सों की सूची

1.1	भारत में घरेलू वस्तुगत और वित्तीय बचत	12
1.2	प्रतिचक्रीय रूख के रूप में अधिक ऋण विस्तार न्यायसंगत	14
2.1	अग्रिमों की पुनर्सरचना	31
2.2	परिवर्ती जमा दर	38
3.1	विनियमों के विस्तृत क्षेत्रीय अभिप्राय	50
3.2	पूंकजी प्रभार की गणना हेतु आंतरिक माडलों पर निर्भरता के समक्ष आनेवाली चुनौतियां	51
3.3	बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 2012	54
3.4	धारा बैंकिंग प्रणाली के विनियम को सुदृढ़ करना	56
3.5	केंद्रीय समाशोधन के चरण में प्रवेश के समझा चुनौतियां	62

चार्ट की सूची

1.1	व्यष्टिगत स्थिरता मानचित्र और वित्तीय बाजार स्थिरता मानचित्र	4
1.2	विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जीडीपी वृद्धि	5
1.3	उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जीडीपी वृद्धि	5
1.4	10 वर्षीय सरकारी बाण्ड आय (प्रतिफल)	6
1.5	यूरो क्षेत्र में निजी क्षेत्र को दिए गए त्रण में वृद्धि	6
1.6	विकसित अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी सूचकांक में उतार-चढ़ाव	6
1.7	उभरती एवं विकसशील अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी में उतार-चढ़ाव	7
1.8	पण्य मूल्य सूचकांक	8
1.9	प्रणालीगत चलनिध सूचकांक	8
1.10	भारतीय निर्यात और आयात में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	9
1.11	भारत की चालू खाता कमी का वित्तपोषण	9
1.12	1 - माह अमरीकी डालर के विरुद्ध विभिन्न मुद्राओं की अस्थिरता	10
1.13	भारत में बचत और निवेश दर	11
1.14	परिवार बचत	12
1.15	परिवार की आस्तियों के मूल्य में संचरण	12
1.16	बैंक ऋण और आवास मूल्य	13
1.17	ऋण चक्र और सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि	14
1.18	वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण के स्रोत का संघटन	14
1.19	संसाधन संग्रहण में क्षेत्रवार हिस्सा	15

पृष्ठ सं.

1.20	संसाधन संग्रहण में विभिन्न श्रेणियों के हिस्से	15
1.21	भारतीय इक्विटी सूचियों में उतार-चढ़ाव	16
1.22	भारतीय ईक्विटी बाजार में डीआईआई और एफआईआई कुल अंतर्वाह	16
1.23	गत 6 महीनों के दौरान अनुभव में परिवर्तन	19
2.1	बैंकिंग स्थिरता संकेतक और इसके घटक	20
2.2	बैंकिंग स्थिरता नक्शा	21
2.3	जेपीओडी और बीएसआई का संचलन	21
2.4	चुनिंदा बैंकों के टाक्सीसिटी सूचकांक में उतार-चढ़ाव	22
2.5	चुनिंदा बैंकों का समेदयता सूचकांक	22
2.6	चुनिंदा बैंकों के बीच प्रणालीगत अंतर-सबद्धता गोपनीय प्रभाग	22
2.7	अंतर बैंक बाजार का आकार	23
2.8	बैंकिंग प्रणाली का नेटवर्क - सितंबर 2012	23
2.9	वितत्तीय प्रणाली में नेटवर्क - जून 2012	23
2.10	बैंकिंग प्रणाली के आंतरिक कोर के दो मुख्य अधारकर्ता बैंक के दिवालिया होने का संजामक प्रभाव	24
2.11	10 सर्वाधिक जुड़े बैंक के दिवालिया होने के कारण बैंकिंग प्रणाली में पूंजी की हानि	24
2.12	पांच संबंधित बैंकों की एलजीडी की विभिन्न स्तरों पर असफलता के कारण बैंकिंग प्रणाली की पूंजी में हानि	25
2.13	विभिन्न कटिन स्थितियों के अंतर्गत शीर्ष 10 संबद्ध बैंकों की असफलता के कारण बैंकिंग प्रणाली की पूंजी में हानि	26
2.14	चलनिधि संक्रामकता का फैलाव दर्शानेवाला फ्लोचार्ट	27
2.15	बड़े ऋणदाता बैंक की असफीलता पर देय चलनिधि संग्रामकता	27
2.16	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से लिया गया उधार	28
2.17	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से लिया गया उधार	28
2.18	पूंजीगत निधियों के प्रतिशत के रूप में बैंकों का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियो से एक्स्पोज़र	28
2.19	पालिसीधारक की देयताओंके प्रतिशत के रूप में बीमा कंपनियों का अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से एक्स्पोज़र	28
2.20	बैंकों द्वारा आस्ति प्रबंधन कंपनियों से उनकी कुल पूंजी के प्रतिशत केश् रूप में ली गयी उधार राशि	29
2.21	बैंक समूहों के अग्रिमों की वृद्धि दर	29
2.22	सीआरएआर - बैंक समूह	29
2.23	जोखिम भारत आस्तियों में वृद्धि : बैंक समूह	30
2.24	कुल अनर्जक आस्ति अनुपात	30
2.25	कुल अनर्जक आस्तियों में वृद्धि	30

पृष्ठ सं.

2.26	स्लिपेज में प्रवृत्तियां	30
2.27	सकल कुल अग्रिम में से पुनर्सरचित मानद अग्रिम	32
2.28	सीडीआर के तहत मामलों की संख्या और मूल्य में प्रवृत्ति	32
2.29	सीडीआर के तहत मूल्य का उद्योगवार ब्रेकअप - जून 2012	32
2.30	अर्ज क्षेत्र में ऋण-निवदेश	32
2.31	आस्ति-गुणवत्ता और प्रावधान व्याप्ति - पुनर्सरचना का प्रभाव	33
2.32	आस्ति-गुणवत्ता और प्रावधान व्याप्ति : विभिन्न देशों के अनुपात	33
2.33	एससीबी के प्रणालीस्तरीय सीआरएआर अनुपातों का अनुमान	35
2.34	बैंक-समूहवार जीएसपीए अनुपात का अनुमान	35
2.35	बैंक-समूहवार सीआरएआर का अनुमान	35
2.36	शीर्ष 20 व्यक्तिगत उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम में हिस्सा	36
2.37	एसएलआर अधिक्य की तुलना में देयता अनुपात के प्रति थेक जमाराशियां - आकारवार वितरण सितंबर 2012	37
2.38	भारतीय बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं	39
2.39	भारतीय बैंकों के विदेशी दावे	39
2.40	डेरिवेटिव बाजार में कतिपय बकाया मूलधन	40
2.41	कुल डेरिवेटिव लेनदेन में अंतर बैंक सेगमेंट की हिस्सेदारी - सितंबर 2012	40
2.42	पूंजीगत निधि के प्रतिशत के रूप में संक्रमण धारा सितंबर 2012	41
2.43	पूंजीगत निधियों के अनुपात के रूप में ग्राहक संगमेंट में एमटीएम - सितंबर 2012	41
2.44	30 सितंबर, 2012 और 31 मार्च 2012 को आघात परीक्षणों का प्रभाव	41
2.45	बैंक की पूंजीगत निधि के अनुपात के रूप में निवल एमटीएम में परिवर्तन - सितंबर 2012	42
2.46	ईबीएटी ब्याज आय और पीएटी, ब्याज व्यय में वृद्धि	42
2.47	आय की कुछ चयनित मदों में वृद्धि दर (वाई-ओ-वाई) सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	42
2.48	प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात - एससीबी	42
2.49	पूंजी स्थिति पर अनर्जक आस्ति आघात का प्रभावः एसयूसीबीएस सितंबर 2012	44
2.50	चलनिधि जोखिमः एएलएम असंतुलन - एसयूसीबी - सितंबर 2012	44
2.51	जोखिम भारत आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात का रूझान	44
2.52	सकल अनर्जक आस्ति अनुपात का रूझान	45
2.53	आस्तियों के प्रतिलाभ का रूझान	45
2.54	निधियों का स्रोत और उपयोगः 30 जून 2012 की स्थिति के अनुसार	45
2.55	रियल इस्टेट सेक्टर को अग्रिम देने संबंधी रूझान	46
2.56	पूंजी बाजार एक्सपोज़र का रूझान	46

पृष्ठ सं.

2.57	निधियों के विशेष स्रोतों का रूझान - आईएफसी	46
3.1	बैंकिंग प्रणाली का परिचालन जोखिम भारित एक्सपोज़र	52
3.2	कपट के शेष मामलों की राशि	52
3.3	किसी एक बडे वित्तीय संगुट के मामले में अंतरसमूह एक्सपोज़र	53
3.4	समूह में बैंक की पूंजी निधि के प्रतिशत के रूप में अंतर समूह एक्स्पोजर प्रतिशत	53
3.5	2008 की समाप्ति पर कुल आस्तियों में विदेशी बैंकों की शाखाओं एवं सहायक संस्थाओं का हिस्सा	54
3.6	अन्य वित्तीय मध्यस्थों का आकार	57
3.7	संकट के पूर्व एवं पश्चात अन्य मध्यस्थ क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि	58
3.8	निपटान प्रणाली का प्रतिशत विवरण (मूल्य में)	59
3.9	निपटान प्रणाली का प्रतिशत विवरण	59
3.10	सीसीआईएल- विदेशी मुद्रा बाजार उतार-चढ़ाव और मार्जिन (प्रारंभिक तथा उतार-चढ़ाव मार्जिन)	60
3.11	सीसीआईएल - विदेशी मुद्रा बाजार उतार-चढ़ाव और प्रारंभिक मार्जिन में परिवर्तन	60
3.12	बीएसई और एनएसई में नकदी बाजार के लिए निपटान सांख्यिकी	61
3.13	एनएसई के इक्विटी डैरिवेटिव बाजार के लिए निपटान सांख्यिकी	61
3.14	बीएसई के इक्विटी डेरिवेटिव	61
3.15	चुनींदा देशों में बीमा पहुंच	68
3.16	चुनींदा देशों में बीमा संघनत	68
3.17	एनएसएफई के लिए कार्य योजना	70

सारणियों की सूची

1.1	बाह्या क्षेत्र अनिश्चितता सूचकांक	10
1.2	8 कारपोरेट समूह की 12 चुनी गई कंपनियों का कुल अनुपात	17
1.3	प्रणालीबद्ध जोखिम सर्वेक्षण में पाये गये बड़े जोखिम समूहःअक्तूबर 2012	18
1.4	प्रणालीबद्ध जोखिम सर्वेक्षण में पाये गये विभिन्न जोखिम अक्तूबर 2012	18
1.5	अन्य प्रभावशाली घटनाओं के अनुभव एवं भारतीय वित्तीयप्रणाली पर उनका असर	19
2.1	अंतरबैंक बाजार मे भागीदारी	23
2.2	संक्रायक हानि पर कटिन स्थिति का प्रभाव	26
2.3	बड़े ऋणदाता बैंक असफलता पर उसे देय प्रणालीबद्ध चलनिधि का उपलब्धता	27
2.4	दबाव पीरक्षण - ऋण जोखिमः सकल ऋण - सितंबर 2012	34
2.5	मैक्रोइकानामिक सिनारियो एक्जंमशन	34
2.6	एससीबी के प्रणाली स्तरीय जीएनपीए अनुपातों का अनुमान	34

		पृष्ठ सं.
2.7	अनुमानित क्षेत्र संबंधी एनपीए	35
2.8	बैंकों द्वारा उनके शीर्ष 20 व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को ऋण	36
2.9	नकदी अनुपात	36
2.10	चलनिधि जोखिमः एससीबी सितंबर 2012	38
2.11	ब्याज दर जोखिम - ट्रेडिंग और बैंकिंग बहियां - सितंबर 2012	39
2.12	भारत में डेरिवेटिव बाजार का सापेक्ष आकार - मार्च 2012	40
2.13	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन मानदंड	43
2.14	एसयूसीबी के चयनित वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक	43
3.1	जीवन बीमा के तहत प्रीमियमः बैंकान्युरेंस बनाम अन्य चैनल	58
3.2	जीवन बीमा क्षेत्र के तहत प्रीमियमः बैंकाश्युरेंस बनाम अन्य चैनल	59
3.3	बैंकों में एनएससीसीएल और बीएसई का ऐक्सोज़र	60
3.4	वित्तीय समावेशन संबंधी पहल	67
3.5	मार्च 2010 से सितंबर 2012 के लिए एफआईपी के तहत प्रगति	67

चुनींदा संक्षेपाक्षर

ALM	आस्ति देयता प्रबंधन
ALCO	आस्ति देयता प्रबंधन समति
AMA	उन्नत मापन दृष्टिकोण
AMCS	आस्ति प्रबंधन कंपनियां
ATMs	स्वचालित टैलर मशीन
BCS	कारोबारी प्रतिनिधि
BCBS	बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बाजल समिति
BIS	अंतराष्ट्रीय निबटान बैक
BSDA	बुनियादी सेवा डीमैट खाता
BSE	बंबई स्टाक ऐक्सचेंज
BSI	बैंकिंग स्थिरता सूचकांक
BSM	बैंकिंग स्थिरता उपाय
BSMD	
CAD	चालू खाता घाटा
CCIL	भारतीय समाशोधन निगम लि.
CCP	केंद्रीय प्रतिपक्ष
CD	जमाराशि की तुलना में ऋण का अनुपात/जमा प्रमाणपत्र
CDR	कंपनी ऋण पुनर्गठन
CDS	क्रेडिट डिफॉल्टर स्वैप
CET 1	आम ईक्विटी टीयर 1
CME	पूंजी बाजार ऐक्स्चेंज़र
CPI	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
CRAR	जोखिमभारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात
CRR	नगद आरक्षित अनुपात
CSO	केंद्रीय सांख्यिकी संगठन
CTD	
DICGC	निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम
DIIs	देशी संस्थागतम निदेशक
DMA	प्रत्यक्ष बाजार अभगम/पहुंच
DPs	निक्षेपागार सहभागी
D-SIBs	प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण देशी बैंक
EBIT	ब्याज और कर से पूर्व अर्जन
EBITDA	ब्याज, कर, मूल्यह्रास और …… से पूर्व अर्जन
EPBT	प्रावधानों और करों से पूर्व अर्जन
EBT	इलैक्ट्रानिक लाभ अंतरण
ECB	यूरोपीयन केंद्रीय बैंक, बाह्य वाणिज्यिक उधार
EDES	उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं
EIOPA	यूरोपीयन इन्शोरैन्स एण्ड आक्युपेशनल पैन्शन्स अथॉरिटी
ELSS	ईक्विटी से सम्बद्ध बचत योजनाएं
FASB	वित्तीय लेखाकरण मानक बोर्ड
FATCA	विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम
FB	विदेशी बैंक
FCS	वित्तीय महासंघ
FFIs	विदेशी वित्तीय संस्थान
FII	विदेशी संस्थागत निदेशक
FIPs	वित्तीय समावेशन योजनाएं
FPO	फौलो….. पब्लिक आधार
FRA	वायदा दर करार
FSB	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
FSDC	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
FSR	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
GDCF	सकल देशी पूंजी निर्माण
GBP	सकल देशी उत्पाद
GDS	सकल देशी बचत
GFD	सकल राजकोषीय घाटा
GFSR	वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
GNPA	सकल अनर्जक अग्रिम
GOI	भारत सरकार
G-SIFIs	प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक संस्थाएं
HFT	उच्च आवृत्ति व्यापार
HLA	उच्चतर हानि
IA	निदेशक संघ
Ino AS	भारतीय लेखाकरण मानक
IASB	अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड
ICR	ब्याज कवरेज अनुपात
ICT	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
IFCS	बुनियादी सेवा वित्तीय कंपनियां

IFRS	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक
IMA	आंतरिक माडल दृष्टिकोण
IMF	अंतरराष्र्टीय मुद्रा कोष
LOSCO	
IPO	प्रारंभिक सार्वजनिक आधार
IRB	आंतरिक दर पर आधारित
IRDA	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
IRS	ब्याज दर स्वैप
ITES	अंतर-समूह लेनदेन और एक्स्पोज़र
JPOD	आयातकी संयुक्त संभावना
KYC	अपने ग्राहक को जानिए
GGD	
MCA	कंपनी कार्य मंत्रालय
MFs	म्युच्युअल फंड
MGN REGA	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
MI	माइक्रो बीमा
MMMFs	मुद्रा बाजार म्युच्युअल फंड
MSMED	बहुत छोटे, छोटे और मध्यम उद्यम विकास
MTM	बाजार दर पर
MAV	निवल आस्ति मूल्य
NBFCs	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
NBTC-D	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - जमाराशियां स्वीकार करने वाली
NBFC-ND-SI	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी - जमाराशियां स्वीकार न करनेवाली - प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण
NDTL	निवल मांग और मीयादी देयताएं
NFFEs	गैर वित्तीय विदेशी संस्थाएं
NGO	गैर सरकारी संगठन
NHB	राष्ट्रीय आवास बैंक
NIM	निवल ब्याज मार्जिन
NPA	अनर्जक अग्रिम
NPB	नया निजी बैंक
NPS	नयी पेंशन योजना
NSCCL	राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लि.
NSFE	वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति
NSE	नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज
OFIs	अन्य वित्तीय मध्यस्थ
OPB	पुराना निजी बैंक
ORSA	स्वयं का जोखिम और शोधन क्षमता आकलन
OSS	स्थलेतर निगरानी
OTC	काउंटर पर
PAT	कर के पश्चात लाभ
PCR	प्रावधान कवरेज अनुपात
PFRDA	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PMI	क्रेता प्रबंधक सूचकांक
POD	आपदा की संभावनाएं
PSBs	सरकारी क्षेत्र के बैंक
PRA	विवेकपूर्ण विनियामक प्राधिकरण
QFIs	सशर्त विदेशी निदेशक
RBI	भारतीय रिज़र्व बैंक
ROA	आस्तियों पर अर्जन
RRB	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
RWA	जाखिम भारित आस्ति
SCBs	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
SEBI	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
SEC	प्रतिभूति और विनिमय आयोग
SGF	निबटान गारंटी निधि
SLI	प्रणालीगत चलनिधि सूचकांक
SCR	सांविधिक चलनिधि अनुपात
SUCB	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
TCE	कुल ऋण एक्सपोज़र
TER	कुल व्यय अनुपात
TI	सुभेधता सूचकांक
TRs	व्यापार निक्षेपागार
TSA	मानक दृष्टिकोण
VAR	जोखिम आधारित मूल्य
VI	भेद्यता सूचकांक
WPI	थोकमूल्य सूचकांक
WOS	पूर्णस्वामित्व वाली सहायक संस्था
WG	कार्यकारी दल
YOY	वर्ष-दर-वर्ष

विहगावलोकन

स्थूल वित्तीय जोखिम

वैश्विक

वैश्विक वृद्धि की संभावनाएं क्षीण बनी हुई हैं। अधिकांश वैश्विक एजेंसियों द्वारा वैश्विक वृद्धि के अनुमानों में कमी की गई है।

अधिकांश यूरो क्षेत्र और जापान में नकारात्मक वृद्धि देखने में आ रही है, जबकि यूएस में अभी भी निम्न बनी हुई है। यूरों क्षेत्र सरकारी ऋण संकट के जारी रहने और यूएस फिस्कल क्लिफ के बारे में अनिश्चितता बने रहने से वैश्विक वृद्धि और वित्तीय स्थिरता के प्रति प्रमुख कमी के जोखिम हैं। संकट का सामना करने के लिए यूरोप में प्रयास जारी हैं। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईडीई) के लिए मंद वैश्विक व्यापार और अस्थिर पूंजी प्रवाहों के चलते स्पिलओवर का खतरा महत्वपूर्ण है। हालांकि स्फीतिकारक दबावों में कमी नजर आ रही है, उच्च खाद्य तथा पण्य मूल्य अभी भी जोखिम बने हुए है, विशेषकर देशी आपूर्ति बाधाओं का सामना कर रही अर्थव्यवस्थाएं। संभावना में एक प्रमुख जोखिम राजनीतिक अर्थव्यवस्था मुद्दों के कारण है जो मजबूत नीतिगत कार्रवाई में बाधा डाल सकता है, विलंब कर सकता है या कमजोर कर सकता है तथा उसका परिणाम पहले से कहीं अधिक गहरे वित्तीय संकट और जोखिम के प्रति और अधिक अरूचि के रूप में सामने आ सकता है।

देशी

जून 2012 में पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद भारतीय वित्तीय प्रणाली में समग्र स्थूल आर्थिक जोखिम बढ गए हैं। देशी वृद्धि में गिरावट के साथ-साथ, उच्च मुद्रास्फीति, देशी बचत में गिरावट, विशेषकर घरेलू वित्तीय बचत में निवेश मांग में गिरावट और उपभोग में कमी से स्थूल आर्थिक स्थिरता के प्रति जोखिम बढ़ गए हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य चालू घाटा, दबावयुक्त राजकोषीय स्थिति, कंपनी क्षेत्र के बढ़ते लीवरेज और गिरती लाभप्रदता स्थूल आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे बन गए हैं।

राजकोषीय आकलन

पिछले वर्ष की उसी अवधि में 74 प्रतिशत की तुलना में अक्तूबर 2012 तक कोइ सरकार कुल राजकोषीय धारा (जीएफडी) पूरे वर्ष की बजट राशि में 72 प्रतिशत था आर्थिक मंदी के कारण चालू वर्ष में सरकार के कर और गैर कर राजस्व में कुछ कमी हो सकती है। साथ ही, सरकार के व्यय में कुछ वृद्धि भी हो सकती है।

बाह्य क्षेत्र

बाह्य क्षेत्र में दबाव उच्च स्तर पर बना हुआ है। हालांकि पिछली तिमाही की तुलना में , जीडीपी में चालू खाता घाटे का अनुपात कम हुआ है, लेकिन यह अभी भी उच्च है। चालू खाता घाटे में अभी भी एक बहुत बडा हिस्सा स्वर्ण आयात का है। अन्य बाह्ण् क्षेत्र जोखिम संकेतक भी बढ़े हुए दबाव को दिखलाते हैं। पूंजी प्रवाहों में अस्थिरता से चालू खाता घाटे के वित्तीयन के लिए चुनौती हो सकती है।

वित्तीय बाजार

समीक्षाधीन अवधि में भारतीय बाजारों में जोखिम कुछ कम हुए। 2012-13 की दूसरी तिमाही में सहज हो जाने के बाद 2012-13 की तीसरी तिमाही में वित्तीय प्रणाली में चलनिधि की कमी बढ़ गई। दीर्घावधि और अल्पकालिक खजाना मुख्यतया एक सीमा के भीतर ही रहे। ईक्विटी में प्राथमिक बाजार, जो वर्ष के पहले भाग में मंद था, उसने हाल ही में पुनरुत्थान के संकेत दिए हैं। विदेशी संस्थागत निवेश के कारण द्वितीयक बाजार में सुधार हुआ है। लेकिन पूंजी बाजार निर्गमों का एक उल्लेखनीय भाग बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बांडों में था जिससे उनकी मध्यस्थता की भूमिका कम हुई। यदि यूएस फिस्कल क्लिफ जोखिम के कारण जोखिम लेने के प्रति अरुचि होती है तो इससे ईक्विटी बाजार से बहिर्वाह हो सकता है।

घरेलू क्षेत्र

घरेलू क्षेत्र परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता प्रदान करता रहा है। लेकिन घरेलू वित्तीय बचत में गिरावट के चलते, इस क्षेत्र में दबाव बढ जाने के संकेत हैंः घरेलू क्षेत्र वित्तीय आस्तियों से हट कर स्वर्ण जैसी मूर्त आस्तियों को अपना रहे है।

कंपनी क्षेत्र

कंपनी क्षेत्र में भी बढ़े दबाव के संकेत रिखलाई दे रहे हैं। कंपनियों की उधार को सर्विस करने की क्षमता वर्तमान लाभ के स्तर 2009-

10 से गिरी है और इस समय 2008-09 के स्तर से कम है। बुनियादी क्षेत्र में कंपनियों का लीवरेज बढ गया है। हाल ही तक, प्राथमिक ईक्विटी बाजार क्षेत्र या और अन्य बातों के साथ-साथ, इससे कंपनी क्षेत्र का लीवरेज बढ रहा है।

प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण

प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण से पता चलता है कि वैश्विक वृद्धि में कमी और सोवरेज जोखिम/प्रभाव को वित्तीय प्रणाली के लिए प्रमुख जोखिमों के रूप में देखा जाता है। देशी क्षेत्र में, निरंतर बढता राजकोषीय घाटा और वृद्धि की संभावना में गिरावट महत्वपूर्ण जोखिम कारकों के रूप में उभरे हैं।

वित्तीय संस्थाएं : मजबूती और आघातसहनीयता

बैंकिंग क्षेत्र जोखिम

हाल ही के वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र के प्रति जोखिम बढ़े हैं। सख्त चलनिधि, आस्तियों की गिरती गुणवत्ता तथा कम होती मजबूती ऐसे प्रमुख तत्व हैं जिनसे बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता में कमी आती है। लेकिन, पिछली दो तिमाहियों में बैंकिंग स्थिरता संकेतक में कुछ सुधार होना मुख्यतया बेहतर चलनिधि स्थिरताओं के कारण है।

बैंकिंग स्थिरता उपाय

पूरी बैंकिंग प्रणाली के संकट में आने की संभावना बढने की प्रवृत्ति उलट गई है और हाल ही की अवधि में इसमें मुख्य गिरावट आई है। बैंकिंग प्रणाली में संकट निर्भरता के विभिन्न संकेतकों से पता चलता है कि पिछली कुछ तिमाहियों में जोखिम में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं हुआ है।

नेटवर्क विश्लेषण

भारतीय वित्तीय प्रणाली के नेटवर्क विश्लेषण से पता चलता है कि प्रणाली में परस्पर सम्बद्धता काफी मजबूत है। भारत में वित्तीय प्रणाली में परस्पर सम्बद्धता एक ओर तो बैंकों में वित्तीयन निर्भरता और प्रत्यक्ष ऋण जोखिम के कारण और दूसरी ओर बीमा कंपनियों, म्युच्युअल फंडों गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कारण है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के इस अंक में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि के प्रभाव का आकलन किया गया है। हाल ही की अवधि में प्रणाली में परस्पर सम्बद्धता या कंटेजियन जोखिम के पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है।

अनुसूचित वाणिज्य बैंक

पूंजी पर्याप्तता और आस्तिगुणवत्ता मार्च 2012 के बाद से कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात गिरा है हालांकि विनियामक न्यूनतम अपेक्षा से काफी अधिक रहा। सीआरएआर में गिरावट सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए अधिक प्रखर थी। इसके अतिरिक्त, 2012 को समाप्त छमाही में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में काफी गिरावट देखने में आई है।

अग्रिमों का पुनर्गठन

अग्रिमों की बड़ी संख्या और मूल्य के कारण हाल ही में ऋणों के पुनर्गठन, सीडीआर के अधीन बिग टिकट ऋणों पर अधिक निगरानी रखी जा रही है। हाल ही में, बैंकिंग प्रणाली के कुल अग्रिमों की तुलना में पुनर्गठित अग्रिमों वृद्धि अधिक रही है।

लाभप्रदता

बैंकिंग क्षेत्र की लाभप्रदता हाल ही में बढ़ी है, आंशिक रुप से, ब्याज आय के संबंध में ब्याज व्यय की वृद्धि में गिरावट के कारण सितंबर 2012 के अंत में कर के पश्चात लाभ में 36.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो वैश्विक वित्तीय संकट से पहले की अवधि में 37.4 प्रतिशत की वृद्धि दर के निकट है।

वित्तीय क्षेत्र विनियमन और बुनियादी सुविधाएं

वैश्विक सुधारों का कार्यान्वयन

वैश्विक वित्तीय संकट के चलते वैश्विक विनियामक सुधार कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जहां विभिन्न क्षेत्राधिकारों में समरुपता यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि विनियामक आर्बिट्राज की संभावनाएं न होने पाएं।

बासल III कार्यान्वयन

भारत में बासल III के कार्यान्वयन के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारत में बैंक कुल मिलाकर नई पूंजी व्यवस्था की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार हैं। लेकिन, आस्ति गुणवत्ता में हाल ही की गिरावट और प्रावधान संबंधी मानदंडों में प्रस्तावित परिवर्तन बैंकों के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं।

बासल II के अधीन उन्नत दृष्टिकोण

कई बैंक बासल II के अधीन उन्नत दृष्टिकोण अपनाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन पूंजी गणनाओं के लिए जटिल माडल चुनौतियां खड़ी कर देते हैं,सम्बद्ध वैधीकरण और प्रमाणित प्रक्रियाएं इस बात को सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे कि जटिल माडलिंग का प्रयोग जोखिम भारों की आशावान गणना के लिए न किया जाए जिससे पूंजी या अन्य विनियामक अपेक्षाओं में कमी हो जाए।

बैंकिंग धोखाधड़ी

धोखाधड़ी के कारण भारत में बैंकों की हानि बढ़ रही है, इन प्रवृत्तियों और विश्व में कई अन्य स्तर की धोखाधडी के मामलों के कारण परिचालनगत जोखिम पूंजी की महत्ता पर ध्यान केंद्रित हो गया है। लेकिन, भारतीय संदर्भ में परिचालनगत हानि के मामलों के संबंध में ऐतिहासिक डाटा न होने के कारण परिचालनगत जोखिम को मापने के लिए कड़ी चुनौतियां हैं।

शैडो बैंकिंग

शैडो बैंकिंग प्रणाली के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क का उद्देश्य है - विश्व में संभावित प्रणालीगत जोखिमों की उपयोगी आर्थिक भूमिका को पहचानते हुए उनमें कमी करना। भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय प्रणाली एक विनियामक पैरीमीटर के अधीन है लेकिन विनियामक कवरेज और डाटा की उपलब्धता के संदर्भ में कुछ अंतर हैं, जिन पर सभी विनियामकों द्वारा संयुक्त रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

वित्तीय बाजार बुनियादी सुविधाएं

भारत के वित्तीय बाजार में बुनियादी सुविधाएं सहजता से काम कर रही हैं। सीसीआईएल निपटानों तथा विभिन्न ईक्विटी ऐक्सचेंजों में मार्जिन घट-बढ की अनिश्चितता के कारण संभावित जोखिम तथा निपटान बैंकों के प्रति ईक्विटी बाजार के सीसीपी ऐक्स्पोज़र पर निगरानी रखनी होगी। कुछ उत्पादों/बाजारों में मानकीकरण, पर्याप्त चलनिधि तथा सरलता से उपलब्ध मूल्यन सूचना के अभाव में सभी ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेनो को केंद्रीय समाशोधन में माइग्रेट करने में बहुत चुनौतियां हैं। भारत में, ओटीसी डेरिवेटिव उत्पादों के लिए एक व्यापार निक्षेपागार प्रारंभ किया गया है। यूएस ए/ आईएनआर खंड में विदेशी मुद्रा लेनदेनों का गारंटीकृत समाशोधन अनिवार्य बना दिया गया है।

वित्तीय समावेशन

विश्व भर में, वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण की त्रिमूर्ति को वित्तीय स्थिरता की प्राप्ति के लिए परस्पर संबद्ध माना गया है। भारत में, वित्तीय क्षेत्र विनियामक सघन प्रयासों से वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और वित्तीय साक्षरता को बेहतर बनानें का काम कर रहे हैं जिनका उल्लेख वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के इस अंक में किया गया है।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2012 में भारत सरकार, सेबी, आईआरडीए तथा पीएफआरडीए से प्राप्त सूचना शामिल की गई है।

अध्याय 1
व्यष्टिगत वित्तीय जोखिम - मूल्यांकन

ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे विश्व में विकास संबंधी जोखिम बढ़ गए हैं और यह जोखिम अर्थव्यवस्था में बढ़ी हुई चलनिधि के सकारात्मक प्रभाव को बेअसर कर सकता है। हालांकि, प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रणाली में डाली गई चलनिधि से विश्व के वित्तीय बाज़ारों में थोड़ी स्थिरता आई है किंतु यह व्यवस्था में संरचनागत समाधान का विकल्प नहीं है। इसके अलावा, राजकोषीय दबाव एवं सरकार के कर्ज की समस्या, बाज़ार की स्थिरता के लिए बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है, साथ ही बाज़ार में वस्तुओं की कीमतें अभी भी ऊंची बनी हुई हैं और चलनिधि के कारण कीमतों में वृद्धि होने का जोखिम भी काफी हद तक बना हुआ है। एक बहुत बड़ा जोखिम, राजनीतिक रूप से आर्थिक-चिंतन के परिदृश्य से है, जो दृढ़ नीतिगत कार्रवाई को बाधित, विलंबित अथवा बेअसर कर सकता है और जिसका परिणाम भारी वित्तीय दबाव और अत्यधिक जोखिम विमुखता के रूप में हो सकता है। इस वैश्विक मंदी और अनिश्चितता के माहौल में, भारतीय अर्थव्यवस्था की गति मंद रही है, निवेश में कमी हुई है, खपत की स्थिति कमजोर पड़ी है और निर्यात में गिरावट हुई है। वर्ष 2011-12 में वृद्धि-दर ने जो गति पकड़ी थी वह थम गई, और यही स्थिति चालू वर्ष में भी बनी हुई है और वृद्धि-दर अब तक चली आ रही वृद्धि-दर प्रवृत्ति से नीचे खिसक रही है, फिर भी मुद्रास्फीति की दर रिज़र्व बैंक की सहज-दर से ऊपर बनी रही है। बाह्य क्षेत्र में, चालू खाता घाटा (सीएडी) सहज-स्तर से अधिक बना रहा और भारतीय रुपये पर मूल्यह्रास का दबाव था। एक अन्य चिंताजनक घटना यह हुई कि वित्तीय परिसंपत्तियों में घरेलू बचत का हिस्सा घट गया क्योंकि गृहस्थों ने भौतिक-परिसंपत्ति अथवा मूल्यवान वस्तु जैसे स्वर्ण को हासिल करने को वरीयता दी, जिसके कारण भी चालू खाता घाटे पर दबाव बढ़ता चला गया। इस प्रकार, धीमी वृद्धि , बढ़ती हुई मुद्रास्फीति, उच्च राजकोषीय एवं चालू खाता घाटा, वित्तीय-स्थिरता के प्रति भारी जोखिम के रूप में बने रहे। वर्तमान आर्थिक दुर्बलता पर शिकंजा कसने की भारत की क्षमता के प्रति विश्व का दृष्टिकोण इस बात पर निर्भर करेगा कि राजकोषीय समेकन की जो तरकीब है उस पर कितनी क्षमता से और कितने सकारात्मक रूप से अमल किया जाता है। इससे, भारत के निजी क्षेत्र के लिए वित्त लगाने की गुंजाइश पैदा हो जाएगी क्योंकि निजी क्षेत्र कम होती घरेलू बचत के अधिकांश हिस्से को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सरकार से स्पर्धा में रहता है। इस बात के भी पूर्व-संकेत मिल रहे हैं कि अनेक बड़े औद्योगिक समूहों में कार्पोरेट लीवरेज बढ़ रहा है और बुनियादी क्षेत्र जैसे बिजली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है। इसके अलावा, बहुत सी कंपनियों ने विदेशों से विदेशी-मुद्रा मूल्यवर्ग में बड़ी राशि उधार ले रखी है और (उससे जुड़े जोखिमों से बचाव के लिए कोई एक्सपोजर (निवेश) नहीं किया है, और वह भी ऐसे समय में जब विनिमय-दरों में अस्थिरता बढ़ती जा रही है। यह कार्पोरेट क्षेत्र की स्थिरता के लिए बहुत बड़ा जोखिम है। हालांकि, मूल्यांकन की जा रही अवधि में वित्तीय बाज़ार की स्थिति में थोड़ा सुधार दिखाई दिया है।

1.1 जून 2012 में पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के प्रकाशन से लेकर अब तक भारतीय वित्तीय प्रणाली में व्यष्टिगत आर्थिक जोखिम समग्र रूप से बढ़ गया है। राजकोषीय और कार्पोरेट क्षेत्र में जोखिम बढ़ गए हैं जिन्हें साफ तौर पर देखा जा सकता है। घरेलू क्षेत्र जो भारत के संदर्भ में स्थिरता-शक्ति होता है, से पैदा होने वाले जोखिम थोड़े से बढ़ गए हैं। घरेलू वृद्धि, मुद्रास्फीति और बाह्य क्षेत्र के जोखिम भी बढ़ते गए हैं (चार्ट 1.1. i)। वित्तीय बाज़ार की स्थिरता बाज़ार के चार खण्डों के आधार पर मापी जाती है अर्थात्

चार्ट 1.1 : व्यष्टिगत स्थिरता मानचित्र और वित्तीय बाज़ार स्थिरता मानचित्र

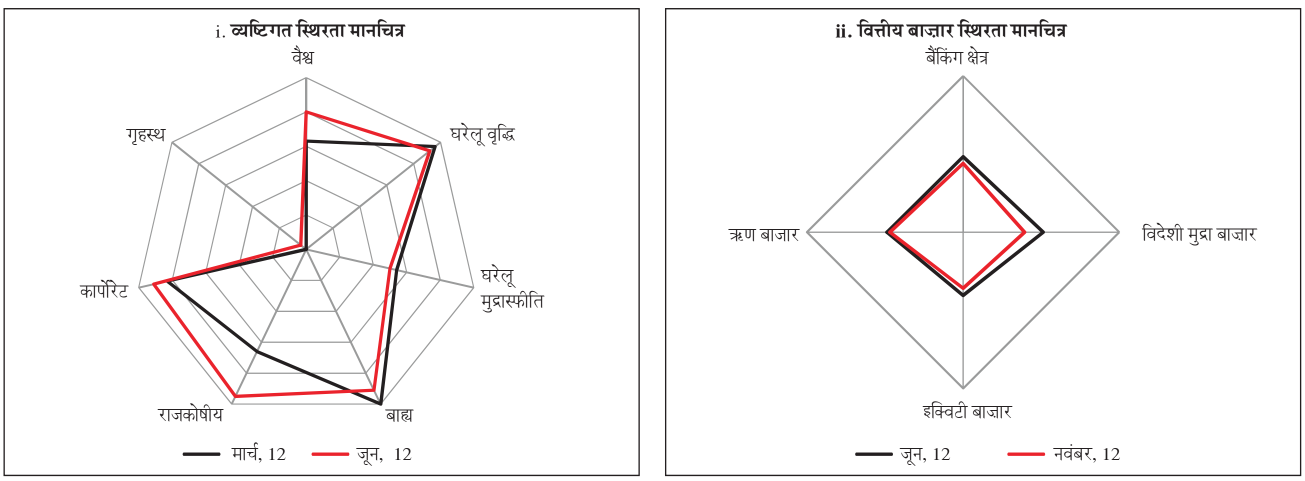

टिप्पणी: व्यष्टिगत स्थिरता मानचित्र जून, 2012 तक उपलब्ध समस्त संकेतक आंकड़ों पर आधारित है। वित्तीय स्थिरता मानचित्र नवंबर, 2012 तक उपलब्ध आकड़ों पर आधारित है ।
स्रोत: भारिबैं. स्टाफ आकलन

- विदेशी मुद्रा बाजार, इक्विटी-बाजार, ऋण-बाजार और बैंकिंग क्षेत्र निधीयन पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की तुलना में इन चारों खण्डों में जोखिमों में मामूली सी कमी दिखाई दी है। (चार्ट 1.1. ii)।

वैश्विक वृद्धि

1.2 पूरे विश्व में आर्थिक वृद्धि की दर मंद रही है। पिछली बार जो उम्मीद की गई थी उसकी तुलना में विश्व अर्थव्यवस्था में वर्ष 2012 के दौरान (सितंबर 2012 तक) वृद्धि की गति धीमी थी (चार्ट 1.2 और चार्ट 1.3)। वर्ष 2012 की तीसरी तिमाही में यूरो क्षेत्र स्पेन सहित तकनीकी मंदी का शिकार हो गया। इटली और पुर्तगाल में लंबे अरसे से मंदी चली आ रही है। अमरीका में प्रत्याशित वृद्धि-दर से कम वृद्धि होने के कारण फेडरल रिज़र्व ने गैरपरंपरागत नीतिगत उपाय करना जारी रखा है। कर्ज की उच्चतम सीमा और राजकोषीय चरम-स्थिति (फिस्कल क्लिफ) संबंधी मुद्दों को हल करने में नाकामी, कार्पोरेट और गृहस्थों के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती है जिसके फलस्वरूप वृद्धि की दर और भी धीमी हो सकती है। जापान में वार्षिक आधार पर की गई गणना के अनुसार 2012 की तीसरी तिमाही में वृद्धि दर का अनुमान (-) 3.5 प्रतिशत लगाया गया था। उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वर्ष 2012 की दूसरी तिमाही में वृद्धि-दर पिछली तिमाही की तुलना में कम थी। हालांकि, मुद्रास्फीति का दबाव नरम पड़ गया है, किंतु खाद्यान्न और वस्तुओं की ऊंची कीमतें उन अर्थव्यवस्थाओं के लिए आकस्मिक जोखिम बने रहेंगे जो घरेलू आपूर्ति की समस्याओं से जूझ रही है।

यूरो क्षेत्र में सरकारी कर्ज का संकट

1.3 विश्व के वित्तीय बाज़ारों को यूरोपीय बैंकिंग और राजकोषीय एकीकरण के बारे में की गई घोषणाओं से समर्थन मिलता है। अलबत्ता, दबाव के दौर के चलते निवेशकों का विश्वास संवेदनशील बना हुआ है क्योंकि यूरो क्षेत्र के संकट को हल करने के लिए कोई सुनिश्चित रणनीति नहीं दिखाई दे रही है। विश्व की विकास संभावनाएं और अधिक क्षीण हो जाने से वित्तीय बाज़ार, जोखिमों का सामना कर रहे हैं। जहां बैंकों और सरकारों को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं, वहीं सरकारों एवं बैंकों के बीच नकारात्मक प्रतिसूचना की फांस की आशंका चिंता का विषय बनी हुई है। यूरोपियन निवेशक और बैंक सामान्य तौर पर यूरोप के भीतर इस भय से कि कहीं कोई देश यूरो क्षेत्र से बाहर न हो जाए अथवा बड़े पैमाने पर बैंकिंग की असफलता को देखते हुए विदेशी आस्तियों में निवेश कम कर रहे हैं।

1.4 अंतर्राष्ट्रीय विनियमन, विशेष रूप से बाज़ार के विभिन्न खंडों में केंद्रीय-प्रतिपक्षी व्यवस्था के क्षेत्र में तथा बासल-III की हैं। बासल-III की चलनिधि अपेक्षाओं ने उच्च गुणवत्ता वाली संपार्श्विक (कोलेटरस) की मांग बढ़ा दी है। पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में बैंकों के बीच और बैंक एवं ग्राहकों के बीच हुए लेनदेन पर अधिक से

चार्ट 1.2 : विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जीडीपी वृद्धि

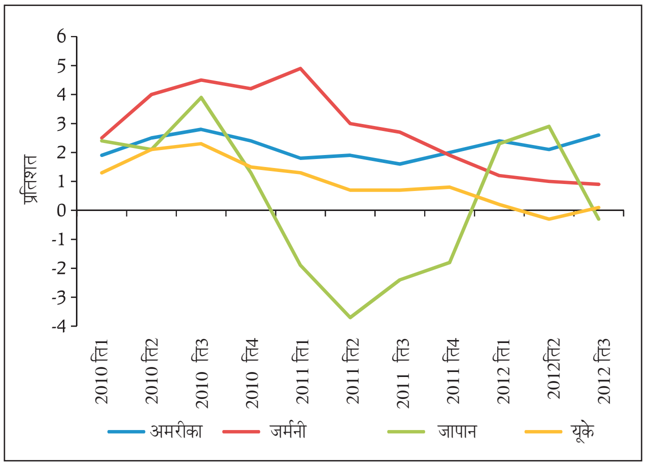

स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 1.3: उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जीडीपी वृद्धि

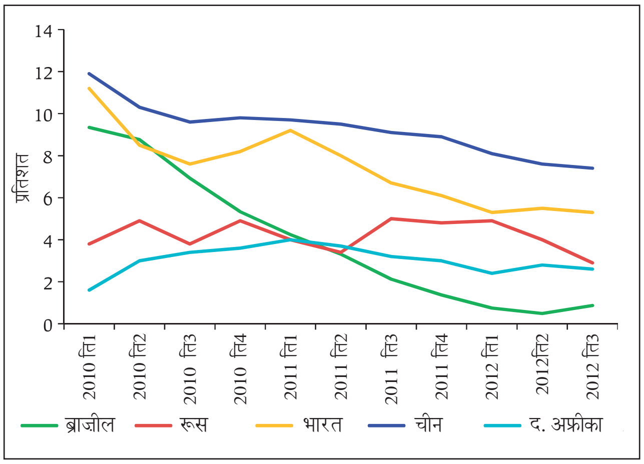

स्रोत: ब्लूमबर्ग

अधिक संपार्श्विक दिए जाने की प्रवृत्ति पर चर्चा की गई थी। विकसित अर्थव्यवस्थों में लगातार आर्थिक मंदी के दौर के कारण पहले से ही उनकी भारग्रस्त राजकोषीय स्थिति पर और अधिक दबाव पड़ने की संभावना है। कुछेक यूरोपीय सरकारों के सुरक्षा-दृष्टिकोण को क्षति पहुंची है, इसलिए संपार्श्विक (कोलेटरल) के रूप में इस्तेमाल करने हेतु उच्च गुणवत्ता वाली जोखिम मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों की उपलब्धता कम हो गई है। अतः, इस प्रकार की घटनाओं से वित्तीय बाज़ारों के सहज-संचलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं।

1.5 प्रमुख यूरो क्षेत्र के देशों में 10 वर्षीय सरकारी बाण्डों पर प्रतिफल सर्वाधिक नीचे गिर गया और आसपास के देशों में बढ़ गया (चार्ट 1.4)। इसके फलस्वरूप, जर्मन बॉण्ड की तुलना में दबावग्रस्त सरकारी बाण्डों के स्प्रेड में अच्छी खासी वृद्धि हो गई। हाल ही में पिछले दिनों यूरोपियन कंद्रीय बैंक द्वारा घोषित एक के बाद एक उपायों की घोषणा के बावजूद भी बाण्डों पर प्रतिफल कम होते गए हैं।

1.6 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार वर्ष 2011 की तीसरी तिमाही से लेकर वर्ष 2012 की दूसरी तिमाही के दौरान 58 बड़े यूरोपियन बैंकों की परिसंपत्तियों में लगभग 600 बिलियन अमरीकी डालर की कमी हुई है। इसका प्रभाव यूरो क्षेत्र पर तो पड़ा ही, साथ ही उसके आसपास के देश अत्यधिक प्रभावित हुए। हालांकि, यूरोपियन केंद्रीय बैंक द्वारा स्थिति को संतुलित करने के उपायों ने डि-लीवरेजिंग प्रक्रिया को धीमा कर दिया था, किंतु निजी क्षेत्र को मिलने वाले ऋण की स्थिति कमजोर बनी रही क्योंकि ईसीबी (यूरोपियन केंद्रीय बैंक की अधिकांश चलनिधि एक दिवसीय जमा सुविधा में डाली जाती रही, हालांकि उन जमाराशियों पर ब्याज दर शून्य है (चार्ट 1.5)।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाज़ार

1.7 वर्ष के दौरान कुछेक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में किए गए गैरपरंपरागत नीतिगत उपायों ने विश्व के इक्विटी बाज़ार को संबल प्रदान किया। ईसीबी प्रेसिडेंट की इस घोषणा के बाद कि यूरो को बचाने के लिए ईसीबी सभी प्रकार के संभावित साधनों का उपयोग करने के लिए तैयार है और अंततः आउटराइट मानेटरी ट्रांजैक्शन (प्रत्यक्ष मौद्रिक लेनदेन) की घोषणा से बुझी-बुझी सी बाज़ार-संवेदना की अवधि के पश्चात विश्व के इक्विटी बाज़ार में आशा की लहर वापस आ गई (चार्ट 1.6 और चार्ट 1.7)। किंतु, राजकोषीय चरम-स्थिति (फिस्कल क्लिफ) की चिंता से शेयर बाज़ारों पर भार बना रहा और गाज़ा पट्टी में बढ़ती हिंसा ने भी बाज़ार की संवेदना को मंद किया।

1.8 कुछेक विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए बाण्डों पर प्रतिफल मंद रहा क्योंकि उनके यहां उसके प्रवाह पर निर्भरता पर

चार्ट 1.4: 10 वर्षीय सरकारी बाण्ड आय (प्रतिफल)

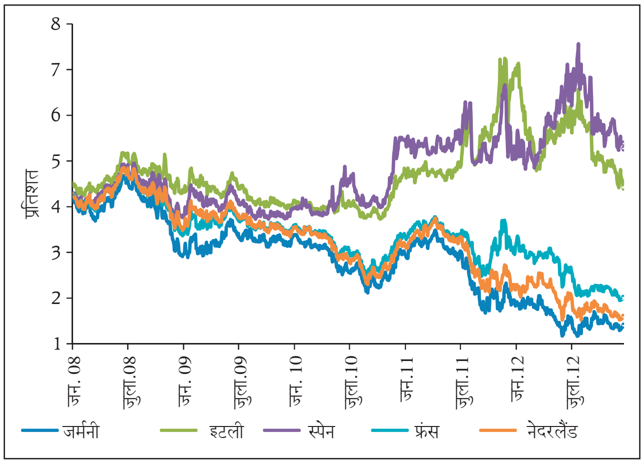

स्रोत: ब्लूमबर्ग

चार्ट 1.5: यूरो क्षेत्र में निजी क्षेत्र को दिए गए ऋण में वृद्धि

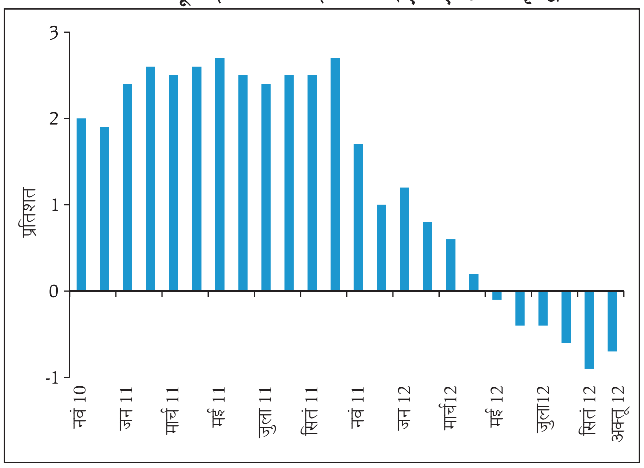

स्रोत: यूरोपियन केंद्रीय बैंक

चार्ट 1.6: विकसित अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी सूचकांक में उतार-चढ़ाव (दिसंबर 2011 के अंत में पुन: सूचकांकित - 100)

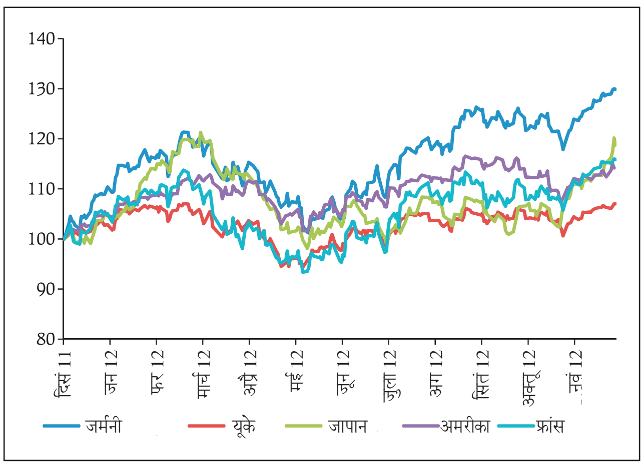

स्रोत: ब्लूमबर्ग

सावधानी बरती गई और बाण्डों पर होने वाली आय (प्रतिफल) ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम के निकट पंहुच गई। पूरे विश्व में निवेशकों ने सरकारी-कागजातों ने अपनी धारिता बढ़ा दी। इसके अलावा, सुरक्षित चलने के चिंतन ने भी सरकारी-कागज़ातों में निवेशके केंद्रित होने के जोखिम को बढ़ा दिया।

दीर्घकालीन समायोजक नीतियां - गिरावट का जोखिम

1.9 उन्नत अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंकों ने वैश्विक वित्तीय संकट एवं यूरो क्षेत्र के सरकारी-ऋण संकट के मद्देनज़र समायोजकी मौद्रिक नीतियां अपनाई। ऐसा किया जाना इसलिए जरूरी पाया गया कि इन अर्थव्यवस्थाओं में अपस्फीतिकारी दुष्चक्र को रोका जाए और परिणामस्वरूप विश्व में विकास की गति को प्रोत्साहित किया जाए। इन नीतियों में कुछ नीतियां गैर-पारंपरिक भी अपनाई गई थीं क्योंकि ब्याज-दर का न्यूनतम स्तर संकट के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुका था। पूरे विश्व के केंद्रीय बैंकों के तुलनपत्र का आकार बढ़ गया था जिससे यह डर बन गया था कि यह स्थिति कहीं भविष्य में मुद्रास्फीति की दर को बहुत ऊंचीदर पर न झोंक दें। इसके अलावा, लंबे समय से गैर-परंपरागत नीतियों के इस्तेमाल पर भी खासतौर से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में चिंता पैदा हो गई है।

1.10 कम आय (प्रतिफल) प्राप्त होने की अवधि बढ़ते जाने से निवेशकों का रुझान अधिक आय (प्रतिफल) प्राप्त करने की तलाश में और भी जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों में निवेश की और बढ़ता जाएगा। इन नीतियों की वजह से चलनिधि की बेशी मात्रा ने उभरती अर्थयवस्थाओं में पूंजी के प्रवाह को अस्थिर बना दिया है। इस प्रकार के पूंजी-प्रवाह अल्पकालीन कारकों से संचालित होते हैं जिससे वित्तीय बाज़ारों में जोखिम होने, न होने जैसी प्रवृत्तियों को बल मिलता है। न्यूनतम दरों के कारण पूंजी की अवसर-लागत भी कम हो जाती है और इस प्रकार से यह वित्तीय फर्मों के लिए उधारकर्ताओं के वित्तीय स्वास्थ्य एवं कर्ज को वापस चुकाने की योग्यता पर निगरानी रखने के प्रति प्रोत्साहन सिद्ध होता है।

1.11 लंबे समय तक समायोजकीय नीतियां अपनाए जाने से उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय परिसंपत्तियों की मांग बहुत बढ़ जाती है। केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित की जाने वाली परिसंपत्तियों का संग्रह काफी बड़ा हो सकता है किंतु असीमित नहीं। यदि केंद्रीय बैंक इन प्रतिभूतियों के एक बड़े हिस्से को अपने पास रखते हैं तो इन प्रतिभूतियों की चलनिधि बाज़ार में नहीं आ पाएगी और निजी खिलाडियों के बीच होने वाला कारोबार कम होने लगेगा जिससे चलनिधि का प्रीमियम[1] बढ़ने लगेगा। ऐसी स्थिति में समायोजकीय नीति अपनाए जाने के उद्देश्य पर प्रश्नचिन्ह लग सकता है। बढ़ती

चार्ट 1.7: उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी में उतार-चढ़ाव (दिसंबर 2011 के अंत में पुन: सूचकांकित - 100)

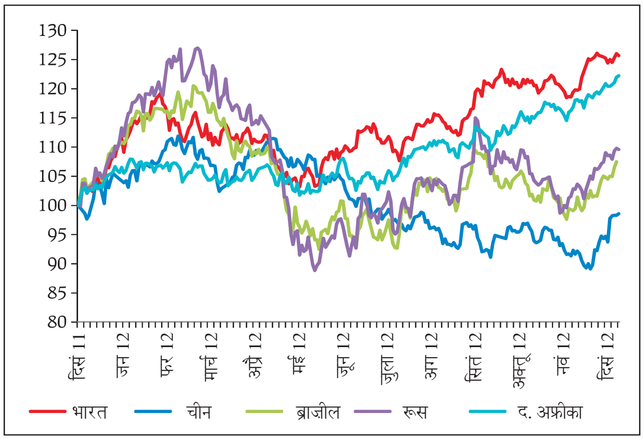

स्रोत: ब्लूमबर्ग

हुई मांग के कारण परिसंपत्तियों का मूल्य-निर्धारण भी सही-सही नहीं हो पाएगा। इसके अतिरिक्त, बाण्डों पर होने वाली न्यूनतम आय (प्रतिफल) सरकारों के लिए राजकोषीय सावधानी को कम करेगी और वे और भी कम दरों पर उधार ले सकेंगी।

1.12 ब्याज दरें बढ़ने की स्थिति में बाज़ार द्वारा निर्धारित दरों के उपयोग से होने वाली हानि के कारण केंद्रीय बैंकों की लाभप्रदता भी प्रभावित हो सकती है। इससे केंद्रीय बैंक की साख को धक्का पहुंचेगा और वित्तीय स्थिरता प्रभावित होगी। केंद्रीय बैंकों को इससे बाहर निकलने की रणनीति बहुत सोच-समझकर बनानी होगी और यदि ऐसा गलत समय पर किया गया या रणनीति गलत हुई तो मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएं और भड़केंगी अथवा दरें बहुत तेज़ी से ऊपर उठेंगी और केंद्रीय बैंक की साख बुरी तरह से प्रभावित होगी।

वस्तुओं की कीमतें

1.13 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्राथमिक वस्तु मूल्य सूचकांक में उतार-चढ़ाव द्वारा मापी गई वस्तुओं की कीमतें मार्च 2012 में चोटी पर पहुंचने के बाद सीमित-दायरे में थीं। खाद्यान्न मूल्य सूचकांक में जुलाई-अगस्त 2012 के दौरान तेजी से ऊपर बढ़ने की ओर रुख था किंतु सितंबर, 2012 से उसका रुख नीचे की ओर हो गया है। वर्ष 2012 की चौथी तिमाही में सूचकांक यूरो क्षेत्र जापान और उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे - ब्राजील, चीन और भारत में मंदी के कारण नरम बना रहा यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो खाद्यान्न मूल्यों से उत्पन्न होने वाला मुद्रास्फीति का दबाव कम हो सकता है। लेकिन, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मात्रात्मक सहजता अपनाए जाने से विश्व में वस्तुओं के मूल्य बढ़ने का जोखिम पैदा हो सकता है (चार्ट 1.8)।

[1] बरनानके, बी (2012), 'मानेटरी पालिसी सिंस द आनसेट आफ द क्राइसिस' 31 अगस्त, 2012 को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ कैन्सास, सिटी इकानामिक में आयोजित सिम्पोजियम में की गई टिप्पणी, जैकसन होल, व्योमिंग

घरेलू वृद्धि

1.14 पिछली कुछ तिमाहियों में भारत की आर्थिक वृद्धि में काफी कमी हुई है जिसका कारण कई घरेलू और बाह्य कारक रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि वर्ष 2012 की दूसरी तिमाही में 5.3 प्रतिशत के कम स्तर पर बनी हुई है। घरेलू क्षेत्र में ढांचागत बाधा जैसे कि घरेलू बचत, लगातार उच्च मुद्रास्फीति का बने रहना, विनियामक और पर्यावरण संबंधी मुद्दे निवेश मांग में कमी का कारण रही हैं और व्यय में संतुलन से वृद्धि में कमी हुई। ये सभी कारक संभावित वृद्धि दर को लगभग 7 प्रतिशत तक लायी हैं।

1.15 अक्तूबर 2012 में औद्योगिक गतिविधि से हुई वृद्धि के कारण त्यौहार मांग और आधार प्रभाव (बेस इफेक्ट) के लिए व्यापक स्तर पर उत्तरदायी रही है। तथापि, पूंजीगत माल में अच छी वृद्धि और आदेश बही की प्रमात्रा में साधारण वृद्धि इस बात का संकेत है कि 2012-13 के तीसरी तिमाही में गतिविधि को साधारणतः पूरा कर लिया जाएगा। सेवा से संबंधित क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआइ) सकारात्मक रुख दर्शाता है जबकि कृषि की वृद्धि के लिए रबी की बुवाई के दायरों में सुधार की संभावना के बारे में सुझाता है। हालांकि हाल की अवधि में मुद्रास्फीति में नरमी आई है किंतु जोखिम बना हुआ है। बाह्य क्षेत्रों में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में हुई अस्थिरता ने घरेलू गिरावटों को और खराब किया है।

प्रणालीगत चलनिधि सूचकांक

1.16 2012-13 के दूसरी तिमाही में बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि की कमी सामान्य स्तर पर बनी हुई थी और चलनिधि की कमी अधिकांशतः इस अवधि में रिज़र्व बैंक की निवल मांग और मीयादि देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत के संतुलित क्षेत्र के भीतर रही। तथापि 2012-13 की तीसरी तिमाही में अब तक प्रथमतः उच्च सरकारी बैंलेंसेस और जमा और ऋण वृद्धि के बीच अंतर बढ़ने के कारण चलनिधि की स्थिति कठोर/में कमी हुई है। रिज़र्व बैंक का खुला बाजार परिचालन (सरकारी प्रतिभूति की खरीद) प्राथमिक चलनिधि संग्रह करता है और चलनिधि की कमी को नियंत्रित करता है। प्रणालीगत चलनिधि सूचकांक (एसएलआइ) जो बहुसंकेतक पद्धति पर आधारित है और इसका उद्देश्य वित्तीय प्रणाली अर्थात् बैंकिंग, गैर बैंकिंग वित्तीय, कार्पोरेट क्षेत्र और विदेशी मुद्रा बाजार में चलनिधि की समग्र निधीयन के परिदृश्यों का अभिग्रहण करना है जो यह दर्शाता है कि 2012-13 के तीसरी तिमाही में चलनिधि की स्थिति मामूली कठोर हुई है (चार्ट 1.9) दीर्घावधि और अल्पावधि खजाना-अर्जन अपने दायरे में रहे हैं।

चार्ट 1.8: पण्य मूल्य सूचकांक

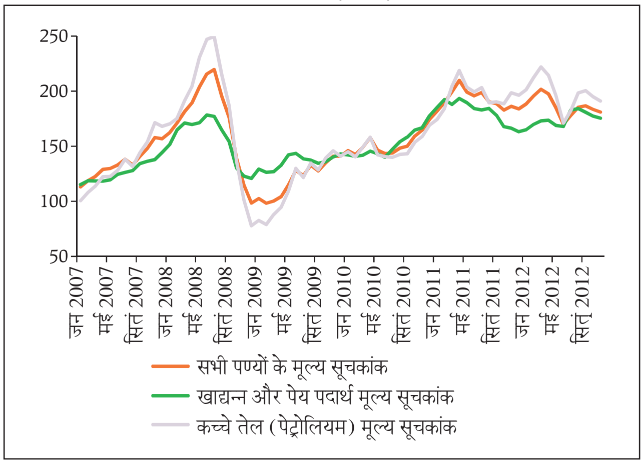

स्रोत: आइएमएफ

चार्ट 1.9 प्रणालीगत चलनिधि सूचकांक

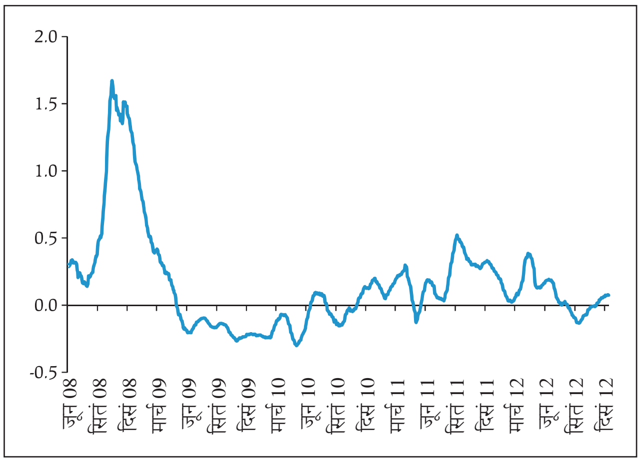

नोट: एसएलआइ का शून्य से नीचे रहना यह बताता है कि प्रणाली में चलनिधि की स्थिति का स्तर संतुलित है जबकि शून्य से ऊपर का स्तर से यह पता चलता है कि चलनिधि की स्थिति ठीक नहीं है ।

स्रोत: भारिबैं स्टॉफ आकलन

राजकोषीय समेकन

1.17 केन्द्रीय सरकार का समग्र राजकोषीय घाटा अक्तूबर 2012 तक पिछले वर्ष के तदनुरूपी अवधि में 74 प्रतिशत की तुलना में पूरे वर्ष के लिए बनाये बजट की राशि के लगभग 72 प्रतिशत रहा। तथापि, आर्थिक वृद्धि में कमी के कारण वर्तमान वर्ष में राजस्व संग्रहण (कर और गैर कर) में कुछ कमी हुई है। इसी समय यह भी संभव है कि गैर नियोजित बजट व्यय विशेष रूप से विभिन्न आर्थिक सहायता (ईंधन, खाद्यान्न, खाद) के लिए अतिरिक्त आबंटन के कारण कुछ अतिरिक्त हो जाए। केंद्रीय सरकार ने पहले ही अनुदान के लिए पहली अनुपूरक मांग पेश की है जिसमें लगभग 310 बिलीयन रूपये निवल नकद के रूप में दी जाने वाली है और इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा (‘रू.285 बिलीयन) पेट्रोलियम आर्थिक सहायता के लिए है। इस वर्ष वित्त मंत्री ने संशोधित राजकोषीय घाटा 5.3 प्रतिशत की घोषणा की है। और यह तभी किया जा सकता है जब व्यय में कटौती और राजस्व संग्रहण में भरपूर प्रयास हो।

बाह्य क्षेत्र की अनिश्चितताएं

1.18 वैश्विक वृद्धि में मंदी ने भारतीय निर्यात मांग को कम किया है। दूसरे शब्दों में, आयात का रुख मूल्य निरपेक्ष (तेल आयात : चार्ट 1.10) की एक बड़े भाग की तुलना में कुछ सीमा तक कम हुआ है। यह चालू खाता की कमी को और खराब कर सकता है। सामान्य जोखिम की प्रतिकूलता के कारण कैड को वित्तपोषण करना चुनौतीपूर्ण हो गया (चार्ट 1.11) है। कम बाह्य मांग के कारण मुद्रा के मूल्यह्रास का लाभ कम हुआ है

1.19 विदेशी मुद्रा रिज़र्व का स्तर वित्तीय स्थिरता को कान्फिडेंशियल प्रणाली के माध्यम से प्रभावित किया है। रिज़र्व के स्तर में तीव्र गिरावट विदेशी (ओवरसीज़) निवेशकों के अभिरूचि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। साथ ही, तथ्यों से यह बात साबित होती है कि भारत एक चालू खाता में कमी वाला देश है जिसके साथ यदि व्यष्टिमूलक अर्थव्यवस्था की बुनियादि चीज़ें बहुत मजबूत नहीं हुईं तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार की प्रतिकूल गतिविधियां और घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार भी बहुत प्रभावित हो सकती हैं।

1.20 बाह्य आघातों को सहने में किसी भी देश की क्षमता को मापने के लिए रिज़र्व की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण पैरामीटर के रूप में उभरा है। पूंजी प्रवाहों के बदलते संविभाग में रिज़र्व की उपलब्धता की मूल्यांकन का परंपरागत दृष्टिकोण आयात कवर के अनुसार बहुत से पैरामीटरों जिसमें आकार, संगठन, और विभिन्न प्रकार

चार्ट 1.10: भारतीय निर्यात और आयात में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि

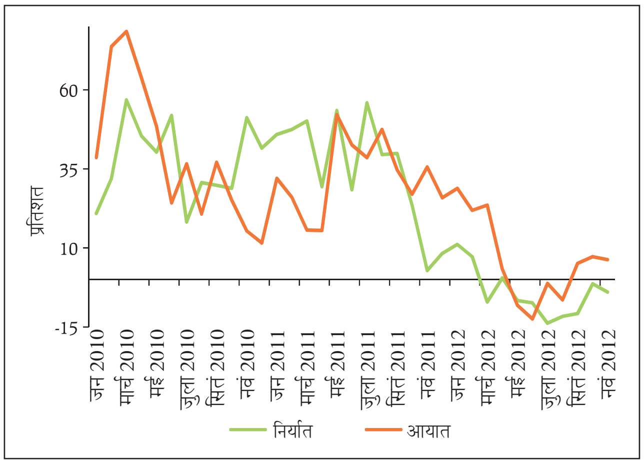

स्रोत: भारिबैं

चार्ट 1.11: भारत की चालू खाता कमी का वित्तपोषण

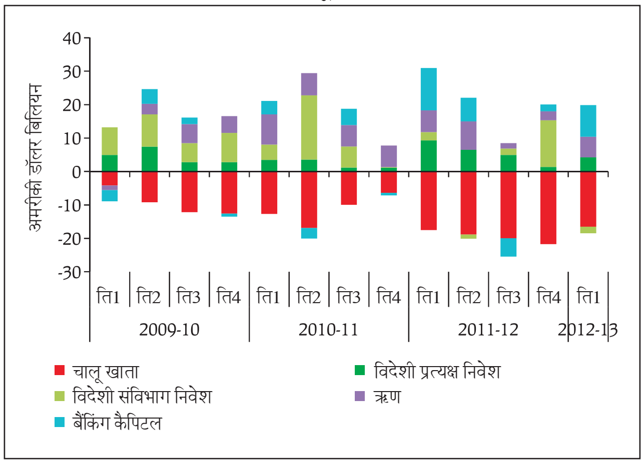

स्रोत: भारिबैं

के पूंजी प्रवाहों के जोखिम संविभाग के साथ साथ विभिन्न प्रकार के बाह्य आघातों जिसके वजह से अर्थव्यवस्था में अनिश्चिता आती है को शामिल करते हुए व्यापक हुई है। हांलाकि 2012-13 के पहली तिमाही में कैड 2011-12 के चौथी तिमाही की 4.5 प्रतिशत से घटकर सकल घरेलू उत्पाद के 3.9 प्रतिशत तक हो गई। यह अभी भी उच्च बनी हुई है। बाह्य क्षेत्र की सस्टेनेबिलिटी संकेतक कुछ समय पहले खराब थी (सारणी 1.1)। विदेशी मुद्रा रिज़र्व से संबंधित संकेतक गिरावट की स्थिति दर्शाता है। रिज़र्व की वास्तविक स्तर फिर भी ठीक-ठाक लगता है।

1.21 अस्थिर प्रवाहों के पृष्ठभूमि में भारत में पूंजी प्रवाहों को बढ़ाने में कई उपाय किए गए। नए निवेशक वर्ग अर्थात् अनिवासी व्यक्तिगत सहित अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशकों को भारतीय कंपनी, कार्पोरेट बांड और म्युचुअल फंड में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई। दीर्घावधि संसाधनों विशेषतौर पर रियल मनी निवेशक को आकर्षित करने के उद्देश्य से पात्र क्षेत्रों के एक बड़े सेट को शामिल करने के लिए डेट अन्तर्वाह में रियायत दी गई है। ईसीबी के अंतर्गत सीमाओं को बढ़ाई गई है और विशेषरूप से कार्पोरेटों के वास्तविक सुरक्षा के लिए विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर तर्कसंगत बनाई गई है ताकि वे अपने विदेशी मुद्रा के अर्जन से ईसीबी का भुगतान कर सके।

1.22 केंद्रीय सरकार द्वारा हाल ही में आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला की घोषणा से सकारात्मक प्रभाव पड़ा और सेंटीमेंट में वृद्धि हुई है। मुडीज़ ने भारत के लिए एक स्थिर आउटलुक की पुष्टि की है। तथापि, अन्य रेटिंग ऐजेंसियां जैसे फिच्च ने चेतावनी दी है कि यदि राजकोषीय स्थिति में सुधार नहीं होता है तो भारत की रेटिंग कम हो सकता है।

कार्पोरेटों के असुरक्षित निवेश

1.23 विनिमय दरों में अत्यधिक अस्थिरता ने आर्थिक एजेंटों को अनुकूलतम इंटर टेम्पोरल निर्णय लेने के लिए मुश्किल में डाल दिया है। अतः आर्थिक एजेंटों को यह आवश्यक है कि वे अपने कारोबार से जुड़े मुद्रा जोखिम की प्रकृति को ठीक से मापें और समझें तथा अपने मुद्रा जोखिम को सुरक्षित करने के लिए उचित व्युत्पन्नि लिखतों का उपयोग करें। रिज़र्व बैंक ने कई वर्षों में व्युत्पन्नि लिखतों, दोनों ओटीसी सहित विदेशी मुद्रा व्यापार की तालिका में वृद्धि की है जो बाजार के सहभागियों को उनके मुद्रा जोखिम[2] के प्रबंधन में वृहत लोच्यता प्रदान करता है।

सारणी 1.1: बाह्य क्षेत्र अनिश्चितता सूचकांक
(अनुपात प्रतिशत में)

संकेतक	मार्च 2011 को समाप्त	मार्च 2012 को समाप्त	जून 2012 को समाप्त
सकल घरेलू उत्पाद के कुल ऋण का अनुपात	17.8	20.0	21.7
कुल ऋण के आरक्षित का अनुपात	99.6	85.2	82.9
रिज़र्व के अल्पावधि ऋण का अनुपात	21.3	26.6	27.8
आयातों के रिज़र्व कवर (माह में)	9.6	7.1	7.0
आयातों और ऋण सेवा के रिज़र्व कवर (माह में)	9.1	6.8	6.6
बाह्य ऋण (अमरीकी डालर बिलियन)	305.9	345.7	349.5
रिज़र्व के लिए अस्थिर कैपिटल प्रवाहों का अनुपात	67.3	79.9	81.3

नोट: अस्थिर कैपिटल प्रवाह यहां परिभाषित है ताकि संचयी संविभाग अन्तर्वाह और अल्पावधि ऋण को इसमें शामिल किया जा सके ।

स्रोत: भारिबैं

1.24 कार्पोरेटों के असुरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र कार्पोरेटों के लिए जोखिम का स्रोत है साथ ही यह जोखिम वित्तपोषण करने वाली बैंक और वित्तीय प्रणाली के लिए भी है। बड़े पैमाने पर असुरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र का परिणाम यह हुआ कि कुछ मामलों में खाते गैर निष्पादित आस्तियां होने लगे। इसलिए बैंकों को सूचित किया गया कि वे कार्पोरेटों के असुरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से होनेवाले जोखिम का सख्ती से मूल्यांकन करें और निधि आधारित और गैर निधि आधारित ऋण सुविधा देते समय ऋण जोखिम प्रीमियम में उनका दर निर्धारित करें। बैंक द्वारा प्रस्तुत किये गये सूचना से यह पाया गया है कि विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र का एक बहुत बड़ा हिस्सा हाल ही की अवधि में असुरक्षित है। यह विशेषतौर पर बेचैनकर देनेवाली बात है कि भारत में विनिमय दर अस्थिरता विकसित अर्थव्यवस्था के साथ साथ अन्य उभरते हुए बाजार मुद्राओं की तुलना में उच्चतर बनी हुई है (चार्ट 1.12)।

चार्ट 1.12 : 1-माह अमरीकी डॉलर के विरूद्ध विभिन्न मुद्राओं की अस्थिरता बताता

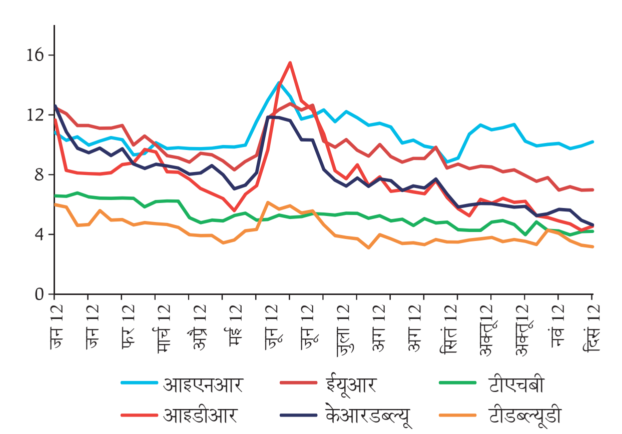

स्रोत: ब्लूमबर्ग

[2] पदमनाभन जी (2012) 'न्यू नार्मल में मुद्रा जोखिम का प्रबंधन' विशेषरूप से फारेक्स लीडर सम्मेलन, मुंबई में दिनांक 28 जुलाई 2012 को संबोधित, मुंबई ।

स्वर्ण आयात

1.25 जून 2012 की एफएसआर बढ़ती हुई सोने के आयात को दर्शाती है। पिछले तीन वर्षों में कैड औसतन दो तिहाई से भी अधिक है और इसका कारण सोने का आयात निरंतर उच्च बना हुआ है। जबकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत का शेयर 2 प्रतिशत से भी कम है और विश्व के सकल घरेलू उत्पाद, खरीदने की समानता शक्ति के अनुसार 6 प्रतिशत से भी कम है जिसके कारण एक तिमाही में सोने के लिए विश्व मांग हुई।

1.26 इस वर्ष के पहले, सोने के आयात पर सरकारी शुल्क में वृद्धि हुई थी। इसके साथ-साथ यह उपाय जून 2012 की तिमाही में सोने की मांग को बहुत कम किया। तथापि, सितंबर 2012 की तिमाही में मांग में काफी तेजी आई और यह पिछले 5 वर्षों (सितंबर 2007 से जून 2012)[3] के औसत की तुलना में उच्चतर थी। रिज़र्व बैंक ने अपने दिशानिर्देशों के जरिए बैंकों को पुनः कहा है कि सोना खरीदने के लिए उधार न दें।[4] घरेलू कीमतों के बढ़ने से सोने के मौजूदा स्टॉक का पुनः उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। जबकि रिसाइकलिंग से सोने की घरेलू आपूर्ति सितंबर 2011 की तिमाही की तुलना में सितंबर 2012 में दोगुनी हुई है और कुल आपूर्ति की सात की तुलना से कम रही है।[5] सोने से संबद्ध वित्तीय उत्पाद जिसे मूर्त रूप में पूरीतरह से सहायता प्राप्त नहीं है वह आयात को कम करने सहायक हो सकता है।[6] मुद्रास्फीति सूचकांक बांड मुद्रास्फीति से बचाव के लिए निवेशकों के लिए एक विकल्प के रूप में हो सकता है और यह सोने में निवेश से उन्हें रोक सकता है। [7]

वित्तीय बचत

1.27 भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश ज्यादातर घरेलू बचतों से किया जाता है। बचत और निवेश दर 2000 में परस्पर उच्च रही। हाल ही में निवेश और बचत दरों के बीच का अंतर काफी बढ़ गया है (चार्ट 1.13)। 2008-09 से बचत दर में गिरावट हुई है यह सरकारी क्षेत्र के बचतों में तीव्र गिरावट के कारण हुई है जो प्राइवेट बचतों को बढ़ाने पर भी पूरा नहीं हो पाया। घरेलू क्षेत्र की बचत, 2010-11 में यह गिरावट घरेलू बचत के एक बहुत बड़े हिस्से के कारण निरंतर बनी हुई और इसका मूख्य कारण वित्तीय बचतों में गिरावट रहा है। 2011-12 में घरेलू वित्तीय बचत दर में गिरावट बनी हुई है (बॉक्स 1.1)।

चार्ट 1.13: भारत में बचत और निवेश दर

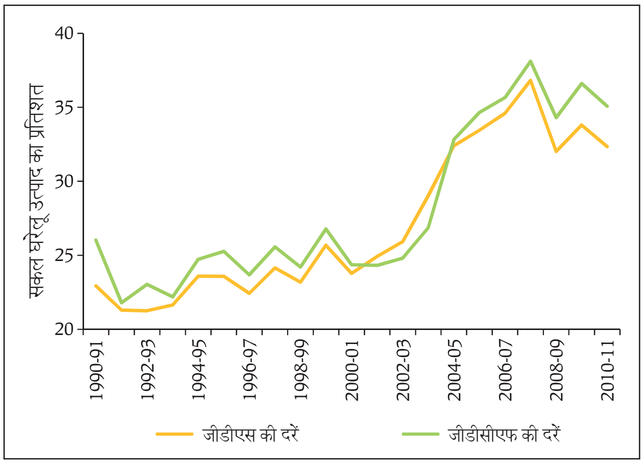

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय(सीएसओ)

[3] स्रोतः विश्व सोना परिषद

[4] http://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=7695&Mode=0

[5] स्रोतः विश्व सोना परिषद

[6] गोकरनए सुबीर (2012) भारत की सोन की समस्या : 'वित्तीय उत्पाद के जरिए समाधान का पता लगाना' । दिनांक 25 नवंबर 2012 को पुणे में बैंकोन का व्याख्यान

[7] मोहंती दीपक (2012) भारत का भुगतान संतुलन का दृष्टिकोण किट विश्वविद्यालय में दिनांक 7दिसंबर 2012 को भुवनेश्वर के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का व्याख्यान

बॉक्स 1.1 : भारत में घरेलू वस्तुगत और वित्तीय बचत

कुछ दिनों पूर्व परिवारों की वित्तीय बचतों में गिरावट देखे जाने पर चिंता व्यक्त की गयी है। घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत 2009-10 में 12.2 प्रतिशत से और 2010-11 में 9.3 प्रतिशत से गिरकर 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद के 7.8 प्रतिशत पर दो दशकों में सर्वाधिक कम रह गया (चार्ट 1.14.i) पूर्णांकों में भी वित्तीय बचत 2009-10 में 7.9 खरब से गिरकर 2011-12 में 6.9 खरब रुपये हो गया। यह नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद के इसी अवधि के दौरान 15 प्रतिशत से अधिक बढ़ने के बावजूद हुआ। निस्संदेह, जैसा कि सोने के आयातों में वृद्धि से प्रमाणित होता है, परिवार वित्तीय आस्तियों से हटकर भौतिक आस्तियों और सोने जैसी कीमती वस्तुओं की ओर बढ़ते रहे हैं (चार्ट 1.14.ii)।

वित्तीय बचतों में गिरावट को कई संभावनाएं व्याख्यायित कर सकती हैं। विगत कुछ वर्षों के दौरान मुद्रा सफीति की दर काफी ऊंची रही है। इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय आस्तियों से वास्तविक प्रतिलाभ बहुत कम रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवारों ने कम वास्तविक अर्जन करने वाली आस्तियों से होने वाली अपनी बचतों को हटा कर वैसी आस्तियों में निवेश किया है जो मुद्रा सफीति से अप्रभावित समझी जाती हैं। इस प्रकार से संपदा और सोने जैसी गैर वित्तीय आस्तियों की तरफ, जिन से वास्तविक प्रतिलाभ अपेक्षाकृत अधिक रहे हैं, गमन हुआ है (चार्ट 1.15)। चार्ट 1.15.i सोने के मूल्यों,बीएसई सेंसेक्स,आवासीय घरों के मूल्यों[8] और थोक मूल्य सूचकांक[9] के संचरण को प्रदर्शित करता है। सोने के मूल्य अन्य आस्तियों की तुलना

चार्ट1.14: परिवार बचत

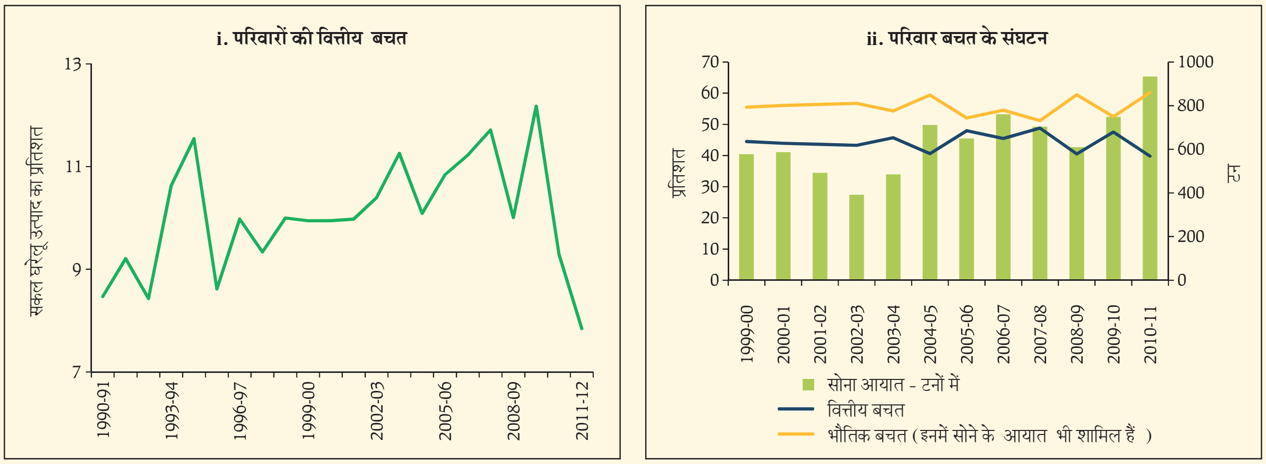

नोट: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय लेखे में '' कीमती वस्तुओं'' के अंश स्वरूप सोने का लेखा । तथापि , चार्ट 1.14 ii में सोने के सम्पूर्ण आयातों को भौतिक बचतों में शामिल कर लिया गया है ताकि परिवारों के वित्तीय से गैर- वित्तीय बचतों की ओर गमन को दिखाया जा सके ।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व सोना परिषद

चार्ट 1.15: परिवार की आस्तियों के मूल्यों में संचरण

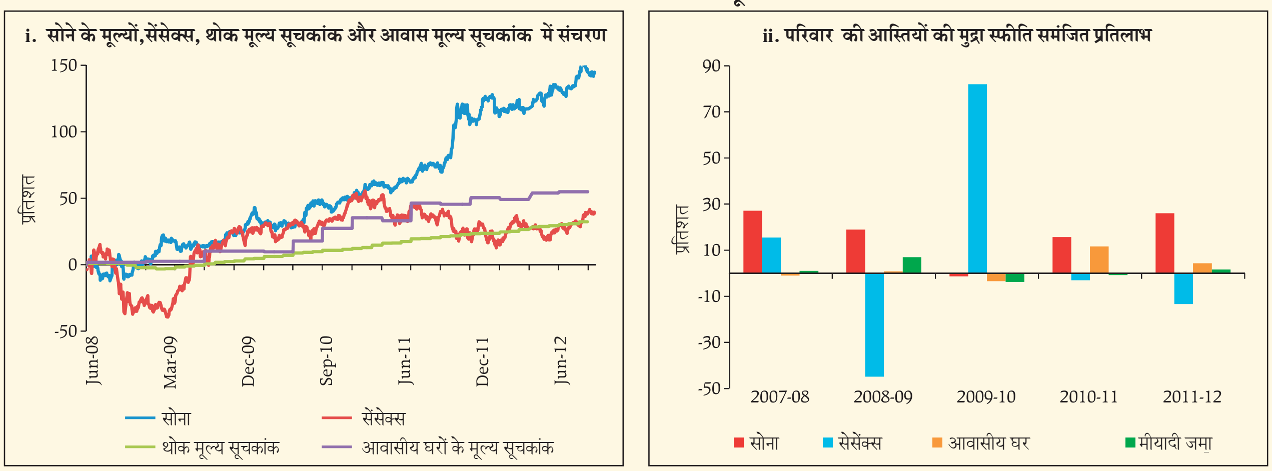

नोट: चार्ट 1.15 जून 2008 से प्रतिशत में परिवर्तन को दर्शाता है

स्रोत : भारत सरकार,ब्लूम बर्ग , नैश्नल हाउसिंग बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के आंकडों का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ के परिकलन

(जारी...)

[8] आवासीय घरों के मूल्य नैश्नल हाउसिंग बैंक के रेसिडेक्स से प्रेरित हैं

[9] वास्तविक दर और भी कम हो जाएंगे यदि उन्हें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर समंजित किया जाए जो थोक मूल्य सूचकांक से ऊंचे रहे हैं

(...समाप्त)

में सर्वाधिक बढ़े हैं और ये सितंबर 2012 के अंत में थोक मूल्य सूचकांक में संचरण से कहीं बहुत ऊपर हैं। बीएसई सेंसेक्स में संचरण जून 2008 और सितंबर 2012 के दौरान के थोक मूल्य सूचकांक से थोड़ा ही अधिक था। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वैश्विक वित्तीय संकट के उपरांत, सोने से अधिकांश वर्षों में आस्ति वर्गों में सर्वाधिक प्रतिलाभ मिला (चार्ट1.15 ii)। हाल के वर्षों में सोने के मूल्यों में निवेशकों के जोखिम विरोध से उभरने वाला 'अनिश्चतता प्रीमियम' भी जुड़ा रहता है। इससे सामान्य से अधिक प्रतिलाभ मिला है जिसे लंबी अवधि के लिए कायम रखना संभव नहीं है। चूंकि, भारतीय परिवार काफी बड़ी मात्रा में इसे रखते हैं, अतएव, सोने के मूल्यों में सुधार होने के जोखिम का वे सर्वदा सामना कर सकते हैं।

सोने और आवासीय घरों से वास्तविक ऊंचे प्रतिलाभों के अतिरिक्त वित्तीय बचतों में गिरावट को और परिवार बचतों में भौतिक बचतों और कीमती वस्तुओं की अभिवृद्धि को प्रभावित करने वाले अन्य घटक भी हो सकते हैं। आवास के लिए अपेक्षाकृत सहज बैंक ऋण की उपलब्धता और 2000 दशक के पूर्व और मध्य के दौरान इस के अनुरूप बैंक ऋण में तीव्र गति से अभिवृद्धि से आवास मूल्यों को अनुकूल धक्का मिला है (चार्ट 1.16.)। इन प्रवृत्तियों को आवास के मूल्य और आवासीय क्षेत्र को बैंक ऋण संबल प्रदान करते हैं (चार्ट 1.16.ii)[10]।

सोना सहज सुलभ है। यह मूल्य का संरक्षक है, इसमें साख जोखिम नहीं है और यह अपेक्षाकृत तरल भी है अतएव, यह कई परिवारों को सोना खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करता है। वित्तीय बचतों में गिरावट के पूंजी निर्माण की दृष्टि से भी निहितार्थ हैं क्योंकि यह सोने के अनर्जक धारण की ओर बचतों को चैनेलाइज़ करता है। यदि सोना बचत के प्रमुख प्रकार के रूप में वित्तीय बचतों की जगह ले लेता है तो वित्तीय क्षेत्र के लिए इसके स्थिरता संबंधी निहितार्थ होंगे ।

चार्ट 1.16: बैंक ऋण और आवास मूल्य

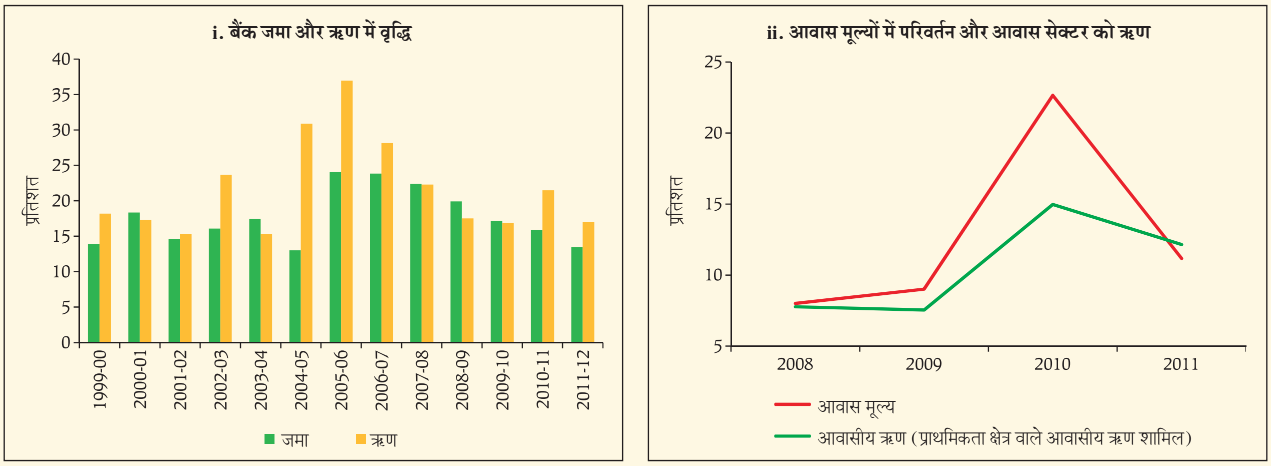

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक और नेशनल हाउसिंग बैंक

भारतीय अर्थव्यवस्था में ऋण चक्र

1.28 विकास को प्रोत्साहित करने में ऋण के महत्व को देखते हुए एक ऐसी सम्मिलित नीतिगत कार्रवाई की अपेक्षा है जिससे कि अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता को बनाए रखा जा सके / बढ़ाया जा सके (बॉक्स 1.2)।

1.29 बैंक ऋण में वर्तमान ह्रास इस तथ्य से भी उजागर होता है कि व्यावसायिक क्षेत्र की ओर कुल ऋण प्रवाह में उसका हिस्सा कम हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक ऋण की जगह वाणिज्यिक पत्र जैसे गैर बैंक घरेलू स्रोतों और बाह्य वाणिज्यिक उधारों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जैसे विदेशी स्रोतों ने ले लिया है।

1.30 वैश्विक वित्तीय संकट के ठीक उपरांत यूएस और यूरोपीय वाणिज्यिक बैंकों ने अपने तुलन पत्र से वित्तीय लेवरेज़ों को हटा दिया। तत्पश्चात विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा समंजनकारी मौद्रिक नीतियों के अनुगमन से भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं

[10] परिवर्तन वर्ष-दर-वर्ष दिसंबर अंत की वृद्धि दर्शाते हैं

बॉक्स 1.2 : प्रतिचक्रीय रुख के रूप में अधिक ऋण विस्तार न्याय संगत

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में ऋण वृद्धि चक्र में विस्तार का चरण 2002-03 से प्रारंभ हुआ और 2005-06[11] तक सशक्त ऋण वृद्धि प्रदर्शित हुई। 2007-08 से संकुचन चरण के पैठने के साथ ऋण वृद्धि चक्र का वर्तमान चरण शिखर की ओर प्रवृत्त हो गया। वर्तमान परिस्थिति में ऋण और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का अंतराल (गैर खाद्य सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का प्रवृत्ति रेखा, जिसे हॉड्रिक प्रेसकॉट फिल्टर विधि से निकाला गया है, से विचलन) ऋणात्मक है (चार्ट 1.17)। ऋण और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का कई वर्षों में कम अंतराल (चार्ट 1.18) यह दर्शाता है कि वाणिज्यिक क्षेत्र की ओर ऋण का प्रवाह लंबी अवधि की प्रवृत्ति की तुलना में काफी कम रहा है। अतएव, इस तथ्य की अपेक्षा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र ह्रास को रोकने हेतु ऋण की वृद्धि की जाए। तथापि, बढ़ती अनर्जक आस्तियों को भी ध्यान में रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सलाह के विपरीत अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ओर ऋण के प्रवाह में वृद्धि करनी होगी।[12] सांविधिक अनुपातों में की गई हालिया कमी ने ऋण प्रदान करने हेतु उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि की है।

चार्ट 1.17: ऋण चक्र और सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि

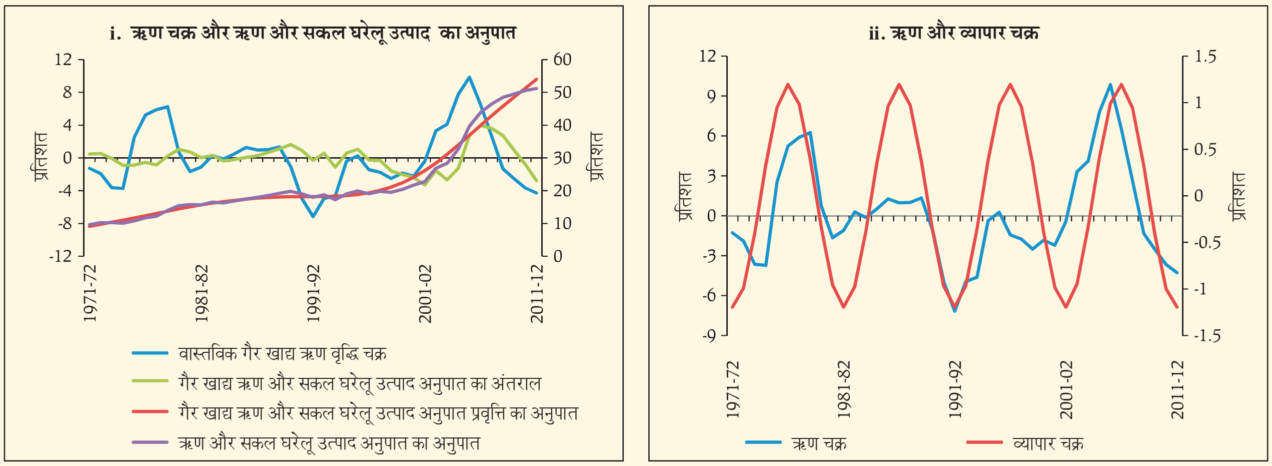

स्रोत: भारिबैंपूंजी बाजार के निर्गमकर्ता - संगठन

की ओर पलट पूंजी प्रवाह को अनुकूल बल मिला। आरंभिक घटी के उपरांत भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र की ओर कुल निधियों के प्रवाह में विदेशी ऋण के अनुपात में वृद्धि हुई।

1.31 2011-12 में म्युचुअल फंडों को भारी उन्मोचनों का सामना करना पडा जिससे कि निवल संसाधनों का संग्रहण ऋणात्मक जोन में चला गया। सोना विनिमय व्यापारित निधियों को छोड इक्विटी योजनाओं के अतिरिक्त संतुलित योजनाओं और इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स (ईएलएसएस) को भी खासा उन्मोचनों का सामना करना पड़ा। पूरे वर्ष सार्वजनिक वित्तीय और इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थानों द्वारा जारी गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों का प्रभाव कायम रहा। बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जुटाए गए लंबी अवधि की निधियों का अनुपात 2010-11 (चार्ट1.19) में 25.5 प्रतिशत से बढ़कर

चार्ट 1.18: वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण के स्रोत का संघटन

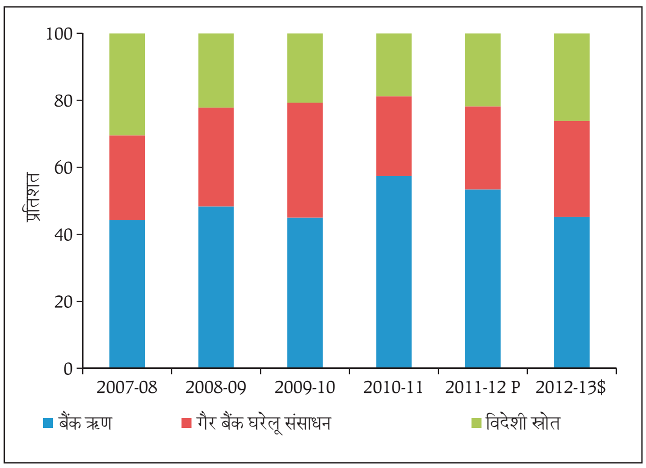

नोट: "$" का अभिप्राय अप्रैल-अक्तूबर 2012 है
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

[11] ऋण चक्र अलक्षित अंश विधि के माध्यम से निकाले गए वास्तविक गैर- खाद्य ऋण वृद्धि के चक्रीय अंग स्वरूप है और व्यापार चक्र अलक्षित अंश विधि के माध्यम से निकाले गए वास्तविक गैर- कृषि ऋण वृद्धि के चक्रीय अंग स्वरूप है ।

[12] जीएफएसआर बाजार अद्यतन जुलाई 2012 में उल्लिखित है कि अन्य ईएमई के साथ एक ब्राजील, चीन और भारत जैसी वृहत अर्थव्यवस्थाएं हाल के वर्षों में सशक्त हुई ऋण वृद्धि से ज्यादा लाभान्वित हुए हैं और ये ऋण चक्र के अंतिम चरणों में हैं । वर्तमान परिस्थिति में ऋण को महत्वपूर्ण रूप से विस्तार देने से आस्ति गुणवत्ता की चिंताएं बढ़ेंगी और आगामी वर्षों में इससे सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के और वित्तीय स्थिरता के अवमूल्यन होने की संभावना है।

2011-12 में 73.5 प्रतिशत हो गया। जुटाये गए संसाधनों में गैर बैंक फर्मों के साथ वित्तीय क्षेत्र का अंश 2010-11 में 28.8 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 89.4 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान वित्तीय क्षेत्र का कुल निर्गमों में हिस्सा 23 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया। इससे यह संकेत मिलता है कि पूंजी बाजार स्थितियां वित्तीय प्रणाली में प्रभावी वि-हस्तक्षेप को सुगम नहीं कर रहे हैं। अतएव,बैंक और गैर बैंक फर्मों को, अर्थव्यवस्था में संसाधन आबंटन में बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। तथापि,2012-13 (अप्रैल से नवंबर) के लिए, वित्तीय क्षेत्र द्वारा निर्गमों की संख्या और उनसे जुटायी गयी धन-राशि का अनुपात घटकर क्रमशः 33 प्रतिशत और 29 प्रतिशत रह गया।

इक्विटी के प्राथमिक बाज़ार

1.32 इक्विटी के प्राथमिक बाज़ार 2011-12 के दौरान कमजोर वृहत आर्थिक वातावरण की वजह से मंदी का सामना करते रहे। विगत वर्षों की तुलना में कंपनियों द्वारा आइपीओ और एफपीओ के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों में भारी कमी आने की वजह से निवेश वृद्धि धीमी पड गयी (चार्ट 1.20)। पूर्व से सूचीबद्ध आइपीओ और विस्तारबद्ध इक्विटी बाज़ारों से ऋणात्मक प्रतिलाभों से प्रमुख बाज़ार निर्गमों के प्रति निवेशकों की प्रतिक्रिया अरुचिपूर्ण रही। निर्गम कर्ताओं ने भी वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी के स्पष्ट संकेत देखकर आइपीओ और एफपीओ के माध्यम से संसाधन संग्रहण नहीं किया। यद्यपि आइपीओ और एफपीओ के माध्यम से जुटायी जाने वाली राशि पूर्व वर्षों की तुलना में 2011-12 के दौरान काफी कम रही, पूर्व वर्षों की तुलना में संख्या और राशि दोनों हीब दृष्टि से संग्रहण सार्वजनिक ऋण निर्गमों के माध्यम से काफी अधिक रही। आइपीओ बाज़ार में हाल में देखी जा रही गतिविधि एक सुघटना है क्योंकि प्रमुख पूंजी बाज़ारों में लंबी अवधियों वाली मंदी कार्पोरेट सेक्टर में बढ़ती लेवरेजकी प्रवृत्ति को और बल देगी (पैरा 1.39)।

इक्विटियों में द्वितीयक बाज़ार

1.33 भारतीय इक्विटी बाजारों में 2012 के दौरान काफी उतार-चढ़ाव रहा और 2012 के दौरान इसमें विदेशी संस्थागत निवेशों का काफी भारी मात्रा में आगम हुआ चार्ट1.21)। 2012 के दौरान (नवंबर 2012 तक) घरेलू संस्थागत निवेशक निवल विक्रेता थे जबकि, विदेशी संस्थागत निवेशक इक्विटी बाज़ारों में निवल क्रेता थे (चार्ट 1.22)। विदेशी संस्थागत निवेशकों[13] का व्यवहार

चार्ट 1.19: संसाधन संग्रहण में क्षेत्रवार हिस्सा

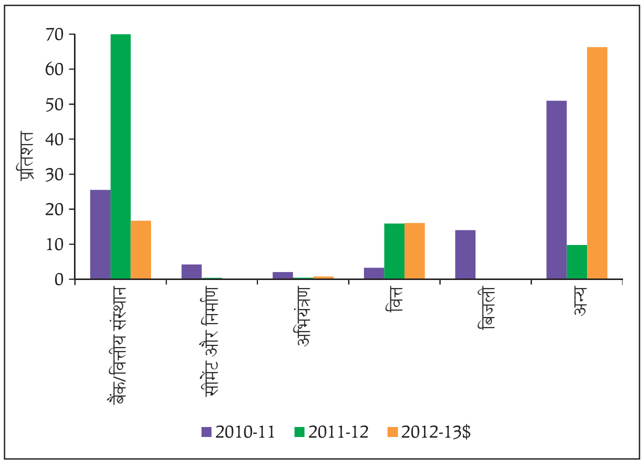

नोट: "$" का अभिप्राय अप्रैल-नवंबर है
स्रोत: सेबी

चार्ट 1.20: संसाधन संग्रहण में विभिन्न श्रेणियों के हिस्से

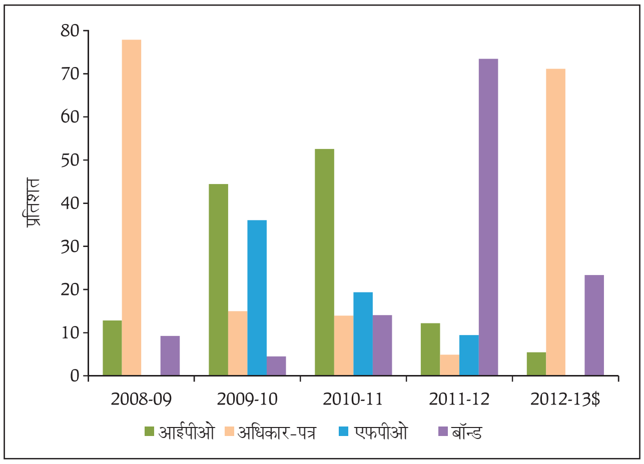

नोट: "$" का अभिप्राय अप्रैल-अक्तूबर है
स्रोत: सेबी

[13] घरेलू संस्थागत निवेशकों में बैंक, बीमा कंपनियां. नई पेंशन योजना और म्युचुअल फंड शामिल हैं।

कई घरेलू और बाहरी घटकों पर महत्त्वपूर्ण रूप से निर्भर करता है। यूरो क्षेत्र में किसी प्रतिकूल घटनाक्रमों से अथवा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फिस्कल क्लिफ मामले के उभरने से भारतीय इक्विटी बाज़ारों से विदेशी संस्थागत निवेशों के प्रवाह अचानक उलट जाने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप सूचकांकों में भारी उतार-चढ़ाव हो सकता है। समग्र आर्थिक कमज़ोरी के बावजूद सरकार द्वारा उठाए गए सुधार उपायों से निवेशकों के आशावादी दृष्टिकोण के चलते घरेलू इक्विटी सूचकांक में तेजी देखी गयी है।

स्टॉक एक्सचेंज में त्रुटिपूर्ण लेन-देन

1.34 पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट(एफएसआर) में विभिन्न तकनीकी उन्नति स्वीकार करने पर लाभ और निहित संभावित जोखिम को रेखांकित किया गया है जैसे भारतीय प्रतिभूति बाज़ार में प्रत्यक्ष बाज़ार पहुंच (डीएमए)को स्वीकार करना,एल्गॉरिथमिक ट्रेडिंग और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग(एचएफटी) की सुविधा प्रदान करना। तथापि सभी लेन-देन में बाधा एचएफटी और एल्गॉरिथमिक ट्रेडिंग के चलते नहीं होती। हाल ही में 05 अक्तूबर 2012 को राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) में बाधा गलत आदेश प्रविष्टि के कारण हुई जिसमें त्रुटिपूर्ण मात्रा के स्थान पर एक गैर एल्गॉरिथमिक आदेश प्रविष्टि की गयी। इसके परिणाम स्वरूप ट्रेडिंग का निष्पादन कई मूल्य बिंदुओं पर संपूर्ण आदेश पुस्तिका में हुआ जिसके फलस्वरूप सर्किट फिल्टर शुरू हुआ।

1.35 ऐसे व्यापार के बाधापूर्ण प्रभाव को ध्यान में रखते हुये कई उपाय किये गये हैं जिसमे भारतीय प्रतिभूति बाजार में सभी विनिमय आधारित व्यापार के लिए अग्रिम रूप से तत्काल जोखिम निपटान प्रबंधन शामिल है। व्यापारिक सदस्यों को यह अधिदेश दिया गया है कि वो समाशोधन निगम के साथ चल आस्ति रखें और सभी अतिरिक्त भार की कटौती मौजूदा तरल आस्ति के द्वारा तत्काल करें। हाल ही में व्यापारिक सदस्यों को यह अनिवार्य कर दिया गया है कि संपार्श्विक के निष्पादन से स्टाक ब्रोकर के जो टर्मिनल निष्क्रिय कर दिये गये थे वो शेयर बाजार की जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया के अनुरूप मैन्युअली सक्रिय कर दिये जायें। इसके अतिरिक्त सर्किट ब्रेकर हेतु अन्य कदम उठाए गए हैं।

कॉरपोरेट क्षेत्र

1.36 वित्तीय स्थिरता के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र का निष्पादन आवश्यक है विशेषकर यह समग्र आर्थिक संवृद्धि की कड़ी में सामान्य और बैंक की आस्ति गुणवत्ता के लिए विशेष रूप से।

चार्ट 1.21: भारतीय इक्विटी सूचियों में उतार-चढ़ाव (दिसंबर 2011 के अंत में पुनर्सूचकांक = 100)

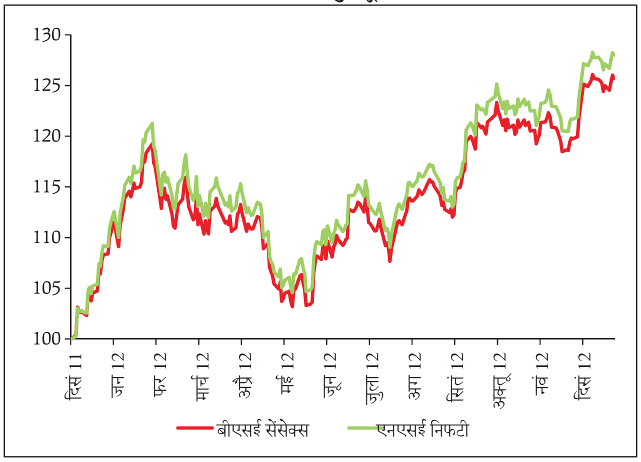

स्रोत : ब्लूमबर्ग

चार्ट 1.22: भारतीय ईक्विटी बाजार में डीआईआई और एफआईआई कुल अंतर्वाह

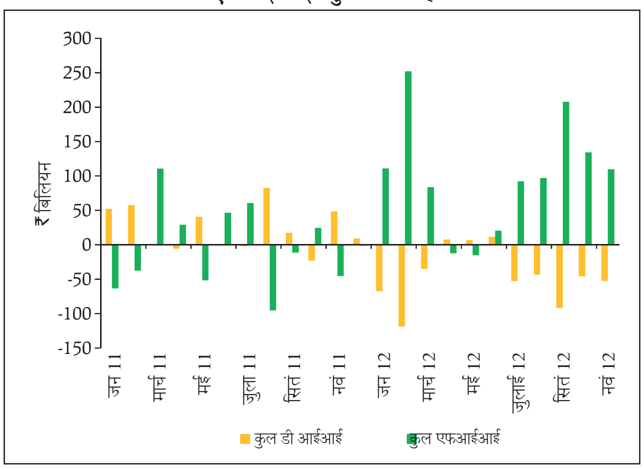

नोट : आंकड़े अस्थायी हैं
स्रोत: बीएसई और सेबी

इस क्षेत्र में होनेवाले जोखिम की समय से पहचान दवाब को कम करनेवाले उपायों के निर्माण में सहायक होंगे। कॉरपोरेट क्षेत्र का विश्लेषण यह दिखाता है कि लाभ मार्जिन [बिक्री का ईबीआईटीडीए (ब्याज,कर,मूल्यह्रास एवं परिशोधन पूर्व अर्जन)] और आस्तियों पर प्रतिलाभ ढ कुल निवल आस्ति का ईबीआईटी(ब्याज एवं कर्ज पूर्व अर्जन)ज का स्तर जो वित्तीय संकट 2008-09 के दौरान देखा गया था उसमें सुधार आया है और इसमें 2010-11[14] की तुलना में 2011-12 में मामूली सुधार दिखाई दे रहा है। कुल उधार राशि यथा इक्विटी प्रतिशत में बीते वर्षो में गिरावट देखी गई है। चलनिधि(जो चालू आस्तियां को चालू देयताएं अनुपात से मापी जाती हैं) संकलित स्तर पर 1.1 और 1.3 के मध्य स्थिर हैं। तथापि ब्याज व्याप्ति अनुपात (आईसीआर) जो कॉरपोरेट की क्षमता वर्तमान लाभ के स्तर में से उधार सेवा दर्शाती है उसमें 2009-10 से गिरावट आई है और वर्तमान में 2008-09 के स्तर से भी कम है।

1.37 ब्याज व्यय (बिक्री का प्रतिशत) का एकीकृत स्तर में 2001-02 से भारी गिरावट आई है जो 2005-06 और 2006-07 में अपने निम्नतम स्तर 2.3 प्रतिशत पर आ गयी है। इसके उपरांत इसमें वृद्धि हुई है और 2008-09 से 2010-11 के दौरान यह बिक्री का लगभग 3% प्रतिशत है। तथापि, 2011-12 में ब्याज व्यय में 3.6 तक की वृद्धि हुई है जो पिछले नौ वर्षो के अपने उच्चतम स्तर पर है। स्थावर संपदा क्षेत्र की कंपनियों का पिछले चार वर्षो में ब्याज का बोझ उच्चतम था। साथ ही परिवहन, भंडारण और संचार,निर्माण, वस्त्र-उद्योग,वस्त्र और लोहा तथा स्टील उद्योगों में ब्याज का बोझ पिछले वर्षो की तुलना में उच्चतर है और यह बढ़ रहा है। ब्याज व्यय कुल व्ययों का प्रतिशत भी पिछले ग्यारह वर्षो से समान प्रवृत्ति और स्तर दर्शा रहा है। उद्योग जैसे कि लोहा और स्टील, निर्माण,वस्त्र- उद्योग, खाद्यान्न उत्पाद और पेय पदार्थ तथा वस्त्र के लिए लीवरेज उच्चतर बनी हुई है। साथ ही बिक्री अनुपात का उधार यह दर्शाता है कि यदि उधार अथवा ब्याज दरों में और वृद्धि हुई तो इन उद्योगों का लाभ मार्जिन अधिकत्तम प्रभावित होगा। कंपनियों का वितरण के बिक्री का आकार यह दर्शाता है कि सभी कंपनियों आईसीआर खराब हुई है किंतु यह खराब स्थिति उन कंपनियों में ज्यादा है जिन कंपनियों में बिक्री कम थी। साथ ही सभी आकार-समूह की कंपनियों के लीवरेज,कुछ अपवादों के साथ सामान्यतः सुधरी हैं। लीवरेज में यह सुधार बिक्री के अनुसार बड़ी कंपनियों की तुलना में छोटे आकार की कंपनियों में ज्यादा है।

1.38 सेवा उधार की क्षमता (जिसे ईबीआईटी को ब्याज भुगतान अनुपात से मापा जाता है) सभी उद्योगों में समान नहीं है। पि?छले आठ वर्षों में 2011-12 के दौरान उत्पादन क्षेत्र में यह अनुपात खराब कर्ज सेवा क्षमता प्रदर्शित करते हुए अपने निम्नतम स्तर पर आ गया। सेवा क्षेत्र की स्थिति भी समान है। परिवहन,भंडारण और संचार उद्योग के क्षेत्र में 2006-07 से इसके अनुपात में लगातार गिरावट देखी गई है और इस उद्योग ने ईबीआईटी (ब्याज एवं कर-पूर्व अर्जन) के साथ ब्याज भुगतान में असमर्थता दिखाई है जिससे यह 2011-12 में एक से नीचे आ गई। प्रभावी ब्याज लागत(जिसे ब्याज खर्च को औसत बकाया उधारराशियां के प्रतिशत से मापा जाता है) में यह देखा गया है कि यह 2010-11 में यह ऊपर गयी है।जो उद्योग उच्चतर प्रभावी ब्याज लागत भुगतान करते हैं वो हैं विद्युत और अविद्युत उपकरण,खाद्यान्न उत्पाद तथा पेय पदार्थ,निर्माण और कपड़ा।

कॉरपोरेट लीवरेज

1.39 पिछले ग्यारह वर्षो में समग्र कॉरपोरेट क्षेत्र के लीवरेज में गिरावट आई है। बारह नियंत्रक कंपनियां(जहां सभी कॉरपोरेट समूह कि सहायक जो विभिन्न परियोजनाओं का संचालन करती हैं उनके खातों का समेकन किया गया है) जो आठ बडे कॉरपोरेट घराने[15] से संबद्ध हैं और जिनका अत्यधिक एक्सपोज़र बुनियादी संरचना के क्षेत्र में है उनका आंतरिक विश्लेषण किया गया। बारह में से आठ कंपनियो ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान कर्ज में तीस प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर की गवाह रहीं हैं। इन सभी बारह कंपनियों का ब्याज व्याप्ति नीचे आ गया है जबकि ईबीआईटीडीए का कर्ज और ऋण इक्विटी अनुपात पिछले चार वर्षों में ऊपर गया है (सारणी 1.2)। ये कॉरपोरेट इस उद्योग में मौजूद अपने अन्य साथियों की अपेक्षा अतिसंवेदनशील हैं।

सारणी 1.2: 8 कॉरपोरेट समूह की 12 चुनी गई कंपनियों का कुल अनुपात

(प्रतिशत)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
ब्याज व्याप्ति[16]	2.91	2.76	2.43	1.70
ईबीआईटीडीए के प्रति कर्ज[17]	6.96	7.32	7.24	9.46
ऋण इक्विटी अनुपात[18]	1.21	1.23	1.38	1.89

स्रोत : एसीई इक्विटी

[14] 2011-12 के दौरान 2530 कंपनियों के परिणाम पर आधारित

[15] आंतरिक अध्ययन के लिए बड़े कॉरपोरेट समूह जिनका बुनियादी संरचना में अधिक एक्सपोज़र है विशेषकर पॉवर में उन्हें लिया गया है।

[16] ब्याज व्याप्ति अनुपात $= \Sigma\ EBIT_i / \Sigma\ Interest_i$; i=1, 2 ……12 (कंपनियां)

[17] ईबीआईटीडीए का कर्ज $= \Sigma\ Debt_i / \Sigma\ EBITDA_i$; i=1,2……..12 (कंपनियां)

[18] ऋण इक्विटी अनुपात $= \Sigma\ Debt_i / \Sigma\ Equity_i$; i=1,2 …...12 (कंपनियां)

प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण

1.40 हितधारकों के परिप्रेक्ष्य में प्रणालीबद्ध जोखिम सर्वेक्षण वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के पैमाने को मापने के लिए अच छा साधन है। सर्वेक्षण की शुरूआत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अक्तूबर 2011 में सहभागियों और अन्य हितधारकों को संकलित जोखिम का सामना कर रही वित्तीय प्रणाली पर उनका दृष्टिकोण जानने के लिए की गई है। वर्तमान सर्वेक्षण अक्तूबर 2012 में किया गया।

1.41 वर्तमान सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करने में वैश्विक जोखिम एक महत्तवपूर्ण घटक है। वैश्विक जोखिमों में गिरती वैश्विक संवृद्धि,राष्ट्रिक जोखिम/ संक्रामक और वैश्विक मुद्रास्फीति/ पण्य कीमत मुख्य घटक हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जोखिम के अंतर्गत घरेलू संभावना में कमी और चालू खाता घाटा में बढ़ोत्तरी इसकी मुख्य बातें हैं। विदेशी विनिमय जोखिम भी इसमें मुख्य है। अप्रैल 2012 के पिछले सर्वेक्षण में बाजार अस्थिरता को वित्तीय प्रणाली में मौजूद सबसे महत्तवपूर्ण जोखिम महसूस किया गया। इसके साथ आस्ति गुणवत्ता, वैश्विक और राजकोषीय जोखिम भी है (सारणी 1.3 और 1.4)।

1.42 प्रतिवादी यह महसूस करते हैं कि आनेवाले समय में वैश्विक वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करने की अत्यधिक संभावना मौजूद हैं। भारतीय वित्तीय प्रणाली में इस प्रभाव के पड़ने की संभावना बराबर है। हितधारकों को वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता पर बराबर का विश्वास है। यह मत है कि यदि वैश्विक वित्तीय प्रणाली में आगामी छह महीनों में अस्थिरता बढ़ती है तो यह भारतीय

सारणी 1.3: प्रणालीबद्ध जोखिम सर्वेक्षण में पाये गये बड़े जोखिम समूह अक्तूबर 2012

क. वैश्विक जोखिम		↑
ख. समष्टि आर्थिक जोखिम		↓
ग. बाजार जोखिम		↓
घ. संस्थागत जोखिम		↔
ङ. सामान्य जोखिम		↔

अत्यधिक उच्च	**उच्च**	**मध्यम**	**कम**	**बहुत कम**

पिछले सर्वेक्षण के बाद से जोखिम में बदलाव

↑	↓	↔
वृद्धि	कमी	वही

स्रोत: भा रि बैंक प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण : अक्तूबर 2012

सारणी 1.4 प्रणालीबद्ध जोखिम सर्वेक्षण में पाये गये विभिन्न जोखिम अक्तूबर 2012

क. वैश्विक जोखिम	वैश्विक मंदी	
	राष्ट्रिक जोखिम/संक्रामक	
	निधि जोखिम(बाहरी उधार)	
	वैश्विक स्फीति/पण्य कीमत जोखिम (कच्चे तेल की कीमत सहित)	
ख. समष्टि आर्थिक जोखिम	घरेलू आर्थिक परिदृश्य में गिरावट	
	घरेलू स्फीति	
	चालू खाता घाटा	
	पूंजी अंतर्वाह/बहिर्गमन(एफआईआई का परिवर्तन,एफडीआई में मंदी)	
	राष्ट्रिक रेटिंग के ग्रेड में गिरावट	
	राजकोषीय जोखिम (उच्च राजकोषीय घाटा)	
	कॉरपोरेट क्षेत्र जोखिम (अधिक लीवरेज/कम फायदा)	
	अभाव/बुनियादी ढांचा के विकास में कमी	
	स्थावर संपदा कीमत	
	राजनैतिक जोखिम	
ग. बाजार जोखिम	विदेशी मुद्रा दर में जोखिम	
	इक्विटी मूल्य में अस्थिरता	
	निधि जोखिम/नकदी जोखिम/ ब्याज दर में जोखिम	
घ. संस्थागत जोखिम	नियंत्रक जोखिम	
	आस्ति गुणवत्त में कमी	
	बैंकों को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता	
	ऋण की मांग में कमी	
ङ. सामान्य जोखिम	आतंकवाद	
	प्राकृतिक आपदा	
	सामाजिक अशांति (बढ़ती असमानताएं)	

अत्यधिक उच्च	**उच्च**	**मध्यम**	**कम**	**बहुत कम**

स्रोत : भा रि बैंक प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण - अक्तूबर 2012

अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगी(सारणी 1.5)। यद्यपि सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि सहभागियों को भारतीय वित्तीय प्रणाली में बहुत विश्वास है। इसके अतिरिक्त यह अवधारणा प्रायः पिछली छमाही से अपरिवर्तित रही है(सारणी 1.23)।

सारणी 1.5: उच्च प्रभाव वाली घटनाओं के अनुभव एवं भारतीय वित्तीय प्रणाली पर उनका असर

क. : आने वाले समय में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उच्च असर का प्रभाव (अल्पावधि में : 1 वर्ष तक)	
ख.: आने वाले समय में वित्तीय आर्थिक प्रणाली में उच्च असर का प्रभाव (मध्यावधि में : 1 से 3 वर्ष तक)	
ग. : आने वाले समय में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उच्च असर का प्रभाव (अल्पावधि : 1 वर्ष तक)	
घ. : आने वाले समय में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उच्च असर का प्रभाव (मध्यावधि में : 1 से 3 वर्ष तक)	
ड. : समस्त वैश्विक वित्तीय प्रणाली के स्थायीत्व में भरोसा	
च. : अपेक्षा जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अस्थायीत्व,यदि अगले 6 माह में बढ़ता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के स्थायीत्व में असर डालेगा	
छ. : भारतीय वित्तीय प्रणाली के स्थायीत्व में भरोसा	

नोट:

जोखिम					
क - घ	अत्यधिक उच्च	उच्च	मध्यम	कम	बहुत कम
ड. एवं छ	भरोसा नहीं	ज्यादा भरोसा नहीं	पर्याप्त भरोसा	अधिक भरोसा	पूर्ण भरोसा
च	उल्लेखनीय प्रभाव	काफी हद तक प्रभाव	कुछ हद तक प्रभाव	कुछ सीमा तक असर	कोई प्रभाव नहीं

स्रोत : भा रि बैंक प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण - अक्तूबर 2012

चार्ट1.23 : गत 6 महीनों के दौरान अनुभव में परिवर्तन

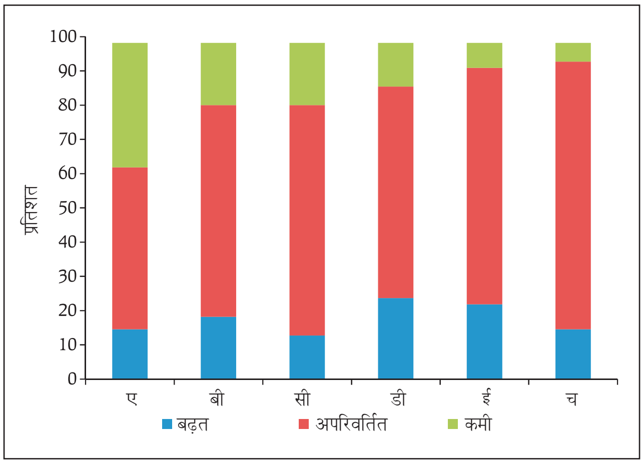

नोट : क. आने वाले समय में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उच्च असर का प्रभाव (अल्पावधि में : 1 वर्ष तक)
ख. आने वाले समय में वित्तीय आर्थिक प्रणाली में उच्च असर का प्रभाव (मध्यावधि में : 1 से 3 वर्ष तक)
ग. आने वाले समय में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उच्च असर का प्रभाव (अल्पावधि : 1 वर्ष तक)
घ. आने वाले समय में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में उच्च असर का प्रभाव (मध्यावधि में : 1 से 3 वर्ष तक)
ड. समस्त वैश्विक वित्तीय प्रणाली के स्थायीत्व में भरोसा
च. भारतीय वित्तीय प्रणाली के स्थायीत्व में भरोसा

स्रोत : भा रि बैंक प्रणालीबद्ध जोखिम सर्वेक्षण - अक्तूबर 2012

अध्याय II
वित्तीय संस्थाएं: सुदृढ़ता और आघात- सहनीयता

भारत में वाणिज्य बैंकों को अच्छी तरह से विनियमित किया जा रहा है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में कई निहित शक्तियाँ हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंकों को पूंजी की मात्रा और गुणवत्ता दोनों दृष्टि से अच्छी तरह से पूंजीकृत किया गया है। उनका धन-संरचना मुख्य रूप से घरेलू खुदरा जमा पर निर्भर होने के कारण स्थिर है। उनकी आस्तियां अच्छी तरह विशाखीकृत है तथा लीवरेज कम है। इन शक्तियों के बावजूद, भारतीय बैंकिंग प्रणाली कुछ वित्तीय संकट (Headwinds) का सामना करती है। एक धीमी अर्थव्यवस्था कम समय में अपचारिता की सीमा से ऊपर उठ गई है। तथापि, हाल के तिमाही में लाभप्रदता अविरत रही है। कई तिमाहियों से अभी जमा वृद्धि हेतु ऋण विस्तार में बिलंब हुई है और बैंक की तरलता दबाव को उजागर करने के लिए जैसा कि इससे फंड के समष्टिगत स्रोतों की निर्भरता बढ़ती है,बाहरी देयताओं की संरचना कार्पोरेट और उच्च मालियत वाले व्यक्ति से विशाल अल्पकालिक नकदी जमाराशियों की ओर अंतरित की जा रही है। तथापि, ऋण, ब्याज दर, ईक्विटी और विदेशी मुद्रा आघात पर बैंकिंग प्रणाली की निर्भरता संतोषप्रद रही है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ है और उनके लाभ उठाने के रूप (लीवरेज) के साथ-साथ परिपक्वता अंतर की निगरानी की जा रही है। वित्तीय प्रणाली के इन विभिन्न क्षेत्रों के बीच अंतर सहबद्धता इतनी मजबूत है कि घरेलू वित्तीय प्रणाली की अंतर-बद्धता पर बारीकी से निगरानी करनी होगी।

बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम

2.1 हाल के वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम बढ़ गया है। बैंकिंग स्थिरता संकेतक[1] (चार्ट 2.1) से पता चलता है कि 2010 से बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता में लगातार गिरावट हो रही है और वर्ष के दौरान कुल जोखिम अपने उच्च स्तर पर रही है। बैंकिंग स्थिरता में सहयोग करने वाले घटकों के विश्लेषण से पता चलता है कि नकदी, बिगड़ती परिसंपति गुणवत्ता और सुदृढ़ता में कमी बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता में गिरावट के प्रमुख सहयोगी हैं। तथापि, मुख्य रूप से अच्छी चलनिधि स्थिति, कम प्रावधानीकरण कवरेज से उत्पन विनियामक नुस्खे और वर्धित लाभप्रदता अनुपात के कारण पिछले दो तिमाहियों के दौरान संकेतक में सीमांत सुधार देखा गया है (पैरा 2.71 में चर्चा की गई है)।

चार्ट 2.1: बैंकिंग स्थिरता संकेतक और इसके घटक

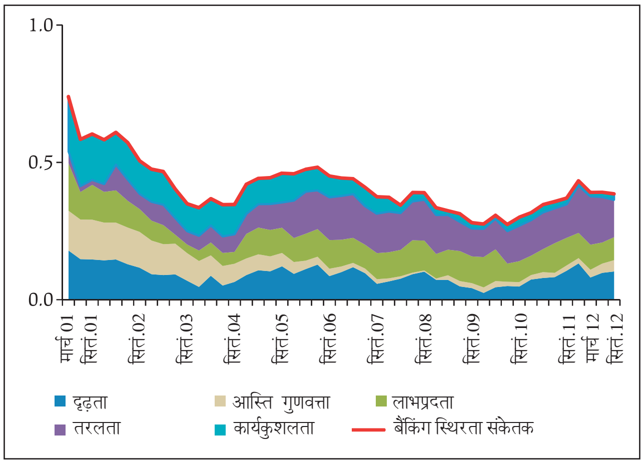

नोट: संकेतक मूल्य में वृद्धि कम स्थिरता को दर्शाता है।
स्रोत: भारिबै पर्यवेक्षी रिटर्न और स्टाफ परिकलन

2.2 बैंकिंग स्थिरता नक्शा पिछले वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में हुई असुरक्षितताओं में सापेक्ष परिवर्तन दर्शाती है, इसके साथ ही यह भी दर्शाता है कि परिसंपत्ति गुणवत्ता और सुदृढ़ता संकेतक मार्च 2012 के उनके स्थिति की तुलना में खराब है जबकि सितंबर 2012 की समाप्ति पर तरलता संकेतकों में कुछ सुधार दिखाई देता है । चालू

[1] अनुबंध में पद्धति का विवरण दिया गया है।

तिमाही में लाभप्रदता संकेतक, यद्यपि मार्च 2012 से अच्छा है, जून 2012 की तुलना में सीमांत गिरावट दर्शाती है (चार्ट 2.2)

आपदा निर्भरता और अंतर संयुक्तता - विश्लेषण

बैंकिंग स्थिरता उपाय (बीएसएम)

2.3 वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2011 से बैंकिंग स्थिरता उपाय का प्रकाशन कर रही है। यह उपाय बैंकों के बीच पद्धति में आपदा निर्भरता का ध्यान रखती है जिसके द्वारा (क) प्रणाली में बैंकों की सामान्य आपदा, (ख) विशिष्ट बैंकों के बीच आपदा, और (ग) विशिष्ट बैंकों के साथ संबद्ध प्रणाली में आपदा को मापने के लिए उपकरणों का एक सेट उपलब्ध कराती है। इन आपदा निर्भरताओं को बैंक के विशेष समूह के पोर्टफोलियो रूप में वित्तीय पद्धति की अवधारणा पर तैयार किया गया है (सेगोवियानो और गुडहार्ट, 2009)। विशेष रूप से, बैंकिंग प्रणाली पोर्टफोलियो बहुभिन्नरूपी घनत्व (बीएसएमडी)[2], जो बैंक के एकल और संयुक्त परिसंपत्ति दोनों के पोर्टफोलियो के मूल्य के उतार-चढ़ाव का चित्रण करती है, का आकलन बैंकों[3] के संभाव्य आपदा (पीओडी)[4], 99 प्रतिशत अनुभाविक आधार पर देखी गई बैंकों के दैनिक इक्विटी मूल्य विवरण के जोखिम मूल्य (वीएआर) से किया गया है। बैंकिंग प्रणाली पोर्टफोलियो बहुभिन्नरूपी घनत्व (बीएसएमडी) बैंक की परस्पर निर्भरता संरचना के साथ अंतः स्थापित है जो पद्धति में बैंकों के बीच रैखिक और गैर- रैखिक आपदा निर्भरता और आर्थिक चक्र के अलग-अलग समय में इसके परिवर्तन को ग्रहण करती है। आपदा के दौरान, अर्थव्यवस्था और बाजारों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लिंक के माध्यम से परिसंपति मूल्यों में गिरावट के कारण, अंतर बैंक ऋण और जानकारी विषमताओं के साथ-साथ बैंकों की वित्तीय स्थिति खराब हुई है। बैंकिंग स्थिरता उपाय बैंकों के बीच आपदा निर्भरता में शिथिलता के संकेत दर्शाते हैं।

प्रणाली में सामान्य आपदा: जेपीओडी और बीएसआई

2.4 जैसा कि आपदा के संयुक्त संभाव्यता द्वारा मापा गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का आपदा संभाव्यता

चार्ट 2.2: बैंकिंग स्थिरता नक्शा

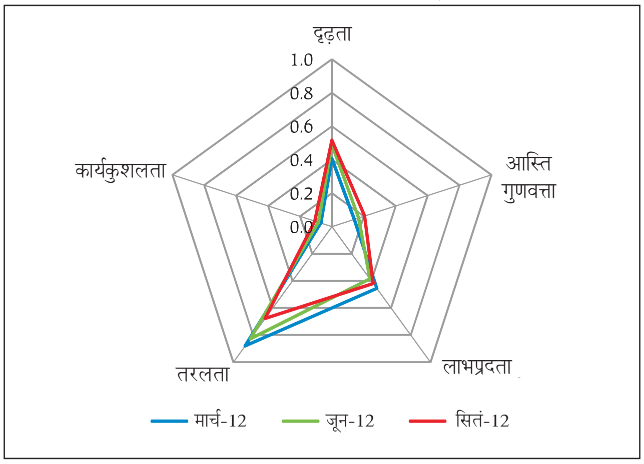

नोट: केंद्र से दूरी जोखिम में वृद्धि को दर्शाति है।
स्रोत: भारिबै पर्यवेक्षी रिटर्न और स्टाफ परिकलन।

चार्ट 2.3: जेपीओडी और बीएसआई का संचलन

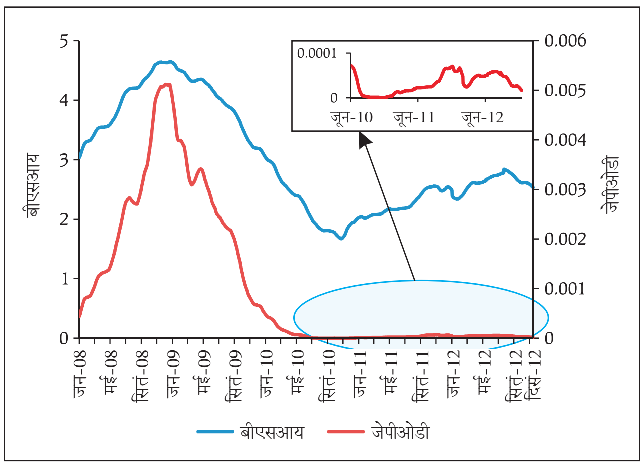

स्रोत: भारिबै पर्यवेक्षी रिटर्न और स्टाफ परिकलन।

---

[2] विवरण जून 2011 के एफएसआर में उपलब्ध

[3] यह पद्धति कार्यान्वयन के लिए काफी लचीलापन प्रदान करता है क्योंकि एकल बैंक के संभाव्य आपदाएँ अस्थिरता इनपुट का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसे वैकल्पिक तरीकों का उपयोग कर अनुमान लगाया जा सकता है। बैंकों की संभाव्य आपदाएँ उनकी इक्विटी रिटर्न विवरण से आंका जाता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत सबसे पहले बैंकों के इक्विटी विवरणी की ऐतिहासिक वितरणों को आंका जाता है। इसके बाद, 1 प्रतिशत के मामलों (99 जोखिम पर मूल्य) में ऐतिहासिक निकृष्टतर के तहत घटती विवरणियों की संभाव्यता निर्धारित की गई है। इसलिए विशिष्ट बैंकों की संभाव्य आपदाएँ यह संभावना दर्शाती है कि बैंकों की इक्विटी विवरणी के पिछले क्षेत्र में गिरावट आ सकती है।

[4] अध्ययन के लिए 15 प्रमुख बैंकों का चयन किया गया है जिसका इक्विटी मूल्य डाटा उपलब्ध है। यह अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल परिसंपत्तियों का 6. प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है।

(जेपीओडी) अपने वृद्धि की प्रवृति को पलट दिया है और हाल की अवधि में मामूली कमी दर्ज की है (नवंबर 2012 से। बैंकिंग स्थिरता सूचकांक (बीएसआई), जो बैंकों के अपेक्षित संख्याओं का उपाय बतलाता है जो कि दिए जाने पर आपात बन सकता है जिससे कि कम से कम एक बैंक आपात बनता है उसे भी वैसे ही उतार-चढ़ाव वाले आपदा के संयुक्त संभाव्यता में दर्ज किया जाए (चार्ट 2.3)।

विशिष्ट बैंकों के बीच संकट: टॉक्सीसिटी और सुभेद्यता सूचियाँ

2.5 विशिष्ट बैंकों के बीच के संकट को टॉक्सीसिटी और सुभेद्यता (वल्नरेबिलीटी) सूची द्वारा मापा जाता है। टॉक्सिसिटी सूची (टीआई) वह औसत संभावना है जिसमें प्रणाली के अंतर्गत संकटग्रस्त बैंक अन्य बैंक के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं। बैंकों की टॉक्सिसिटी, जो वर्ष 2010 के आरंभ से ही बढ़ रही थी, अक्तूबर 2012 से कुछ गिरावट देखी जा रही है। वर्तमान में, चुनिंदा बैंकों का टीआई लगभग 0.25 के आसपास है (चार्ट 2.4)।

2.6 सुभेद्यता सूची (VI), जो प्रणाली के अंतर्गत संकटग्रस्ट बैंक द्वारा अन्य बैंकों के लिए संकट उत्पन्न करने की औसत संभावना निर्धारित करती है, हाल में हुए वित्तीय संकट के दौरान काफी ऊँची थी। सर्वाधिक संभावना संकट के दौरान 0.9 प्रतिशत थी, जो सार्थक रूप से घट कर शून्य के आस पास हो गई है। हाल की अवधि में चुनिंदा बैंकों में से VI बैंक 0.15 के आस-पास है। (चार्ट 2.5).

2.7 प्रणाली में विशिष्ट बैंकों से संबंधित संकट: सोपानीय प्रभाव

2.8 2.7 यह संभावना कि प्रणाली के अंतर्गत कम से कम एक बैंक संकटग्रस्त होगा, किसी एक विशिष्ट बैंक का संकटग्रस्त होना है, जो यह बतलाता है कि एक या एक से अधिक बैंक संकटग्रस्त होंगे। यह प्रणाली में किसी विशिष्ट बैंक पर आए संकट के संभावित 'सोपानीय' प्रभाव का परिमाण निर्धारित करता है, जो विशिष्ट बैंक के प्रणालीगत महत्व को दर्शाता है। यद्यपि यह परिस्थितिजन्य संभावनाएं इसके होने का कारण नहीं है; इनके द्वारा प्रणाली को गठित करने वाले बैंकों के बीच प्रणालीगत अंतर-संबद्धताओं की महत्पूर्ण परख की जा सकती है। सोपानीय संभावनाएँ दर्शाते हैं कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली काफी अंतर-संबद्ध है तथा वित्तीय संकट के दौरान इनकी एक दूसरे पर संकट निर्भरता बहुत अधिक थी। 2010 में इस प्रभाव में कमी थी लेकिन 2011 के आरंभ से इसका रुख बढ़त की ओर दिख रहा है (चार्ट 2.6)।

चार्ट 2.4: चुनिंदा बैंकों के टॉक्सीसिटी सूचकांक में उतार-चढ़ाव

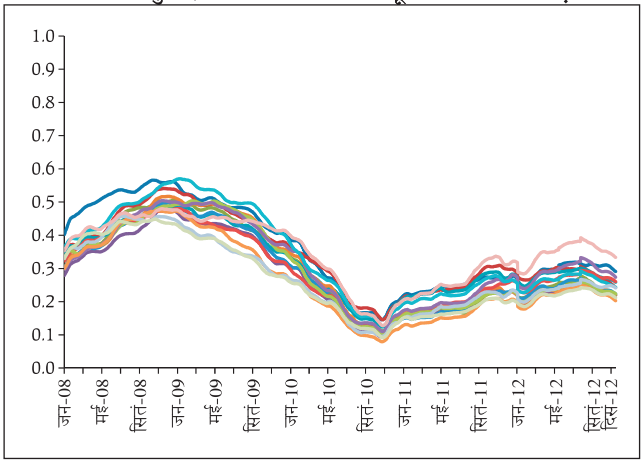

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ गणना

चार्ट 2.5 चुनिंदा बैंकों का सुभेद्यता सूचकांक

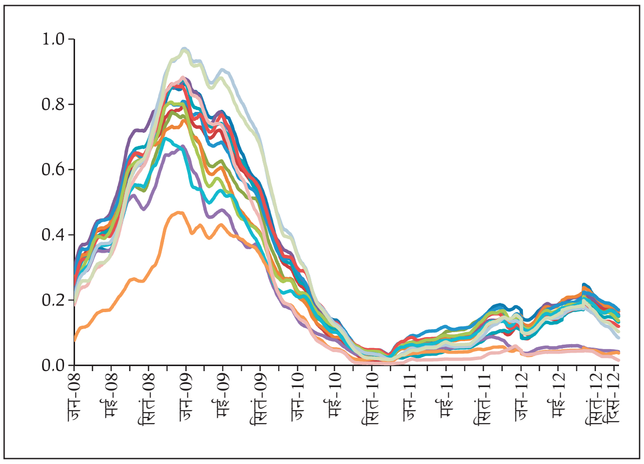

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ गणना

चार्ट 2.6: चुनिंदा बैंकों के बीच प्रणालीगत अंतर-संबद्धता: सोपानीय प्रभाव

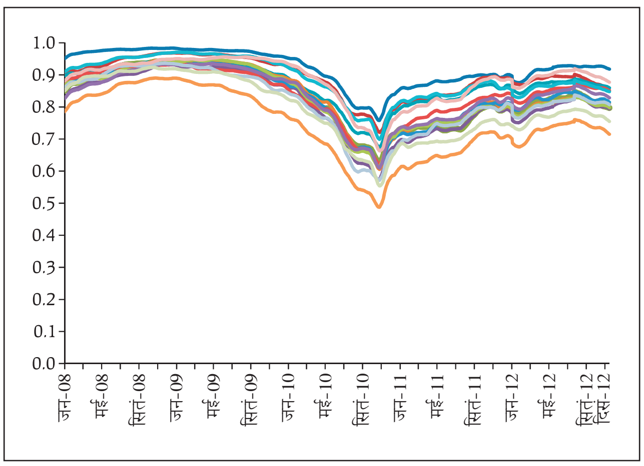

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ गणना

नेटवर्क विश्लेषण

2.8 नेटवर्क विश्लेषण के साधनों का प्रयोग वित्तीय क्षेत्र में अंतर-संबद्धता और एक या अधिक वित्तीय संस्थाओं[5] की विफलता से उत्पन्न होने वाले संक्रामक जोखिमों के आकलन के लिए किया जाता है। विश्लेषण से यह पता चला है कि भारतीय वित्तीय प्रणाली में गहरी अंतर-संबद्धता है। किसी वित्तीय संस्था के विफल होने पर जोखिम, उस वित्तीय संस्था में निवेश करने वाली अन्य वित्तीय संस्थाओं पर आ जाता है। जिन इकाइयों ने विफल होने वाली संस्थाओं को ऋण दिया है उन्हें ऋण-शोधन संबंधी जोखिमों का तथा जिन इकाइयों ने विफल होने वाली संस्थाओं से ऋण लिया है उन्हें चलनिधि संबधी जोखिमों का सामना करना पड़ता है। वित्तीय प्रणाली में जितनी अधिक अंतरसंबद्धता होगी, विफल होने वाली वित्तीय संस्था द्वारा उत्पन्न संक्रामक जोखिम भी उतना ही अधिक होगा। इन जोखिमों का निरीक्षण तिमाही आधार पर किया जाता है और पिछले दो वर्षों में इसमें कोई सार्थक परिवर्तन नहीं हुआ है।

2.9 पिछले दो वर्षों से भारतीय अंतरबैंक बाजार लगातार बढ़ता जा रहा है (चार्ट 2.7)। इस बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सर्वाधिक भागीदारी बनी हुई है (सारणी 2.1)।

2.10 बैंकिंग प्रणाली का नेटवर्क एक स्पष्ट श्रेणीबद्ध सरंचना दर्शा रहा है। पिछले दो वर्षों (सितंबर 2010 से सितंबर 2012 तक) से तीन से पाँच बैंक लगातार महत्वपूर्ण भाग बने हुए हैं, जिसमें से दो बैंक बड़े निवल उधारकर्ता हैं। पूरी वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क भी श्रेणीबद्ध बना हुआ है (चार्ट 2.8 और 2.9)।

सारणी 2.1: अंतरबैंक बाजार में भागीदारी[6] (%)

	सितंबर 2011	सितंबर 2012
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	53.3	55.9
पुराने निजी बैंक	5.4	2.9
नए निजी बैंक	17.8	15.5
विदेशी बैंक	23.5	25.7

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

चार्ट 2.7: अंतरबैंक बाजार का आकार

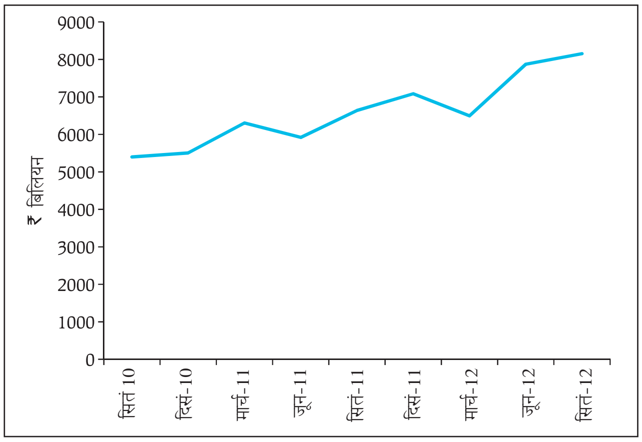

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

चार्ट 2.8: बैंकिंग प्रणाली का नेटवर्क - सितंबर 2012

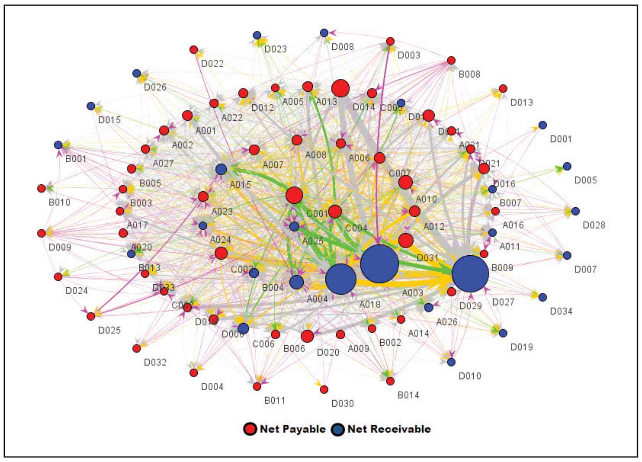

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

चार्ट 2.9: वित्तीय प्रणाली में नेटवर्क - जून 2012

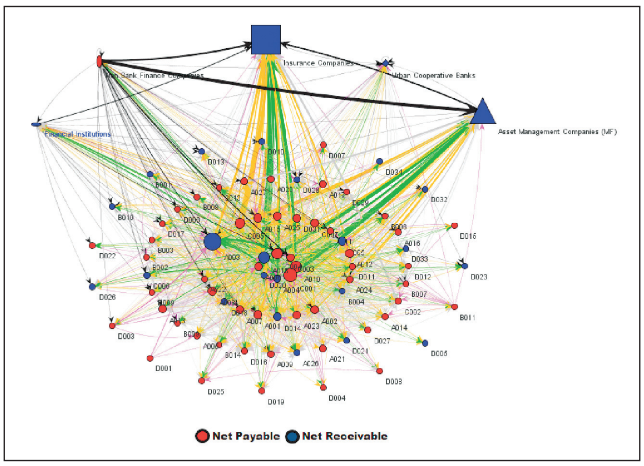

स्रोत: आरबीआई, सेबी, आईआरडीए

[5] यह नेटवर्क विश्लेषण बैंक, आस्ति प्रबंध कंपनियों, बीमा कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और शहरी सहकारी बैंकों के बीच द्विपक्षीय निधि और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर से संबंधित आंकड़ों के आधार पर किया गया है। ऐसे लेन-देन जहाँ केंद्रीय प्रतिपक्षी द्वारा निपटान किया जाता है, की गणना नहीं की गई है। विश्लेषण में प्रयोग किया गया नेटवर्क मॉडल प्रोफेसर शेरी मार्कोस (यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स) और डॉ. सिमोन जिएनसैंट (बाथ यूनिवर्सिटी) द्वारा वित्तीय स्थिरता इकाई, भारतीय रिज़र्व बैंक के सहयोग से तैयार किया गया है।

[6] बाजार अंश का आकलन - (ऋण देना और ऋण लेना) (कुल ऋण देना+कुल ऋण लेना)

संक्रमण का खतरा

2.11 पूर्व के दो अनुच्छेद पिछले दो वर्षों से लगातार बैंकिंग प्रणाली के नेटवर्क के आंतरिक कोर के दो मुख्य उधारकर्ता बैंक से सम्बन्धित है। इन दो बैंकों का एक साथ दिवालिया होने के संक्रामक प्रभाव का आकलन दर्शाता है कि यह अन्य नौ बैंकों को दिवालिया बनाने का कारण होगा और बैंकिंग प्रणाली के टियर- I पूंजी में 18 प्रतिशत की हानि का जिम्मेदार होगा। (चार्ट 2.10)

2.12 सितम्बर 2010 और सितम्बर 2012 के बीच 10 सर्वाधिक जुड़े हुए बैंकों द्वारा विभिन्न तिथियों पर संभाव्यता संक्रामक हानि का विश्लेषण यह दर्शाता है कि उक्त में से किसी भी एक बैंक के दिवालिया होने से सर्वाधिक हानि बैंकिंग प्रणाली के टियर-I पूंजी को होगी जो कि 7 प्रतिशत और 17 प्रतिशत के बीच रहेगा। विश्लेषण, पुनः दर्शाता है कि अवधि के दौरान बैंक को हुए सर्वाधिक संक्रामक हानि समान ही रही है। 10 में से किसी भी बैंक के दिवालिया होने से बैंकिंग प्रणाली के टियर-I पूंजी में औसत हानि दिसम्बर 2010 को 4 प्रतिशत से 7 प्रतिशत होगी जिसकी अधिकतम सीमा 7.3 प्रतिशत है। यह प्रवृत्ति इस बात का सूचक है कि देश के बैंकिंग प्रणाली के अन्तःसम्बन्ध की निगरानी निरन्तर करने की आवश्यकता है। (चार्ट 2.11).

चूक पर हानि के विभिन्न स्तर पर संक्रामक खतरे[9]

2.13 बैंकों के बीच द्विपक्षीय एक्सपोज़र के सम्बन्ध में अब तक किए गए संक्रामक विश्लेषण (पूर्व के अनुच्छेद में और पूर्व के वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में) को विचार में लिया गया। आदर्शतः, ऐसे विश्लेषण सकल एक्सपोज़र गुना चूक पर हानि को विवेचन करने के बाद होना चाहिए जो कि देनदार बैंक के दिवालिया होने से ऋणदाता बैंक के हुई क्षति का सठिक राशि बतलाएगा। चूक पर हानि 100 प्रतिशत (ऋणदाता के लिए शून्य वसूली दर के समान) से 0 प्रतिशत के बीच घटता-बढ़ता रहता है उस अवस्था में जब एक्सपोजर पूर्णतः संपार्श्विक हो और कर्जदाता को कोई हानि नहीं है)।

चार्ट 2.10: बैंकिंग प्रणाली के आंतरिक कोर के दो मुख्य उधारकर्ता बैंक के दिवालिया होने का संक्रामक प्रभाव[7]

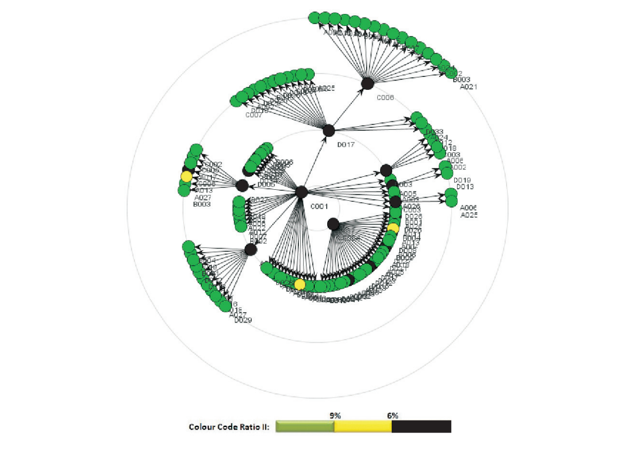

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

चार्ट 2.11: सर्वाधिक जुड़े बैंक के दिवालिया होने के कारण बैंकिंग प्रणाली में पूंजी की हानि[8]

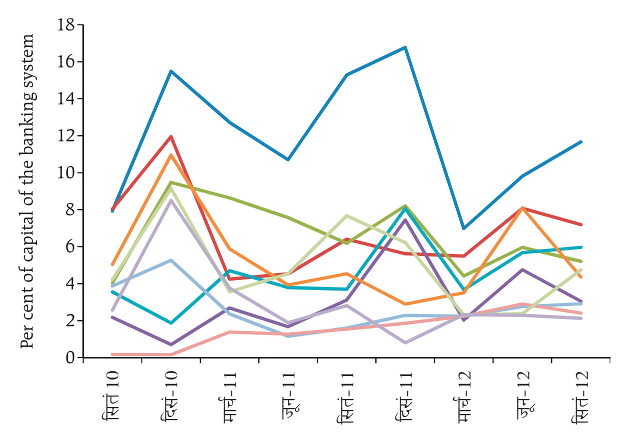

नोट: चार्ट की प्रत्येक पंक्ति एकल बैंक दिवालिया होने से बैंकिंग प्रणाली के टियर- I पूंजी के प्रतिशत में हुए हानि को दर्शाता है।

स्रोत: भारिबैं स्टाफ आकलन

[7] बैंक के पूंजी पर्याप्तता अनुपात पर आपात अवस्था निर्भर करता है। संक्रामक चार्ट पर प्रयोग किए गए रंग निम्नलिखित हैः

काला: उत्प्रेरित और विपदग्रस्त संस्था

संस्था जो प्रभावित है पर विपदग्रस्त नहीं है:

(i) **हरा:** संस्था जो कि उत्प्रेरित/ विपदग्रस्त संस्था के दिवालिया होने से प्रभावित हुआ है परन्तु जो आघात को बर्दास्त कर सकता है

(ii) **पीला:** संस्था जो कि उत्प्रेरित/ विपदग्रस्त संस्था के दिवालिया होने से प्रभावित हुआ है जिसकी पूंजी पर्याप्ततता 9 प्रतिशत के नीचे है और जो विपदग्रस्त नहीं हुआ है, अतः संक्रमण नहीं फैलेगा।

[8] इस विश्लेषण के उद्देश्य से, 30 सितम्बर 2012 को उच्च आइजनवेक्टर केन्द्रीयता (अर्थात् बैंक जो ज्यादा जुड़े हैं) के 10 बैंकों के विचार में रखा गया है। जून 2012 का वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के बॉक्स 5.1 केन्द्रीयता के आइजनवेक्टर का उपचार का संदर्भ ग्रहण करे।.

[9] कर्जदार/ उधारकर्ता के चूक के कारण बैंक के आर्थिक हानि को चूक पर हानि के रूप में जाना जाता है।

2.14 तथापि वसूली दरों और संबद्ध हानिदर्शक चूक (एलजीडी) के संबंध में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। एलजीडी, अन्य के साथ-साथ, संपार्श्विक का प्रकार और राशि तथा उधारकर्ता का प्रकार और आस्तियों के अनुमान से प्रत्याशित आय (उदाहरण के तौर पर संपार्श्विक / प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त आय) पर आधारित होती है। साथ ही, एलजीडी एक्सपोज़र विशिष्ट होती है, जैसे एक ही उधारकर्ता के विभिन्न एक्सपोज़रों के लिए विभिन्न एलजीडी हो सकती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जानकारी अंतर इस बात से और प्रबल हो जाता है कि दिवालियापन कानून स्पष्ट नहीं है और यह इसलिए कि संभाव्य एलजीडी के अनुभवजन्य मार्गदर्शन के लिए बैंक दिवालियापन की कोई प्रमुख घटनाएं नहीं हुई हैं।

2.15 पांच संबंधित बैंकों (30 सितंबर 2012 तक की स्थिति के अनुसार) के एलजीडी के विभिन्न स्तरों के लिए हुई संक्रामक हानियों का मूल्यांकन यह दर्शाता है कि एक निश्चित सीमा के नीचे (60 प्रतिशत) संक्रामक हानियां बहुत कम हैं। तथापि, उस सीमा के बाद संक्रामक हानियों में तेजी से वृद्धि होती है। (चार्ट 2.12)

चार्ट 2.12: पांच संबंधित बैंकों की एलजीडी की विभिन्न स्तरों पर असफलता के कारण बैंकिंग प्रणाली की पूंजी में हानि

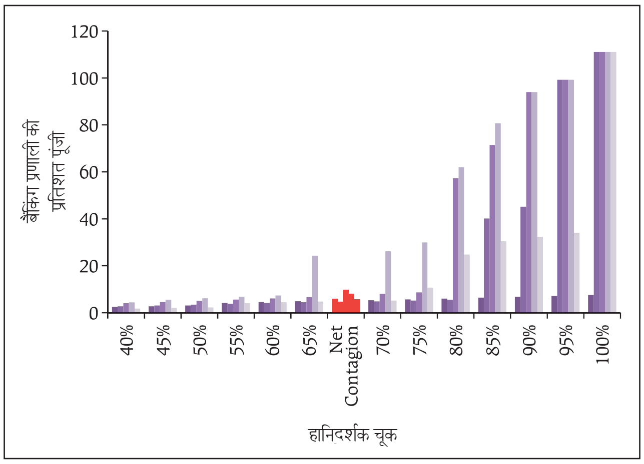

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक के स्टाफ द्वारा की गयी गणना

2.16 ऋण जोखिम *(10)* के लिए पूंजी प्रभार की गणना हेतु आंतरिक दर-निर्धारण आधारित (आइआर बी) दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत मूल आइआरबी दृष्टिकोण अपनाने वाले बैंकों के संबंध में अनारक्षित और अमान्यताप्राप्त संपार्श्विकीकृत एक्सपोज़रों के लिए क्रमशः 65 प्रतिशत और 75 प्रतिशत एलजीडी दर्शाता है । (उनके वरिष्ठता क्रम पर आधारित) जो बैंक विकसित आइआरबी दृष्टिकोन अपनाना चाहते हैं, उन्हें अपने स्वयं के एलजीडी अनुमानों की व्यवस्था करनी होगी। चूंकि बैंक आइआरबी दृष्टिकोण को अपना रहे हैं, एलजीडी के मूल्यांकन में सूधार की संभावना है, जिससे संक्रामक जोखिमों का अधिक यथार्थ मूल्यांकन होगा।

संक्रामक जोखिमों पर बैंकिंग प्रणाली में कठिन स्थिति का असर

2.17 बैंक की असफलता का संक्रामक प्रभाव आवर्धित रूप से देखना होगा यदि बैंकिंग प्रणाली में यह असफलता सामान्य कठिनाई या आघात की स्थिति में होती है। संक्रामक जोखिमों पर कठिन स्थितियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए ब्याज दर और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों से संबद्ध चार विभिन्न आघातों पर विचार किया गया (बैंकों के डेरिवेटिव्ज़ संविभाग के तनाव जांच के लिए इस्तेमाल किये गये आघातों का ही प्रयोग किया गया जैसा कि पैरा 2.67 और 2.68 में वर्णित है)।

[10] http://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=6887&Mode=0

2.18 बैंकों का तुलन पत्र और डेरिवेटिव संविभाग दोनों के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण किया गया। संक्रामक हानि के मूल्यांकन से पहले पूंजी पर बाज़ार गतिविधियों के प्रभाव को आँका गया। इस अभ्यास से यह तथ्य सामने आया कि अमेरिकी $ / भारतीय रुपया ₹ विनिमय दर की गतिविधियों के कारण दोनों ओर संक्रामक हानियों में वृद्धि हुई है। ब्याज दर आघातों के मामले में ब्याज दर घट का संक्रामक हानियों पर कोई असर नहीं हुआ है। ब्याज दरों में तीव्र वृद्धि के मामले में संक्रामक हानि पर अधिकतम असर हुआ। (तालिका 2.2 और चार्ट 2.13)

नेटवर्क विश्लेषण का इस्तेमाल करते हुए चलनिधि संक्रामक

2.19 वित्तीय संकट, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा ठोस चलनिधि जोखिम के निराकरण की आवश्यकता के महत्व को विशेष रूप से दर्शाता है। उसने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि एक या अधिक संस्थाओं की चूक का नतीजा अनेकविध संस्थाओं द्वारा अल्पावधि ऋणों के रोल ओवर या नये अल्पावधि निधियन में इसीतरह की कठिनाइयों का सामना करना हो सकता है। बड़े ऋणदाता की चूक के मामले में नेटवर्क मॉडेल बैंकिंग प्रणाली का चलनिधि के सामने खड़ी संक्रामक जोखिम को पकड़ में लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

2.20 बैंक के दिवालियापन का ऋणदाता और उधारकर्ता दोनों पर असर होता है, जिससे एक ओर ऋणशोध-क्षमता जोखिम और दूसरी ओर चलनिधि जोखिम बढ़ती है। उन बैंकों के सामने चलनिधि जोखिम का खतरा निर्माण होता है जिन्होंने दिवालिया बैंक से निधि उधार लिया है, क्योंकि इन बैंकों को उधार लिया हुआ निधि वापिस करना होगा।

2.21 आपात्कालीन स्थितियों को पार करने के लिए बैंक प्रातिनिधिक रूप से चलनिधि बफर स्टॉक का अनुरक्षण करेगा। इन बफर स्टॉकों में अतिरिक्त आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) का समावेश होगा। साथ ही बैंक, केंद्रीय बैंक द्वारा उसे प्रदान की गयी अनर्जित स्थायी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकता है। यदि ये निधियाँ पर्याप्त नहीं होतीं तो बैंक अपने काउंटरपार्टियों को प्रदान अल्पावधि उधार की वापसी के लिए अनुरोध कर सकता है। बैंक के चलनिधि बफर और प्रतिदेय आस्तियां दिवालिया बैंक के कारण निर्माण चलनिधि आघात पूरा करने में पर्याप्त न होने के मामले में बैंक का स्वयं का परिसमापन करना होगा। यदि उधारकर्ता बैंक को अपने अल्पावधि उधार वापिस माँगने की ज़रूरत पड़ी तो बैंक को अपने उधारकर्ताओं को चलनिधि आघात देना पड़ेगा, जिन्हें बदले में

तालिका 2.2 संक्रामक हानि पर कठिन स्थिति का प्रभाव

परिदृश्य	शीर्ष दस संबद्ध बैंकों की असफलता के कारण बैंकिंग प्रणाली की पूंजी में प्रतिशत हानि	
	औसत हानि (प्रतिशत)	अधिकतम हानि (प्रतिशत)
आधारभूत	5.0	11.7
भारतीय रुपया ₹ मूल्यहास	7.2	15.3
भारतीय रुपया ₹ मूल्यवृद्धि	6.4	11.9
ब्याज दर वृद्धि	79.7	88.5
ब्याज दर घट	5.0	11.7

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक के स्टाफ द्वारा की गयी गणना

चार्ट 2.13: विभिन्न कठिन स्थितियों के अंतर्गत शीर्ष 10 संबद्ध बैंकों की असफलता के कारण बैंकिंग प्रणाली की पूंजी में हानि

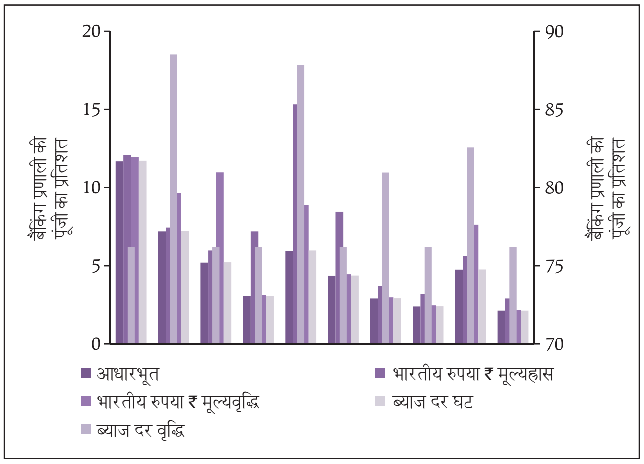

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक के स्टाफ द्वारा की गयी गणना

वैकल्पिक निधियन स्रोत ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। यह पुनरावृत्ति प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक और ऋण वापिस माँगने की ज़रूरत न हो और अतः कोई आघात का प्रेषण न हो। चार्ट 2.14 में यह प्रक्रिया सचित्र स्पष्ट की गयी है।

2.22 भारतीय बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि संक्रामकता के प्रभाव का मूल्यांकन दर्शाता है कि प्रणाली में बड़े ऋणदाताओं की असफलता का प्रणाली में चलनिधि की उपलब्धता पर महत्वपूर्ण अधोमुखी प्रभाव पड़ सकता था, साथ ही कतिपय अन्य बैंकों के परिसमापन का कारण हो सकता था। (तालिका 2.3) यह प्रभाव कुछ हद तक कम हो सकता है यदि बैंक अल्पावधि अंतरबैंक ऋण वापिस मांगने की स्थिति में हों।

2.23 प्रणाली के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक की 30 जून 2012 की स्थिति में असफलता के कारण हुई चलनिधि संक्रामकता चार्ट में अंकित की गयी है। (चार्ट 2.15) मध्यस्थान में दर्शाया गया काला त्रिकोण उस ऋणदाता बैंक का प्रतिनिधित्व करता है, जो किसी बाह्य कारण से परिसमाप्त हुआ है। जिन बैंकों ने इस परिसमाप्त बैंक से उधार लिया है उन्हें उधार की राशि चुकानी होगी। कुछ मामलों में बैंकों के चलनिधि बफर चलनिधि आघातों को आत्मसात् करने में पर्याप्त होते हैं। (ऐसे बैंकों को हरे रंग के त्रिकोणों में दर्शाया गया है) कुछ अन्य मामलों में बैंक अपने बफर स्टॉकों का इस्तेमाल करके तथा अल्पावधि अंतरबैंक ऋणों की वापसी की मांग करके बचे रहते हैं। (ऐसे बैंकों को नारंगी रंग के त्रिकोणो में दर्शाया गया है) तथापि ऋणों की वापसी की मांग की प्रक्रिया में ये बैंक चलनिधि आघातों की बात फैलायेंगे। कुछ बैंकों के लिए बफर स्टॉक और अल्पावधि अंतरबैंक ऋण ट्रिगर बैंक से उधार लिये गये निधि की चुकौती करने में पर्याप्त नहीं होंगे। अतः इन बैंकों का परिसमापन होगा। (ऐसे बैंकों को काले रंग के त्रिकोणों में दर्शाया गया है) और वे चलनिधि संक्रामकता के अगले दौर का पुनःप्रारंभ करेंगे। जब आगे और बैंकों का परिसमापन नहीं होगा तब यह संक्रामकता समाप्त होगी।

बैंकिंग और गैर- बैंकिंग क्षेत्रों के बीच सहलग्नता

2.24 विश्व की तरह, भारत में भी वित्तीय प्रणाली आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है। एक तरफ बैंकों और दूसरी तरफ बीमा कंपनियों, म्युचुअल फंडों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में निधियन आश्रितता और सीधा ऋण एक्सपोज़र विद्यमान है। हालाँकि बैंकिंग क्षेत्र, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र के लिए निवल ऋणदाता है, बीमा कंपनियों और आस्ति प्रबंधन कंपनियों की तुलना में वह निवल उधारदाता है (चार्ट 2.16 और 2.17)।

चार्ट 2.14: चलनिधि संक्रामकता का फैलाव दर्शाने वाला फ्लोचार्ट [11]

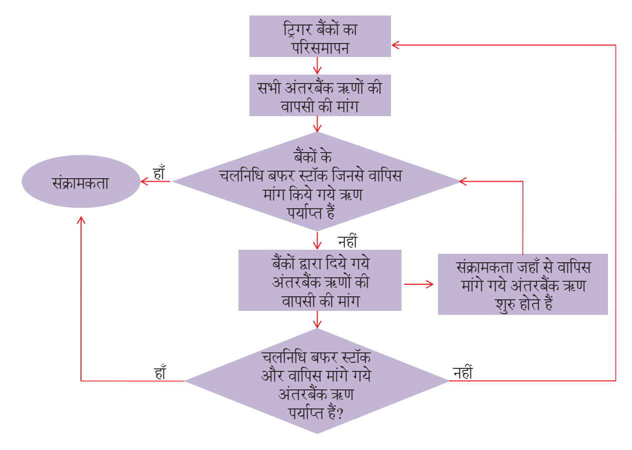

तालिका 2.3: बड़े ऋणदाता बैंक की असफलता पर उसे देय प्रणालीबद्ध चलनिधि की उपलब्धता का प्रभाव

(प्रतिशत)

	प्रभाव
बैंक 1	82
बैंक 2	42
बैंक 3	36
बैंक 4	31
बैंक 5	33

नोट: प्रणालीबद्ध चलनिधि की उपलब्धता के प्रभाव की गणना किसी विशिष्ट तारीख को सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल चलनिधि बफर स्टॉकों के प्रतिशत के रूप में की गयी है।

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ द्वारा की गयी गणना

चार्ट 2.15: बड़े ऋणदाता बैंक की असफलता पर देय चलनिधि संक्रामकता

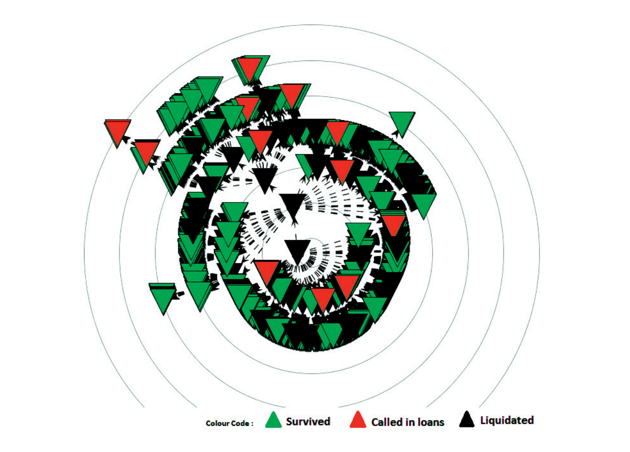

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ द्वारा की गयी गणना

[11] यह विश्लेषण बैंकों के बीच के कुल एक्सपोज़र पर आधारित है। इन एक्सपोज़रों में निधि आधारित और डेरिवेटिव एक्सपोज़र का समावेश है। यहाँ जिस अनुमान का प्रयोग किया गया है, वह इसतरह है, जब किसी बैंक का परिसमापन होता है तब बैंक द्वारा उधारस्वरूप दी गयी निधि की सकल आधार पर वापसी की मांग की जाती है, जबकि कोई बैंक जब परिसमापन के बिना अल्पावधि ऋण की वापसी की मांग करता है, ऋण की निवल आधार पर वापसी की मांग की जाती है (इस अनुमान पर कि काउंटरपार्टी पहले उसी काउंटरपार्टी के लिए अपना अल्पावधि उधार कम करने की संभावना है)same counterparty).

चार्ट 2.16: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दिया गया उधार

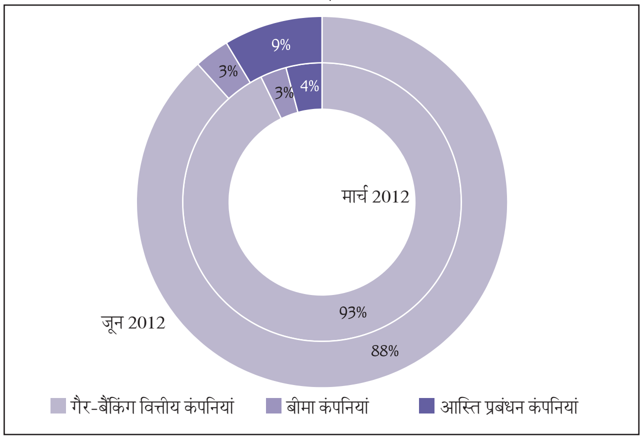

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ द्वारा की गयी गणना

चार्ट 2.17: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से लिया गया उधार

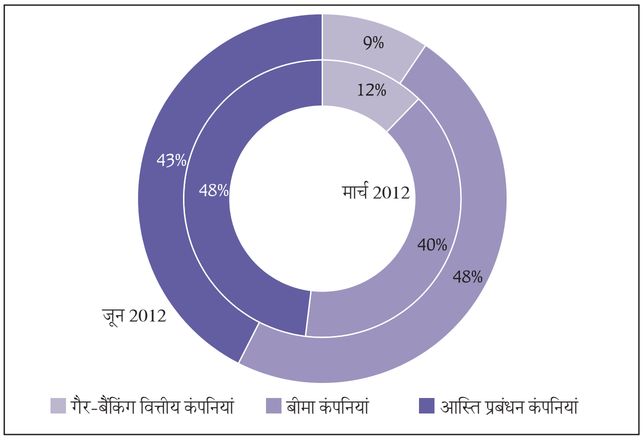

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ द्वारा की गयी गणना

2.25 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को औसत बैंकिंग क्षेत्र एक्सपोज़र पूंजीगत निधियों के प्रतिशत के रूप में जून 2012 की समाप्ति की स्थिति में 18 प्रतिशत रहा। तथापि कतिपय बैंकों के एक्सपोज़र महत्वपूर्ण रहे, जिनके मामले में 5 बैंकों के एक्सपोक़र के साथ (जो बैंकिंग क्षेत्र आस्तियों का 8.7 प्रतिशत है) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपनी पूंजी निधियों के 50 प्रतिशत अत्यधिक रहीं। (चार्ट 2.18)

2.26 बीमा कंपनियां भी प्रमुख ऋणदाताओं के रूप में बैंकिंग प्रणाली से अंतःसंबद्ध होती हैं, इसका अर्थ है, बैंकिंग क्षेत्र में कोई प्रमुख कठिनाई के मामले में बीमा कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। (चार्ट 2.19)

2.27 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र अपनी निधियन आवश्यकताओं ***(12)*** के लिए बैंकिंग प्रणाली पर महत्वपूर्ण रूप से आश्रित था। चयनित नमूने के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से औसत आधार पर उधार की राशि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र के लिए पूंजीगत निधियों के 100 प्रतिशत से ऊपर रही। कुछ कंपनियों के मामले में यह आश्रितता उच्चतर रही, जिनके लिए अनुपात 200 प्रतिशत से अधिक था।

2.28 कुछ बाहरी बैंक अपनी निधियन आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण रूप से म्युच्युअल फंडों पर आश्रित थे, यद्यपि बैंकिंग क्षेत्र के लिए म्युचुअल फंडों से उधार ली गयी राशि औसत आधार पर उनकी पूंजी निधि का करीब 20 प्रतिशत होती है। तथापि, जैसे कि पूर्व वित्तीय रिपोर्ट में चर्चा की गयी, बैंकों द्वारा म्युचुअल फंड से ली गयी उधार राशि मूलतः अल्प अवधि के लिए होती है, इसलिए म्युचुअल फंड इंडस्ट्री में किसी आघात के मामले में इससे बैंकों पर वलनिधि जोखिम का खतरा हो सकता है (चार्ट 2.20)

चार्ट 2.18 पूंजीगत निधियों के प्रतिशत के रूप में बैंकों का गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से एक्सपोज़र

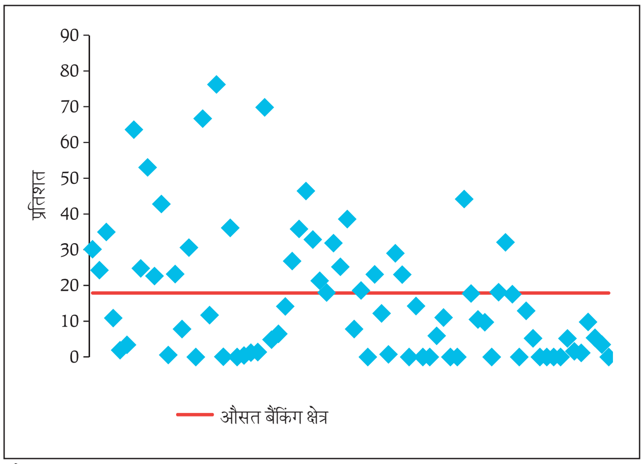

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ द्वारा की गयी गणना

चार्ट 2.19: पॉलिसी धारक की देयताओं के प्रतिशत के रूप में बीमा कंपनियों का अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से एक्सपोज़र

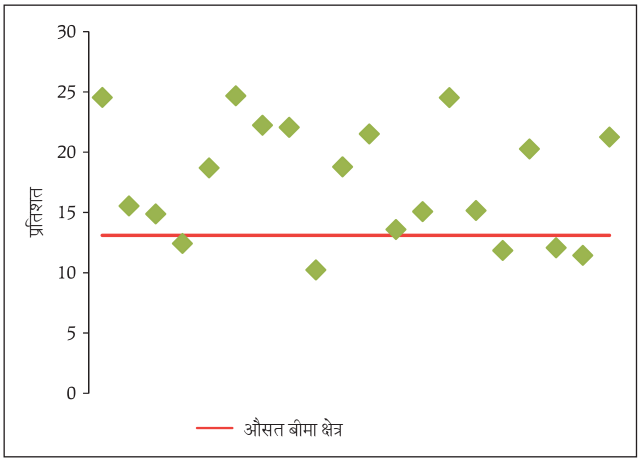

स्रोत: आइआरडीए

[12] यह विश्लेषण लगभग 30 बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नमूना आकार पर आधारित है।

मजबूती और लचीलापन

अनुसूचित वाणिज्य बैंक

तुलन पत्र आकार और संरचना

2.29 सितंबर 2012 के अंत में (वर्ष दर-वर्ष आधार पर) कुल बैंक ऋण में 15.9 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि कुल जमाराशि में 14.3 प्रतिशत वृद्धि हुई। जमा विस्तार की तुलना में शीघ्रतर ऋण वृद्धि के बावजूद ऋण जमा अनुपात में सितंबर 2012 के अंत में 74.4 प्रतिशत गिरावट दर्ज हुई, जो मार्च 2012 के अंत में 76.0 प्रतिशत थी। मार्च 2012 से छमाही के दौरान वृद्धिशील सी-डी अनुपात में भी गिरावट दर्ज हुई, जो यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि बैंकों ने निवेश और अन्य आस्तियों में वृद्धिशील जमाराशियों का बड़ा हिस्सा लगाया है। 2

2.30 सितंबर 012 के अंत में पिछली तिमाही की तुलना में कुल अग्रिमों में वृद्धि दर में अत्यधिक गिरावट (वर्ष दर-वर्ष आधार पर) विदेशी बैंकों के लिए 17.3 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत, पुराने निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए 23.1 प्रतिशत से 18.6 प्रतिशत रही। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अग्रिमों की वृद्धि दर में सीमित गिरावट 15.0 प्रतिशत रही, जबकि नये निजी क्षेत्र के बैंकों की अग्रिमों की वृद्धि दर में 22.7 प्रतिशत की थोड़ी-सी वृद्धि हुई । (चार्ट 2.21)

जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर)

2.31 मार्च 2012 से समग्र पूंजी पर्याप्तता अनुपात का ह्रास हुआ, हालाँकि वह न्यूनतम नियामक से अच्छीतरह ऊपर रहा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए सीआरएआर में गिरावट अधिक सुस्पष्टता से पायी गयी। (चार्ट 2.22) संदर्भाधीन अवधि के दौरान विदेशी बैंकों की जोखिम-भारित आस्तियों में वृद्धि न्यूनतर पायी गयी, जो आंशिक रूप से उनकी सीआरएआर स्थिति में सुधार स्पष्ट करती है। (चार्ट 2.23)

ऋण जोखिम

आस्ति गुणवत्ता

2.32 सितंबर 2012 को समाप्त छमाही के दौरान बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में बहुत कमी दिखायी दी। सभी बैंकों के लिए कुल अनर्जक अग्रिम अनुपात मार्च 2012 के अंत में 2.9 प्रतिशत था, जो सितंबर 2012 में तीव्र रूप से बढ़कर 3.6 प्रतिशत हुआ। निवल अनर्जक आस्ति अनुपात मार्च 2012 के अंत में 1.2 प्रतिशत की तुलना में सितंबर 2012 के अंत में 1.7 प्रतिशत रहा। बैंक समूहों में सरकारी

चार्ट 2.20: बैंकों द्वारा आस्ति प्रबंधन कंपनियों से उनकी कुल पूंजी के प्रतिशत के रूप में ली गयी उधार राशि

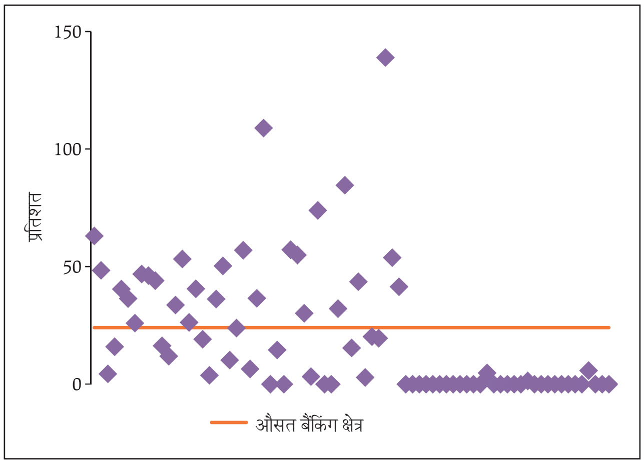

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक स्टाफ द्वारा की गयी गणना

चार्ट 2.21: बैंक समूहों के अग्रिमों की वृद्धि दर

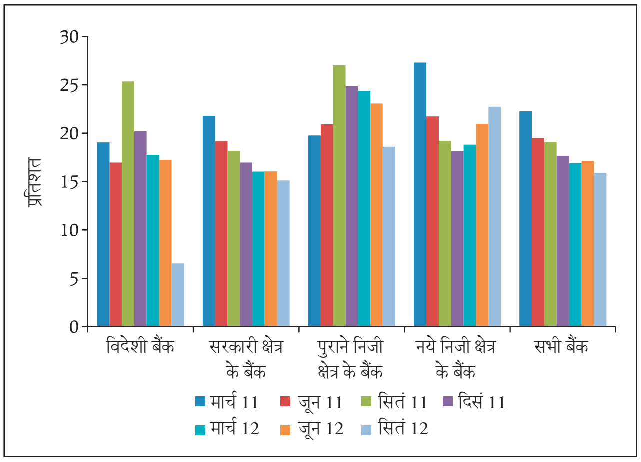

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 2.22: सीआरएआर - बैंक समूह

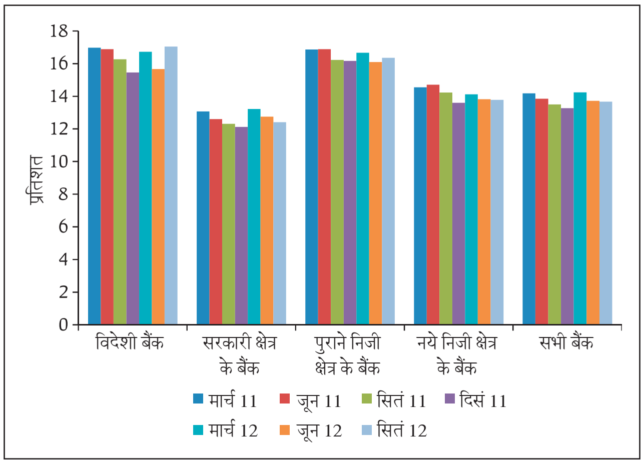

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 2.23: जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि: बैंक समूह

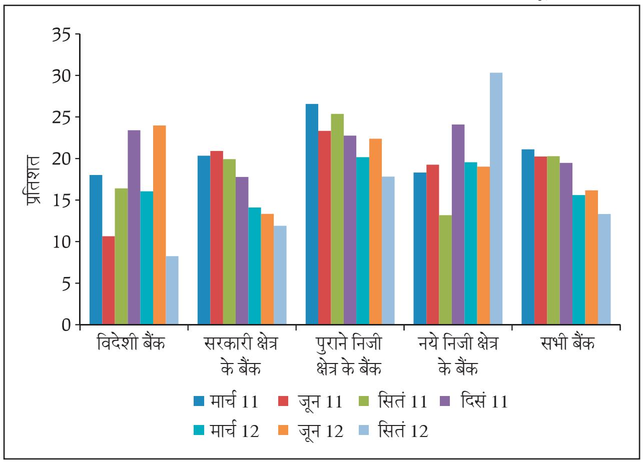

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 2.24: कुल अनर्जक आस्ति अनुपात

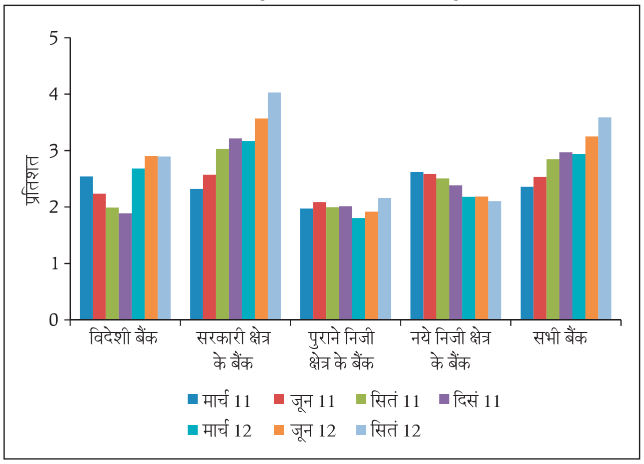

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियां

क्षेत्र के बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में अधिक नुकसान दिखायी दिया। (चार्ट 2.24)

2.33 सितंबर 2012 के अंत में कुल अनर्जक आस्तियों की 45.7 प्रतिशत वृद्धि दर (वर्ष दर वर्ष आधार पर) उसी अवधि के दौरान के कुल अग्रिमों से अधिक तेज (outpaced) दिखी, जिससे आस्ति गुणवत्ता के संबंध में बढ़ती हुई चिंता प्रकट होती है। (चार्ट 2.25)

2.34 आस्ति गुणवत्ता संबंधी चिंता स्लिपेज अनुपात में बढ़ती प्रवृत्ति के साथ स्लिपेज का वास्तविक वसूलियों (उन्नयन को छोड़कर) के साथ अनुपात को रेखांकित करती है। विदेशी बैंकों को छोड़कर, मार्च 2011 से सभी बैंक समूहो के लिए इन अनुपातों में वृद्धि हुई है। तथापि सितंबर 2012 को समाप्त तिमाही के दौरान सभी बैंक समूहों के लिए स्लिपेज के वसूली अनुपात में कुछ हद तक

चार्ट 2.25: कुल अनर्जक आस्तियों में वृद्धि

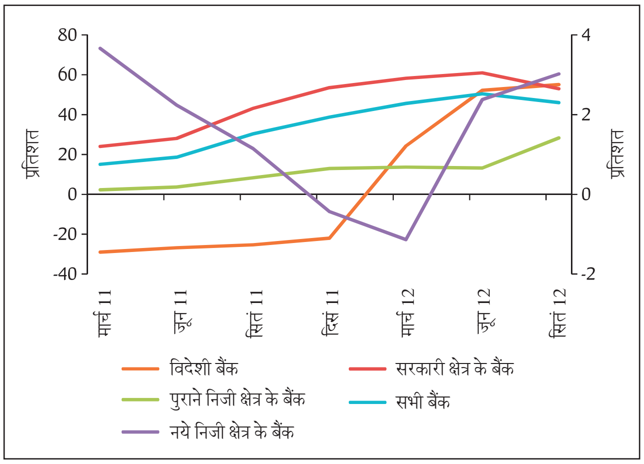

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियां

चार्ट 2.26 : स्लिपेज में प्रवृत्तियां

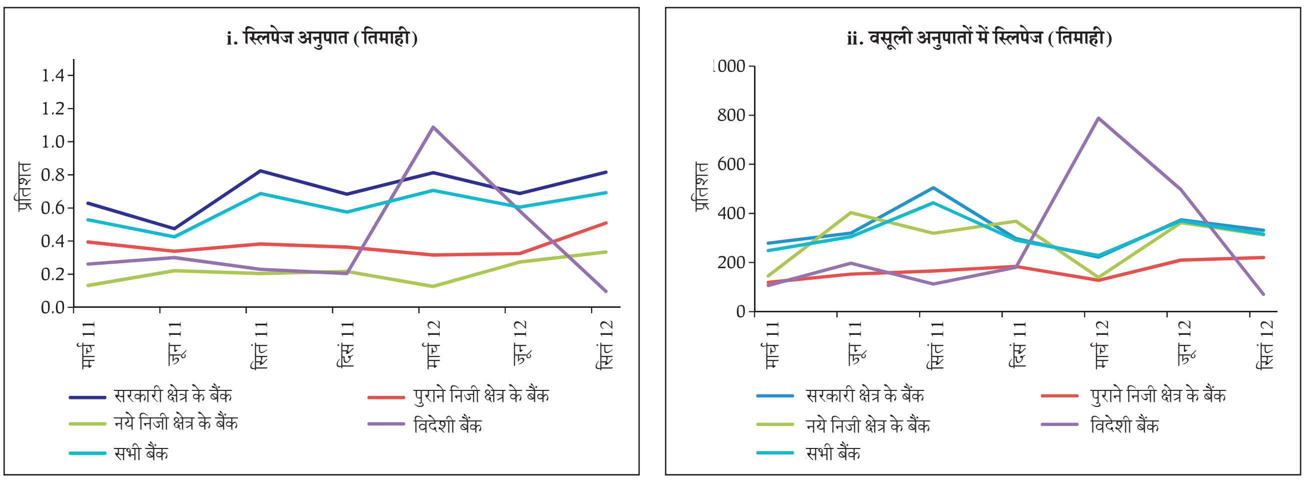

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी विवरणियां

सुधार हुआ है। (चार्ट 2.26) (i) और (ii) कुल अनर्जक आस्तियों के वृद्धि दर, ऋण वृद्धि से ऊपर रहने और स्लिपेज की गतिविधियां ऊर्ध्वमुखी रहने से आगामी तिमाहियों में बैंकों की लाभप्रदता दबाव में आ सकती है।

वित्त-पुनर्संरचना

2.35 अग्रिमों की संख्या और मूल्य में तीव्र वृद्धि के कारण, कॉर्पोरेट ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) व्यवस्था के अंतर्गत ऋणों, खासकर भारी-भरकम ऋणों की पुनर्संरचना (बॉक्स 2.1) हाल में निकट से जाँच के दायरे में आ गई है। (चार्ट 2.27 और 2.28)

2.36 मार्च 2009 और मार्च 2012 के बीच, जहाँ बैंकिंग प्रणाली के कुल सकल अग्रिमों में 20 प्रतिशत से कम (मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर) वृद्धि हुई, वहीं पुनर्संरचित मानक अग्रिमों में 40 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हुई। सकल कुल अग्रिमों की तुलना में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों का हिस्सा मार्च 2011 के 3.5 प्रतिशत से बढ़कर

बॉक्स 2.1: अग्रिमों की पुनर्संरचना

पुनर्संरचना विश्व भर में स्वीकृत प्रक्रिया (प्रैक्टिस) है जिसके माध्यम से ऋणदाता (लेंडर) समस्यापूर्ण लेकिन संभावना वाले ऋण खातों को पोषित करते हैं। यह ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं द्वारा खासकर दबाव के समय में संभावना वाले ऋण खातों के आर्थक मूल्य को संरक्षित करने हेतु अपनायी जाने वाली एक वैध रणनीति है। भारत में पुनर्संरचना रणनीति कई वर्षों से अपनायी जाती रही है और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रक्रियाओं, वित्तीय बाजारों के विकास की स्थिति और बदलती आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक लंबी अवधि में इसके दिशा-निर्देश भी विकसित किए गए हैं। मौजूदा पुनर्संरचना दिशा-निर्देशों के दायरे में सामान्यतः तीन श्रेणियाँ आती हैं: (i) कॉर्पोरेट ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) के तहत मल्टीप्ल/कॉनसॉर्टियम बैंकिंग के साथ बड़े कॉर्पोरेट अग्रिम (ii) एसएमई ऋण पुनर्संरचना प्रणाली और (iii) अन्य अग्रिमों की पुनर्संरचना। इस प्रणाली ने बहुत हद तक अपने उद्देश्य को पूरा किया है। पुनर्संरचना पर ये दिशा-निर्देश अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में विकसित हुए हैं।

यह एक तथ्य है कि पूरे बैंकिंग क्षेत्र में अग्रिमों की पुनर्संरचना पिछले वित्तीय वर्ष की तरह वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान भी बढ़ी है। यह चिंता का विषय है ।

सीडीआर प्रणाली के तहत पुनर्संरचना के मामले में, यह गैर-सीडीआर पुनर्संरचना में वृद्धि की तर्ज पर ही है। सीडीआर सेल द्वार दिए गए आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011-12 से सीडीआर सेल को भेजे जाने वाले मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2010-11 के दौरान कुल 226.2 बिलियन रुपए के 49 मामलों की तुलना में, 201-12 के दौरान कुल 678.9 बिलियन रुपए के 87 मामले सीडीआर सेल को भेजे गए थे। वर्तमान वर्ष में अप्रैल से अगस्त के बीच कुल 306.4 बिलियन रुपए के 59 मामले सेल को भेजे जा रहे हैं। पुनर्संरचना के मामलों में वृद्धि के कारण वैश्विक मंदी के प्रभाव के साथ-साथ घरलू मंदी जैसे आंतरिक कारक हो सकते हैं, जिनकी आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अतीत में बैंकों द्वारा आक्रामकतापूर्वक ऋण देना, कंपनियों द्वारा गैर-मुख्य क्षेत्रों में विविधिकरण (डायवर्सीफिकेशन) पर बैंकों द्वारा निगरानी नहीं रखा जाना, अरक्षित विदेशी मुद्रा निवेश जोखिम (अनहेज्ड फॉरेक्स एक्सपोजर्स) के संबंध में कंपनियों पर बैंकों द्वारा अनुशासन नहीं बरता जाना और संवितरण में देरी आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिसमें बैंकों को बहुत बेहतर नियंत्रण रखना चाहिए था। प्रशासनिक अनुमतियों (एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंसेज) में भी देरी किया जाना भी आस्तियों की गुणवत्ता पर दबाव बनाने का समान रूप से महत्वपूर्ण कारण है, जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। भले ही इसका कोई प्रणालीगत आयाम (सिस्टेमिक डायमेंशन) नहीं हो, लेकिन अग्रिमों की पुनर्संरचना में तीव्र वृद्धि चिंता का विषय है। रिजर्व बैंक स्थितियों पर बारीकी से नजर रख रहा है। सभी हितधारकों के स्तर पर कोई सुधारात्मक उपाय किए जाने से स्थिति अवश्य बेहतर होगी।

अग्रिमों की पुनर्संरचना पर मौजूदा दिशा-निर्देशों की समीक्षा और सर्वोतम अंतर्राष्ट्रीय तरीकों (प्रैक्टिसेज) और लेखापरीक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए परिशोधन के सुझाव के मद्देनजर, भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री बी. महापात्र, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में एक कार्य-समूह (वर्किंग ग्रुप) का गठन किया था। इसकार्य-समूह ने संबधित मुद्दों की पड़ताल की और अनुशंसाएँ की हैं जिनका सारांश निम्नानुसार है:

- पुनर्संरचना पर आस्तियों के वर्गीकरण पर उपलब्ध विनियामक छूट (रेगुलेटरी फोरबियरेंस) को वर्तमान में दो वर्षों के बाद वापस ले लेने की आवश्यकता है।
- इस अंतराल (इंटरेग्नम) में, मानक पुनर्संरचित खातों, जिन्हें पुनर्संरचना पर आस्ति-वर्गीकरण का लाभ मिलता है, के संदर्भ में, मौजूदा पुनर्संरचित खातों (स्टॉक) के मामले में प्रावधान (प्रोविजन) को चरणबद्ध ढंग से तथा एकदम नए पुनर्संरचित खातों (फ्लो) के मामले में तत्काल मौजूदा 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाए।
- अवसंरचना क्षेत्र के महत्व को देखते हुए, वैसे मामलों में पुनर्संरचना का आस्ति-वर्गीकरण का लाभ अधिक लंबी अवधि के लिए दिया जा सकता है जहाँ अवसंरचना परियोजनाओं के वाणिज्यिक परिचालन के आरंभ की तारीख में परिवर्तन के कारण पुनर्संरचना की गई है।
- पुनर्संरचित कर्ज की राशि पर एक सीमा यथा 10 प्रतिशत लगायी जाए, जिसे प्रीफरेंस/इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है।
- आरबीआई सीडीआर सेल द्वारा प्रयुक्त व्यवहार्य मानदंडों (पारामीटर्स) के आधार पर व्यापक बेंचमार्क निर्धारित कर सकता है। और बैंक विशिष्ट क्षेत्रों, यदि हों, के लिए समुचित समायोजनों के साथ उन्हें अपना सकते हैं।
- उच्चतर त्याग और व्यक्तिगत गारंटी के माध्यम से पुनर्संरचित खातों में कंपलसरी प्रोमोटर्स स्टेक को बढ़ाया जा सकता है।
- सभी मामलों में मुआवजा का अधिकार (राइट ऑफ रिकंपेंस) को अनिवार्य कर दिया जाए।
- प्रकटीकरण आवश्यकताओं (डसक्लोजर रिक्वायरमेंट्स) को व्यापक (कंप्रिहेंसिव) बनाया जाए।

मौद्रिक नीति 2012-13 की 30 अक्तूबर, 2012 को संपन्न द्वितीय तिमाही समीक्षा में, कार्य-समूह की बड़ी अनुशंसाओं को देखते हुए, पुनर्संरचित मानक खातों के लिए प्रावधान को मौजूदा 2.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.75 प्रतिशत करने की घोषणा की गई है। यह भी घोषणा की गई है कि कार्य-समूह की अनुशंसाओं और इस मामले में प्रप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, इस विषय पर तैयार किए गए मसौदा दिशा-निर्देश जनवरी, 2013 के अंत तक जारी किए जाएँगे।

चार्ट 2.27: सकल कुल अग्रिम में से पुनर्संरचित मानक अग्रिम

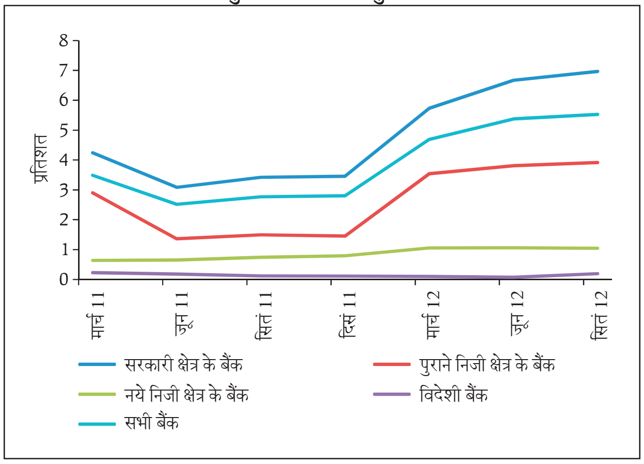

स्रोत: आरबीआई सुपरवाईजरी रिटर्न्स

चार्ट 2.28: सीडीआर के तहत मामलों की संख्या और मूल्य में प्रवृत्ति

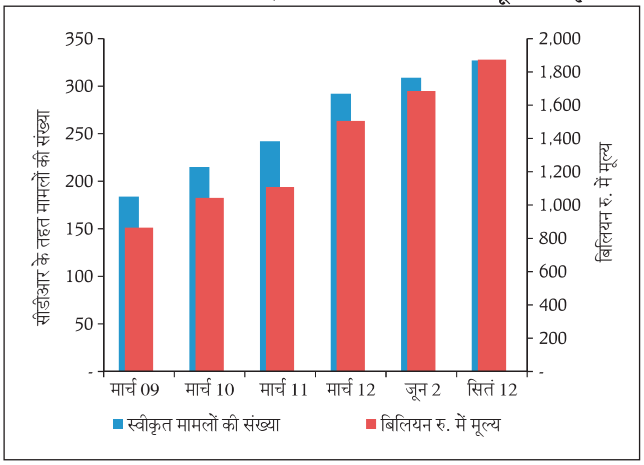

स्रोत: सीडीआर सेल

मार्च 2012 में 4.7 प्रतिशत हो गया। सितंबर 2012 के अंत तक यह और बढ़कर 5.9 प्रतिशत हो गया है।

2.37 लौह और इस्पात, अवसंरचना और वस्त्र जैसे कुछ अद्योगिक क्षेत्रों में हाल की अवधि में बहुत अधिक पैमाने पर अग्रिमों की पुनर्संरचना की गई है। (चार्ट 2.29)

ऊर्जा क्षेत्र में जोखिम

2.38 पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों में ऊर्जा क्षेत्र को ऋण देने में बैंकों द्वारा सामना किए जा रहे जोखिमों को उजागर किया गया था। तब से ऊर्जा क्षेत्र में परिसंपत्तियों की गुणवत्ता पर दबाव और बदतर हुआ है। सितंबर 2012 को समाप्त पिछले वर्ष में अनर्जकताएँ (इम्पेयरमेंट्स) बढ़ी हैं (चार्ट 2.30(i))। हाल की तिमाहियों में पुनर्संरचना के उदाहरणों में भी भारी वृद्धि दर्ज की गई है। इस क्षेत्र में

चार्ट 2.29: सीडीआर के तहत मूल्य का उद्योग-वार ब्रेक-अप

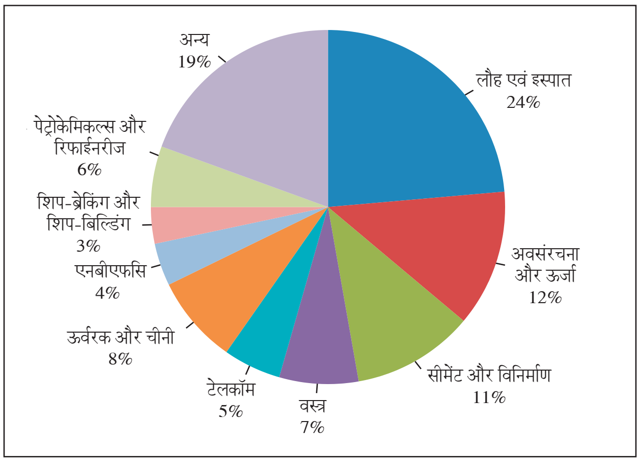

स्रोत: सीडीआर सेल

चार्ट 2.30: ऊर्जा क्षेत्र में ऋण-निवेश

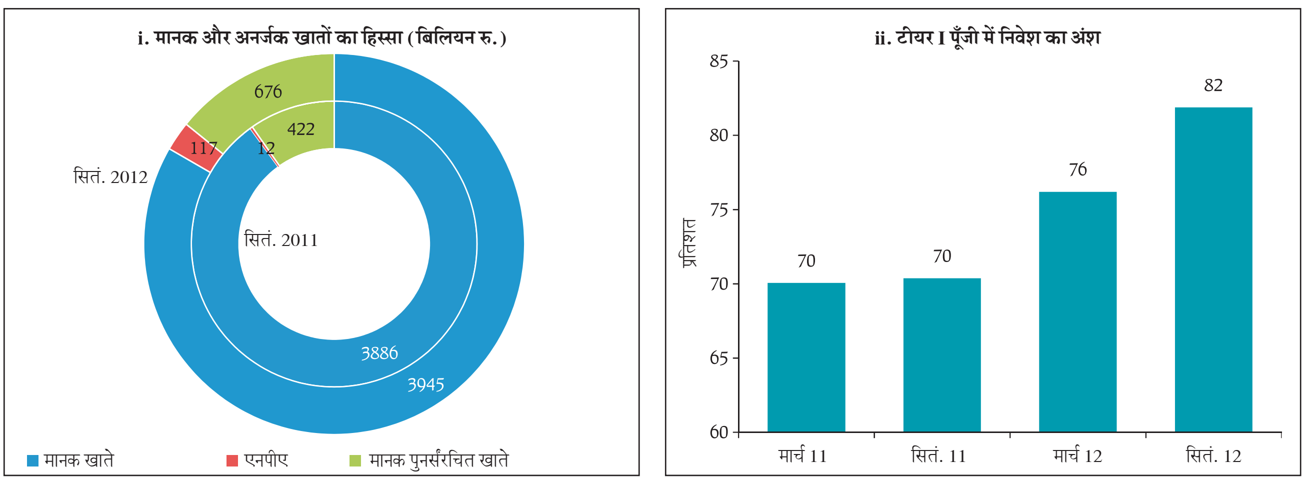

स्रोत: आरबीआई

भारी ऋण-जोखिम बैंकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है (चार्ट 2.30(ii))।

प्रावधान-व्याप्ति (प्रोवीजन कवरेज) का आकलन

2.39 अनर्जक आस्तियों में हाल में तेजी से हुई वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में एससीबी के प्रावधान-व्याप्ति (प्रोवीजन कवरेज) का विश्लेषण करने का प्रयास किया था। भारतीय बैंकों में अनर्जकताओं का स्तर वैश्विक बैंकों की तुलना में बेहतर है। लेकिन प्रावधान-व्याप्ति (प्रोवीजन कवरेज) का अनुपात उनके मुकाबले कम है और हाल की तिमाहियों में इनमें गिरावट की प्रवृति भी देखी गई है। इसको देखते हुए बैंकों यह सलाह देना उचित होगा कि वे प्रावधान-व्याप्ति (प्रोवीजन कवरेज) के स्तरों को और बढ़ाएँ (चार्ट 2.31 और चार्ट 2.32)।

ऋण जोखिम- संवेदनात्मकता विश्लेषण का प्रयोग करते हुए दबाव-परीक्षण

2.40 विभिन्न परिदृश्यों(14) में बैंकिंग प्रणाली के क्रेडिट पोर्टफोलियो पर संवेदनात्मकता परीक्षण या एकल कारक दबाव

चार्ट 2.31: आस्ति-गुणवत्ता और प्रावधान-व्याप्ति: पुनर्संरचना का प्रभाव

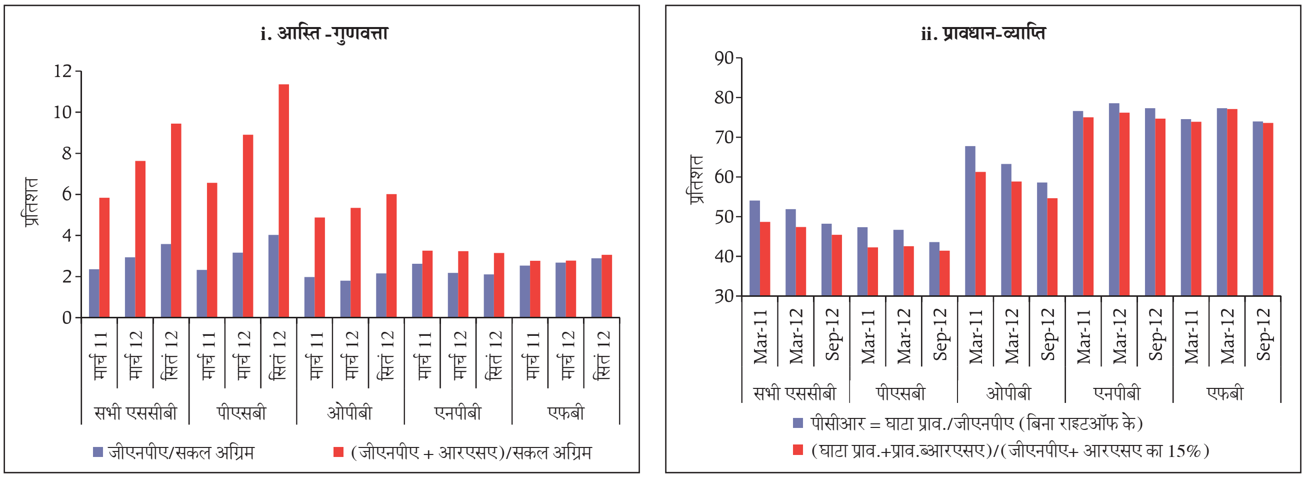

नोट: आरएसए: पुनर्संरचित मानक, अग्रिम दबावग्रस्त अग्रिम = जीएनपीए + आरएसए, प्राव.ब्आरएसए = आरएसए के लिए प्रावधान
स्रोत: आरबीआई सुपरवाईजरी रिटर्न्स

चार्ट 2.32: आस्ति-गुणवत्ता और प्रावधान-व्याप्ति: विभिन्न देशों के अनुपातों में तुलना

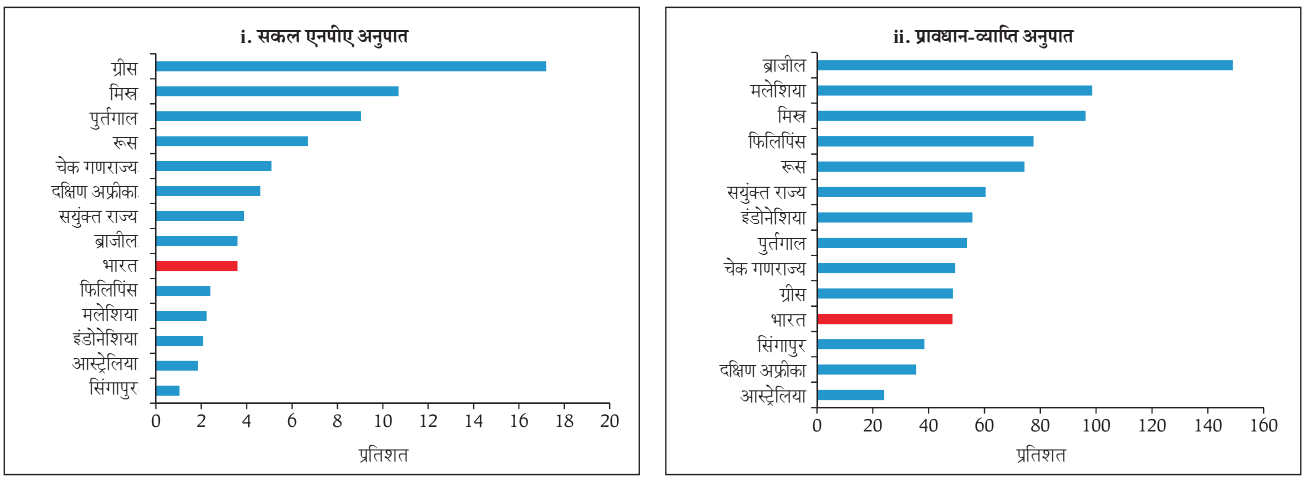

स्रोत: वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक (एफएसआई), आईएमएफ

[13] परिशिष्ट में प्रविधि (मेथॉडॉलॉजी) दी गई है।

[14] बढ़ाया गया प्रावधान - मानक आस्तियाँ 1%, अव-मानक आस्तियाँ 30% संदेहपूर्ण और घाटा वाली आस्तियाँ 100% माना गया।

परिक्षण(13) किए गए। परिणाम बताते हैं कि बैंकिंग प्रणाली विभिन्न दबाव-परिदृश्यों के प्रत अघात-सह रहेगी (तालिका 2.4)।

समष्टि दबाव परीक्षण - ऋण जोखिम

2.41 समष्टि-आर्थिक आघातों के प्रति भारतीय बैंकिंग प्रणाली की आघात-सह क्षमता का परीक्षण करने के लिए, टाइम्स सिरिज इकोनोमेट्रिक उपकरणों[15] का प्रयोग करते हुए प्रणाली, बैंक-समूह और क्षेत्र स्तर पर समष्टि दबाव परीक्षणों (मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट) की एक श्रृंखला आजमायी गई।

2.42 समष्टि दबाव परीक्षण में जोखिम परिदृश्यों की एक श्रृंखला शामिल होती है, जिसमें एक आधाररेखा और मध्यम और गंभीर जोखिमों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिकूल समष्टि-आर्थक परिदृश्य निहित होते हैं (तालिका 2.5)। मध्यम जोखिम के लिए 1 मानक विचलन तक तथा गंभीर जोखिम के लिए 1.25 से 2.0 मानक विचलन तक के आधार पर प्रतिकूल परिदृश्य तय किए गए थे (10 वर्षों के ऐतिहासिक आँकड़े)

प्रणाली स्तरीय ऋण जोखिम

2.43 समष्टि दबाव परीक्षण यह बतलाता हे कि यदि रतिकूल समष्टि-आर्थिक परिस्थिति बनी रहती हैं तो प्रणाली स्तरीय जीएनपीए अनुपात सितंबर, 2012 के अंत के 3.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 2013 के अंत तक 4.0 प्रतिशत और मार्च, 2014 के अंत तक 4.4 प्रतिशत तक हो सकते हैं। गंभीर जोखिम परिदृश्य के अंतर्गत जीएनपीए अनुपात क्रमशः इन अवधियों में 4.8 प्रतिशत और 7.6 प्रतिशत तक जा सकते हैं। गंभीर दबाव परिदृश्य में एससीबी के प्रणाली स्तरीय सीआरएआर मार्च, 2014 तक गिरकर 10.9 प्रतिशत हो सकती है, जो तब भी 9.0 प्रतिशत की नियामक आवश्यकता से ऊपर है (तालिका 2.6 और चार्ट 2.33)।

बैंक समूह स्तरीय ऋण जोखिम

2.44 चार बैंक-समूहों, नामतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), पुराने निजी बैंकों (ओपीबी), नए निजी बैंकों (एनपीबी) और विदेशी बैंकों (एफबी) में से, पीएसबी संभवतः सबसे ऊँचा जीएनपीए अनुपात दर्ज करना जारी रखेंगे। आधाररेखा परिदृश्य में पीएसबी के जीएनपीए अनुपात सितंबर, 2012 के अंत के 4.0 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 2013 तक 4.3 प्रतिशत हो सकता है। वहीं ओपीबी, एनपीबी और एफबी के जीएनपीए अनुपात सितंबर,

सारणी 2.4: दबाव परीक्षण- ऋण जोखिम: सकल ऋण- सितंबर, 2012

(प्रतिशत)

	प्रणाली स्तर		
	सीआरएआर	कोर सीआरएआर (टियर I)	एनपीए अनुपात
बेसलाईन:			
सभी बैंक	**13.6**	**10.0**	**3.6**
चुनिन्दा 60 बैंक	13.5	9.8	3.6
तनाव परिदृश्य:			
शॉक 1	12.0	8.3	5.4
शॉक 2	11.2	7.4	7.1

शॉक 1: एनपीए में 50 प्रतिशत वृद्धि
शॉक 2: एनपीए में 100 प्रतिशत वृद्धि

स्रोत: आरबीआई सुपरवाईजरी रिटर्न्स और स्टाफ कैलकुलेशंस

सारणी 2.5: मैक्रो-इकोनॉमिक सिनारियो एजम्पशंस[16]

(प्रतिशत)

FY		बेसलाईन	मध्यम दबाव*	गंभीर दबाव*
2012-13	GDP Growth	5.8	5.2	3.5
	WPI Inflation	7.7	9.5	11.5
	Short-term Interest Rate	8.0	9.1	10.5
	Exports to GDP Ratio	15.7	14.2	12.7
	Gross Fiscal Deficit	5.3	5.8	6.3
2013-14	GDP Growth	6.9	4.7	2.6
	WPI Inflation	6.7	9.4	12.0
	Short-term Interest Rate	7.4	9.3	11.1
	Exports to GDP Ratio	16.0	14.0	12.0
	Gross Fiscal Deficit	4.8	6.2	7.5

नोट: *वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए, मध्यम और गंभीर दबाव के अंतर्गत चयनित मैक्रो-वैरिएब्ल्स की संख्या सिर्फ दिसंबर 2012 और मार्च 2013 को समाप्त तिमाहियों पर आधारित है।

सारणी 2.6: एससीबी के प्रणाली-स्तरीय जीएनपीए अनुपातों का अनुमान

(कुल अग्रिमों का प्रतिशत)

परिदृश्य	सितं-12 (वास्तविक)	मार्च-13	मार्च-14	मार्च-13	मार्च-14
		Multivariate Logit Regression		Multivariate Regression	
बेसलाईन	3.6	3.9	4.4	3.8	4.1
मध्यम दबाव		4.0	5.3	3.9	5.1
गंभीर दबाव		4.0	6.4	4.0	6.1
		VAR		Quantile Regression	
बेसलाईन	3.6	3.8	4.4	4.0	4.4
मध्यम दबाव		3.9	6.0	4.4	6.0
गंभीर दबाव		4.0	7.6	4.8	7.6

Note: The GNPAs derived based on VAR and quantile regression, especially for severe shock scenario, are relatively higher. This is because, VAR methodology takes into account feedback impact of credit quality to macro variables and interaction effects leading to higher impact. Whereas, in the case of quantile regression, which deals with the tail risks; the credit quality of the banks, at present, is already under stress and further shocks to macro variables impact the NPA more.

[15] मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट का फोकस ऋण जोखिम है। यह एनपीए/सलीपेज अनुपात के जरिए मापा जाता है। ब्योरे परिशिष्ट में दिए गए हैं।

[16] ये दबाव परिधृश्य काल्पनिक रूप में अत्यंत गंभीर प्रतिकूल आर्थिक परिस्थियों के अंतर्गत सख्त और परिमित आकलन हैं। इनका इस्तमाल पूर्वानुमान अथवा अपेक्षित परिणामों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

चार्ट 2.33: एससीबी के प्रणाली-स्तरीय सीआरएआर अनुपातों का अनुमान

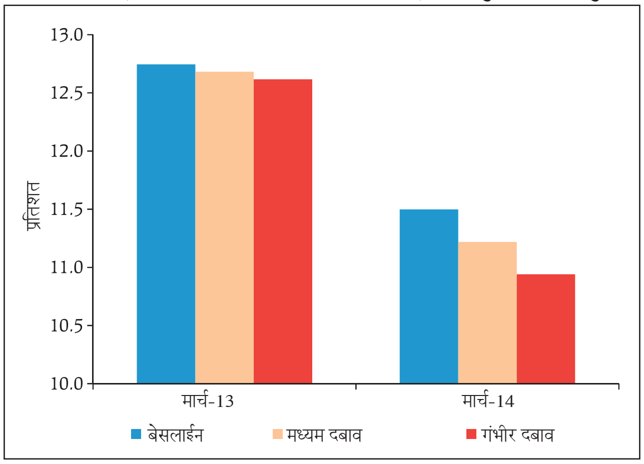

नोट: ऊपर प्रयोग मे लाए गए चार मॉडलों के औसत जीएनपीए से सीआरएआर निकाला गया है।
स्रोत: आरबीआई सुपरवाईजरी रिटर्न्स और स्टाफ कैलकुलेशंस

चार्ट 2.34: बैंक-समूह वार जीएनपीए अनुपात का अनुमान (मल्टीवैरिएट पैनेल रिग्रेशन पर आधारित)

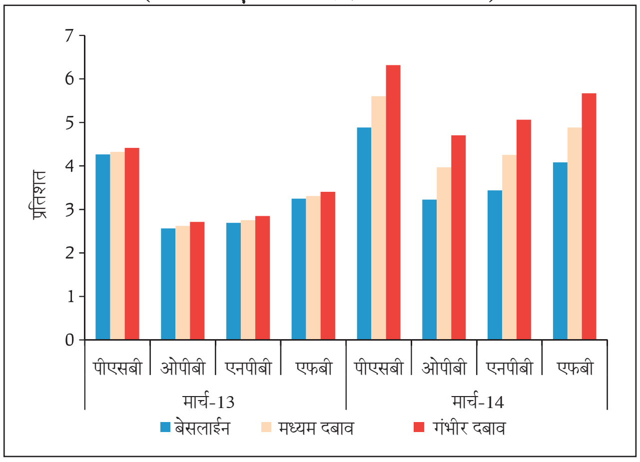

स्रोत: आरबीआई सुपरवाईजरी रिटर्न्स और स्टाफ कैलकुलेशंस

2012 के क्रमशः 2.2 प्रतिशत, 2.1 प्रतिशत और 2.9 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 2013 तक क्रमशः 2.6 प्रतिशत, 2.7 प्रतिशत और 3.2 प्रतिशत हो सकते हैं (चार्ट 2.34)।

2.45 बैंक-समूहों में से, पुराने निजी बैंकों के बाद, पीएसबी के सबसे कम सीआरएआर दर्ज करने की संभावना है। गंभीर दबाव परिदृश्य में पीएसबी का सीआरएआर मार्च, 2013 और मार्च, 2014 तक घटकर क्रमशः 11.9 प्रतिशत और 9.9 प्रतिशत हो सकता है, जो जो तब भी 9.0 प्रतिशत की नियामक आवश्यकता से ऊपर है (चार्ट 2.35)।

चार्ट 2.35: बैंक-समूह वार सीआरएआर का अनुमान

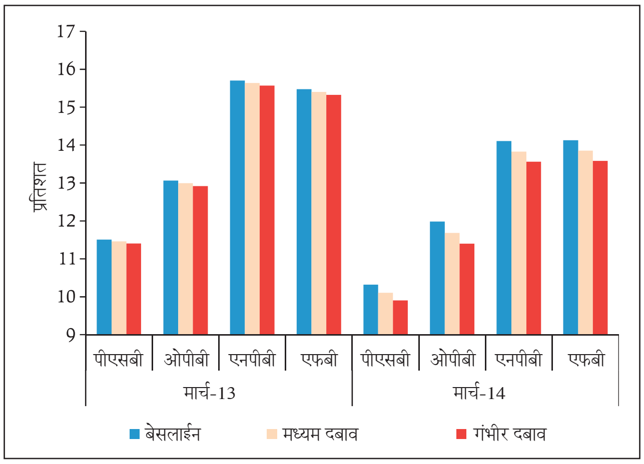

स्रोत: आरबीआई सुपरवाईजरी रिटर्न्स और स्टाफ कैलकुलेशंस

क्षेत्र-संबंधी ऋण जोखिम

2.46 क्षेत्र-संबंधी ऋण जोखिम के समष्टि दबाव परिक्षण से यह पता चला कि चुने गए सात क्षेत्रों में से, कृषि क्षेत्र में मार्च, 2013 तक 5.8 प्रतिशत का सबसे ऊँचा एनपीए दर्ज किए जाने की संभावना है। इसके बाद इंजिनीयरिंग, लौह एवं इस्पात तथा निर्माण क्षेत्रों में ऊँचे एनपीए दर्ज होने की संभावना है। तथापि, प्रतिकूल समष्टि-आर्थिक आघातों का सबसे ज्यादा असर इंजिनीयरिंग और लौह एवं इस्पात क्षेत्रों पर दिखाई देता है (तालिका 2.7)।

सारणी 2.7: अनुमानित क्षेत्र-संबंधी एनपीए

(कुल अग्रिमों का प्रतिशत)

क्षेत्र	सितं-12 (वास्तविक)	मार्च-13			मार्च-14		
		बेसलाईन	मध्यम दबाव	गंभीर दबाव	बेसलाईन	मध्यम दबाव	गंभीर दबाव
कृषि	5.2	5.8	5.8	5.9	6.5	6.9	7.3
विनिर्माण	3.7	3.5	3.6	3.7	3.3	3.7	4.1
सिमेंट	2.0	2.5	2.6	2.7	3.4	3.9	4.6
अवसंरचना	1.5	1.8	1.9	2.0	2.0	2.4	2.9
लौह एवं इस्पात	3.9	4.3	4.4	4.7	4.7	5.8	7.0
इंजिनीयरिंग	3.5	4.2	4.4	4.7	4.3	5.4	6.6
ऑटोमोबाईल्स	0.9	1.7	1.7	1.7	1.9	2.3	2.6

स्रोत: आरबीआई सुपरवाईजरी रिटर्न्स और स्टाफ कैलकुलेशंस

संकेंद्रण जोखिम

2.47 व्यक्तिगत बड़े उधारकर्ताओं (शीर्ष 20) के मामले में बैंकों को कुल ऋण (निधि और गैर-निधि) जोखिम (टीसीई) दर्शाता है कि जोखिम का संकेंद्रण पूँजी-निधि और सकल अग्रिम - दोनों के प्रतिशत के रूप में घटा है। पूँजी-निधि के प्रतिशत के रूप में टीसीई जहाँ मार्च-10 के अंत के 186.6 प्रतिशत से घटकर जून-12 के अंत तक 167.4 प्रतिशत हो गया, वहीं सकल अग्रिम के प्रतिशत

के रूप में टीसीई उसी अवधि में 32.8 प्रतिशत से घटकर 27.8 प्रतिशत हो गया है (तालिका 2.8)।

2.48 शीर्ष 20 वयक्तिगत उधारकर्ताओं के मामले में बैंकों के कुल सकल अग्रिम में बैंकों के निधि-जोखिम का हिस्सा प्रणाली-स्तर पर मार्च, 2010 के अंत के 22.0 प्रतिशत से गिरकर जून, 2012 के अंत तक 18.5 प्रतिशत हो गया (चार्ट 2.36)। बैंक समूहों के संदर्भ में विदेशी बैंकों में संकेंद्रण बहुत अधिक है, जो उनके सीमित ग्राहक/उधारकर्ता आधार के कारण हो सकता है। साथ ही, नए निजी बैंकों के मामले में वित्तीय वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही में संकेंद्रण में गिरावट आई।

2.49 एससीबी के संकेंद्रण जोखिम पर दबाब परीक्षणों से पता चलता है कि विभिन्न दबाव परिदृश्यों का प्रभाव अधिक नहीं है। कुल ऋण में शीर्ष तीन उधारकर्ताओं का हिस्सा लगभग 8.0 प्रतिशत है(प्रणाली स्तर पर)। व्यक्तिगत और समूह उधारकर्ताओं से ऋण जोखिम के मामले में बैंकों पर एक नियामक सीमा रखी गई है। यह ऋण सीमा एकल उधारकर्ता के लिए कुल पूँजी निधि का 15 प्रतिशत और ऊधारकर्ताओं के समूह के लिए कुल पूँजी निधि का 40 प्रतिशत है। इन तीन शीर्ष व्यक्तिगत उधारकर्ताओं द्वारा चूक (डिफॉल्ट) किए जाने की स्थिति में सीआरएआर में 240 आधार बिंदु की कमी आएगी और प्रणाली इस चूक को सहने में सक्षम होगी। लेकिन, व्यक्ततगत स्तर पर, ऊँचे संकेंद्रण वाले कुछ बैंक दबाव की स्थितियों में गंभीरता से प्रभावित हो सकते हैं।

चलनिधि जोखिम

2.50 सीआरआर और एसएलआर में कमी के प्रभाव को दर्शाते हुए, बैंकों की नकदी स्थिति में पिछले छह महीनों में सुधार हुआ है। कुल आस्तियों में नकदी आस्तियों का अनुपात मार्च, 2012 के अंत में रहे 28.9 प्रतिशत से बढ़कर 30.1 प्रतिशत हो गया है।

2.51 नकदी अनुपातों से नकदी की गुणवत्ता का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है (तालिका 2.9)। अर्जक आस्तियों में अस्थिर देयताओं का अनुपात (अस्थायी आस्तियों के लिए अंश और हर, दोनों समायोजित) उस सीमा को मापता है, जिस सीमा तक बैंकों की आधारभूत अर्जक आस्तियों को निधियों के कम स्थायी स्रोतों द्वारा पोषित किया जाता है। यह अनुपात सितंबर, 2010 तक 40.9 प्रतिशत था और सितंबर, 2012 के अंत तक लगातार बढ़ते हुए यह 43.9 प्रतिशत हो गया है, जो यह इंगित करता है कि बैंक अल्पावधि वाली एकमुश्त जमाओं पर तेजी से निर्भर करने लगे हैं।

2.52 कुल आस्तियों में अनिवार्य नकदी रिजर्वों और सांविधिक नकदी निवेशों समेत ऋणों का अनुपात पिछले दो वर्षों में घटकर सितंबर, 2010 में रहे 82.4 प्रतिशत से लगभग 60 प्रतिशत हो

सारणी 2.8: बैंकों द्वारा उनके शीर्ष 20 व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को ऋण

(प्रतिशत)

बैंक समूह	Total Credit Exposure (TCE)			
	मार्च-10	मार्च-11	मार्च-12	जून-12
TCE as % of Capital Fund				
पीएसबी	201.4	185.4	175.4	178.7
ओपीबी	191.5	189.8	191.5	194.0
एनपीबी	149.3	150.0	138.4	110.9
एफबी	178.2	179.8	196.7	206.3
सभी एससीबी	**186.9**	**177.3**	**170.4**	**167.4**
TCE as % of Gross Advances				
पीएसबी	28.7	25.8	24.2	24.6
ओपीबी	28.4	27.2	25.6	25.8
एनपीबी	43.6	40.1	36.5	28.5
एफबी	70.7	69.4	73.8	74.2
सभी एससीबी	**32.8**	**30.0**	**28.5**	**27.8**

स्रोत: आरबीआई सुपरवाईजरी रिटर्न्स

चार्ट 2.36: शीर्ष 20 व्यक्तिगत उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम में हिस्सा

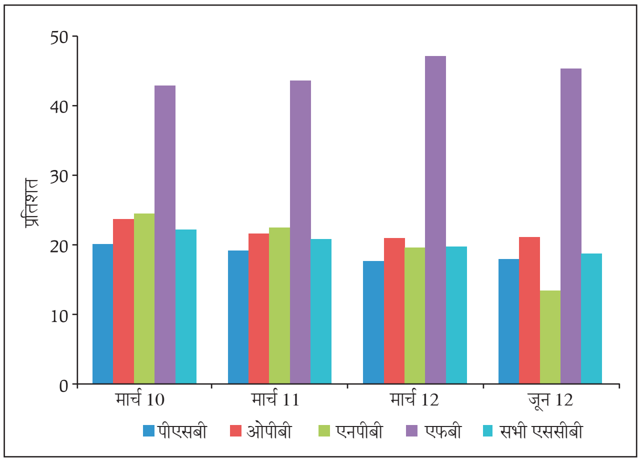

स्रोत: आरबीआई सुपरवाईजरी रिटर्न्स

सारणी 2.9: नकदी अनुपात

(प्रतिशत)

	सितं-10	सितं-11	सितं-12
(Volatile Liabilities - Temporary Assets) / (Earning Assets - Temporary Assets)	40.9	42.0	43.9
Core Deposits / Total Assets	51.0	49.5	51.2
(Loans + Mandatory CRR + Mandatory SLR + Fixed Assets)/ Total Assets	82.4	59.5	60.6
[Loans + Mandatory CRR + Mandatory SLR + Fixed Assets] / Core Deposits	1.6	1.2	1.2

स्रोत: आरबीआई सुपरवाईजरी रिटर्न्स

गया है, जो पिछले दो वर्षों में सांविधिक रिजर्व अनुपातों में आई कमी को अंशतः दर्शाता है। हालाँकि घटा हुआ अनुपात ऋण-वृद्धि (क्रेडिट ग्रोथ) में मंदी (स्लोडाउन) दर्शाता है, लेकिन यह इस ओर भी संकेत करता है कि तुलनपत्रक (बैलेंस शीट) में घुसी हुई (एमबेडेड) अतरलता (ईलिक्विडिटी) में कमी आई है। मूल जमाओं (कोर डिपॉजिट्स) के संदर्भ में यह अनुपात सितंबर, 2010 में रहे 1.6 से बढ़कर सितंबर, 2012 में 1.2 हो गया है जो खरीदी गई नकदी में कमी को दर्शाता है।

थोक जमा राशियाँ

2.53 थोक जमा राशियाँ (चालू खाता,बचत और सावधि जमा खाते) परंपरागत रूप से अधिक स्थायी रहती आई हैं क्योंकि उनका निवेश विविध योजनाओं में किया जाता है तथा परिपक्वतापूर्व आहरण की उनकी संभावनाएं न के बराबर होती हैं। कुछेक सरकारी क्षेत्र के बैंक 'थोक' जमाराशियों(अर्थात विश्लेषण के लिए ₹10 मिलियन और अधिक की जमाराशियाँ) आवशयकता से अधिक निर्भरता दर्शाते हैं। सितंबर 2012 के अंत में कुछ मामलों में तो थोक जमाराशियाँ कुल देयताओं का 50 प्रतिशत से अधिक रहती आई हैं। निधियों के ऐसे थोकवाले स्रोत पर निर्भर रहनेवाले बैंकों पर यदि कभी बैंक रन के हालात हो जाएं तो ऐसे में एसएलआर प्रतिभूति होल्डिंग्स की अधिकता बुलवर्क का काम करती है। थोक जमाराशियों और एसएलआर होलडिंग्स की अधिकता के रूप में मिटिगेंट को चार्ट में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.37: एसएलआर आधिक्य की तुलना में देयता अनुपात के प्रति थोक जमाराशियाँ आकारवार वितरण-सितंबर 2012

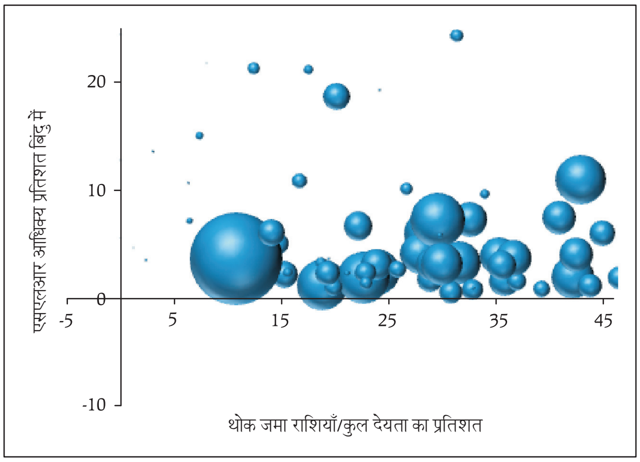

टिप्पणी: बुलबुलों का आकार देयता राशियों के तदनुरूपी है।
स्रोत: आरबीआई सुपरवाईजरी रिटर्न्स

2.54 बैंक समूह वर्गीकरण के अनुसार कुल जमा राशियों में थोक जमा राशियों का अनुपात विदेशी बैंकों में उच्च बना रहा तथापि मामूली गिरावट पिछले छह माह से देखी जा रही है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कुल जमा राशियों में थोक जमा राशियों के अनुपात में पिछली कुछ तिमाहियों में वृद्धि होने बाद अब स्थिरता के लक्षण दिखा दे रहे हैं। लेकिन सावधि जमा रशियों का आहरण परिपक्वतापूर्व किया जा सकता है[17],अतः इस प्रकार की थोक जमा राशियों के आहरण तथा / रोल ओवर न हो पाने का खतरा है जिसके कारण ऐसी जमा राशियों पर निर्भर रहनेवाले बैंकों को चलनिधि का जोखिम उठाना पड़ता है। एक ओर बैंकों की कुल देयता में थोक जमा राशियों का उच्च अनुपात और उधारियाँ उन्हें चलनिधि आघात के प्रति भेद्य बनातता है वहीं दूसरी ओर तरल सरकारी प्रतिभूतियों में उनके निवेश का अनुपात मिटीगेटिंग कारक की तरह काम करता है।

2.55 बैंकों की जमा में वृद्धि कई तिमाहियों से ऋण वृद्धि से पीछे चल रही है। इन स्थितियों में बैंकों को चलनिधि दबावों से गुजरना पड़

[17] भारत में परिपक्वतापूर्व जमाराशियों के आहरण की अनुमति बैंकों को है जिसके लिए उन्हें घटे प्रभावी ब्याज दर के रूप में मामूली दंड राशि का भुगतान करना होता है।

बॉक्स 2.2: परिवर्ती जमा दर

22 अक्तूबर 1997 से भारिबैं ने विभिन्न परिपक्वतावाली घरेलू सावधि जमा के लिए बैंकों को अपनी खुद की ब्याज दरें निर्धारित करने की अनुमति प्रदान कर दी है, बशर्ते बैंकों ने इसके लिए अपने निदेशक मंडल/आस्ति-देयता प्रबंध समिति (एएलसीओ)का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया हो।

वर्ष 2002-03 के लिए वार्षिक मौद्रिक और ऋण नीति में निम्नांकित उल्लेख किया गया है:''प्रमुख बैंकों के लिए जमा की लागत औसतन सापेक्षिक रूप से उच्च रही। इसके अलावा जमा का एक बड़ा हिस्सा नियत ब्याज दरों पर दीर्घावधि जमा के रूप में है, अतः आस्तियों पर मिलनेवाले प्रतिफल को अननुकूल रूप से प्रभावित किए बिना, अल्पावधि में ब्याज की दरों को घटा पाना अब बैंकों के लिए पहले जितना आसान नहीं रह गया।'' तदनुसार,नीतिगत दस्तावेज़ में लचीले जमा ब्याज दर की बात कही गई है जिसे छमाही पर रीसेट किया जा सकेगा भले ही ब्याज दरें इतनी ही अवधि की परिपक्वतावाली जमा दरों,जो लंबी अवधि में महंगाई और ब्याज दरों के परिदृश्य को देखते हुए बैंकों के विवेकानुसार तय होती है, के मुकाबले उच्च अथवा न्यून हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त बैंकों को कहा गया कि वे ऐसी योजनाएं लेकर आएं जिससे कि जमाकर्ताओं को उनके विद्यमान दीर्घावधिक स्थिर दरवाली जमाराशियों को परिवर्ती दरवाली जमाराशियों में बदलने के लिए लुभाया जा सके। वाणिज्यिक बैंकों को चाहिए कि वे परिवर्ती दर पर अपनी पुरानी जमारशियों का नवीयन करानेवाले जमाकर्ताओं को परिपक्वतापूर्ण आहरण के लिए दंडित न करें बल्कि उन्हें उससे छूट देते हुए करार की गई दर पर ही भुगतान करने पर विचार करें।

इस तथ्य के बावजूद कि बैंकों द्वारा दिए गए ऋण का लगभग 80 प्रतिशत भाग अस्थिर या फ्लोटिंग दरवाली लिखत हैं, पिछले दस वर्ष के दौरान मात्र कुछ ही बैंकों ने फलोटिंग जमा दर पर ऋण देरना प्रारंभ किया है।

सकता है क्योंकि बैंकों की निर्भरता निधियों के थोक स्रोत पर बढ़ जाती है। फुटकर जमा में वृद्धि को बढ़ाने के लिए नए उत्पाद लाने ही होंगे जैसे परिवर्ती जमा दर पर विचार किया जा सकता है (बॉक्स 2.2) ।

दबाव परीक्षण-चलनिधि जोखिम

2.56 चलनिधि जोखिम विश्लेषण का काम चलनिधि आस्तियों की विभिन्न परिभाषाओं को उपयोग में लाते हुए पूरा किया गया है।[18] दबाव की स्थियाँ बनाई जाती हैं ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि बैंक डूबने की अफवाह के चलते यदि जमाराशियों के आहरण का दबाव उनपर पड़ता है तब वे केवल अपनी चलनिधि आस्तियों को उपयोग में लाते हुए इस स्थिति से उबरने में कितने सक्षम हैं। दबाव की परिस्थिति में कुछ बैंकों की चलनिधि की स्थिति में विघटन के संकेत दिखे भले ही उन्होंने इस स्थिति से उबरने के लिए एसएलआर निवेश की मदद प्राप्त की थी(परिभाषा-; सारणी 2.10)।

2.57 बैंक समूहों पर किए गए चलनिधि दबाव परीक्षणों से पता चलता है कि विदेशी बैंकों की चलनिधि आस्ति स्थिति इतनी बेहतर है कि वे किसी भी प्रकार के दबाव को सहने में अधिक सक्षम हैं मुख्यतया इसका कारण है अल्पावधिक निवेश में उनकी अधिक हिस्सेदारी / एसएलआर आधिक्य और उनके अधिकांश अग्रिम पोर्टफोलिओ का अल्पावधिक (एक वर्ष से कम)रहना।

ब्याज दर जोखिम

2.58 सितंबर 2012 के अंत में निवेश का हिस्सा बैंकिंग प्रणाली में रही आस्ति का 29.8 प्रतिशत का था। विभिन्न स्थितियों में बैंकिंग बुक को मार्क टू मार्केट करके उसके मूल्यांकन प्रभाव का आकलन करने के लिए किए गए दबाव परीक्षणों से पता चलता है

सारणी 2.10:चलनिधि जोखिम:एससीबी-सितंबर 2012

चलनिधि आस्ति की परिभाषा		चलनिधि आस्ति अनुपात (%)				
		सरकारी क्षेत्र के बैंक	पुराने निजी बैंक	नए निजी बैंक	विदेशी बैंक	सभी एससीबी
परिभाषा - 1: बेसलाईन		25.7	23.8	21.4	25.9	24.9
शॉक1:	10 प्रतिशत कुल जमाराशि का आहरण 30 दिन में	16.5	14.8	13.5	20.0	16.2
शॉक 2:	3 प्रतिशत कुल जमाराशि का आहरण प्रतिदिन 5 दिन तक	13.1	11.3	10.5	18.2	13.0
परिभाषा - 2: बेसलाईन		5.4	4.2	2.9	11.9	5.4
शॉक1:	10 प्रतिशत कुल जमाराशि का आहरण 30 दिन में	-6.2	-7.2	-6.9	4.8	-5.6
शॉक 2:	3 प्रतिशत कुल जमाराशि का आहरण प्रतिदिन 5 दिन तक	-10.6	-11.6	-10.5	2.6	-9.6
परिभाषा -1 :नकदी,अंतर बैंक-जमा। समस्त एसएलआर निवेश परिभाषा-2 :नकदी,अंतर बैंक जमा।एसएलआर आधिक्य						

स्रोत: आरबीआई सुपरवाईजरी रिटर्न्स और स्टाफ कैलकुलेशंस

[18] चलनिधि आस्तियों में नकदी,अंतर बैंक जमा और निवेश सम्मिलित हैं।

कि बैंकिंग प्रणाली इस प्रकार के आघातों को सह सकने में सक्षम है। यील्ड कर्व (लाभ वक्र) के ऊर्ध्वगामी दिशा में जाने का अधिकतम प्रभावबैंकिंग बुक में न्यून परिपक्वता बकेट पर परिलक्षित हुआ। ऐसी परिस्थिति में (आघात 1 सारणी 2.11) बैंकिंग प्रणाली की पूंजीगत स्थिति तीव्र गति से 320 बिंदु नीचे गिर जाती है। दूसरी ओर ट्रेडिंग बुक उच्चता पर नहीं थी(केवल लगभग 80 आधार बिंदु)। अतः कल्पित स्थितियों में समग्र प्रभाव पर अभी भी काबू पाया जा सकता है।

ईक्विटी कीमत जोखिम

2.59 ईक्विटी मूल्यों में 40 प्रतिशत की कल्पित गिरावट का प्रभाव अधिक प्रभावी नहीं रहा क्योंकि भारत में बैंकों का ईक्विटी बाजार एक्सपोज़र अधिक नहीं था। इसके लिए सर्वाधिक ठोस कारण यह है कि बैंकों के पूंजी बाजार एक्सपोज़र के लिए अपने देश में विनियामक सीमाएं निरारित हैं। प्रणाली स्तर पर सीआरएआर दबावों में आकर बेसलाइन पर रहे 13.6 प्रतिशत से गिरकर 12.9 प्रतिशत पर आ जाता है और कोई भी बैंक गंभीर रूप से प्रभावित नहीं होता।

विदेशी मुद्रा जोखिम

2.60 बैंकों के पास प्रत्यक्ष एक्सपोज़र हैं जो तुलन-पत्र की मदों यथा- विदेशी मुद्रा देयताओं और प्रतिबद्धताओं से प्रकट होता है जो ओवरसीज शाखाओं को दिए गए थे। जबकि भारतीय बैंकिंग प्रणाली द्वारा ओवरसीज कंपनियों के प्रति देयताओं में पिछले कई वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है,लेकिन कुल देयताओं में इसका अनुपात घटा है(देखें चार्ट 2.38)। इसी भांति उनके विदेशी दावे (विदेश की आस्तियां अल्टीमेट जोखिम आशधार पर) भी तेजी से बढ़े हैं लेकिन सामान्यतया कुल आस्तियों में उनका अनुपात अप्रभावित रहा है(चार्ट2.39)। यह विदेशी मुद्रा जोखिमों के प्रति न्यून प्रत्यक्ष एक्सपोज़र की ओर इंगित करता है(अप्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा जोखिम जो असुरक्षित कारपोरेट एक्सपोज़र के कारण है,पर अध्याय I के पैरा 1.23 में चर्चा की गई है)।

2.61 बासिल II के अंतर्गत 'आंतरिक मॉडल',जो अपेक्षाकृत अधिक लचीला है, प्रत्येक बैंक को उनके विभिन्न ट्रेडिंग और नॉन-टेडिंग परिचालनों के बीच के संबंधों को निगमित करने के पश्चात उसके एक्सपोज़र को मापने की अनुमति देता है(अध्याय III के पैरा 3.9 में मॉडल जोखिम पर चर्चा की गई है)। तथापि, विभिन्न बैंकों में विदेशी मुद्रा जोखिम के विश्लेषण के लिए 'आंतरिक मॉडल' एप्रोच का उपयोग सीमित है,जो बैंकों के बिजनेस मॉडलों में अंतर और अन्य संबंधित कारकों के कारण है।

2.62 विभिन्न परिस्थितियों में (जहाँ भारतीय रुपए में 10 प्रतिशत की वृद्धि और 20 प्रतिशत की गिरावट मानी गई है)

सारणी 2.11: ब्याज दर जोखिम- ट्रेडिंग और बैंकिंग बहियाँ सितंबर 2012

(प्रतिशत)

	सीआरएआर(प्रणाली स्तर)		कोर सीआरएआर (प्रणाली स्तर)	
बेस लाइन :				
सभी बैंक	**13.6**		**10.0**	
चयनित 60 बैंक	13.5		9.8	
दबाव परिस्थितियाँ-ब्याज दर का जोखिम: मूल्याँकन प्रभाव (आशोधित अवधि विश्लेषण)				
	बैंकिंग बही	**ट्रेडिंग बही**	**बैंकिंग बही**	**ट्रेडिंग बही**
शॉक-1	10.3	12.7	6.7	9.1
शॉक-2	11.6	13.1	8.0	9.4

शॉक-1: भारतीय रुपया यील्ड कर्व का समांतर ऊर्ध्वगामी शिफ्ट 250 आधार अंकों से।
शॉक-2: भारतीय रुपया यील्ड कर्व का नीचे आना 250 से 100 अंकों तक

स्रोत: भारिबैं पर्यवेक्षी रिटर्न्स और भारिबैं स्टाफ गणना

चार्ट 2.38: भारतीय बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं

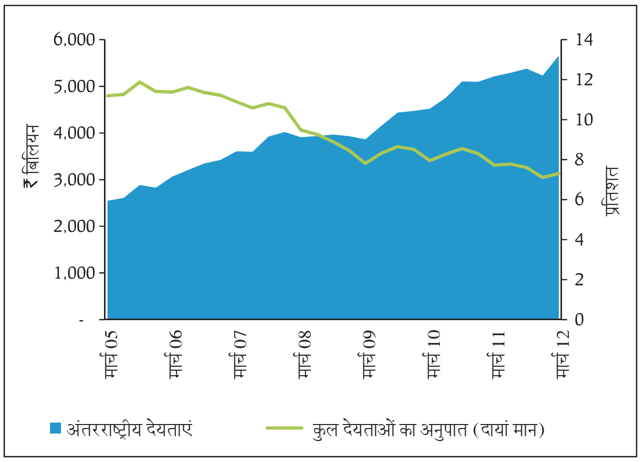

स्रोत: भारिबैं पर्यवेक्षी रिटर्न्स और बीआइएस के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग आंकड़े

चार्ट 2.39: भारतीय बैंकों के विदेशी दावे

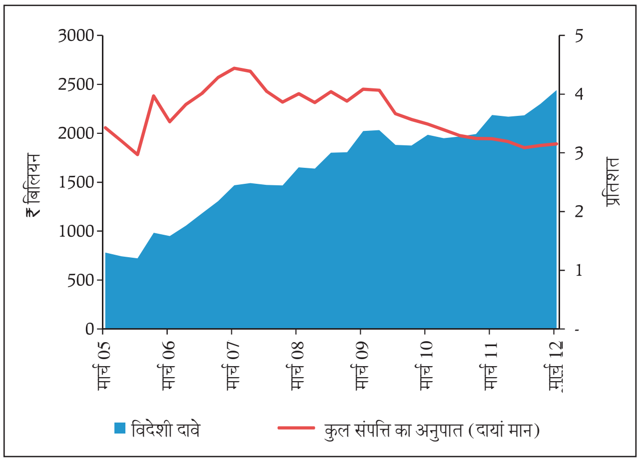

स्रोत: भारिबैं पर्यवेक्षी रिटर्न्स और बीआइएस के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग आंकड़े

विदेशी मुद्रा जोखिम का वाणिज्य बैंकों पर अधिक प्रभाव दिखाई नहीं देता , जिसका मुख्य कारण है अलग-अलग बैंकों की लो ओपेन करेंसी पोजीशन। सीआरआर में केवल 20 आधार अंकों की गिरावट ही कल्पित परिस्थितियों में देखी गई है।

बैंकों का डेरिवेटिव पोर्टफोलिओ

2.63 डेरिवेटिव बाजार के ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) सेगमेंट के आकार और वित्तीय दायित्वों के उच्च संकेंद्रण और साथ ही बड़ी संख्या में होने वाले ओटीसी डेरिवेटिव लेन-देन के लिए बहुत कम बैंकों द्वारा प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करने को देखते हुए डेरिवेटिव प्रणालीगत जोखिम पैदा कर सकता है।

2.64 पिछले कुछ सालों से भारत में डेरिवेटिव बाजार में तीव्र वृद्धि हुई है जिसकी परिणति वैश्विक वित्तीय संकट में हुई। यद्यपि वर्ष 2008 से पोर्टफोलिओ का आकार सिमटा है, फिर भी यह अधिक है क्योंकि बैंको का 31 मार्च 2012 (चार्ट 2.40 और सारणी 2.12) की स्थिति के अनुसार डेरिवेटिव पोर्टफोलिओ का कल्पित बकाया मूलधन बैंकों की पूंजीगत निधि के 1500 प्रतिशत और उनकी कुल आस्तियों के 160 प्रतिशत से ऊपर है। भारतीय डेरिवेटिव बाजार में संकेद्रण की अधिकता की मौजूदगी महत्त्वपूर्ण है जिसमें समूह के रूप में विदेशी बैंकों की हिस्सेदारी जो डेरिवेटिव बाजार में कल्पित बकाया मूलधन का 70 प्रतिशत है जो बैंकिंग प्रणाली के तुलन पत्र आस्तियों में उनकी 7 प्रतिशत की हिस्सेदारी को देखते हुए गैर-अनुपाती है। इसके अलावा 31 मार्च 2012 को कल्पित बकाया मूलधन में शीर्ष पाँच बैंकों की भागीदारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के डेरिवेटिव पोर्टफोलिओ के कल्पित बकाया का 43 प्रतिशत है।

2.65 सितंबर 2012 को बड़ी मात्रा में बकाया डेरिवेटिव लेन-देन कुछ और नहीं बल्कि अंतर बैंक लेनदेन हैं - जिसमें 26 बैंकों का सर्वाधिक डेरिवेटिव एक्सपोज़र रहा है जो डेरिवेटिव बाजार का अंतर बैंक सेगमेंट निर्मित करता है तथा कुल बकाया डेरिवेटिव में इसकी हिस्सेदारी औसतन 76 प्रतिशत है (चार्ट 2.41)। यह बैंको के बीच की अंतरसंबद्धता को बढ़ाता है तथा किसी बैंक की विफलता से जनित संक्रमण जोखिम को बढ़ा देता है। संक्रमण विश्लेषण दर्शाता है कि डेरिवेटिव एक्सपोज़र के रूप में शीर्षस्थ छह बैंकों के मामले में किसी एक बैंक के विफल होने पर घाटा तब उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाता है जब निधियेतर एक्सपोज़र को निधि आधारित एक्सपोज़र के साथ लिया जाता है (चार्ट 2.42) ।

प्राप्य डेरिवेटिवों से होने वाला ऋण जोखिम

2.66 प्राप्त नमूनों में बैंकों के लिए डेरिवेटिव पोर्टफोलिओ का निवल बाजार भाव (एमटीएम) दोनों सेगमेंट में अलग-अलग है - अधिकांश बैंकों ने अंतरबैंक क्षेत्र में नकारात्मक निवल एमटीएम

चार्ट 2.40: डेरिवेटिव बाजार में कल्पित बकाया मूलधन

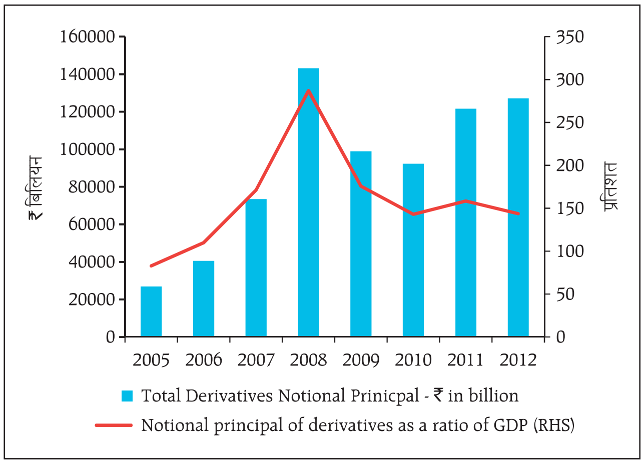

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण

सारणी 2.12: भारत में डेरिवेटिव बाजार का सापेक्ष आकार - मार्च 2012

₹ बिलियन	All Banks	Top 5 banks*	Top 10 banks*
Derivatives Notional Principal	127000	55000	87000
Total Assets	78000	7000	12000
Capital Funds	8000	1000	2000
Notional Principal as % of Assets	162.8	785.7	725.0
Notional Principal as % of Capital	1587.5	5500.0	4350.0

Note : i. *Top banks as per derivatives notional principal
ii. Amount rounded off to nearest ₹1000 billion
Source : RBI Supervisory Returns

चार्ट 2.41: कुल डेरिवेटिव लेनदेन में अंतर बैंक सेगमेंट की हिस्सेदारी - सितंबर 2012

स्रोत: बैंकों के नमूना सेट से लिए गए आंकड़े और आरबीआई स्टाफ गणना

चार्ट 2.42: पूंजीगत निधि के प्रतिशत के रूप में संक्रमण घाटा[19] - सितंबर 2012

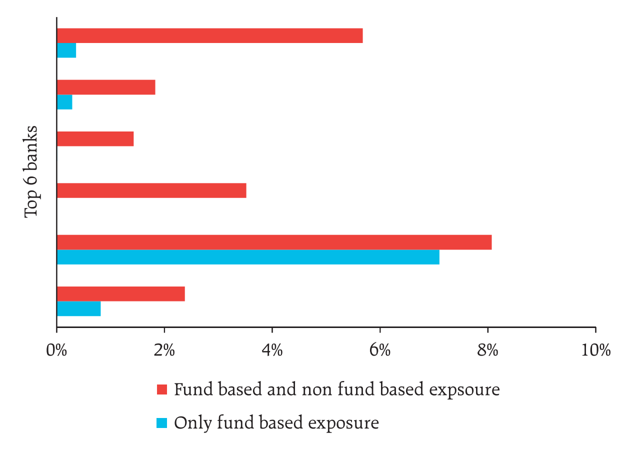

स्रोत: भारिबैं स्टाफ गणना

चार्ट 2.43: पूंजीगत निधियों के अनुपात के रूप में ग्राहक सेगमेंट में एमटीएम - सितंबर 2012

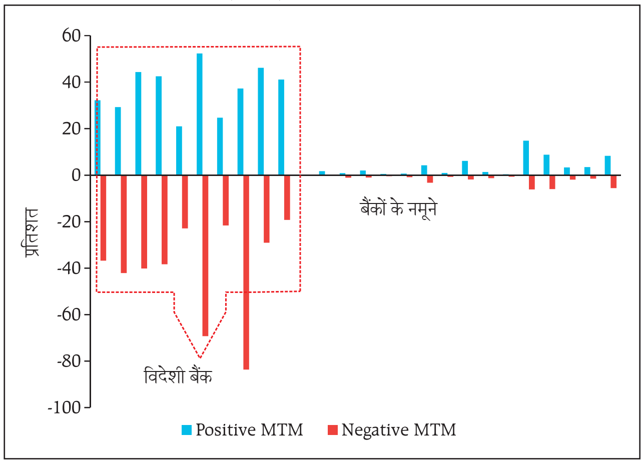

स्रोत: बैंकों के नमूना सेट से लिए गए आंकड़े और आरबीआई स्टाफ गणना

तथा ग्राहक सेगमेंट के मामले में सकारात्मक निवल एमटीएम दर्ज किया है। ग्राहक क्षेत्र से प्राप्य, बैंकों के कुल प्राप्य का 26 प्रतिशत है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में ग्राहकों से होने वाला सकल प्राप्य पूंजी निधि की तुलना में अपेक्षाकृत कम था, जबकि विदेशी बैंकों के मामले में यह उल्लेखनीय रूप से अधिक था। इन स्थितियों से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम को ध्यानपूर्वक मानीटर करने की आवश्यकता है (चार्ट 2.43)।

डेरिवेटिव पोर्टफोलिओ की बाजार जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता

2.67 30 सितंबर 2012 की स्थिति के अनुसार डेरिवेटिव पोर्टफोलिओ पर दबाव परीक्षणों का श्रृंखलाबद्ध आयोजन 26 बैंकों के नमूनों को लेकर किया गया, जो ब्याज दर और विनिमय दर संवेदनशीलता आघातों[20] के चार सामान्य सेट पर आधारित थे। इन बैंकों और आघातों के नमूने वही थे जो जून 2012 के एफएसआर के अंक में विश्लेषण के लिए प्रयोग किए गए थे। दबाव परीक्षण के परिणाम बतलाते हैं कि बाजार की गतिविधियों पर डेरिवेटिव पोर्टफोलिओ की संवेदनशीलता पिछली एफएसआर के प्रकाशन के बाद से बढ़ी है क्योंकि पूंजी के अनुपात के रूप में निवल एमटीएम में औसत परिवर्तन, जो चार सबसे बड़े आघातों के मामलों (सभी चार आघातों के सेट पर अधिकतम प्रभाव) पर किए गए विश्लेषण पर आधारित था, मार्च 2012 में 2 प्रतिशत से बढ़कर था सितंबर 2012 में दस प्रतिशत हो गया था। तथापि अलग-अलग आघातों का प्रभाव मिश्रित रुझान दर्शाता है (चार्ट 2.44)।

चार्ट 2.44: 31 मार्च 2012 और 30 सितंबर 2012 को आघात परीक्षणों का प्रभाव

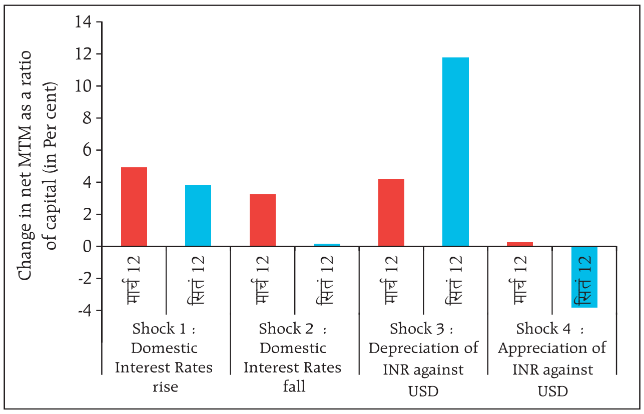

Note: Impact is measured in terms of change in net MTM post application of each shock as a ratio of capital funds of the bank. Where the net positive MTM of the bank increases after application of the shock, the impact of the shock is more severe in September 2012 if the increase in September 2012 is lower as compared to the increase in March 2012.

Source: Data collected from sample set of banks and RBI Staff Calculations

[19] संक्रमण हानि ट्रिगर बैंक (एक बार में एक बैंक) की असफलता के कारण बैंकिंग प्रणाली में हुई हानि को दर्शाता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया बैंकिंग प्रणाली के नेटवर्क में संक्रमण विश्लेषण को देखें।

[20] आघातों के ब्यौरे के लिए कृपया परिशिष्ठ देखें।

2.68 आघातों का औसत प्रभाव पूंजी निधि का 10 प्रतिशत रहा। तथापि कुछ आउटलायर बैंकों पर यह प्रभाव उल्लेखनीय रूप से अधिक था। (चार्ट 2.45).

लाभप्रदता

2.69 आय के मुख्य घटकों का विश्लेषण दर्शाता है कि सितंबर 12 को समाप्त छमाही के दौरान ब्याज आय के साथ-साथ ब्याज व्यय की वृद्धि में गिरावट आई है, लेकिन ब्याज व्यय के मामले में यह गिरावट अपेक्षाकृत तेजी से हुई है। अन्य घटकों के अलावा, इसका योगदान कमाई में वृद्धि के रूप में रहा है जो प्रावधानों और करों (ईबीपीटी) के पूर्व है। कर से प्राप्त लाभ में भी 36.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है, जो सितंबर 2007 में रही 37.4 प्रतिशत की वृद्धि दर के नजदीक पहुँच गया है (चार्ट 2.46)।

2.70 वर्तमान छमाही के दौरान की लाभप्रदता को प्रथम छमाही में आय की अन्य मदों यथा- विविध आय, व्यापार और विदेशी मुद्रा से लाभ में तेजी से हुई वृद्धि का सहयोग मिला है (चार्ट 2.47)। बैंकों द्वारा बीमा और म्यूच्युअल फंड की बिक्री से प्राप्त कमीशन आय में भी वृद्धि हुई है।

2.71 कई बड़े बैंकों मुख्यतः सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रावधान कवरेज में पिछली कुछ तिमाहियों के दौरान लगातार गिरावट आयी है (चार्ट 2.48)। प्रावधान कवरेज अनुपात (बट्टे खाते में डाले बिना) में गिरावट ने अन्य घटकों के अतिरिक्त पिछली दो तिमाहियों से बैंकों के बेहतर लाभ प्रदर्शन में सहयोग किया है, जबकि इस अवधि के दौरान एनपीए में बढ़ोत्तरी हुई है। यह प्रभाव सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ज्यादा देखा गया, क्योंकि उन्होंने एनपीए और पुनर्गठित आस्तियों में सबसे तेजी से वृद्धि की है।

चार्ट 2.47: आय की कुछ चयनित मदों में वृद्धि दर (वाइ-ओ-वाइ) - सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

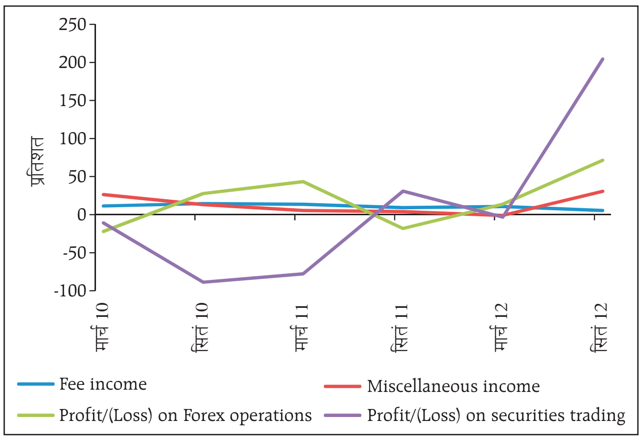

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरण

चार्ट 2.45: बैंक की पूंजीगत निधि के अनुपात के रूप में निवल एमटीएम में परिवर्तन - सितंबर 2012

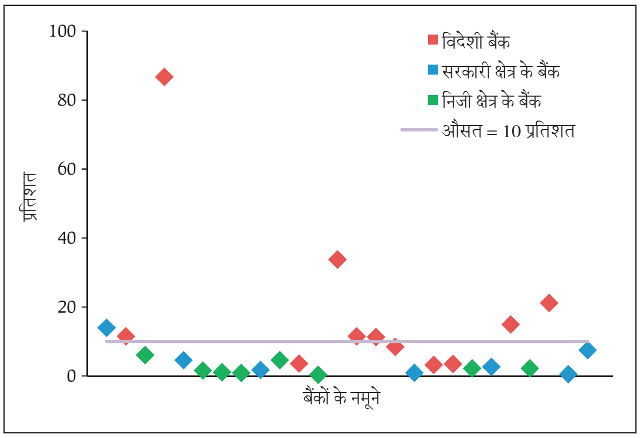

Note: Based on Worst Case Analysis (the maximum impact on the net MTM positions amongst the four sensitivity stress tests).

स्रोत: बैंकों के नमूना सेट से लिए गए आंकड़े और आरबीआई स्टाफ गणना

चार्ट 2.46: ईबीएटी, पीएटी, ब्याज आय और ब्याज व्यय में वृद्धि

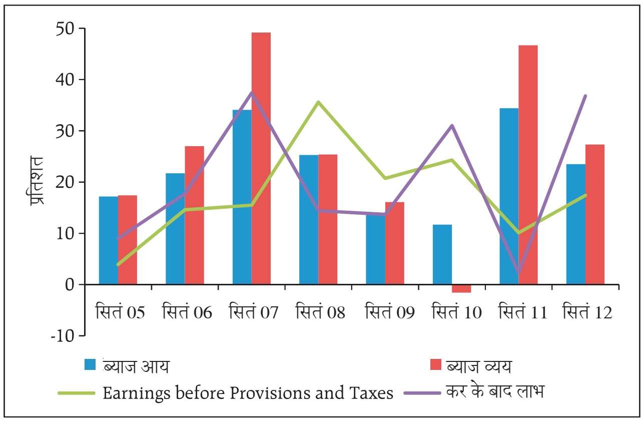

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरण

चार्ट 2.48: प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात - एससीबी

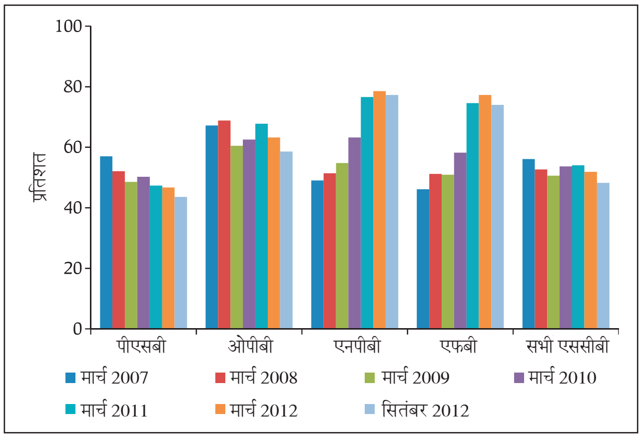

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरण

2.72 निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) प्रणाली स्तर पर 3.0 प्रतिशत पर स्थिर रहा है लेकिन सरकारी क्षेत्र के कुछ बड़े बैंकों में इस मार्जिन में मामूली गिरावट दर्ज हुई है। आगे जाकर, बैंकों के एनआईएम पर दबाव रह सकता है क्योंकि निधियों की लागत में होनी वाली संभावित गिरावट का लाभ, आस्ति प्रतिफल में होने वाली गिरावट के कारण निष्प्रभावी हो जाएगा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2.73 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के तुलन पत्र घटक और वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक बतलाते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय निष्पादन में सुधार हो रहा है (सारणी 2.13)। 2010-11 की तुलना में 2011-12 के दौरान केवल कुछ ही बैंकों(पिछले 7 की तुलना में 3) को घाटा हुआ है और इस घाटे की रकम भी 710 मिलियन से घट कर 280 मिलियन हो गई है। एक और जहाँ अग्रिम में 17.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं जमा बढ़कर वाई-ओ-वाई आधार पर 12.1 प्रतिशत की सीमा तक पहुँच गया। अब तक, 6 राज्यों में 19 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का समामेलन 12 प्रायोजक बैंकों के साथ किया जा चुका है। समामेलन के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 82 थी जो अब 71 रह गई है।

सारणी 2.13: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन मानदंड

(₹ मिलियन)

क्र.सं.	Parameters	2010-11	2011-12	% Growth
1	Owned Fund	13,8390	16,4620	18.95
2	Deposit	1,66,2320	1863360	12.09
3	Gross Loan (O/s)	98,9170	1163850	17.66
4	CD Ratio	59.51	62.46	4.96
5	Accumulated Losses	1,5320	13320	-13.05
6	Net Profit	1,7860	18860	5.59
7	Loss (No. of RRBs)	710 (7)	280 (3)	-60.56
8	Gross NPA %	3.75	5.03	34.13
9	Net NPA %	2.05	2.98	45.36
10	Branch Productivity	165.7	179.0	8.02
11	Staff Productivity	37.8	40.7	7.67

स्रोत: नाबार्ड

शहरी सहकारी बैंक

2.74 30 सितंबर 2012 को 51 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक (एसयूसीबी) अस्तित्व में थे। समस्त अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक पर किया गया विश्लेषण बतलाता है कि 31 मार्च 2012 को समग्र सीआरएआर 12.8 प्रतिशत से गिरकर 30 जून 2012 को12.6 प्रतिशत हो गया और फिर 30 सितंबर 2012 को मामूली रूप से बढ़कर 12.7 प्रतिशत हो गया। जीएनपीए अनुपात 31 मार्च 2012 को 4.6 प्रतिशत था जो 30 जून 2012 को बढ़कर 5.9 प्रतिशत हुआ और फिर उसके बाद 30 सितंबर 2012 को बढ़कर 6.1 प्रतिशत हो गया। वार्षिकीकृत आरओए जो 31 मार्च 2012 को 0.9 प्रतिशत था, 30 जून 2012 को बढ़कर 1.3 प्रतिशत हुआ और फिर उसके बाद 30 सितंबर 2012 को घटकर 1.1 प्रतिशत हो गया। स्टॉक दृष्टिकोण पर आधारित अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का चलनिधि अनुपात 31 मार्च 2012 तथा 30 जून 2012 को 34.0 प्रतिशत था जो 30 सितंबर 2012 को मामूली रूप से बढ़कर 34.1 प्रतिशत हो गया। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का प्रावधान कवरेज अनुपात 31 मार्च 2012 को 76.2 प्रतिशत था, जो 30 जून 2012 को घटकर 66.2 प्रतिशत हुआ और फिर 30 सितंबर 2012 को बढ़कर 66.2 प्रतिशत हो गया (सारणी 2.14)।

सारणी 2.14: एसयूसीबी के चयनित वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक

(प्रतिशत)

वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक	मार्च 2012	जून 2012	सितंबर 2012
1. CRAR	12.8	12.6	12.7
2. Gross NPAs to Gross Advances	4.6	5.9	6.1
3. Return on Assets (annualised)	0.9	1.3	1.1
4. Liquidity Ratio	34.0	34.0	34.1
5. Provision Coverage Ratio	76.2	66.0	66.2

Note: 1. Data exclude MMCB;
2. Data are provisional and based on OSS Returns;
3. Liquidity Ratio = 100 * (Cash + due from banks + SLR investment) / Total Assets;
4. PCR is compiled as "NPA provisions held as per cent of Gross NPAs".

दबाव परीक्षण - एसयूसीबी - ऋण जोखिम

2.75 30 सितम्बर 2012 को प्राप्त विवरणी के अनुसार परोक्ष निगरानी पर आधारित आंकड़े का प्रयोग करते हुए एसयूसीबी के लिए ऋण जोखिम से संबंधित दबाव परीक्षण किया गया। एसयूसीबी के जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) पर ऋण जोखिम आघात का प्रभाव दो अलग-अलग परिस्थितियों के अंतर्गत, सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) में क्रमशः 50 और 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान कर, किया गया। परीक्षण का परिणाम बताता है कि एसयूसीबी पहली परिस्थिति के अंतर्गत अनुमानित आघात को बड़े आसानी से सहन कर लेते हैं लेकिन दूसरी परिस्थिति के अंतर्गत अनुमानित आघात का कुछ असर इनपर पड़ता है। (चार्ट 2.49)

दबाव परीक्षण - एसयूसीबी -चल निधि जोखिम

2.76 चल निधि जोखिम पर दबाव परीक्षण दो भिन्न परिस्थिति के अंतर्गत, 1 से 28 दिन दिन की समय-सीमा के तहत नगदी के बहिर्गमनों में क्रमशः 50 और 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान कर, किया गया। यह मानकर कि दोनों परिस्थितियों में नगदी के अंतर्वाह में कोई बदलाव नहीं होगा। यदि 1 से 28 दिन समय-सीमा के अंतर्गत असंतुलन या नकारात्मक अंतर (यथा नगदी अंतर्वाह में से नगदी बहिर्गमन को घटाकर) नकदी बहिर्गमन के 20 प्रतिशत से अधिक होता है तो यह माना जाएगा कि दबाव के परिणामस्वरूप बैंक प्रभावित हुए हैं। दबाव परीक्षण का परिणाम इंगित करता है कि अल्प दबाव की परिस्थिति में भी एसयूसीबी व्यापक रूप से प्रभावित होते हैं। (चार्ट 2.50)

गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां (एनबीएफसी)

2.77 भारत में यह क्षेत्र विनियमन के अधीन है और इसकी संवृद्धि और विकास भारतीय रिज़र्व बैंक की देखरेख में होता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के बीच उन फर्मों की निगरानी पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है जिनकी पहचान 'प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण'; विशेषकर, गैर-बैंक वित्तीय कम्पनियाँ- जमा राशि स्वीकार न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण (NBFC-ND-SI), के रूप में की गई है। सीआरएआर (जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात) मानदंडों का विस्तार एनबीएफसी-एनडी-एसआई पर भी किया गया है और उन्हें न्यूनतम पूंजी बनाए रखने की जरूरत है जिसमें टायर I और टायर II पूंजी शामिल है जो उनकी कुल भारित आस्तियों की तुलना में 15 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

2.78 जमा राशि स्वीकार न करने वाले तथा प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र का कुल सीआरएआर जून 2012 को समाप्त तिमाही के लिए 25 .7 प्रतिशत (चार्ट 2.51) रहा। हालांकि यह बहुत

चार्ट 2.49: पूंजी स्थिति पर अनर्जक आस्ति आघात का प्रभाव: एसयूसीबीएस सितम्बर 2012

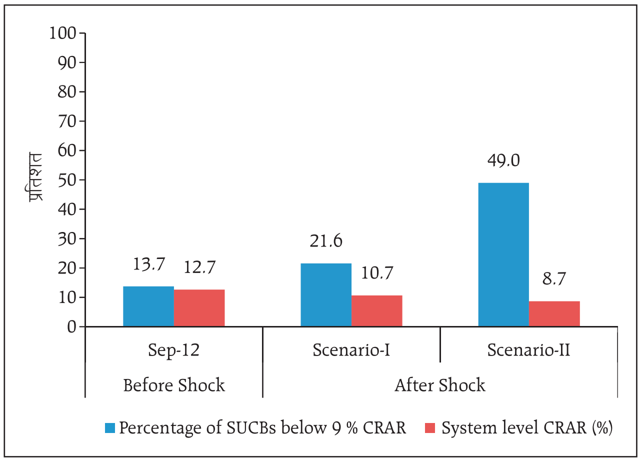

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ गणना

चार्ट 2.50: चल निधि जोखिम: एएलएम असंतुलन - एसयूसीबी - सितम्बर 2012

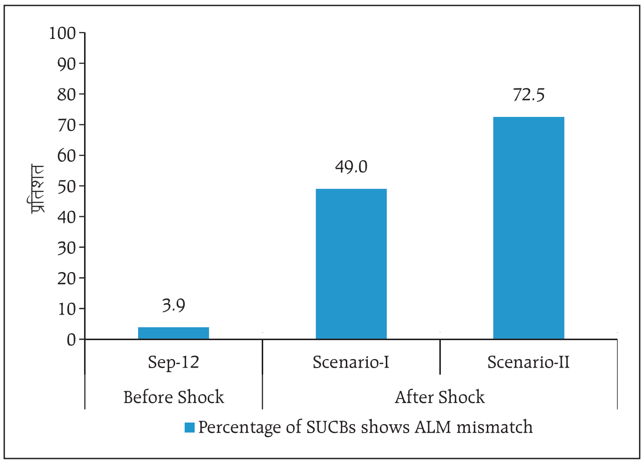

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ गणना

चार्ट 2.51: जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात का रुझान

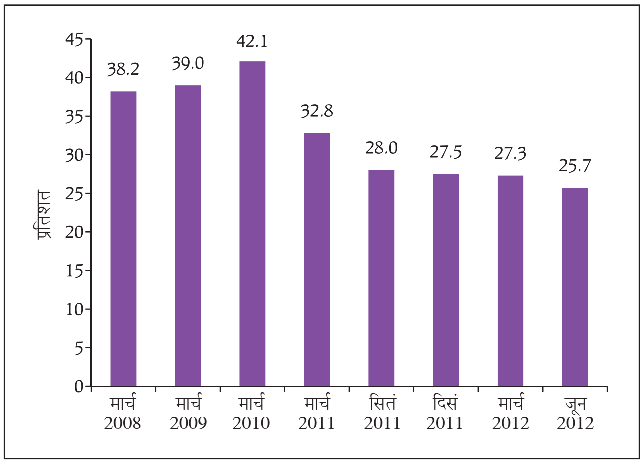

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी

[21] एनबीएफसी क्षेत्र अनर्जक आस्ति की पहचान के लिए 180 दिन का मानदंड अपनाते हैं न कि वाणिज्यिक बैंके के 90 दिन का मानदंड।

अधिक है लेकिन पिछली कुछ तिमाहियों में यह अनुपात घट रहा है। पिछली कई तिमाहियों से एनबीएफसी का सकल अनर्जक आस्ति अनुपात[21] लगभग 2.0 प्रतिशत पर् स्थिर बना हुआ है। (चार्ट 2.52)

लाभप्रदता अनुपात

2.79 जून 2012 को समाप्त तिमाही में एनबीएफसी-एनडी-एसआई क्षेत्र की आस्तियों पर (कुल आस्ति प्रतिशत के रूप में निवल लाभ) पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 2.5 प्रतिशत की तुलना में 2.1 प्रतिशत का प्रतिलाभ रहा। (चार्ट 2.53)

एनबीएफसी क्षेत्र की निधियों का स्रोत और उपयोग

2.80 एनबीएफसी (एनडी-एसआई) कई स्रोतों से निधियां एकत्रित करती हैं जिसमें डिबेंचरों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से कर्ज, वाणिज्यिक पत्र, अंतर कार्पोरेट कर्ज आदि (चार्ट 2.54) शामिल हैं। एनबीएफसी (एनडी-एसआई) के वित्तपोषण के लिए स्वाधिकृत निधि एक अन्य भावी स्रोत है और इसका हिस्सा कुल देयताओं का 26 प्रतिशत है। कुल निधि में निधियों के इन स्रोतों में से डिबेंचरों के माध्यम से निधि जुटाना सर्वाधिक प्रमुख है और इसके बाद बैंकों से कर्ज लेने का स्थान आता है। आस्ति पक्ष को देखें तो निधि का उपयोग सबसे अधिक ऋण और अग्रिम के लिए होता है और निधियों के कुल उपयोग में इसका हिस्सा 72 प्रतिशत है।

चार्ट 2.52: सकल अनर्जक आस्ति अनुपात का रुझान

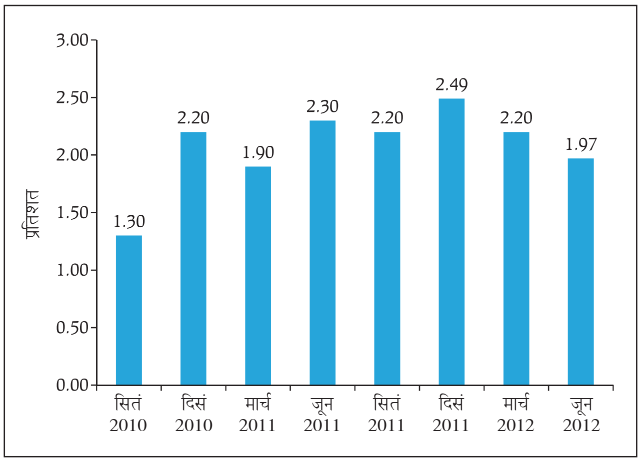

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी

चार्ट 2.53: आस्तियों के प्रतिलाभ का रुझान

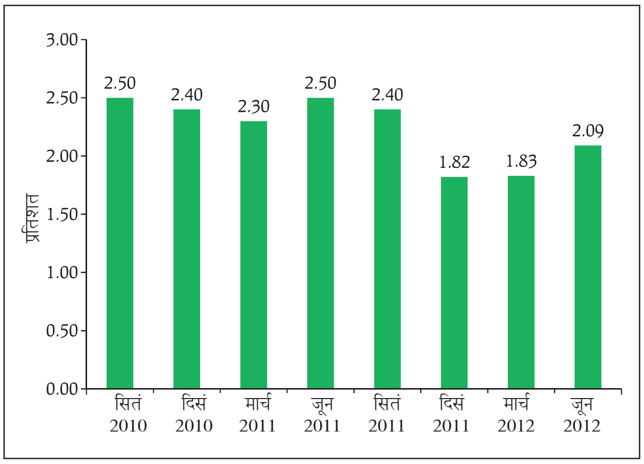

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी

चार्ट 2.54 : निधियों का स्रोत और उपयोग: 30 जून 2012 की स्थिति के अनुसार

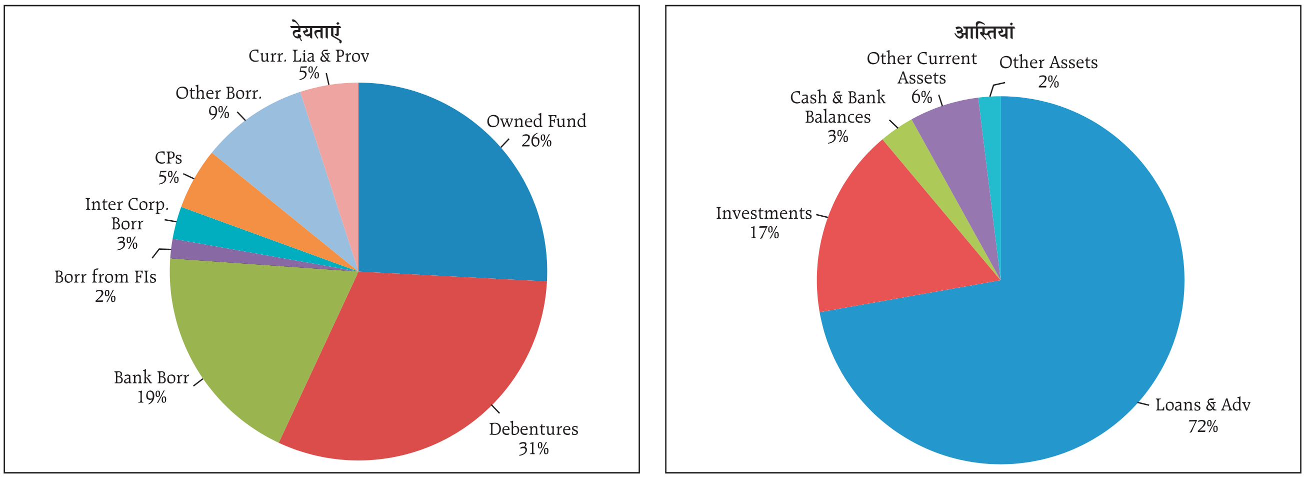

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी

2.81 एनबीएफसी द्वारा रियल इस्टेट क्षेत्र को दिए जाने वाले अग्रिम का औसत एनडी-एसआई क्षेत्र के कुल अग्रिम का 4.5 प्रतिशत (चार्ट 2.55) है।

2.82 पूंजी बाजार एक्सपोज़र में (i) सूचीबद्ध लिखतों में निवेश और (ii) पूंजी बाजार से संबंधित गतिविधियों को अग्रिम देना शामिल है। एनबीएफसी क्षेत्र का पूंजी बाजार एक्सपोज़र एनडी-एसआई क्षेत्र की कुल आस्तियों का औसत 9.0 प्रतिशत है, जबकि इस क्षेत्र में स्वाधिकृत निधियों का पूंजी बाजार एक्सपोज़र लगभग 34.5 प्रतिशत है। (चार्ट 2.56)

इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कम्पनी (आईएफसी)

2.83 2011-12 के दौरान आठ आईएफसी के संकलित तुलन-पत्र आकार में 27.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई और पिछले वर्ष की सबसे अधिक 25.3 प्रतिशत की वृद्धि के अलावा थी। तीन वर्षों की अवधि, यथा मार्च 2010 से मार्च 2012 तक (चार्ट 2.57), के दौरान इन कम्पनियों का डिबेंचर ढाई गुना से अधिक बढ़ा। यह मुख्यतः अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के माध्यम से भारी निधि जुटाने के कारण हुआ। आईएफसी के बैंक कर्ज़ में पिछले साल 14.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई जिसकी तुलना में 2011-12 में 0.7 प्रतिशत की मामुली बढ़त देखने को मिली।

2.84 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आईएफसी का लीवरेज अनुपात 5.1 से 5.7 के बीच बना रहा। कुल देयताओं में बैंक कर्ज का हिस्सा 31 मार्च 2010 को 17.5 प्रतिशत था जो 31 मार्च 2012 को घटकर 12.5 हो गया, जबकि समान अवधि के दौरान डिबेंचरों का हिस्सा 34.5 प्रतिशत से बढ़कर 56.9 प्रतिशत हो गया। आईएफसी की आस्तियों के प्रतिलाभ में गिरावट का रुख देखने को मिला। मार्च 2010 के 2.5 प्रतिशत से घटकर यह मार्च 2012 में 2.1 प्रतिशत हो गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आस्तियों के प्रतिलाभ के साथ-साथ इक्विटी के प्रतिलाभ में भी गिरावट(15.1 प्रतिशत से गिर कर 14 प्रतिशत हो गया) देखी गई।

एनबीएफसी क्षेत्र का दबाव परीक्षण (एनबीएफसी -डी और एनडी-एसआई)

2.85 जून 2012 को समाप्त अवधि के लिए एनबीएफसी क्षेत्र (जमा राशि प्राप्त करने वाले और एनडी-एसआई दोनों शामिल)के लिए ऋण जोखिम पर दबाव परीक्षण दो परिस्थितियों के अंतर्गत, (i) सकल अनर्जक आस्तियों को दो गुना बढ़ाकर और (ii) सकल अनर्जक आस्तियों को वर्तमान स्तर से पांच गुना बढ़ाकर, किया गया। यह देखा गया कि पहली परिस्थिति में सीआरएआर 26 प्रतिशत से घटकर 25.3 प्रतिशत रहा और 0.7 प्रतिशत पाइंट की गिरावट दर्ज की गई, जबकि दूसरी परिस्थिति में सीआरएआर 2.5 प्रतिशत पाइंट्स (सीआरएआर 26 प्रतिशत से 23.5 प्रतिशत घटा) घटा । निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि यद्यपि दोनों

चार्ट 2.55: रियल इस्टेट सेक्टर को अग्रिम देने संबंधी रुझान

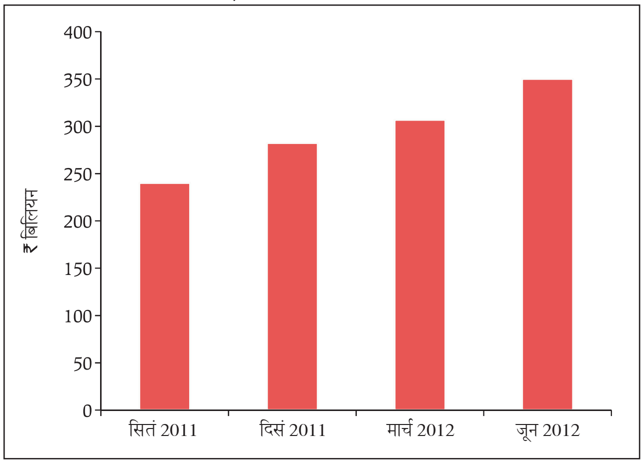

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी

चार्ट 2.56: पूंजी बाजार एक्सपोज़र का रुझान

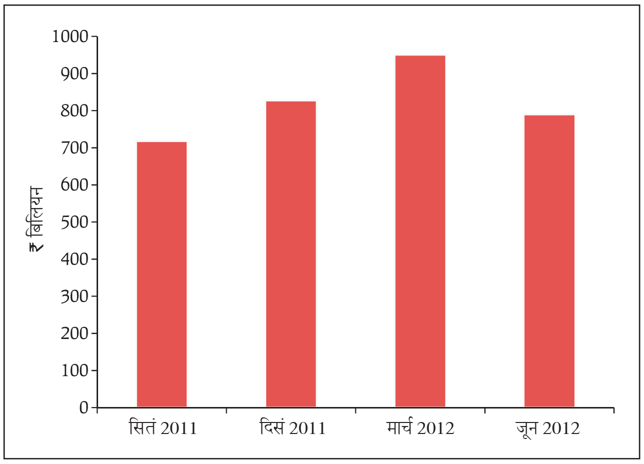

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी

चार्ट 2.57: निधियों के विशेष स्रोतों का रुझान (आईएफसी)

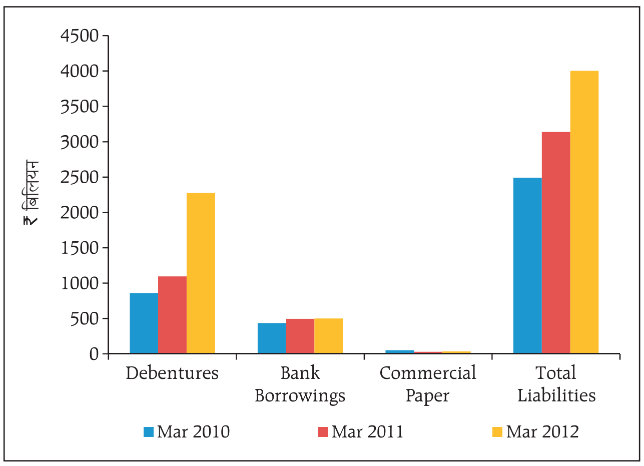

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी

परिस्थितियों के तहत प्रावधानीकरण में कमी देखी गई, लेकिन सीआरएआर पर इसका प्रभाव नाममात्र था क्योंकि इस क्षेत्र में 15 प्रतिशत के सीआरएआर बैंचमार्क के मुकाबले सीआरएआर 26 प्रतिशत के उच्च पर टिका रहा।

प्रमुख एनबीएफसी कम्पनियों का अलग से दबाव परीक्षण

2.86 जून 2012 को समाप्त अवधि के लिए प्रमुख एनबीएफसी कम्पनियों के ऋण जोखिम का अलग से दबाव परीक्षण भी दो परिस्थितियों के अंतर्गत, (i) सकल अनर्जक आस्तियों को वर्तमान स्तर से दो गुना बढ़ाकर और (ii) सकल अनर्जक आस्तियों को वर्तमान स्तर से पांच गुना बढ़ाकर, किया गया। यह देखा गया कि पहली परिस्थिति में 4.9 प्रतिशत कम्पनियों का सीआरएआर, 15 प्रतिशत के निर्धारित विनियामक सीआरएआर से कम है, जबकि दूसरी परिस्थिति में 9.5 प्रतिशत कम्पनियों का सीआरएआर 15 प्रतिशत के निर्धारित विनियामक सीआरएआर से कम है।

भारत में पेंशन व्यवस्था[22]

2.87 वित्तीय संकट के दौरान आस्ति मूल्य में भारी गिरावट आई जिससे भुनाने का दबाव बढ़ा, जो फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री को अस्थिर करने का खतरा पैदा करता था। ऐसी दबाव की परिस्थिति में सिर्फ लंबी अवधि की निधियां, जैसे कि पेंशन निधि, वित्तीय स्थिरता के स्रोत हो सकते हैं, जो खरीदारी करने में सहायक होते हैं। पेंशन निधि का निवेश-योग्य स्रोत जितना बड़ा होगा , उतना अधिक स्थिरता को मजबूती मिलेगी। भारत में सरकार की 'पे- एज़- यू- गो ' पेंशन योजना, जिसे लम्बे समय तक जारी रखना सम्भव नहीं है, पर निरंतर निर्भर रहने से राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है और इससे वित्तीय स्थिरता के लिए प्रतिकूल प्रभाव पैदा हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों के मामले में 'पे- एज़- यू- गो' लाभ के रूप में परिभाषित योजना की जगह अब पूर्ण रूप से वित्त पोषित अंशदायी पेंशन योजना केन्द्र और अधिकतर राज्यों के लिए बनकर तैयार हो चुकी है। हालांकि केन्द्र और राज्यों दोनों के यहां अभी भी असंगठित क्षेत्र के लिए कई परिभाषित लाभ योजनाएं मौजूद हैं। ये योजनाएं या तो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों या व्यावसायिक समुदायों, जो परिभाषित लाभ योजना, प्रशासनिक प्रणाली और कवरेज़ के संबंध में अलग-अलग हैं, के लिए हैं। प्रायः इस योजना की घोषणा भविष्य देयताओं के वास्तविक आकलन या वित्तपोषण जरूरतों को ध्यान में रख कर नहीं की जाती है। जब तक लक्ष्य प्राप्ति के लिए राजकोषीय रूप से सुदृढ़ व्यवस्था नहीं बनाई जाती तब तक या तो अपर्याप्त कवरेज़ के रूप में या कमजोर लाभप्रद व्यवस्था के रूप में जोखिम बना रहेगा।

2.88 बुनियादी ढांचे के लिए वित्तपोषण का अंतराल आर्थिक विकास के लिए रुकावट पैदा करता है। पेंशन निधि लम्बी अवधि की निधियों में से होने के कारण इसे बुनियादी ढांचागत योजनाओं के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ढांचागत आयोजना कमीशन पर बने कार्य-दल के उप-समूह ने आकलन किया है कि बीमा/पेंशन निधि से 1507 बिलियन रुपये मूल्य का संसाधन जुटाया जा सकता है। इसने सिफारिश की है कि बीमा/पेंशन निधियों के लिए आवश्यक विनियामक संशोधन किया जाए ताकि इन चैनलों के माध्यम से बचत राशि की उपलब्धता बुनियादी ढांचे के लिए की जा सके।

[22] **Source:** Pensions Funds Regulatory and Development Authority (PFRDA)

अध्याय III
वित्तीय क्षेत्र विनियमन एवं बुनियादी ढ़ांचा

वैश्विक विनियामकों के सुधारों का एजेंडा काफी हद तल क्रिस्टलीकृत हो चुका है। चूंकि विश्व की कई अर्थव्यवस्थाओं ने अपने विनियामक मानकों की घोषणा कर दी है इसलिए अब क्षेत्राधिकारों में अनवरतता बने रहने से संबंधित चिंताएं सामने आ रही हैं। संभावना है कि सुधारों के इन प्रयासों के परिणाम उभरती हुई एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईडीई) के लिए नकारात्मक रहें, ऐसा विशेषतः सुधारों के कुछ उपायों के अपरदेशीय होने के कारण हो सकता है। आस्तियों की गिरती हुई गुणवत्ता एवं विनियामक परिवर्तनों के चलते आवश्यक हुए अतिरिक्त प्रावधानीकरण के मद्देनज़र भारतीय बैंकों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि अब उन्हें बासेल III में अंतरित होना है। अब बासेल II के तहत बैंकों को उन्नत एप्रोच में अंतरित होना है, इसलिए मॉडलों के बढ़ते प्रयोग से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का प्रबंधन आवश्यक है।

वित्तीय संगुट (एफसी) हेतु पहचान संबंधी मैट्रिक्स को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है ताकि प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (डी-एसआईबी) एवं प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमा कंपनियों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की पहचान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे कार्य का भी ध्यान रखा जा सके। समकक्ष राष्ट्रों के मुकाबले अपने देश में गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र अभी काफी छोटा है पर इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र की विनियामक पहुंच में जो कमजोरियां है उनका त्वरित निदान किया जाना आवश्यक है।

देश में ओटीसी डेरिवेटिव्स के सुधारों के कार्यान्वियन में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। निश्चित समाशोधन में अंतरण को अधिदेश देने या इसे प्रोत्साहित करने के लिए द्विपक्षीय निवल निर्धारण (नेटिंग), जोखिम संबंधी मानदंडों आदि से संबंधित वैधानिक/विनियामक मसलों को सुलझाने की आवश्यकता है। न्यून व्याप्ति स्तर एवं निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा जमाकर्ताओं को भुगतान में देरी करने से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं।

वित्तीय समावेशन एवं साक्षरता वे साधन हैं जिनसे समानता के साथ वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। वित्तीय रूप से सजग नागरिक जब कोई निर्णय लेते हैं तो वे वित्तीय उत्पादों का बेहतर उपयोग करके वित्तीय प्रणाली को मजबूती प्रदान करते हैं। इस अध्याय में उन उपायों को भी जगह दी गई है जो वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार तथा विनयामकों ने वित्तीय समावेशन एवं साक्षरता के लिए किए हैं। इन उपायों का उद्देश्य है कि वित्तीय उत्पादों तक पहुंच सुगम हो एवं यह सुनिश्चित किया जा सके कि बचत को औपचारिक वित्तीय क्षेत्र में ही बनाए रखा जाए एवं इसका उत्पादक विनियोजन किया जा सके।

विनियामक बुनियादी ढ़ांचा

वैश्विक विनियामक सुधारों का क्रियान्वयन

3.1 वैश्विक संकट के मद्देनज़र, वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के प्रमुख जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करने वाला वैश्विक सुधार संबंधी एक महत्वाकांक्षी एजेंडा शुरू किया गया है। सुधार संबंधी जिन उपायों की घोषणा की गई है उनमें बासेल पूंजी एवं चलनिधि ढ़ांचा, विश्व स्तर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान (जी-एसआईएफआई), ओटीसी व्युत्पन्न बाजार संबंधी सुधार तथा विनियमन को मजबूती प्रदान करना एवं छाया (शैडो) बैंकिंग प्रणाली की निगरानी करना आदि शामिल हैं। अब नीति निर्माण के बजाए प्रभावी एवं समय से कार्यान्वयन को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

3.2 बासेल समिति की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन पर जारी प्रगति रिपोर्ट[1] में यह पाया गया है कि बासेल II एवं 2.5 के वैश्विक स्तर पर कार्यान्वयन हेतु जिन तारीखों पर सहमति बनी थी उस तारीख तक कई देश इस पर अमल नहीं कर पाए हैं। बासेल III के मामले में अगर देखा जाए तो तो दस देशों ने अंतिम घरेलू दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। बासेल समिति को आशा है कि बाकी देश भी 2013 में अपने घरेलू विनियमनों को अंतिम रूप दे देंगे। यह देखा गया है कि जी-एसआईएफआई के कार्यान्वयन हेतु प्रभावी प्रस्ताव पद्धति, लेखा मानकों की समरूपता, साख दर एजेंसियों पर निर्भरता कम करना एवं ओटीसी डेरिवेटिव बाजार के लिए जिन सुधारों पर सहमति बनी है उनका पूर्ण कार्यान्वयन करने सरीखे कई अन्य सुधारात्मक उपायों के कार्यान्वयन में भी विलंब हुआ है। कार्यान्वयन स्तर पर कुछ देशों को ये लग रहा है कि विनियमन

[1] http://www.bis.org/press/p121029.htm

संबंधी कुछ निर्धारणों को संशोधन करना आवश्यक है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यह अंतरण समस्यारहित रहे।

3.3 सुधारों के कार्यान्वयन की निरंतरता चिंता का मुख्य विषय बनकर उभरी है क्योंकि कई देशों ने अपने स्वयं के विनियामक मानक बना लिए हैं। घरेलू बासेल III दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की बासेल समीक्षा समिति ने उदाहरणार्थ यह पाया है कि कुछ देशों में जोखिम मापक दृष्टिकोण में निरंतरता नहीं रही है। ऐसी विषमताओं से इस बात की संभावना है वित्तीय क्षेत्र कम विनियमन एवं/या छाया बैंकिंग वाले देशों में अंतरित हो जाए और इससे वैश्विक वित्तीय प्रणाली के स्थायित्व के समक्ष चुनौती पेश आ सकती है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विभिन्न देशों के विनियमों में कोई असंगति न हो ताकि कोई भ्रम या विनियामक अंतरपणन की स्थिति पैदा न हो क्योंकि ऐसा होने से सुधार प्रक्रिया की साख अंततः खत्म हो जाएगी।

विनियामक सुधारों के दुष्प्रभाव

3.4 जानबूझकर न उत्पन्न किए गए विनियामक सुधारों के बारे में चिंता पैदा हो रही हैं। उभरती हुई एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बारे में यह ज्यादा महत्वपूर्णर्ण तथ्य है। यह आवश्यक है कि उभरती हुई एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय मध्यस्थों को सापेक्षतः प्रतिकूल परिस्थिति में रखा जाता है क्योंकि उनके समक्ष आने वाले अवसर, जोखिम एवं चुनौतियां अलग-अलग होती हैं। साथ ही, यदि इन अर्थव्यवस्थाओं में मांगपरक विनियामक मान होंगे तो इससे वैश्विक विनियामक संस्थानों की लीवरेंजिंग खत्म होगी एवं इससे उभरती हुई एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर गहन प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुछ विनियमों के विस्तृत क्षेत्र[2] का होने एवं निवर्तमान नियमों के चलते उभरती हुई एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर पर पड़ने वाले प्रभाव काफी तीव्र हो सकते हैं (बॉक्स 3.1)। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक[3] के स्टाफ के समन्वय से तैयार वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की एक हालिया रिपोर्ट में इस बात को प्रमुखता से उजागर किया गया है कि यदि सुधारात्क उपायों का कार्यान्वयन किया जाता है तो उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

बासेल III के तहत बैंकों की पूंजी अपेक्षाएं

3.5 भारत ने बासेल III के बारे में अंतिम दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। बासेल III पूंजी अपेक्षा का कार्यान्वयन 01 जनवरी 2013 से शुरू हो जाएगा एवं इसके 31 मार्च 2018 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

3.6 पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में यह ज़िक्र किया गया था कि भारत में बैंक बासेल III उपायों के कार्यान्वयन का काम मजबूती से शुरू करने की स्थिति में होंगे। अनुमानित गणना के अनुसार बासेल III अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बैंकों को लगभग ' 5 ट्रिलियन की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें से ' 3.25 ट्रिलियन गैर-इक्विटी पूंजी होगी जबकि ' 1.75 ट्रिलियन इक्विटी पूंजी होगी। इसके अलावा, अग्रलिखित बातों से कुछ अतिरिक्त चुनौतियां सामने आ सकती हैं जैसे कि बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में आई हालिया प्रवृत्तियां, पुनः संरचना संबंधी दिशानिर्देशों के विनियामक परिवर्तन एवं सक्रिय प्रावधानीकरण मानदडों के प्रस्तावित कार्यान्वयन से बैंकिंग क्षेत्र में प्रावधानीकरण की अपेक्षा बढ़ सकती हैं। समष्टि आर्थिक दशाओं में आ रही गिरावट से आस्ति गुणवत्ता पर और दबाव बन सकता है।

बासेल III के तहत उन्नत पहुंच में अंतरण

3.7 ऋण जोखिम पूंजी प्रभार की गणना हेतु आंतरिक दर आधारित (आईआरबी); परिचालनात्मक जोखिमों हेतु मानक दृष्टिकोण (टीएसए) एवं उन्नत माप दृष्टिकोण; बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आईएमए) के बारे में दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। बाजार जोखिम के तहत आईएमए में अंतरण के लिए 3 बैंकों ने रिज़र्व बैंक के पास प्रमाणन के लिए एवं ऋण जोखिम पूंजी प्रभार की गणना हेतु आईआरबी दृष्टिकोण में अंतरण हेतु 15 बैंकों ने आवेदन किया है। इसके अलावा, 12 बैंकों ने टीएसए में अंतरण के लिए आवेदन किया है, परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार की गणना हेतु एएमए में अंतरण के लिए नौ बैंकों ने आशय पत्र दिया है। एक बैंक को ठ?रलल रनड के आधार पर टीएसए में अंतरण के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। अन्य बैंकों के आवेदनों की विभिन्न स्तरों पर जांच चल रही है।

3.8 तथापि, उन्नत दृष्टिकोण में अंतरित होने में एक अंतर्निहित चुनौती होती है क्योंकि यह प्रक्रिया जोखिम प्रबंधन प्रणाली की परिष्कृतता, प्रक्रिया एवं संस्कृति की धुरी पर टिके होने के साथ-साथ डॉटा; उपकरणों; कार्यप्रणाली की उपलब्धता एवं बैंकों की अपेक्षित दक्षता पर निर्भर होती है।

[2] विस्तृत क्षेत्र उन फर्मों या बाजार सहभागियों के लिए हैं जो स्थानीय विनियामक अपेक्षा (लाइसेंसिंग या लेनदेन संबंधी) है जो इनके क्षेत्राधिकार अधिनियमित हुए हैं, या महत्वपूर्ण अनुपालन का अधिरोपण हुआ हो, या इन अपेक्षाओं की रिपोर्टिंग अधिनियमित क्षेत्राधिकार के बाहर हो।

[3] http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120619e.pdf

[4] मुंबई में 04 सितंबर 2012 को आयोजित वार्षिक फिक्की-आईबीए बैंकिंग कान्फ्रेंस में ''*Basel III in International and Indian Contexts Ten Questions We Should Know the Answers For*'' विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. दुव्वुरी सुब्बाराव का उद्घाटन भाषण।

बॉक्स 3.1: विनियमों के विस्तृत क्षेत्रीय अभिप्राय

घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर प्रणालीगत जोखिमों को सुलझाने की दृष्टि से ध्यान केंद्रित किए जाने से विनियामक पहलों में एक नया पहलू जुड़ गया है और वह है विनियमों का विस्तृत क्षेत्रीय प्रभाव। आपस में एक दूसरे जुड़े हुए इस विश्व में किसी भी देश के राष्ट्रीय प्राधिकारी इस बात का प्रयास करते हैं कि बाहर से जोखिमों को अपने यहां न आने दिया जाए और अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखा जाए, इस मामले में विनियामक प्रायः अपनी विनियामक परिधि के बारे में व्यापक रुख रखते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कई मर्तबा विनियमों की अति महत्वपूर्ण पहुंच इन्हें इनके लिए नियत घरेलू क्षेत्राधिकार के बाहर की संस्थाओं पर भी लागू कर देती है।

विनियमों के विस्तृत क्षेत्रीय प्रभाव का आविर्भाव एक विधान के रूप में होता है या विनियमों का विकास राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर होता है या अगर इससे आगे की बात करें तो ये वैश्विक रूप से सहमत मानकों के अनुरूप नहीं होते हैं। राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित विनियमों के अलावा कुछ ऐसे विनियम भी होते हैं जिनका निर्धारण बासेल कमेटी आन बैंकिंग सुपरविजन (बीसीएसबी) या इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन आफ सिक्योरिटीज कमीशन (आईओएससीओ) जैसे बहुस्तरीय संगठन भी करते हैं और इनके विनियम अक्सर अग्रगामी की भूमिका निभाते हैं। इस प्रयास के बावजूद कि वैश्विक मानक सभी देशों में एकसमान रूप से अपनाए जाएं पर राष्ट्रीय हित महत्वपूर्ण बन जाते हैं क्योंकि हालया विनियमों से कई देशों की सार्वभौमिकता पर प्रभाव पड़ता है। अनुपालन अपेक्षाओं की लागत एवं इस बात की आशंका से भी चिंताएं उभर रही है कि अन्य देशों द्वारा एकतरफा कार्रवाई की संभावना से विनियामक खंडन भी हो सकता है।

जिन विनियमों का महत्वपूर्ण विस्तृत क्षेत्रीय अभिप्राय है उनमें से कुछ इस प्रकार हैंः-

विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए)

एफएटीसीए का उद्देश्य है कि अमेरिकन करदाताओं में से कर चोरों की पहचान करना एवं अमेरिका से इतर उन संस्थानों पर इस लागू करना है जो ग्राहकों या संबद्धों के धन का प्रबंधन करते हैं। इसके प्रावधानों में यह अपेक्षित हैं कि विदेशी वित्तीय संस्थान (एफएफआई) एवं गैर-वित्तीय विदेशी संस्थान (एनएफएफई) अमेरिकी ट्रेजरी के साथ एक अनुपालन करार करें और वार्षिक आधार पर पहचान करें एवं अमेरिकी एकाउंट को सूचित करें। इस विनियम की पहुंच अपार है क्योंकि इसमें ऐसा अधिदेश नहीं है जो कि यह कहता हो कि ऐसे संस्थान की अमेरिका में उपस्थिति अनिवार्य हो। इससे विदेशी संस्थानों को पर्याप्त सावधानी बरतने एवं अनुपालन अपेक्षाओं को पूरा करने को बाध्य करता है एवं अनुपालन न करने की दशा में कठोरता से कर रोक सकता है। इसके अलावा, संभावना बनती है कि इसकी रिपोर्टिंग अपेक्षाएं अमेरिका से बाहर के कुछ डॉटा निजता कानूनों के साथ मेल न खाएं।

डॉड-फ्रैंक नियम के तहत ओटीसी व्युत्पन्न के लिए मार्जिन अपेक्षाएं प्रस्तावित नियम में कतिपय ओटीसी व्युत्पन्न लेनदेनों के लिए बड़ी मार्जिन अपेक्षाएं लगाई जा सकती हैं। इन अपेक्षाओं का विस्तृत क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ये सभी लेनदेनों पर प्रभावी होंगी चाहे यह लेनदेन अमेरिका में हुआ हो या किसी भी ऐसे प्रतिपक्ष ने किया हो जिसकी नियंत्रक कोई अमेरिकी संस्था हो।

ऋण शोधन क्षमता II

ऋण शोधन क्षमता II जोखिम आधारित ऐसी पद्धति है जिसे यूरोपीय संघ में सभी बीमा संस्थानों पर लागू किया जाएगा। ऋण शोधन क्षमता II के निदेशों में यह मान गया है कि बीमा उद्योग वैश्विक उद्योग है, अतः इस बात की अनुमति दी जाती है कि यूरोपीयन संघ तीसरे देश की ऋण शोधन क्षमता के समकक्ष के बारे में या विवेकपूर्ण दौर के बारे में निर्णय ले सके।

सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट, 1934 (यूएस) के नियम 15(क) के तहत पंजीकरण अपेक्षाएं

सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट, 1934 (यूएस) के नियम 15(क) में यह प्रावधान है कि मेल या अंतर्राज्यीय व्यापार को करता है या करने के लिए प्रेरित करता है उसे ब्रोकर-डीलर के रूप में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी), यूएस के यहां पंजीकृत होना चाहिए। ब्रोकर-डीलर के पंजीकरण की अपेक्षा के बारे में क्षेत्रीय सीमाओं की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है अतः, ये प्रावधान विदेशी डीलरों या डीलरों पर भी लागू होते हैं। इस नियम में विदेशी ब्रोकरों-डीलरों को पंजीकरण से एक निश्चित रूप में छूट दी गई है। इन छूटों का एक निश्चित दायरा होने से अमेरिका का निवर्तमान विनियामक ढ़ांचा किसी भी आफशोर इक्विटी के साथ संपर्क या विपणन की अनुमति नहीं देता है सिवाय इसके कि ऐसा ब्रोकर-डीलर एसईसी के पास पंजीकृत हो। इससे भारत में अमेरिका से होने वाले पोर्टफोलियो निवेश में समस्या आ रही है, ऐसा विशेषतः हाल ही शुरू की गई अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक (क्यूएफआई) योजना में होने की संभावना है क्योंकि इससे विदेशी संस्थानों के साथ-साथ व्यक्तियों को भारतीय प्रतिभूति बाजार में सीधे पहुंच हासिल होती है।

3.9 उन्नत दृष्टिकोण के तहत बासेल II में यह आवश्यक है कि पूंजी प्रभार की गणना के लिए जटिल आंतरिक मॉडलों का प्रयोग किया जाए। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि बैंकों के मॉडल संबंधी दृष्टिकोण का प्रयोग जोखिम भार की आशावादी गणना की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राशियों की इक्विटी पूंजी के पोर्टफोलियों को समान जोखिम दिया जा रहा है। ऐसे मॉडलों की जटिलता एवं अस्पष्टता पूंजी पर्याप्तता अनुपात की जांच एवं मूल्यांकन को और दुरूह बना देती है। हाल में ही जारी एक रिपोर्ट में बैंक आफ इंग्लैंड ने जोखिम भार के लिए इन मॉडलों के अत्यधिक प्रयोग के प्रति चिंता जाहिर की है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप

बैंकों की पूंजी की स्थिति ज्यादा[5] दिखाई पड़ती है। बासेल समिति सभी बैंकों में जोखिम भारित आस्तियों में तथ्यपरक भिन्नताओं का मूल्यांकन भी कर रही है ताकि इस बात का अनुमान लगाया जा सके कि ये पता लगाया जा सके कि ये भिन्नताएं अभ्यास आधारित हैं न कि जोखिम आधारित एवं इस बात का मूल्यांकन भी किया जा सके कि आरडब्ल्यूए गणनाएं संबंधित बासेल मानकों के अनुकूल हैं। इस बारे में अंतिम रिपोर्ट 2013 के शुरू में आने की संभावना है।

3.10 चूंकि उन्नत दृष्टिकोण की तरफ जाने वाले बैंकों की संख्या बढ़ रही है इसलिए मान्यता देने एवं प्रमाणन का काम महत्व अर्जित कर लेगा (बॉक्स 3.2)।

परिचालन जोखिम पूंजी का मूल्यांकन

3.11 वैश्विक वित्तीय संकट के परिप्रेक्ष्य में बैंकों में कपट के कई उच्च प्रोफाइल वाले मामले सामने आए हैं, इनमें मुख्यतः विश्व स्तरीय बैंकों में ट्रेडर के मामले हैं जो कि सामने आ रहे हैं एवं अब इस बात की चिंता उभर कर सामने आ रही है कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए परिचालन संबंधी जोखिम मुख्य जोखिम के रूप में उभर रहा है। अभी हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें परिचालन संबंधी असफलताओं के लिए बैंकों को दंडित किया जा रहा है, जिससे इस तथ्य को बल मिलता है कि परिचालन संबंधी असफलता का प्रबंधन मंहगा सौदा है। इन घटनाओं के चलते बैंकों में परिचालन जोखिम पूंजी की मात्रा पर ध्यान केंद्रित हो रहा है। अब इस बात की तो उभर रही है कि बासेल III के तहत मानक दृष्टिकोण के तहत बैंकों द्वारा रख जाने वाली परिचालन जोखिम पूंजी की मात्रा को इसके राजस्व से लिंक किया जा रहा है बजाए इसके कि इसे फर्म द्वारा किए जा रहे परिचालन हानियों की मात्रा के साथ लिंक किया जाए। परिचालन जोखिम की गिनती उन जोखिमों में की जाती है जिनकी गणना करना सबसे कठिन है और बात तो यहां तक है कि उन्नत दृष्टिकोण के तहत परिचालन जोखिमों के लिए पूंजी अपेक्षाओं को कम महत्व दिया गया है।

3.12 भारतीय बैंकिंग प्रणाली में परिचालन जोखिम की मात्रा को नापना एक विकट समस्या है क्योंकि परिचालन हानियों की घटनाओं पर कोई ऐतहासिक डॉटा उपलब्ध नहीं है। समय श्रृंखला डॉटा केवल कपट की घटनाओं के बारे में ही उपलब्ध है। ऐसे डॉटा का

बॉक्स 3.2: पूंजी प्रभार की गणना हेतु आंतरिक मॉडलों पर निर्भरता के समक्ष आने वाली चुनौतियां

बासेल II के तहत उन्नत दृष्टिकोण के तहत आने वाले पूंजी प्रभारों की गणना आंतरिक मॉडलों पर काफी ज्यादा रूप से निर्भर है। तथापि, गलत या अनुचित रूप से उपयोग में लाए गए मॉडल आउटपुट या रिपोर्टों पर आधारित निर्णयों के संभाव्य दुष्परिणामों के प्रति चिंताए उभर कर सामने आ रही हैं।

मॉडल जोखिमों से वित्तीय हानि, खराब कारोबार एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेने, या बैंक की साख को खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। पते की बात यह है कि मॉडल व्युत्पन्न जोखिम संवेदनशील भार के प्रयोग में जोखिम अंतर्निहित है। मॉडल चयन या मॉडल अंशांकन (विशेषतः पीडी या एलजीडी आकलन) की पहचान जोखिम भारित आस्ति (आरडब्लयूए) के संभावित अग्रदूत के रूप में की गई है क्योंकि एक ही तरह की आस्तियों का दर निर्धारण अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग तरह से किया जाता है चाहे भले ही ये एक ही देश के हों।

प्रभावी मॉडल जोखिम प्रबंधन पर कुछ देशों ने व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। मॉडल जोखिम प्रबंधन पर अप्रैल 2011 में जारी अमेरिकी पर्यवेक्षण दिशानिर्देशों में मॉडलों की ''प्रभावी चुनौतियों'' की पहचान मॉडल जोखिम के प्रबंधन के केंद्रीय सिद्धांत के रूप में की गई है। प्रभावी चुनौती प्रेरणा, योग्यता एवं प्रभुत्व के योग पर निर्भर करती है। ऐसी चुनौतियां अनुपालन एवं जोखिम के मामले में मॉडल विशेषज्ञ, या आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य जैसे आंतरिक स्रोतों से आ सकती हैं या किसी बाह्य स्रोत से आ सकती हैं। प्रूडेंसियल रेग्युलेशन अथॉरिटी (पीआरए), यूके ने विनियामक पूंजी अपेक्षाओं की गणना हेतु आंतरिक मॉडल के प्रयोग के समक्ष आने वाली चुनौतियों की पहचान की है एवं यह अपेक्षा की है कि पूंजी अपेक्षाओं की गणना हेतु उपयोग में लाए जाने वाले मॉडल ''रूढ़िवादी'' हों एवं ऐसा न होने पर पीआरए मॉडलों के समायोजन की मांग कर सकता है या पूंजी की न्यूनतम मात्रा निर्धारित कर सकता है। स्व-जोखिम एवं ऋण शोधन क्षमता मूल्यांकन (ओआरएसए) नामक ऋण शोधन क्षमता II अपेक्षाओं के दिशानिर्देशों के अपने परामर्शी दस्तावेज में यूरोपीयन इंश्योरेंस एंड आक्युपेशनल पेंशन अथॉरिटी (ईआईओपीए) ने आंतरिक मॉडलों का उपयोग करने वाली फर्मों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस दस्तावेज में ओआरएसए प्रक्रिया का आह्वान किया गया है कि इस बात पर विचार किया जाए आंतरिक मॉडल के माध्यम से जिन जोखिमों को सुलझा लिया गया है उनके अलावा अन्य किसी जोखिम के प्रति फर्म संवेदनशील तो नहीं है एवं आंतरिक मॉडल जिस जोखिम से संबंध रखता हो वह उससे निपटने में सक्षम है या नहीं।

इस बात से भी जोखिम पैदा होते हैं कि मॉडल सभी तरह के जोखिमों का स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं। यह तथ्य इस बात से सिद्ध होता है कि हालिया परिचालनात्मक जोखिम घटनाओं से यह ज्ञात होता है कि ''व्यक्तियों एवं बैंकों की प्रक्रियाओं की असफलातओं से होने वाली हानियों के जोखिम'' बढ़ सकते हैं। उन बैंकों में ये चुनौतियां और बढ़ सकती हैं जिनमें प्रक्रियाएं ज्यादा जटिल हैं। उच्च प्रोफाइल वाली हालिया घटनाओं ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि दोषपूर्ण जोखिम मॉडल (परिचालन जोखिम का एक रूप) खर्चीले हो सकते हैं। ये जटिल मॉडल हानियों को छुपाकर कपटों को सुगम बना सकते हैं एवं जोखिम नियंत्रण को प्रभावी बनने से रोक सकते हैं।

[5] बैंक आफ इंग्लैंड फाइनेंसिएल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, नवंबर 2012

विश्लेषण यह दर्शाता है कि कपट की ऐसी घटनाओं के कारण हुई हानि की मात्रा भारतीय बैंकों में बढ़ रही है (चार्ट 3.1 एवं 3.2)।

चार्ट 3.1: बैंकिंग प्रणाली का परिचालन जोखिम भारित एक्सपोजर

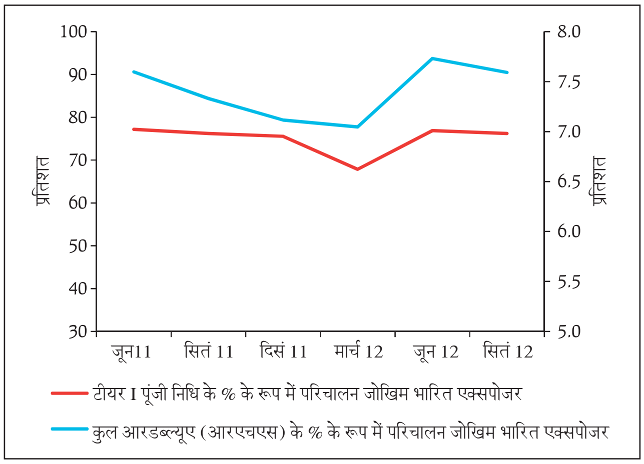

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी रिटर्न

चार्ट 3.2 कपट के शेष मामलों की राशि

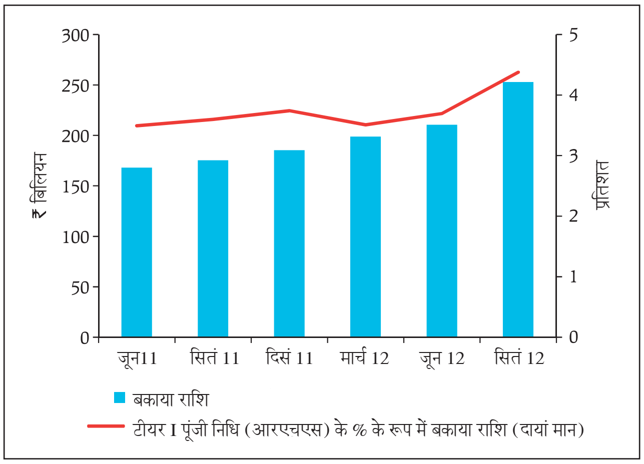

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षी रिटर्न

वित्तीय संगुट (एफसी) हेतु मैट्रिक्स की पहचान

3.13 वैश्विक सुधार एजेंडा[6] के अंग के रूप में प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों (डी-एसआईबी) के लिए ढ़ांचे को अंतिम रूप दिया गया है एवं यही उस कार्य का अनुपूरक भी होगा जो प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक बैंकों (जी-एसआईबी) के लिए किया गया है। यह ढ़ांचा 12 सिद्धांतों का एक सेट है जो डी-एसआईबी हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया एवं उच्च हानि अवशोषकता (एचएलए) अपेक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। यह मूल्यांकन प्रक्रिया घरेलू अर्थव्यवस्था पर बैंकों के असफल होने से पड़ने वाले प्रभाव पर आधारित है एवं इसका निर्धारण आकार, अंतर्संबद्धता, उप-उपयुक्तता/वित्तीय संगठन संरचना एवं जटिलता सरीखे बैंक संबंधी कारकों से होता है। जी-एसआईबी हेतु अतिरिक्त हानि अवशोषकता अपेक्षा के अनुसार पूंजी संरक्षण बफर के विस्तार के माध्यम से यह अपेक्षित है कि एचएलए अपेक्षा आम ईक्विटी टायर (सीईटी) को पूरा करे।

3.14 किसी भी भारतीय बैंक को जी-एसआईबी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। यद्यपि, वर्तमान में भारत में एसआईएफआई/डी-एसआईबी की पहचान एवं निगरानी के लिए कोई निर्दिष्ट प्रणाली नही है पर 2004-05 से एफसी की निगरानी एवं ढ़ांचे पर निगाह रखने के लिए चौकसी व्यवस्था है। यदि एफसी को परिभाषित किया जाए तो कहा जा सकता है कि यह ऐसी संस्थाओं का समूह है जो (i) संस्थाओं का ऐसा समूह जो निश्चित विनियामकों के क्षेत्राधिकार में आता हो एवं संबंधित वित्तीय बाजार खंड में उसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति हो; और (ii) समूह का परिचालन बैंक, बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (जमाराशि स्वीकार करने वाली), गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (जमाराशि स्वीकार न करने वाली) तथा प्राथमिक व्यापारी में से किसी एक या अधिक में हो। संबंधित वित्तीय बाजार खंड में महत्वपूर्ण उपस्थिति को उसके आस्ति आधार (बैंकों एवं जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी), टर्नओवर (बीमा कंपनियों हेतु), जमाराशि आधार (जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी) तथा प्रबंधतंत्र की आस्ति (म्यूचुअल फंड) को ध्यान में रखकर परिभाषित किया जा सकता है।

3.15 एफसी की पहचान का वर्तमान ढ़ांचा वित्तीय क्षेत्र संस्था के केवल 'आकार' पर आधारित है। तुलन पत्रक आस्तियों से इतर की आस्तियों, भुगतान प्रणाली की बाध्यताओं, अंतर-वित्तीय क्षेत्र लेनदेनों आदि पर भी बहुत थोड़ा ध्यान दिया जाता है। आवास

[6] http://www.bis.org/publ/bcbs233.htm

वित्त कंपनियों सरीखी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को किसी बाजार खंड के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा, वित्तीय प्रणाली में किसी भी संस्था के असफल होने के प्रभाव को पहचान मैट्रिक्स तवज्जो नहीं देता है। पहचान की इस प्रणाली से टाइप I (किसी संस्था को एफसी मानना जबकि वह एफसी नहीं है) एवं टाइप II (वित्तीय क्षेत्र की किसी संस्था को एफसी न मानना जबकि वह एफसी है) दोनों ही तरह की त्रुटि की संभावना सहित ''ब्लाइंड स्पॉट'' में वृद्धि हो सकती है।

3.16 अगर आगे की स्थिति पर नजर ड़ाले तो इस बात की आवश्यकता महसूस होती है कि एफसी की पहचान के लिए संकेतक आधारित दृष्टिकोण विकसित किया जाए। आवश्यकता है कि इस ढ़ांचे में डी-एसआईबी हेतु बासेल समिति द्वारा किए गए कार्य को जगह दी जाए एवं प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय कंपनियों की पहचान एवं प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (बीमा एवं वित्तीय बाजार ढ़ांचागत को छोड़कर) की पहचान से संबंधित चल रहे एफएसबी कार्य को भी शामिल किया जाए। इनमें से जिस किसी भी कंपनी की मूल संस्था बैंक हो उसे भी डी-एसआईबी के रूप में माना जा सकता है। वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति ने एफसी की निगरानी के लिए एक अंतर विनियामक फोरम का गठन किया है एवं यह संबंधित मसलों की जांच कर रही है।

अंतर समूह लेनदेन एवं एक्सपोजर (आईटीई)

3.17 विनियामक अंतरपणन एवं समूह के अंदर जोखिम संघीभूत होने की संभावना के चलते आईटीई पर्यवेक्षी चिंताओं से बाबस्ता होता है। समूह के अंदर सीमा निर्धारित करने के लिए या सघनता परिभाषित करने के लिए या विनियम रहित संस्थाओं के लिए विभिन्न दृष्टिकोण हैं एवं इन अपेक्षाओं में भिन्नता होने से विनियामक अंतरपणन हो सकते हैं। आईटीई से पूंजी बहाव हो सकता है एवं दुहरा या बहु लाभ हो सकता है जिससे बैंकिंग समूह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। संकटग्रस्त या गिरावट की ओर अग्रसर संगुट में आईटीई की उपस्थिति से विनियमित संस्थाओं के प्रस्तावों में मुश्किल आ सकती है (चार्ट 3.3)।

3.18 भारतीय संदर्भ में, 11 बड़े बैंकों (कुछ एफसी सहित) के 30 जून 2012 की स्थिति के अनुसार किए गए अंतर समूह एक्सपोजर के आकार के विश्लेषण से यह पता चलता है कि कुछ मामलों में ऐसे जोखिमों में बैंकिंग कंपनी की पूंजी निधि की मात्रा का प्रतिशत काफी ज्यादा है (चार्ट 3.4)।

चार्ट 3.3: किसी एक बड़े वित्तीय संगुट के मामले में अंतर समूह एक्सपोजर[7]

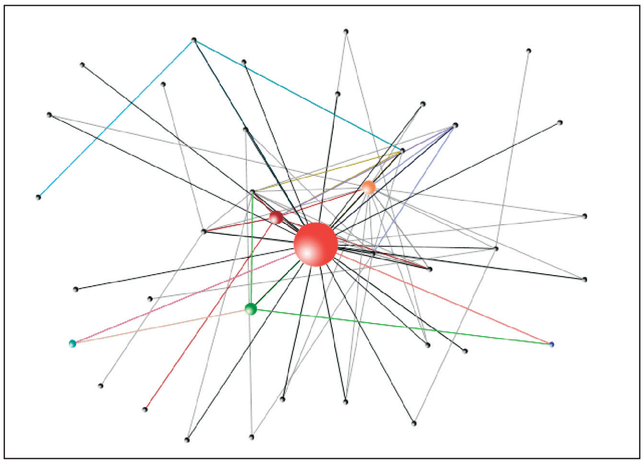

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ गणना

चार्ट 3.4: समूह में बैंक की पूंजी निधि के प्रतिशत के रूप में अंतर समूह एक्सपोजर

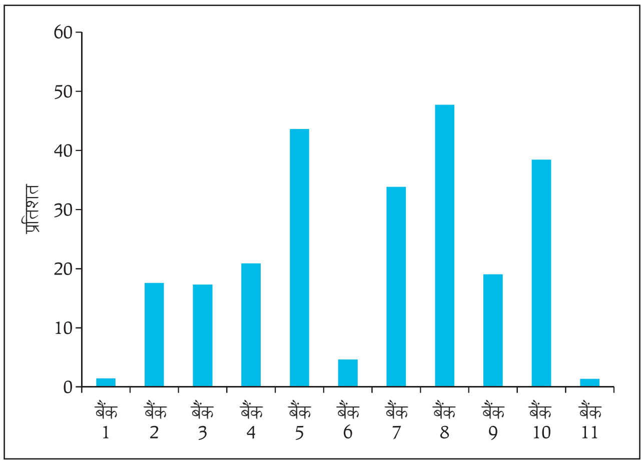

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षी रिटर्न

[7] यह चार्ट जोखिम का प्रतिनिधित्व करता है (30 जून 2012 की स्थिति के अनुसार वित्तीय संगुट की विभिन्न समूह कंपनियों के बीच निधि एवं निधि रहित के आधार पर)। चार्ट में दी गई गेंदे समूह कंपनियों (इसमें बीच में दी गई गेंद वित्तीय संगुट में) का प्रतिनिधित्व करती हैं जबकि लाइनें एक्सपोजर का प्रतिनिधित्व करती हैं।

3.19 आईटीई द्वारा प्रस्तुत जोखिमों के मद्देनज़र, अगस्त 2012 में रिज़र्व बैंक ने ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी कि ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समूह की संस्थाओं से लेनदेन करते समय बैंक एक निश्चित दूरी बनाए रखें। वित्तीय आईटीई के लिए मात्रात्मक सीमाएं एवं गैर-वित्तीय आईटीई हेतु विवेकसम्मत उपाय दोनों ही प्रस्तावित किए गए हैं ताकि आईटीई से उत्पन्न होने वाले सघन एवं संक्रामक प्रभाव को रोका जा सके। बैंकिंग विधेयक में हाल में ही हुए सुधारों से भारतीय रिज़र्व बैंक को को पर्येवेक्षण की अतिरिक्त शक्तियां मिलने के साथ-साथ ऐसे जोखिमों की निगरानी की शक्ति भी मिलेगी (बॉक्स 3.3)।

विदेशी बैंकों का अनुषंगीकरण

3.20 बैंकिंग समूहों में बढ़ती जटिलता एवं पारदेशीय अंतर्सबंद्धता ने प्रभावी समाधान दौर के अभाव में विदेशी बैंकों का मेजबान देश में शाखा के रूप में परिचालन करने की तुलना में वरीय रूप से पारदेशीय बैंकिंग ढ़ांचे अर्थात ''अनुषंगीकरण'' पर बहस को जन्म दिया है। विभिन्न क्षेत्रों में पारदेशीय बैंकिंग ढ़ांचे के विभिन्न मॉडल/मिश्रण साथ-साथ काम कर रहे हैं।

3.21 घरेलू और मेजबान दोनों ही प्राधिकारियों के नीति-निर्माताओं के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अनुषंगीकरण से स्थायित्व संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़े हुए हैं। घरेलू प्राधिकारी उस स्थिति में सहायक अनुषंगी मॉडल को वरीयता दे सकते हैं जब

चार्ट 3.5: 2008 की समाप्ति पर कुल आस्तियों में विदेशी बैंकों की शाखाओं एवं सहायक संस्थाओं का हिस्सा

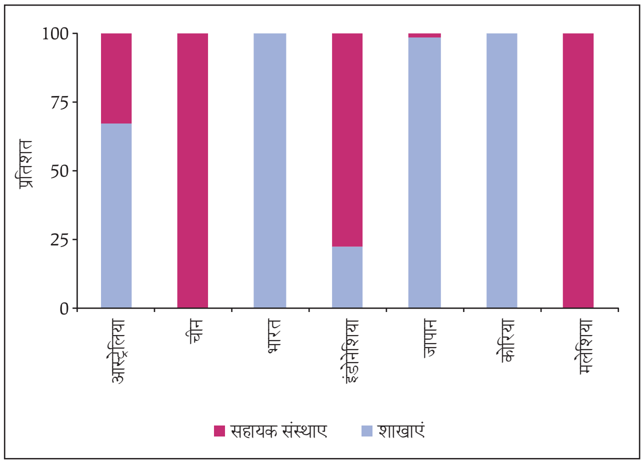

स्रोत: ''सबस्डिरी और ब्रांचेस : डज न साइज फिट आल'' आईएमएफ स्टाफ डिस्कशन नोट, मार्च 2011

बॉक्स 3.3: बैंकिग विधि (संशोधन) विधेयक, 2012

संसद के दोनों सदनों ने बैंकिग विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित कर दिया है ताकि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949; बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970; बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन किया जा सके एवं इन संशोधनों के परिणामस्वरूप कतिपय अन्य कानून बनाए जा सकें।

यह विधेयक भारतीय रिज़र्व बैंक को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि बैंकों का स्वामित्व एवं प्रबंधन ऐसे व्यक्तियों के हाथों में हो जो ''फिट एंड प्रोपर'' मानकों को पूरा करते हों। यह भारतीय रिज़र्व बैंक को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी भी बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर सकता है तथा इस उद्देश्य के साथ 12 महीने के लिए प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है कि बैंकिंग कंपनी के कारोबार को जमाकर्ताओं या किसी बैंकिंग कंपनी के हित विरुद्ध कार्य करने से रोका जा सके या किसी अन्य बैंकिंग कंपनी में समुचित प्रबंधन का कार्य किया जा सके।

यह विधेयक रिज़र्व बैंक को यह शक्ति भी प्रदान करता है कि वह समेकित रूप से बैंकों का पर्यवेक्षण कर सके तथा इसमें उनके अनुषंगी एवं सहायक संगठन भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य यह है कि सहयोगी वित्तीय एवं गैर-वित्तीय संस्थाओं से समूह में उत्पन्न हो रहे खतरों से बैंकों को बचाने के लिए एक सीमा-रेखा बनाई जा सके।

इसके अलावा, संशोधन में एक प्रावधान यह भी है कि दस वर्षो से अधिक समय तक निष्क्रिय पड़े बैंक खातों की अदावी राशि लेकर जमाकर्ताओं हेतु शिक्षा एवं जागरूकता निधि बनाई जाए एवं इसका उपयोग जमाकर्ताओं के हित संवर्धन या रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए किया जाए। इस विधेयक में सहकारी बैंक क्षेत्र के समेकन एवं सहकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्यप्रणाली को स्टेकधारकों के हितों के प्रतिकूल किए बिना ही बेहतर तथा उन्नत बनाने का प्रावधान भी किया गया है।

[8] वित्तीय आईटीई वे होते हैं जिनके परिणाम को आस्ति, देयता एवं/या राजकोषीय लेनदेनों के रूप में वित्तीय प्रवाह के प्रदर्शन से जोड़ा जा सकता है। वित्तीय आईटीई के उदाहरण के रूप में निधि-आधारित एवं गैर-निधि आधारित लेनदेनों का नाम लिया जा सकता है।

[9] गैर-वित्तीय आईटीई वे होते हैं जिनमें विभिन्न वैधानिक स्वतंत्र संस्थाओं के कारोबारी खंडों या कार्य क्षेत्र के नियंत्रण/प्रभावी जोखिम प्रबंधन के मैट्रिक्स प्रबंधन के चलते होने वाले परिचालन होते हैं।

उनके बैंक जोखिमपूर्ण पारदेशीय माहौल में अपना विस्तार कर रहे हों। मेजबान प्राधिकारी भी सहायक अनुषंगी मॉडल को वरीयता दे सकते हैं क्योंकि इससे उन समस्याओं से बचा जा सकता है जिनका सामना मूल कंपनी कर रही है। यदि घरेलू वित्तीय प्रणाली में विदेशी बैंकों द्वारा प्रवर्तित अनुषंगी बेहद महत्वपूर्ण बन जाएं तो संभाव्य अधोगामी जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। पूर्ववर्ती प्रमाण यह दर्शाते हैं कि जिन देशों में ऐसे अनुषंगी वृहद पैमाने पर कार्यरत हैं वे वहां पर अपने परिचालन को तब वे मेजबान देश में या तो कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं जब उनके देश में कोई प्रतिकूल घटना घटती है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित होना आवश्यक नहीं है कि अनुषंगी स्थापित करने से इसके मूल बैंक से इसे बिना शर्त के समर्थन मिले।

3.22 रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2011 में *भारत में विदेशी बैंकों के उपस्थिति पर चर्चा पत्र* जारी किया। इस पत्र में प्रस्ताव है कि कतिपय शर्तों एवं कतिपय उच्च सीमाओं के अधीन आरंभिक स्तर पर ही विदेशी बैंकों को अनुषंगी रूप में ज़अर्थात पूर्ण स्वामित्व वाले अनुषंगी (डब्ल्यूओएस.) अपनी उपस्थिति दर्ज़ करवाने का अधिदेश दिया गया है। जो विदेशी बैंक शाखा के रूप में आए हैं उन्हें भी अधिदेश दिया जाए कि जब वे शर्तें पूरी कर लें/उच्च सीमा हासिल कर लें या वे प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो जाएं तो वे अपने आप को डब्ल्यूओएस में तब्दील कर लें।

लेखा मानकों की अभिसारिता

3.23 कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार ने घोषणा की है कि भारत में कार्यरत बैंक 01 अप्रैल 2013[10] से इंटरनेशनल फाइनेंसियल रिपोर्टिंग स्टेंडर्डस (आईएफआरएस) से अभिसारित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) में अंतरण करेंगे। इस अनुसूची को घोषित करते समय आईएफआरएस 9 को अंतिम रूप देने के लिए निराधारित उस समय की प्रस्तावित इंटरनेशनल एकाउंटिंग स्टेंडर्डस बोर्ड (आईएएसबी) की समय सीमा एवं मानकों को अंतिम रूप देने के पश्चात कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित समय को ध्यान में रखा गया था। तथापि, आईएएसबी अपने नए वित्तीय लिखत मानक (आईएफआरएस 9) की अनिवार्य तारीख को 2013 से बढ़ाकर 2015 कर दिया है तथा नवंबर 2012 में एक्सपोजर ड्राफ्ट जारी कर दिया है जिसमें वित्तीय आस्ति के वर्गीकरण एवं माप से संबंधित आईएफआरएस 9 के बारे में अंतिम रूप दिए गए पिछले हिस्से में सीमित संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा यूएस फाइनेंसियल एकाउंटिंग स्टेंडर्डस बोर्ड (एफएएसबी) ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि हानि (ऋण की हानि वाला प्रावधानीकरण) मॉडल के संशोधित दृष्टिकोण का पता लगाया जाए जो कि आईएएसबी के ''थ्री बकेट'' हानि मॉडल[1] से भिन्न हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इन गतिविधियों ने घरेलू बैंकों के लिए अभिसारण प्रक्रिया में जटिलता एवं अनिश्चितता के आयाम को जोड़ दिया है।

छाया बैंकिंग प्रणाली

3.24 छाया बैंकिंग प्रणाली के विनियमों को मजबूत करने के लिए नीतिगत ढ़ांचा बनाने एवं संभाव्य प्रणालीगत जोखिमों को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर काफी प्रगति हुई है। (बॉक्स 3.4)

3.25 वैश्विक सुधार एजेंडा का मोटा-मोटा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छाया बैंकिंग प्रणाली समुचित निगरानी के अधीन रहे जिससे कि इस क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का समाधान हो सके। तथापि, यह दृष्टोण मानता है कि कई क्षेत्रों में छाया बैंकिंग प्रणाली उपयोगी आर्थिक भूमिका निभा सकती है एवं दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है और ऐसा करने के कारण ये हो सकते हैंः-

- जोखिमों का विशाखन एवं जोखिम केंद्रीकरण को सीमित करना;
- बड़े पैमाने की किफायत
- कतिपय निश्चित बाजार खंडों को सेवा प्रदान करने में विशेषीकृत वित्तीय कंपनिया बैंकों से भी ज्यादा दक्ष हैं; एवं
- वित्तीय समावेशन संबंधी प्रतिफल

3.26 एक ओर जहां नीतिगत ढ़ांचा छाया बैंकिंग प्रणाली के विनियमन एवं निगरानी के लिए बनाया जा रहा है वहीं अंतिम सिफारिशें कई क्षेत्रों में विकसित की जा रही हैं। अस्तित्व में आने वाले इस नीतिगत ढ़ांचे में आवश्यकता में कि यह अनुकूलनीय स्वरूप वाली छाया बैंकिंग प्रणाली के प्रति अनवरत रूप से सजग

[10] फरवरी 2011 में प्रकाशित 35 भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) में यह कहा गया है कि कराधान से संबंधित मसलों समेत सभी मामलों को निपटाने के पश्चात इके कार्यान्वयन की तारीख को बाद में अधिसूचित किया जाएगा। इसके बाद एमसीए की तरफ से इसके कार्यान्वयन की तारीख को कोई घोषणा नहीं की गई है। परिणामस्वरूप, एमसीए के रोडमैप के अनुसार जिन संस्थाओं को 01 अप्रैल 2011 तथा 01 अप्रैल 2012 से आईएफआरएस में अंतरित होना था उन्होंने ऐसा नहीं किया।

[11] संभाव्य हानियों की पहचान के लिए समय के मूल्यांकन के लिए आईएएसबी हानि मॉडल वित्तीय आस्तियों को तीन श्रेणियों (या ''बकेट'') में बांटता है। पहचानी गई हानि की मात्रा आबंटित आस्ति की श्रेणी पर निर्भर करती है। वित्तीय आस्तियों हेतु पहचाने गए 12 महीनों की संभावित हानि को पहली बकेट में रखा जाता है जबकि आजीवन हानि के रूप में पहचाने गए को बकेट 2 तथा 3 में रखा गया है। तथापि, हानि मॉडल के सूक्ष्म ब्योरों की पड़ताल आईएएसबी कर रहा है एवं हानि पर जखिम ड्राफ्ट केवल 2013 तक तैयार हो पाएंगे।

बॉक्स 3.4 छाया बैंकिंग प्रणाली के विनियम को सुदृढ़ करना[12]

छाया बैंकिंग प्रणाली की प्रभावी निगरानी के लिए एफएसबी मे रिपोर्टों कि श्रृंखला प्रकाशित कि है जिसमें कई सिफारिशें की गई हैं।

बैंकों का छाया बैंकिंग संस्थाओं से परस्पर संबंध

संकट काल से कुछ ऐसे उपाय क्रियान्वित (बासेल 2.5 तथा बासेल III के माध्यम से) किए गए हैं/किए जा रहे हैं जो छाया बैंकों द्वारा प्रस्तुत कुछ जोखिमों के प्रति बैंकिंग क्षेत्र को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इन उपायो में पुनः प्रतिभूतिकरण के प्रति बैंकों के जोखिम के लिए एवं वित्तीय संस्थाओं हेतु पूंजी अपेक्षा को बढ़ाना; प्रतिभूतिकरण से संबंधित बढ़ी हुई प्रकटन अपेक्षा एवं प्रतिभूतिकरण जोखिम हेतु बढ़ी हुई आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया शामिल है। इसके अलावा, बासेल समिति छाया बैंकिंग संस्थाओं के प्रति बैंकों के जोखिम के लिए विनियामक उपयों को और बेहतर करने की दिशा में प्रयासरत है। इन उपायों में वृहद जोखिम दौर विकसित करना एवं निधियों की ईक्विटी में बैंकों के निवेश के लिए जोखिम संवेदनशील पूंजी उपचार करना शामिल है।

मुद्रा बाजार निधि (एमएमएफ)

एमएमएफ में प्रणालीगत जोखिमों हेतु प्रदर्शित संभावनाओं के मद्देनज़र, विशेषतः उन फंडों में जो अपने निवेशकों को स्थायित्वपूर्ण या एकसमान निवल आस्ति मूल्य का प्रस्ताव देते हैं, नीतिगत सिफारिशें जारी की गई हैं जो सभी देशों में एमएमएफ विनियमन एवं प्रबंधन हेतु आम मानक का आधार प्रदान करते हैं। इन सिफारिशों में मूल्यांकन, चलनिधि प्रबंधन, साख दर का उपयोग, प्रकटीकरण तथा रिपो का प्रयोग जैसे कई मसले शामिल हैं।

छाया बैंकिंग की अन्य संस्थाएं

गैर-बैंकिंग वित्तीय जगत (एमएमएफ से इतर) की वृहद विविधता तथा कारोबारी मॉडलों की विभिन्नता एवं जोखिम प्रोफाइल के मद्देनज़र इन संस्थाओं के सम्मुख प्रस्तुत जोखिमों को कम करने के लिए आर्थिक कार्य आधारित (अर्थात गतिविधि आधारित) दृष्टिकोण अख्तियार किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित पांच आर्थिक कार्यां के ढ़ांचे का निर्धारण किया गया हैः-

- ग्राहक नकदी पूल का प्रबंधन ऐसे फीचर के साथ करना जिससे वह लंबी अवधि में संवेदनशील बना रहे;
- ऐसा ऋण प्रावधानीकरण जो अल्पावधि निधियन पर आश्रित हो;
- ऐसी बाजार गतिविधियों की मध्यस्थता जो ग्राहकों की आस्ति की अल्पावधि निधीयन या सुरक्षित निधीयन करे;
- ऋण सृजन को सुगम बनाना; एवं
- वित्तीय संस्थाओं का प्रतिभूतिकरण एवं निधीयन

प्रतिभूतिकरण

संकट शुरू होने से, प्रतिभूतिकरण से जुड़े हुए प्रणालीगत अवरोधन अपेक्षा से संबंधित सुधार तथा प्रतिभूतिकरण उत्पादों में पारदर्शिता एवं मानकीकरण में वृद्धि के उपायों सहित कई उपाय किए गए हैं। इसके अलावा, जोखिम अवरोधन अपेक्षाओं की अभिसारिता एवं बढ़ी हुई निगरानी, जारीकर्ता द्वारा प्रकटीकरण में सुधार एवं प्रतिभूतिकरण उत्पादों के मानकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए संभाव्य नीतिगत कार्रवाईयों की पहचान कर ली गई है।

प्रतिभूति उधार देना तथा रिपो

प्रतिभूति उधार देने तथा रिपो बाजार में चल रही परंपराओं से वित्तीय स्थायित्व के प्रति उत्पन्न होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए नीतिगत सिफारिशों की श्रृंखला विकसित की जा रही है। इससे विनियामकों एवं अंतिम छोर पर खड़े निवेशक को बेहतर रिपोर्टिंग करने में, पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण में सुधार, नकदी संपार्श्विक के पुनर्निवेश तथा ग्राहक आस्ति के पुनः-दृष्टिबंधन के साथ जुड़े हुए जोखिमों को सुलझाने, मार्जिन परंपराओं के लिए न्यूनतम मानक शुरू करने, संपार्श्विक मूल्यांकन तथा प्रबंधन परंपराओं को सुदृढ़ करने, केंद्रीय समाशोधन शुरू करने की संभावना का पता लगाने तथा प्रतिभूति उधार देने तथा रिपो लेनदेनों के दिवालिया कानूनों को सुलझाने संबंधी तथ्य शामिल हैं।

रहे क्योंकि यह प्रणाली वित्तीय एवं विनियामक पटल पर होने वाली गतिविधियों में में अनवरत नवोम्नेषी रुख अख्तियार करें।

3.27 अगर भारतीय संदर्भ की बात जए तो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ''एनबीएफसी क्षेत्र के मुद्दे एवं चिताएं'' विषय पर गठित कार्यदल ने विनियामक अंतरपणन तथा प्रणालीगत जोखिमों के निपटान के बारे में काफी सिफारिशें की ताकि सुदृढ़ एवं लोचदार गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र का सृजन हो सके। कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2012 में प्रवेश बिंदु मानदंडों, मुख्य कारोबारी मानकों, विवेकसम्मत विनियमों, एनबीएफसी हेतु चलनिधि आवश्यकताओं तथा कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में संशोधित मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं। मसौदा दिशानिर्देशों में इस नए विनियामक ढ़ांचे को अस्तित्व में लाने के लिए पर्याप्त समय दिए जाने का प्रस्ताव है ताकि संशोधित विनियमों का निर्बाधित तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

[12] ''स्ट्रैंथिनिंग ओवरसाइट एंड रेग्यूलेशन आफ शैडो बैंकिंग : एन इंटीग्रेटिड ओवरव्यू आफ पॉलिसी रिकमंडेशन'', फाइनेंसियल स्टैबिलिटी बोर्ड, नवंबर 2012

गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में वृद्धि की प्रवृत्तियां

3.28 कई विकसित देशों में भी जो ''छाया बैंकिंग प्रणाली'' अस्तित्व में है वह भारतीय संदर्भों में संगत नहीं है क्योंकि हमारे देश में विनियामक दायरा काफी विस्तृत है जो अधिकांस गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को अपने आप में समाहित कर लेता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन भारतीय रिज़र्व बैंक करता है जबकि बीमा कंपनियों एवं आस्ति प्रबंधन कंपनियों का विनियमन क्रमशः बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) करता है।

3.29 विगत वर्षों में एनबीएफसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर समेकन देखा गया है जिससे विभिन्न गतिविधियों वाली बड़ी कंपनियों का उदय हुआ है। मार्च 1998 में जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी की संख्या 1500 थी जो अब विनियमों के प्रभाव के चलते क्रमिक रूप से घटकर 300 रह गई है। 1997 के पश्चात किसी भी नए एनबीएफसी को जनता से जमाराशि स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी गई है।

3.30 गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का 21 प्रतिशत है जो कि वैश्विक औसत से अपेक्षतया कम है। तथापि, संकट के पश्चात ''अन्य वित्तीय मध्यस्थों'' की वृद्धि दर अपने मैक्सिको, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका एवं चीन समेत अन्य समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक रही है। इस खंड में वृद्धि के एक हिस्से का श्रेय अर्थव्यवस्था में वित्तीय पैठ सरीखे ढ़ांचागत कारकों को दिया जा सकता है वहीं अध्याय II (चार्ट 3.6 तथा 3.7) में की गई चर्चा के अनुसार देश में बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र की परस्पर संबद्धतता के मद्देनज़र अधोरेखित प्रवृत्तयों पर नजदीक से निगरानी रखने की आवश्यकता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र का विनियामक कवरेज

3.31 तथापि, देश में छाया बैंकिंग प्रणाली के संबंध में विनियामक कवरेज तथा डॉटा की उपलब्धता में कुछ कमियां रही हैं। उदाहरणार्थः-

- गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के विनियामक एवं पर्यवेक्षी ढ़ांचे से सरकार द्वारा प्रायोजित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान बाहर ही रहे हैं।
- डाकघरों, कर्मचारी भविष्यनिधि या सरकारी पेंशन योजनाओं द्वारा बड़ी मात्रा में किए जा रहे निधियों के लेनदेन पर विनियामक निगरानी बहुत ही कम है।
- चिट फंड, मल्टी लेविल मार्केटिंग स्कीमों आदि सरीखी सामूहिक निवेश योजनाएं चलाने वाली संस्थाओं के मामलों में विनियामक अस्पष्टता/कमियां हैं।

चार्ट 3.6: अन्य वित्तीय मध्यस्थों का आकार (जीडीपी, क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में)

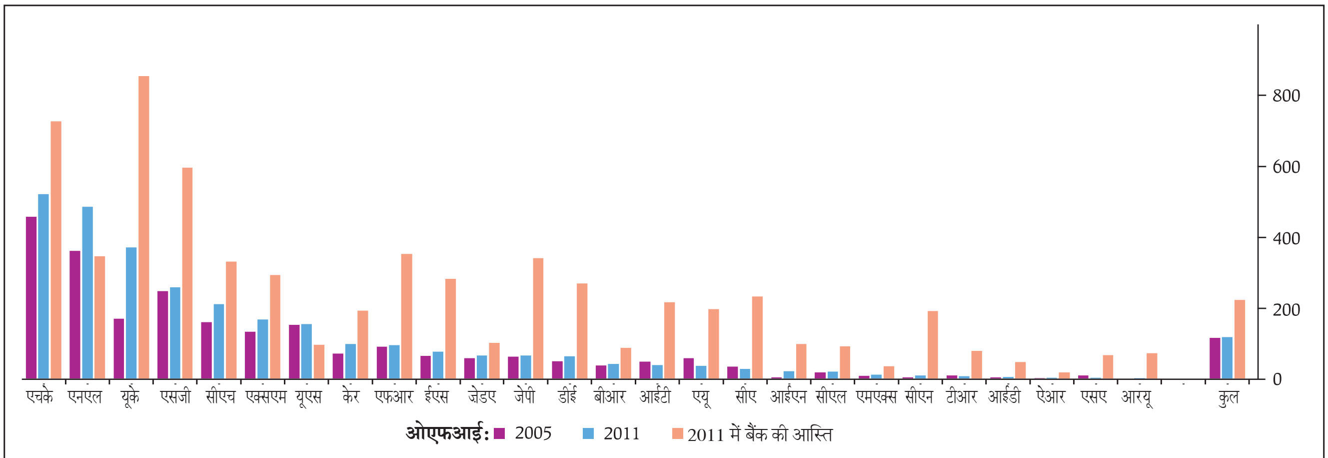

स्रोत: ''ग्लोबल शैडो बैंकिंग मॉनीटरिंग रिपोर्ट 2012'', एफएसबी नवंबर 2012

[13] ''ग्लोबल शैडो बैंकिंग मॉनीटरिंग रिपोर्ट 2012'', एफएसबी नवंबर 2012 में दी गई परिभाषा के अनुसार ''अन्य वित्तीय मध्यस्थों'' में ऐसे एनबीएफआई भी शामिल हैं जिन्हें बीमा निगमों या पेंशन निधियों या सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। भारतीय संदर्भ में मुख्यतः इसका उल्लेख एनबीएफसी क्षेत्र एवं तरल म्यूचुअल फंड के रूप में होता है।

चार्ट 3.7 संकट के पूर्व एवं पश्चात अन्य वित्तीय मध्यस्थ क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि
(प्रतिशत में, क्षेत्रवार)

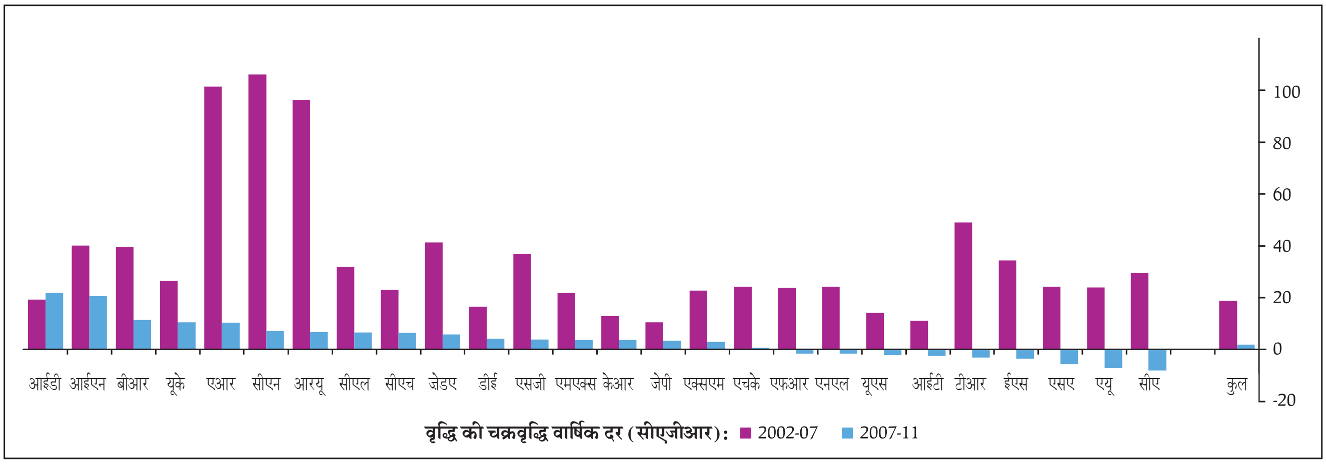

एआर = अर्जेंटीना, एयू =- आस्ट्रेलिया, बीआर = ब्राजील, सीए = कनाडा, सीएच = स्विटजरलैंड, सीएल = चिली, सीएन = चीन, डीई = जर्मनी, ईएस = स्पेन, एफआर = फ्रांस, एचके = हांगकांग, आईडी = इंडोनेशिया, आईएन = भारत, आईटी = इटली, जेपी = जापान, केआर = कोरिया, एमएक्स = मैक्सिको, एनएल = नीदरलैंड, आरयू = रूस, एसए = सऊदी अरब, एसजी = सिंगापुर, टीआर = तुर्की, यूके = यूनाइटेड किंगडम, यूएस = अमेरिका, एक्सएम = यूरो क्षेत्र, जेडए = दक्षिण अफ्रीका

स्रोत: ''ग्लोबल शैडो बैंकिंग मॉनीटरिंग रिपोर्ट 2012'', एफएसबी नवंबर 2012

3.32 देश में गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के आकार एवं इसके द्वारा प्रस्तुत प्रनालीगत जोखिम के समग्र मूल्यांकन के लिए डॉटा गैप को भरना आवश्यक है। इन मुद्दों को सुलझाने के लिए वित्तीय क्षेत्र के समस्त विनियामकों के प्रतिनिधित्व वाला एक कार्य समूह देश में छाया बैंकिंग क्षेत्र को ''माइक्रो मैप'' करने का प्रयास कर रहा है।

बैंकाश्युरेंस

3.33 जीवन बीमा के उत्पादों के वितरण में बैंको की महत्वपूर्ण भूमिका है। अक्तूबर 2012 में इरडा ने बैंकाश्युरेंस के बारे में संशोधित जोखिम मसौदा जारी किया। संशोधित विनियमों में बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे या तो दलाल के रूप में या कॉरपोरेट एजेंट के रूप में बीमा उत्पाद बेच सकते हैं। बीमा उत्पाद बेचने वाले बैं कई लाभ प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैः- ये बैंकों के ग्राहकों को बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं एवं इससे बैंकों के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता है; बैंकों के वृहद नेटवर्क एवं विपणन चैनल के माध्यम माध्यम से बीमा उत्पादों की पहुंच बढ़ती है; एवं अधिक प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को बेहतर प्रीमियम एवं सेवा मिलती है। तथापि, जैसा कि पिछली एफएसआर में दर्शाया गया है कि ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिससे यह ज्ञात हुआ है कि चैनल के माध्यम से बीमा उत्पादों की गलत तरीके से बिक्री भी हुई है। जोखिम मसौदे में बैंकाश्युरेंस के लाभ हासिल करने के बारे में कहा गया है और गलत तरीके से बिक्री से जुड़ी चिंताओं को सुलझाने के लिए कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं जिनमें कहा गया है कि कोई बैंक बैंकाश्युरेंस के एजेंट के रूप में कितनी कंपनियों से करार कर सकता है इसकी उच्च सीमा तय की जाए, शिकायत निपटान प्रणाली में सुधार किया जाए, आचार संहिता निर्धारित की जाए तथा केवाईसी के बारे यथोचित सावधानी बरती जाए तथा इसका अनुपालन किया जाए (सारिणी 3.1 एवं 3.2)।

सारणी 3.1 : जीवन बीमा क्षेत्र के तहत प्रीमियम : बैंकाश्युरेंस बनाम अन्य चैनल

वित्त वर्ष	व्यक्तिगत श्रेणी				समूह श्रेणी			
	बैंक		अन्य		बैंक		अन्य	
	योजनाओं की संख्या	प्रीमियम (₹ बिलियन)	योजनाओं की संख्या	प्रीमियम (₹ बिलियन)	योजनाओं की संख्या	प्रीमियम (₹ बिलियन)	योजनाओं की संख्या	प्रीमियम (₹ बिलियन)
2009-10	2.1	86.9	52.3	758.9	444	6	28224	272.8
2010-11	1.9	110.7	46.7	729.5	1834	13.2	28765	418.7
2011-12	2.2	97	42	551.1	936	31.0	30593	459.8

स्रोत: बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

3.34 जोखिम मसौदे के कई पक्षों पर सावधानीपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान विनियम बैंकों को बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं देते हैं। बीमा दलाल की भूमिका निभाते समय बैंक उस समय हित-टकराव का सामना भी करते हैं जब बीमा कंपनी का प्रवर्तक भी बैंक ही हो। इसके अलावा, जोखिम मसौदे के कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जिन्हें यदि लागू किया जाए तो बैंकों के सम्मुख प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम भी उत्पन्न हो सकता है।

भुगतान एवं निपटान प्रणाली

3.35 लेनदेन निपटान के लिए इलैक्ट्रॉनिक माध्यम के उपयोग के बढ़ रहा है एवं भुगतान एवं निपटान प्रणाली इस दौरान मजबूत रूप से काम कर रही है (चार्ट 3.8 एवं 3.9)। वृहद मूल्य भुगतान प्रणाली के लिए नियमित रूप से किए जाने वाले आपदा रिकवरी जांचों में यह साबित हुआ है कि ऐसी प्रणालियों की कारोबारी निरंतरता के लिए सुदृढ़ इंतजाम मौजूद हैं।

3.36 रज़र्व बैंक ने जून 2012 में तीन वर्ष की अवधि (2012-2015) के लिए भुगतान प्रणाली विज़न दस्तावेज जारी कर दिया है। यह दस्तावेज इस बात की पुनः पुष्टि करता है कि देश में सुरक्षित, दक्ष, सुगम, समावेशी, अंतः प्रचालनीय एवं प्राधिकृत भुगतान एवं निपटान प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए रिज़र्व बैंक प्रतिबद्ध है।

विदेशी मुद्रा विनिमय प्रणाली में सीमांत गतिविधि

3.37 वैश्विक वित्तीय संकट से यह बात सामने आई कि वित्तीय प्रणाली में अत्यधिक अग्रचक्रीयता से वित्तीय स्थायित्व के प्रति जोखिम उत्पन्न होता है जिससे वास्तविक अर्थव्यवस्था में तेजी आती है एवं बाजार तनाव तथा उथल-पुथल में तीव्रता आती है। ओटीसी व्युत्पन्न बाजार के मामले में अग्रचक्रीयता जोखिम प्रबंध परंपराओं (मार्जिन, हेयर कट) एवं कारोबारी या ऋण चक्र उतार-चढ़ाव के बीच होने वाले परिवर्तन से सहसंबंधित हो। इस बारे में केंद्रीय प्रतिपक्षों (सीसीपी) एवं एक्सचेंजों के बीच की सीमांत नीतियों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिपक्षीय असफलता से उत्पन्न होने वाली भविष्य की संभाव्य हानियों से प्रणाली को बचाने के लिए सीसीपी मार्जिन लगाता है। मगर यदि भविष्य की संभाव्य हानियों का आकलन पूर्णतः उथल-पुथल पर ही आधारित है तो बाजार की उथल-पुथल बढ़ने की स्थिति में मार्जिनों में भी तीव्र वृद्धि होगी। हाल ही में जारी ''संपार्श्विक एवं मार्जिन पर वित्तीय बाजार के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत'' के महत्वपूर्ण पहलुओं में यह स्पष्ट करते हुए जोर दिया गया है कि संपार्श्विक एवं मार्जिन के लिए

सारिणी 3.2 गैर-जीवन बीमा क्षेत्र के तहत प्रीमियम : बैंकाश्युरेंस बनाम अन्य चैनल

वित्त वर्ष	Banks		Others	
	पॉलिसियों की संख्या (मिलियन)	प्रीमियम (₹ बिलियन)	पॉलिसियों की संख्या (मिलियन)	प्रीमियम (₹ बिलियन)
2009-10	6.5	2819.3	82.5	35650.0
2010-11	6.5	2849.3	101.2	44258.4
2011-12	7.1	3273.3	81.6	54690.7

स्रोत: बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

चार्ट 3.8 निपटान प्रणाली का प्रतिशत वितरण (मूल्य में)

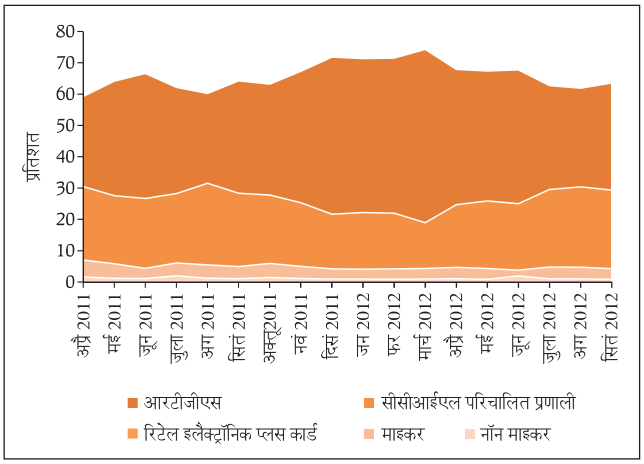

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

चार्ट 3.9: निपटान प्रणाली का प्रतिशत वितरण (मात्रा में)

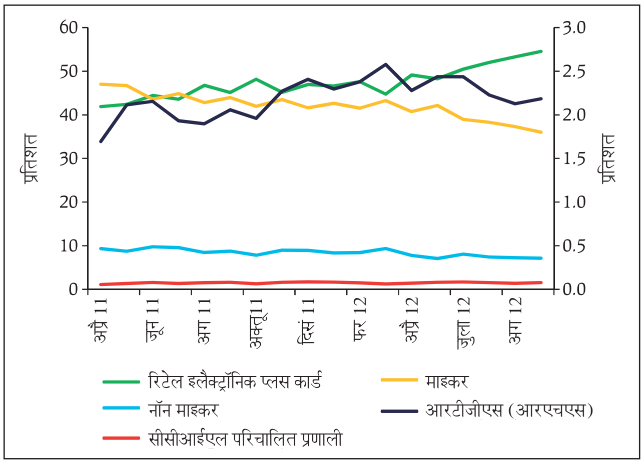

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

[14] http://www.bis.org/publ/cpss101.htm

ऐसी स्थायित्वपूर्ण नीतियां बनानी आवश्यक हैं जो अग्रचक्रीयल समायोजनों की आवश्यकता को कम करें।

3.38 पिछले एक वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा बाजार की आस्थिरता के रुझानों एवं भारतीय समाशोधन निगम (सीसीआईएल) द्वारा एकत्र की गई मार्जिन के विश्लेषण से प्रचक्रियता के कुछ संकेत प्राप्त होते हैं। तथापि, अपनी प्रारंभिक मार्जिन संगणना के एक भाग के रूप में भारतीय समाशोधन निगम द्वारा निर्धारित न्यूनतम मार्जिन से प्रचक्रयिता का प्रभाव कुछ हद तक कम हो जाता है। हाल ही में अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा बाजार में वायदा प्रीमियम में बढ़ी स्थिरता को प्रदर्शित करने के लिए भारतीय समाशोधन निगम ने प्रारंभिक मार्जिन संगणना को और परिष्कृत कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप न्यूनतम मार्जिन अपेक्षाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भविष्य में इससे प्रचक्रियता के दुष्प्रभावों को और भी कम किया जा सकता है। तब भी, मार्जिन के अंतर्निहित रुझानों पर करीब से निगरानी रखनी होगी (चार्ट 3.10 तथा 3.11)।

3.39 विभिन्न बाजारों में खरीद-बिक्री की दृष्टि से भी उपर्युक्त मुद्दे उतने ही प्रासंगिक हैं। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा किए गए एक आकलन में यह पाया गया है कि इक्विटी डेरिवेटिव एवं मुद्रा फ्यूचर्स के लिए सीसीपी द्वारा निर्धारित प्रारंभिक मार्जिन कीमतों/विनिमय दरों की दैनिक अस्थिरता को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं। इस प्रकार के मार्जिन निर्धारण की भावी प्रचक्रियता, यदि कोई हो, का आकलन तथा निगरानी करने की भी जरूरत है।

इक्विटी बाजार सीसीपी का बैंकों में एक्सपोजर

3.40 पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों में घरेलू भुगतान एवं निपटान प्रणालियों की परस्पर निर्भरता पर चर्चा की गई है। इक्विटी बाजार में सीसीपी अन्य लिखतों के साथ-साथ बैंक गारंटियों एवं प्रतिभूतियों (जो बाद में बैंकों द्वारा जारी किए जाएं) के रूप में निपटान गारंटी फंड में मार्जिन/अंशदान स्वीकार करता है। इससे बैंकिंग क्षेत्र की तुलना में सीसीपी का ऋण जोखिम एक्सपोजर बढ़ता है। किसी एक बैंक अथवा किसी एक विशिष्ट वर्ग के बैंकों में सीसीपी के अत्यधिक संकेंद्रण को रोकने के लिए विवेकपूर्ण विनियामक सीमाएं निर्धारित की गई हैं। बैंकिंग क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड (एनएससीसीएल) तथा बॉम्बे शेयर बाजार (बीएसई) के एक्सपोजर को बैंकिंग प्रणाली के संपूर्ण एक्सपोजर की तुलना में सुव्यवस्थित रूप से पांच शीर्ष बैंकों के क्रमशः 18.5 प्रतिशत एवं 24.1 प्रतिशत पर बांट दिया गया है। तथापि, इन पांच शीर्ष बैंकों की सूची में से चार बैंक राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम लिमिटेड (एनएससीसीएल) तथा बॉम्बे प्रतिभूति बाजार

Chart 3.10: Forex Market Volatility and Margin (Initial and Volatility Margins) collected by CCIL

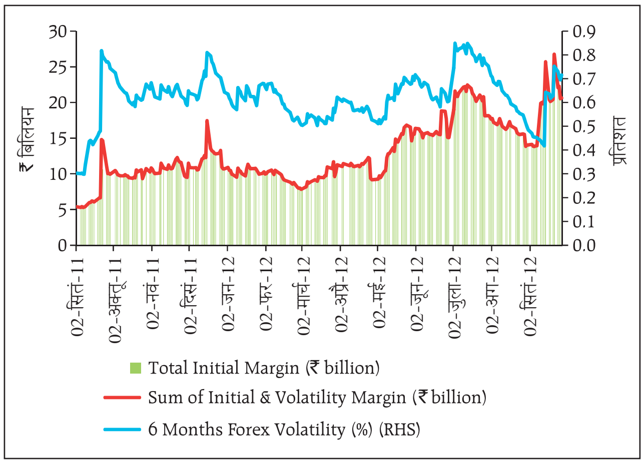

स्रोत: सीसीआईएल

Chart 3.11: Forex Market Volatility and Change in Initial Margins collected by CCIL

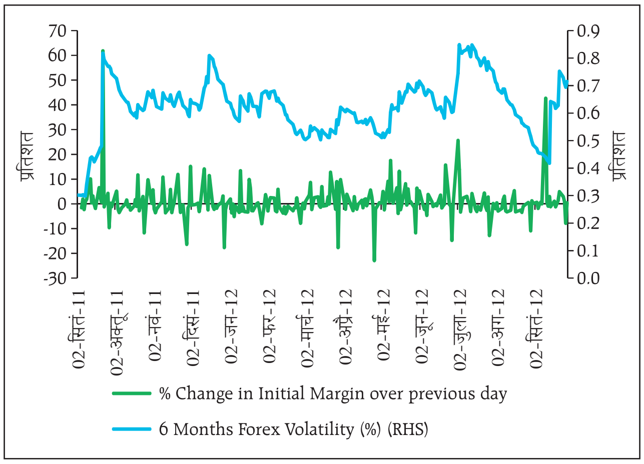

स्रोत: सीसीआईएल

Table 3.3: Exposure of NSCCL and BSE to Banks

	Exposure as a % of SGF	
	NSCCL	BSE
बैंक 1	6.8	8.5
बैंक 2	5.7	5.4
बैंक 3	3.2	3.0
बैंक 4	1.7	5.6

स्रोत: सेबी

(बीएसई) दोनों के लिए समान हैं। इससे यह प्रदर्शित होता है कि इन चार बैंकों में से किसी भी एक बैंक में यदि कोई गड़बड़ी होती है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव एक साथ दोनों सीसीपी पर पड़ सकता है (सारणी 3.3)। यद्यपि, बैंकों में सीसीपी के एक्सपोजर भारतीय प्रतिभूति बाजार बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं के काफी भीतर हैं तथापि सीसीपी तथा बैंकों के अंतर्संबंध की निगरानी करना आवश्यक है।

इक्विटी समाशोधन निगमों की निपटान गारंटी निधियां

3.41 ''स्वाधिकृत निधियां'' तथा एसजीएफ किसी सीसीपी, जो अपने द्वारा किए गए लेनदेन के फलस्वरूप होने वाले निवल दायित्वों के निपटान की गारंटी देता है, के जोखिम प्रबंधन ढांचे में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अतः यह जरूरी है कि सीसीपी का जोखिम प्रबंधन ढांचा यह सुनिश्चित करे कि उसके पास अपने सदस्यों के दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध है जिनमें सर्वाधिक निवल डेबिट वाला सदस्य भी शामिल है, यदि वह चूक करता है। देश में ईक्विटी समाशोधन निगमों के मामले में सेबी ने जोखिम प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढांचा निर्धारित किया है।

3.42 किसी सदस्य द्वारा चूक की स्थिति में सीसीपी के पास उपलब्ध निधियों/संसाधनों का एक अनुक्रम में विशेष रूप से नियोजन किया जाता है। उदाहरण के लिए एनएससीसीएल के मामले में सबसे पहले चूककर्ता सदस्य की मार्जिन तथा सदस्य द्वारा एसजीएफ में किए गए किसी अंशदान या जमा या व्यवस्था की गई बैंक गारंटी का सहारा लिया जाता है। यदि ये निधियां पर्याप्त न हों तो अन्य निधियों के स्रोत जैसे चूककर्ता सदस्य द्वारा विशेषीकृत बाजार में की गई जमानती राशि, यदि कोई, अथवा सीसीपी के पास उपलब्ध अर्थदंड, दंड, विलंबित भुगतान पर ब्याज आदि, यदि कोई, तलाशे जाते हैं। तत्पश्चात, सीसीपी के उपार्जन का उपयोग किया जाता है जिसके बाद प्रत्येक समाशोधन सदस्य द्वारा किए गए कुल अंशदान तथा जमा के अनुपात में एसजीएफ में सभी श्रेणी के समाशोधन सदस्यों द्वारा किए गए अंशदान एवं जमा की राशि का उपयोग किया जाता है।

3.43 नकदी एवं डेरिवेटिव खंड के लिए एनएसई एवं बीएसई जैसे प्रमुख ईक्विटी बाजारों में उपलब्ध एसजीएफ के विश्लेषण से यह प्रदर्शित होता है कि अधिकतर मामलों में एसजीएफ की राशि दैनिक आधार पर औसत प्रदत्त मूल्य की भरपाई करने के लिए पर्याप्त होती है। हाल ही में सेबी द्वारा किए गए वे उपाय सीसीपी के जोखिम प्रबंधन ढांचे को और भी मजबूती प्रदान करेंगे जिनके अंतर्गत सभी शेयर बाजारों के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया है कि वे अपना 25 प्रतिशत मुनाफा उन सीसीपी के एसजीएफ में अंतरित करें जहां उनके लेनदेन का निपटान होता है (सारणी 3.12 से 3.14)।

Chart 3.12: Settlement Statistic for Cash Market in BSE and NSE

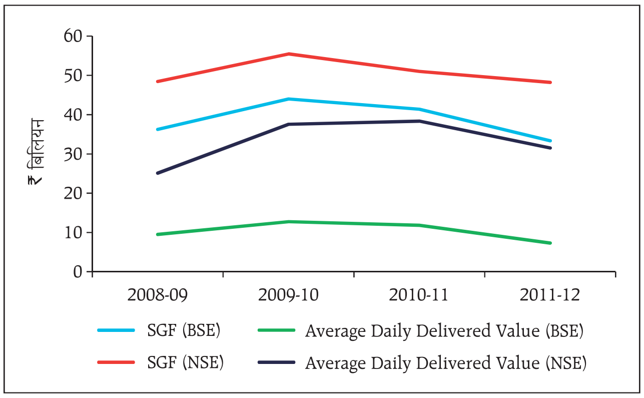

स्रोत: सेबी

Chart 3.13: Settlement Statistics for Equity Derivatives Market of NSE

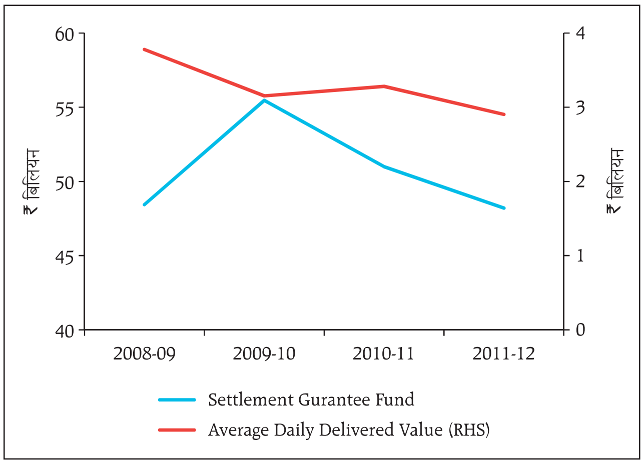

स्रोत: सेबी

Chart 3.14: Settlement Statistics for Equity Derivatives Market of BSE

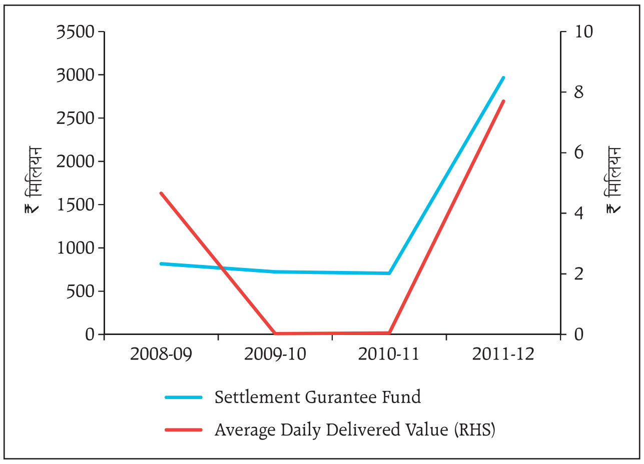

स्रोत: सेबी

ओटीसी डेरिवेटिव सुधारों में प्रगति

3.44 अक्तूबर 2012 में वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने ओटीसी डेरिवेटिव बाजार सुधारों[15] पर अपनी चतुर्थ प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित की थी[15]। उक्त रिपोर्ट आपसी सहमति पर आधारित सुधार उपायों जैसे सभी मानकीकृत ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं का वर्ष 2012 के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक लेनेदेन तथा/अथवा उनका केंद्रीय स्तर पर समाशोधन; ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं के बारे में लेनदेन रिपोजिटरी (टीआर) को सूचित करना; ग़ैर-केंद्रीकृत समशोधित संविदाओं के लिए उच्चतर पूंजी अपेक्षाएं लगाना, को लागू करने की दिशा में ठोस प्रगति की तरफ संकेत करती है। तथापि, अब यह स्पष्ट है कि इन उपायों को वर्ष 2012 के अंत तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा।

3.45 उक्त रिपोर्ट, आंकड़ों की सीमा को ध्यान में रखते हुए, से यह संकेत मिलता है कि लगभग 10 प्रतिशत बकाया क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप व 40 प्रतिशत बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव को केंद्रीकृत रूप से अगस्त 2012 के अंत तक समाशोधित कर दिया गया था। एक अनुमान से 90 प्रतिशत से काफी अधिक ओटीसी ब्याज दर तथा क्रेडिट डेरिवेटिव संविदाओं से संबंधित लेनदेन सूचनाओं को टीआर को रिपोर्ट किया जा रहा है, केवल लगभग 50 प्रतिशत विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेनदेन की सूचना दी जा रही है।

3.46 इस दिशा में आगे ओटीसी डेरिवेटिव सुधारों के संपूर्ण कार्यान्वयन, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना कि सभी मानकीकृत ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन केंद्रीकृत रूप से समाशोधित किए जाते हैं, हासिल करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना अभी शेष है (बॉक्स 3.5)।

बॉक्स 3.5: केंद्रीय समाशोधन के चरण में प्रवेश के समक्ष चुनौतियां

वैश्विक स्तर पर, सामान्य लक्ष्य पर व्यापक सहमति है कि ओटीसी डेरिवेटिव उत्पादों को केंद्रीय समाशोधन के चरण में प्रवेश करना होगा। तथापि, इस व्यापक उद्देश्य की परिधि में इस तथ्य को मान्यता दी गई है कि केवल वे उत्पाद केंद्रीय समाशोधन में प्रवेश कर सकते हैं जो कतिपय शर्तों को पूरा करते हैं। विशेष रूप से, उत्पाद की विशेषताओं से सीसीपी द्वारा उत्पाद के जोखिमों के प्रबंधन में सहायता करते हैं। इन विशेषताओं में मानकीकरण, संविदा की शर्तों में जटिलता की तुलनात्मक कमी, पर्याप्त बाजार चलनिधि और तुरंत सुलभ मूल्य-निर्धारण सूचना शामिल हैं। इस प्रकार, उत्पादों के अनिवार्य रूप से केंद्रीय समाशोधन प्रणाली में प्रवेश के लिए उसके क्षेत्र का सावधानीपूर्वक आकलन एवं परिभाषा करने की जरूरत है।

इसके अलावा अनिवार्य केंद्रीय समाशोधन अपेक्षा के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले सहभागियों के बारे में भी विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण हैं। ऐसे विचार भी सामने आए हैं कि अनिवार्य केंद्रीय समाशोधन अपेक्षाएं केवल ऐसे सहभागियों पर लागू होनी चाहिए जिनसे प्रणालीगत जोखिम पैदा होने की आशंका होती है तथा डेरिवेटिवों के छोटे प्रयोक्ताओं विशेष रूप से ग़ैर-वित्तीय संस्थाओं के लिए इससे छूट/कार्व आउट्स पर विचार किया जा सकता है। इस बात को लेकर भी चिंता है कि सीसीपी समाशोधन के फलस्वरूप कुछ समाशोधक बैंकों में एक्सपोजर का संकेंद्रण होगा। इसके कारण किसी समाशोधक सदस्य के फेल होने की स्थिति में प्रणालीगत जोखिम बढ़ जाएगी।

इसके साथ काफी संख्या में परिचालनात्मक मुद्दे भी जुड़े हैं। इनमें एक ही क्षेत्र में भिन्न-भिन्न सीसीपी तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सीसीपी में अंतर-परिचालनात्मकता, भिन्न मार्जिनिंग एवं निवल-निर्धारण से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। इसके बाद इनमें से प्रत्येक मुद्दे से अलग-अलग सीसीपी का प्रोफाइल बदल सकता है। इससे प्रणालीगत जोखिम पैदा होने की संभावना है जिसका आकलन करके प्रबंधन करना आवश्यक होगा। विधिक जटिलता, विनियामक अनिश्चितताओं तथा विसंगतियों, दिवालियापन प्रकरणों तथा सीसीपी की चूक प्रबंधन प्रक्रियाओं को लागू करने तथा संपार्श्विक अपेक्षाओं से उत्पन्न होने वाली चिंताएं भी हैं।

तथापि, कुछ अन्य मुद्दे लागत से जुड़े हैं। एक ओर सीसीपी व्यवस्थाओं के साथ-साथ लिंक्स एवं इंटरफेस स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकीय एवं अन्य संसाधन प्रदान करने पर भारी लागत आने की संभावना है। दूसरी ओर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक आम सहमति भी है कि केंद्रीय समाशोधन के कारण यह भी संभावना है कि ओटीसी डेरिवेटिवों की लेनदेन पर आने वाली लागत में इज़ाफा हो जाए। इस बात को लेकर चिंता व्याप्त है कि ओटीसी डेरिवेटिव बाजार के लिए परिकल्पित किए जा रहे विनियामक परिवर्तनों के फलस्वरूप मध्यम से दीर्घकालिक दौर में इस बाजार की गतिशीलता ही अवरुद्ध हो जाए/बाजार ही खत्म हो जाए।

इस बात पर भी कई प्रकार की राय हैं कि केंद्रीय समाशोधन से होने वाले लाभ अल्पकालिक तौर पर बाजार के प्रतिभागियों को शायद न मिल पाएं, हालांकि, लंबे समय में इसके लाभ बाजार की दक्षता में वृद्धि के साथ-साथ अस्थिरता में कम होते जोखिम के रूप में हो सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया-भर के विनियामक इस संभावना की तलाश में जुटे हैं कि या तो केंद्रीय समाशोधन में पदार्पण कर लिया जाए या उसे प्रोत्साहन दिया जाए या दोनों ही काम किए जाएं। उदाहरण के लिए बासल III पूंजी नियम ऐसे नियम बनाएगा जिससे कि केंद्रीय समाशोधन में पदार्पण को प्रोत्साहन मिले किसी सीसीपी में एक्सपोजरों पर लगने वाला पूंजी प्रभार आम तौर पर किसी अन्य द्विपक्षीय एक्सपोजरों की तुलना में कम होगा। यह भी स्पष्ट है कि जी20 सुधार के उपायों के कार्यान्वयन से सीसीपी के संदर्भ में संकेंद्रण जोखिम में वृद्धि होगी। इस प्रकार, केंद्रीय समाशोधन की प्रयोजन से एक लचीले एवं कारगर ढांचा के निर्माण के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा चिह्नित की गई चार ''सुरक्षाओं'' के संबंध में सीसीपी का अनुपालन सुनिश्चित महत्वपूर्ण होगा : (i) पारदर्शी एवं वस्तुपरक आधार पर बाजार प्रतिभागियों की सीसीपी में समुचित एवं मुक्त प्रवेश; (ii) घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर सभी संबंधित प्राधिकारियों के बीच सहयोगपरक ओवरसाइट व्यवस्थाएं जिनके परिणास्वरूप वैश्विक सीसीपी का एक मजबूत एवं सुसंगत रूप से लागू विनियमन एवं ओवरसाइट स्थापित होता है। (iii) समाधान एवं बहाली व्यवस्थाएं जो सीसीपी के मुख्य कार्य सुनिश्चित करते है, को संकट के समय बनाए रखा जाता है और उनमें सभी क्षेत्रों के हितों पर विचार किया जाता है जहां सीसीपी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण है तथा (iv) जिन मुद्राओं में वे समाशोधन करते हैं उनमें सीसीपी के लिए समुचित चलनिधि व्यवस्थाएं।

[15] http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_121031a.pdf

3.47 ग़ैर-केंद्रीकृत समाशोधित डेरिवेटिव लेनदेन के लिए मार्जिन अपेक्षाओं के संबंध में इस बात के भी सरोकार जुड़े हैं कि इस प्रकार के लेनदेन के अधिक संपार्श्विकरण के कारण नए जोखिम पैदा हो सकते हैं। ग़ैर-केंद्रीकृत समाशोधित डेरिवेटिव लेनदेन की मार्जिन अपेक्षाएं प्रतिपक्षकार के जोखिम को कम कर देंगी लेकिन अंतर्निहित संपार्श्विक स्वयं ऋण एवं चलनिधि जोखीमों का एक स्रोत हो सकता है। संपार्श्विक अपेक्षाओं में वृद्धि के प्रणालीगत प्रभावों के संबंध में भी कुछ चिंताएं हैं, विशेष रूप से उस समय जब अन्य विनियामक सुधार (उदा.बासल III) भी उसी प्रकार की उच्च गुणवत्ता, तरल संपार्श्विक के संबंध में मांग कर सकते हैं।

3.48 घरेलू अर्थव्यवस्था में ओटीसी डेरिवेटिव सुधार उपायों को लागू करने की दिसा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जुलाई 2012 में ओटीसी डेरिवेटिव उत्पाद के लिए एक व्यापार रिपोजिटरी (टीआर) की शुरूआत की गई और सभी प्रमुख विदेशी मुद्रा ओटीसी डेरिवेटिव व्यापार को शामिल करने के लिए इन व्यवस्थाओं को चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि ग्राहक व्यापारों के साथ-साथ ब्याज दर डेरिवेटिव उत्पादों की भी गोपनीयता बनाए रखी जा सके जिसमें रुपया ब्याज दर स्वैप (आआरएस) में ग्राहक व्यापार शामिल हैं।

3.49 सरकारी प्रतिभूति तथा ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार में चलनिधि में वृद्धि करने पर कार्यसमूह[16] की सिफारिशों के अनुसार आईआरएस संविदाओं का मानकीकरण करने का निर्णय लिया गया है ताकि इन संविदाओं के केंद्रीकृत समाशोधन तथा निपटान को सहज बनाया जा सके।

3.50 अंतर-बैंक लेनेदेन के मामले में केंद्रीकृत समाशोधन एवं व्यापार दिवस से निपटान दिवस तक अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपया खंड में विदेशी मुद्रा वायदा लेनेदेन के गारंटीकृत निपटान के लिए आधारभूत संरचना सितंबर 2009 से भारतीय रुपए में आईआरएस तथा वायदा दर समझौतों, का समाशोधन वर्तमान में ग़ैर-गारंटीकृत प्रणाली में केंद्रीकृत रूप से किया जा रहा है जिनमें अधिकांश देश के ब्याज दर डेरिवेटिव लेनदेन हैं। यद्यपि, बाजार प्रतिभागियों के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे अपने व्यापार का समाशोधन सीसीपी के माध्यम से करें, फिर भी आईआरएस व्यापार का 70% से अधिक समाशोधन सीसीपी के माध्यम से किया जाता है।

3.51 अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपए खंड में विदेशी मुद्रा वायदा लेनदेन के गारंटीकृत समाशोधन को अनिवार्य बना दिया गया है और इस खंड में लेनदेन का गारंटीकृत समाशोधन में शीघ्र पदार्पण होने की संभावना है। भारतीय रुपए में किए गए आईआरएस एवं आईएफआर लेनदेन को गारंटीकृत निपटान के दायरे में लाने का सैद्धांतिक निर्णय ले लिया गया है। केंद्रीय प्रतिपक्षकार द्वारा प्रस्तावित जोखिम प्रबंधन ढांचा तथा क्रियाविधि से जुड़े पहलुओं की वर्तमान में समीक्षा की जा रही है।

3.52 अनिवार्य गारंटीकृत समाशोधन के परिणामस्वरूप बैंकों का एक्सपोजर बढ़ेगा जो वर्तमान में काफी संख्या में मौजूद प्रतिपक्षकारों के बीच वितरित है, वह केंद्रीय प्रतिपक्षकार पर केंद्रित होता जाएगा। यह जरूरी है कि चालू एक्सपोजर विधि (सकल धनात्मक एमटीएम एवं संभावित भावी ऋण एक्सपोजर का योग) का प्रयोग करते हुए इन एक्सपोजरों की गणना की जाए और वे मौजूदा एक्सपोजर सीमाओं के अधीन होंगे जिसके अनुसार एकल उधारकर्ता की एक्सपोजर सीमा बैंक की पूंजी निधियों के 15 प्रतिशत के बाराबर होगी। इस प्रकार, सीसीआईएल के माध्यम से बड़ी संख्या में डेरिवेटिव उत्पादों के अनिवार्य निपटान का नतीजा यह होगा कि सीसीआईएल के संबंध में बैंकों के एक्सोपोजर एकल उधारकर्ता सीमा को लांघ जाएंगे। इस आम सहमति को ध्यान में रखते हुए कि गारंटीकृत समाशोधन में पदार्पण से सहभागियों के लिए निपटान का खर्च बढ़ जाएगा, भारतीय संदर्भ में बैंकों को गारंटीकृत समाशोधन प्रणाली में पदार्पण के लिए प्रोत्साहित करना भी कठिन हो सकता है।

3.53 इन मुद्दों, उदा. सीसीआईएल के लिए एक उपयुक्त एक्सपोजर ढांचे की संरचना करना, के समाधान के लिए अनेक विकल्प खोजे जा सकते हैं क्योंकि सीसीआईएल एकल उधारकर्ता सीमा के मुद्दे पर विचार किया है। इसके लिए भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (जिसमें निवल निर्धारण को परिभाषित किया गया है तथा सिस्टम आपरेटर द्वारा अपनाई गई क्रियाविधियों के लिए विधिक निर्धारण का प्रावधान किया गया है, बशर्ते सिस्टम को प्राधिकृत करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उसका अनुमोदन किया गया हो) के उपबंधों के अनुसार पूंजी गणनाओं के लिए एक्सपोजरों का निवल निर्धारण; अतिरिक्त सीसीपी की स्थापना की समीक्षा करना; आदि की अनुमति दी जा सकती है। बासल समिति द्वारा जारी नए ढांचे के अंतर्गत सीसीआईएल को एक पात्र सीसीपी होने के लिए उसकी पात्रता, जिसके अंतर्गत पात्र सीसीपी के प्रति बैंक के एक्सपोजर के लिए रियायती पूंजी का प्रवदान किया गया है, की भी इस संबंध में समीक्षा की जाएगी।

[16] The Working Group on Enhancing Liquidity in the Government Securities and Interest Rate Derivatives Market (Chair: R. Gandhi, Executive Director, Reserve Bank of India) submitted its report in August 2012 (http://www.rbi.org.in/scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=677#L1)

सुरक्षा निवल व्यवस्थाएं

3.54 वैश्विक वित्तीय संकट ने जहां एक ओर प्रभावी जमाकर्ता सुरक्षा व्यवस्था के महत्व को प्रदर्शित किया है वहीं दूसरी ओर इससे मौजूदा जमाकर्ता सुरक्षा प्रणालियों की तमाम कमियां भी उजागर हुई हैं। वित्तीय संकट के प्रति तात्कालिक पहल के रूप में अनेक देशों ने अपनी बीमा कवरेज सीमाओं में वृद्धि कर दी है तो कुछ ने अस्थायी उपाय के रूप में प्रत्यक्ष जमा गारंटी भी दे दी है। कई देश जमा बीमा प्रणाली की डिजाइन में व्यापक परिवर्तन कर रहे हैं ताकि अमेरिका की भांति जमा की एकल ग्राहक दृष्टिकोण के अनुसार जमा सूचना की उपलब्धता में सुधार करते हुए तत्काल भुगतान व्यवस्थाएं की जा सकें। तमाम देशों में जमा बीमा को सुरक्षा जाल ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा बनाने पहल की जा रही हैं। प्रांरभ में इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि कमजोर/असफल होने वाले बैंकों के समाधान की दिशा में जमा बीमा एजेंसी अपनी सक्रिय एवं शुरूआती स्तर की भागीदारी करें।

3.55 भारत में निक्षेप बीमा से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर पिछली वित्तीय स्थिरता रिपोर्टों में विस्तृत चर्चा की गई है :

(i) अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर कवरेज का स्तर निम्न था और उनमें मई 1993 से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ने कवरेज को बढ़ाने के लिए भारत सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ii) डीआईसीजीसी विभिन्न प्रकार के बैंकों को बीमा कवर प्रदान कर रहा है जिनकी असफलता की दरें भिन्न-भिन्न हैं। तथापि, चूंकि प्रीमियम एक समान दर पर लगाया जा रहा है जिसके चलते आर्थिक सब्सिडी में एक-दूसरे के आड़े आ रही है और उससे नैतिक संकट के मुद्दे खड़े हो रहे हैं। चूंकि भारत में जोखिम-आधारित रेटिंग प्रणाली विकसित नहीं हुई है इसलिए जोखिम-आधारित प्रीमियम की व्यवस्था में प्रवेश करना कठिन होगा। तथापि, डीआईसीजीसी उपलब्ध पर्यवेक्षी रेटिंग के आधार पर एक अलग प्रकार की प्रीमियम प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है।

(iii) डीआईसीजीसी के सामने यह समस्या है कि उसे असफल सहकारी बैंकों के परिसमापकों से जमाकर्ता संबंधी सूचना देरी से प्राप्त हो रही है जिसके कारण जमाकर्ताओं को भुगतान करने में विलंब हो रहा है। यह भी पाया गया है कुछ परिसमापकों ने डीआईसीजीसी द्वारा दावा का पटान किए जाने के बाद भी जमाकर्ताओं को भुगतान करने में तेजी नहीं दिखाई हे। इन दोनों कारणों से जमाकर्ताओं को भुगतान के मामले में विलंब हुआ है। इस समस्या का समाधान करने के लिए डीआईसीजीसी प्रौद्योगिकी का स्तरोन्नयन करते हुए जमाकर्ताओं को सीधे भुगतान तथा उन्हें शीघ्र प्रतिपूर्ति करने के बारे में कदम उठाने जा रही है।

(iv) भारत में बैंक रेज्यूलेशन ढांचे का विकास होना अभी बाकी है। बैंक रेज्यूलेशन को अभिशासित करने वाला विधिक ढांचा अनेक विधियों एवं विनियमों में फैला है जिससे यह ढांचा जटिल एवं पारदर्शी हो गया है। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप समिति द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय कार्यसमूह इससे जुड़े मुद्दों की समीक्षा कर रहा है।

वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद

3.56 वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद और उसकी उप-समिति का ध्यान वित्तीय स्थिरता के संभावित जोखिमों पर लगा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश की रेटिंग के भावी डाउनग्रेड; देश में सोने की बढ़ी हुई मांग; तथा देश की बाहरी क्षेत्र में जोखिम-भरी स्थितियों से उत्पन्न जोखिम शामिल हैं। उप-समिति ने एफसी की निगरानी के लिए एक प्रभावी तंत्र की स्थापना एवं देश में सभी वित्तीय संस्थाओं के लिए एक प्रभावी समाधान व्यवस्था प्रारंभ करने की दिशा काम शुरू कर दिया है। जैसा कि पैराग्राफ 3.78 में चर्चा की गई है, उप-समिति ने अधिक वित्तीय समावेशन तथा साक्षरता के लिए महत्वपूर्ण पहल की शुरूआत कर दी थी।

भारत में उत्पाद नवोन्मेषीकरण

3.57 वित्तीय नवोन्मेषीकरण अपने आप में कोई साध्य नहीं है; अपितु यह स्थावर संपदा क्षेत्र का काम करने के प्रयोजन के लिए एक साधन है। इस प्रकार, यह ''वित्तीय क्षेत्र - स्थावर संपदा क्षेत्र में संतुलन'' के सार्वजनिक नीति प्रयोजन के अनुरूप तथा स्वाभाविक रूप से उपयुक्त है। कतिपय वित्तीय नवोन्मेषीकरण के कारण यह अस्थायी ''वित्तीय क्षेत्र - स्थावर संपदा क्षेत्र में असंतुलन'' था और यह पिछले वैश्विक वित्तीय संकट का वस्तविक कारण था[17]। ओटीसी डेरिवेटिवों की अस्पष्टता एवं जटिलता ने बार-बार बाजार में बेचे जा रहे उत्पादों की उपयुक्तता एवं औचित्य के बारे में चिंता प्रकट की है।

[17] Sharma, V.K. (2012), "**The Financial Innovations That Never Were**", Keynote Address delivered at Finnoviti 2012 organised by Banking Frontiers, on November 8, 2012, Mumbai.

3.58 भारत में, बाजार में ज्यादातर नवोन्मेषीकरण विनियामकों द्वारा बाजार को विकसित तथा साथ ही ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्रम में किए गए प्रयासों के दौरान किए गए हैं। इक्विटी, विदेशी मुद्रा आदि के क्षेत्र में डेरिवेटिव खंड में नए उत्पादों को हाथों-हाथ लिया गया जो बाजार में उनकी आमद एवं उनके व्यापक प्रयोग से प्रदर्शित होता है। बोली-प्रस्ताव स्प्रेड से भी यह संकेत मिलता है कि इन बाजारों में चलनिधि का स्तर काफी ऊँचा है।

3.59 इस संदर्भ में भारतीय बाजारों में शुरू किए गए कुछ ब्याज-दर डेरिवेटिव उत्पादों के प्रति कम रुझान के कारणों का विश्लेषण किया गया। भारत में ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) का प्रयोग मुख्य रूप से एक सीमित दायरे में केवल कुछ विदेशी बैंकों द्वारा किया जा रहा है। बैंकों द्वारा दर्ज किए गए प्रतिलाभों से यह पता चलता है कि आईआरएस बाजार के कुल टर्न-ओवर में 3 प्रतिशत भाग कंपनियों के साथ व्यापार का है।

3.60 2-वर्षीय एवं 5-वर्षीय आईआरएस (मुख्य रूप से एक-दिवसीय इंडेक्स्ड स्वैप) की निर्धारित दरें भारत में सहभागियों की नजर में एक-दिवसीय ब्याज दरों के भावी मार्ग को प्रदर्शित करती हैं[18]। यही कारण है कि मौद्रिक नीति घोषणा के पहले, विशेष रूप से तब जब बाजारों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए जाने वाले कदम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई हो, व्यापारिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। ये गतिविधियां व्यापारियों द्वारा अपनी-अपनी स्थितियों का निपटान करने के बाद मौद्रिक नीति की घोषणा के एक या दो दिन के भीतर कम हो जाती हैं। 5-वर्षीय परिपक्वता अवधि के बाद आईआरएस तरल नहीं है तथा ज्यादातर व्यापारिक गतिविधि 1-वर्ष में संकेंद्रित हैं। आईआरएस की शुरूआत बांडों (निवेशित या जारी) के ब्याज दर जोखिम से बचाव (हेजिंग) के लिए एक उपाय के रूप में की गई थी। भारत में बांड के सबसे बड़े जारीकर्ता सावर्जनिक क्षेत्र के बैंक एवं ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं तथा 10-वर्षीय परिपक्वता अवधि एक प्रचलित खंड है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि आईआरएस का प्रयोग ग्राहकों द्वारा अपने बांड निर्गमों या निवेशों की हेजिंग करने के लिए नहीं किया जाता है। इसके अलावा, विकसित देशों के विपरीत भारत में बांडों का मूल्य-निर्धारण स्वैप दरों पर स्प्रेड के रूप में नहीं किया जाता है। बैंक उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले अपने ऋणों का मूल्य-निर्धारण अपनी आधार दरों पर स्प्रेड के रूप में करते हैं जो निधियों की लागत पर निर्भर करता है तथा उनमें सरकारी बांड या खजाना बिल पर होने वाली आय शामिल नहीं है। वस्तुतः स्वैप दरें प्रायः समान परिपक्वता अवधि के सरकारी बांड से होने वाली आय की दरों से कम होती हैं।

3.61 10 वर्षीय क्षेत्र के लिए पहली बार 2003 में ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) संविदा की शुरूआत की गई। इसे बहुत ही ठंडा प्रतिसाद मिला एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री वी. के. शर्मा की अध्यक्षता में गठित समिति ने उत्पाद की उन विशेषताओं की जांच की जो भारतीय परिस्थितियों के सर्वाधिक अनुकूल थीं। पुनः लाए गए उत्पाद को भी कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। बाजार सहभागियों से बातचीत के दौरान ज्ञात हुआ कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बैंकों और उधारकर्ताओं दोनों को ही यह उत्पाद प्रतिरक्षा हेतु प्रभावी नहीं लगा क्योंकि उनका एक्सपोज़र मूल दर के प्रति है और इसका आईआरएफ की अधोरेखित दर से कोई संबंध नहीं है। शेष सरकारी बांडों का 4/5 भाग बैंकों (इनके पास लगभग 37 प्रतिशत), बीमा कंपनियों (इनके पास लगभग 22 प्रतिशत), रिज़र्व बैंक (इनके पास लगभग 13 प्रतिशत) एवं भविष्य निधियों (इनके पास लगभग 7 प्रतिशत) के पास है एवं इसके लिए वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर उचित मूल्य आकलन (मार्किंग-टू-मार्केट) की आवश्यकता नहीं है। बाजार सहभागियों के मुताबिक कम रुचि का एक कारण प्रतिभूतियों की छंटाई के लिए सापेक्षतः प्रतिबंधित विनियामक दौर भी हो सकता है। बाजार को मात्रा में आपूर्ति उपलब्ध कराने वाली थोक अंतरपणन नीति अब दुर्लभ है। परिणामस्वरूप, सुपुर्दगीयोग्य बास्केट में बांडों को चलनिधि उपलब्ध कराने में आईआरएफ असफल रहा है। सहभागियों में एक भय यह भी है कि उन्हें सुपुर्दगीयोग्य बास्केट में से सुपुर्दगी में सस्ती (सीटीडी) प्रतिभूति लेनी पड़ सकती है जो कि काफी कम चल होती है।

वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय स्थिरता हेतु विनियामक पहलें

3.62 वित्तीय समावेशन प्रक्रिया के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि आम तौर पर समाज के सभी वर्गों एवं विशेष तौर पर कमजोर वर्ग तथा गरीब वर्ग जैसे संवेदनशील समूहों को जिन वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं की आवश्यकता है वह उन्हें उचित मूल्य तथा पारदर्शी तरीके से मुख्य धारा की विनियमित संस्था के माध्यम से मिले। वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता तथा उपभोक्ता संरक्षण को वित्तीय स्थायित्व हासिल करने के उपाय के रूप में जाना जाता है। वित्तीय, आर्थिक, राजनैतिक या सामाजिक किसी भी तरह के स्थायित्व की बात हो तो इन सबके लिए समावेशी वृद्धि एक अनिवार्य आवश्यकता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि समावेशी वृद्धि का आधार वित्तीय समावेशन एवं समावेशी वित्तीय प्रणाली होती है। वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता एक दूसरे के पूरक हैं। विकास के वर्तमान चरण के मद्देनज़र ईडीई के लिए आवश्यक है कि वे वित्तीय उत्पाद

[18] They are the market's neutral view about the Reserve Bank's policy rate and its ability to influence the call rate.

तथा सेवाओं तक पर्याप्त पहुंच सुनिश्चित करें। वित्तीय उत्पादों तक आसान पहुंच न होने से सोने एवं भू-संपदा[19] सरीखे गैर-वित्तीय उत्पादों के लिए मांग सृजित होती है। वित्तीय साक्षरता से वित्तीय उत्पाद तथा सेवाओं की मांग सृजित होती है और इससे वित्तीय क्षेत्र की अनवरत वृद्धि को समर्थन मिलता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

3.63 भारतीय रिजर्व बैंक कई प्रकार की रणनीतियों जैसे कि विनियामक दिशानिर्देशों में छूट (उदाहरण के लिए सरल बनाए गए के वाय सी मानदंड) बने रहने योग्य और स्केल योग्य वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए नए उत्पाद उपलब्ध कराता है और अन्य सहायक उपाय करता है । उसके पास वित्तीय समावेशन के लिए एक सुनियोजित योजना है जिसमें बैंकों ने अपने बोर्ड के अनुमोदन से तीन वर्ष के लक्ष्य से लेकर 2013 तक वित्तीय समावेशन योजनाएं बनाई हैं । मार्च 2012 तक 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों में बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने का प्रारंभिक लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है और अब ध्यान समयबद्ध तरीके से अन्य सभी गांवों में बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने पर केंद्रित किया गया है। वित्तीय साक्षरता अभियान के भाग के रूप में अब ध्यान नए खातों में लेनदेनों की संख्या पर अधिक है ।

3.64 भारत ने वित्तीय समावेशन के लिए बैंक के नेतृत्व वाला मॉडल अपनाया है जो प्रौद्योगिकी निर्भर है । वित्तीय समावेशन संबंधी पहल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) पर आधारित होनी चाहिए और यह उन नए डिलवरी मॉडलों का सहारा लेगी जिनका विकास बाजार में सहभागियों द्वारा किया जाएगा ताकि उनकी अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके । अनुभव यह दिखलाता है कि वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्रमुखधारा बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि केवल ये संस्थाएं ही प्रभावकारी / सार्थक वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिए विविध उत्पाद उपलब्ध कराने की क्षमता रखती हैं । अन्य सहभागी जैसे कि मोबाइल कंपनियों को मिलजुल कर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंकों से भागीदारी करने की अनुमति दी गई है ।

3.65 बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता के मानदंड को पूरा करने के लिए, बैंकों को सूचित किया गया है कि ग्राहकों को न्यूनतम चार बुनियादी उत्पाद उपलब्ध कराएं जैसे कि ओवरड्राफ्ट जैसी आपातकालीन क्रेडिट सुविधाएं सहित एक बुनियादी बचत बैंक खाता, इलेक्ट्रॉनिक बैनिफिट ट्रांसफर तथा अन्य विप्रेषणों के लिए एक विप्रेषण उत्पाद, एक पूरा बचत उत्पाद जैसे कि आवर्त्ती जमा राशि तथा उद्यम क्रेडिट की सुविधा जैसे कि जनरल क्रेडिट कार्ड तथा किसान क्रेडिट कार्ड । भारत में वित्तीय समावेशन के काम में और मजबूती लाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक उच्च स्तरीय वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति गठित की गई है । समिति सुलभ और किफायती वित्तीय सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अर्थक्षम तथा ग्राह्य बैंककारी सेवा, डिलीवरी मॉडल विकसित करने, इस समय बैंकिंग नेटवर्क से वंचित ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए सुलभ और किफायती वित्तीय सेवाएं देने के लिए डिलीवरी मॉडल को दुरूस्त करने और वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय स्थिरता को साथ - साथ आगे बढ़ाने के लिए यथोचित विनियामक फ्रेमवर्क बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

3.66 रिज़र्व बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को निदेश जारी करके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण आबंटन के माध्यम से वित्तीय समावेशन के प्रयास करता रहा है। हाल ही में, रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के वर्तमान वर्गीकरण की फिर से जांच करने और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के वर्गीकरण और संबंधित मुद्दो के संबंध में संशोधित दिशानिर्देशों के संबंध में सुझाव देने के लिए एक समिति(अध्यक्षः श्री एम.वी.नायर) गठित की है। समिति की रिपोर्ट और विभिन्न स्टेकधारकों से प्राप्त सुझावों/ टिप्पणियों के आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के संबंध में 20 जुलाई 2012 को मानदंड संशोधित किए गए । संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, 20 या उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को पिछले वर्ष को 31 मार्च की स्थिति के अनुसार, औसत निवल बैंक ऋण या तुलनपत्र एक्सपोजर राशि के ऋण के बराबर जो भी उच्चतर हो, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अधीन लक्ष्य/ उपलक्ष्यों के 32 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत के संदर्भ में देशी वाणिज्य बैंको के समकक्ष कर दिया गया है।

अग्रणी बैंक योजना

3.67 पूरे भारत में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के लिए अग्रणी बैंकों (अग्रणी बैंक योजना के अधीन) को 2000 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव में बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं देने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए सूचित किया गया । इसके

[19] Chapter I has discussed the issue of higher non-financial savings in the country *vis-à-vis* financial savings in the household sector.

अधीन ऐसे 74,414 बैंक रहित गांवों को विभिन्न बैंकों (सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र,और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) को आबंटित गांवों में से 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार 74,199 गांवों में बैंकिंग आउटलेट खोले गए हैं जिनमें 2493 शाखाएं 69374 कारोबारी प्रतिनिधि(बीसी) और 2332 अन्य साधनों जैसे कि ग्रामीण एटीएम, मोबाइल वैन,सैटेलाइट शाखा, आदि शामिल हैं । बैंकों को ईबीटी सेवाओं से शुरूआत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है इसका उद्देश्य पूरे देश में प्रत्येक घर/व्यक्ति को बैंक खाता उपलब्ध कराना है। इसलिए बैंकों को देश के प्रत्येक गांव में एक कारोबारी प्रतिनिधि संपर्क बिंदु तैयार करना चाहिए ताकि ईबीटी सेवाओं के माध्यम से पखवाड़े में कम से कम एक बार ताकि मनरेगा (MGNREGA) तथा अन्य नकद सहायता को बैंक खातों मे सीधे जमा किया जा सके

3.68 टीयर 2 केंद्रों में (2001 की जनगणना के अनुसार 5000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले) बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को टीयर 3 से 6 तक केंद्रो के समान ही अर्थात कुछ शर्तों के अधीन रिज़र्व बैंक से अनुमोदन लिए बिना शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है ।

बैंको की वित्तीय समावेशन योजना

3.69 जनवरी 2010 में रिज़र्व बैंक द्वारा की गई एक प्रमुख पहल थी - सरकारी तथा निजी क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे बोर्ड द्वारा अनुमोदित अप्रैल 2010 से प्रारंभ करते हुए तीन वर्षीय वित्तीय समावेशन योजनाएं प्रस्तुत करें । बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी कारोबारी रणनीति और तुलनात्मक लाभ के अनुसार वित्तीय समायोजन योजनाएं बनाएं ताकि वे उनकी कंपनी कारोबारी योजनाओं का अभिन्न अंग बन जाएं। बैंकों को सूचित किया कि बोर्ड से अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजनाओं को अपनी कारोबारी योजनाओं के साथ समन्वित करें और अपने स्टाफ के निष्पादन आकलन में वित्तीय समावेशन के संबंध में मानदंड को एक पैरामीटर के रूप में शामिल करें । रिज़र्व बैंक द्वारा मात्रात्मक और गुणात्मक रिपोर्टों और बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करके इन योजनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

3.70 मार्च 2010 से सितंबर 2012 तक एफ आई पी के अधीन प्रगति सारणी 3.4 तथा 3.5 में दी गई है। बैंकिंग आउटलेट में कई गुणा वृद्धि की तुलना में आईसीटी पर आधारित लेनदेनों की संख्या अभी भी बहुत कम है। निगरानी का ध्यान अब नो फ्रिल्स खातों में

सारणी 3.5: वित्तीय समावेशन के लिए पहल

i. मार्च 2010 में 67,694 गांवों की तुलना में सितम्बर 2012 तक बैंकिंग संबद्धता 1,99,702 से अधिक गांवों तक पहुंचाई गई। 4884 ग्रामीण शाखाएं खोली गईं।

ii. कारोबारी प्रतिनिधियों की संख्या 34,532 से बढ़कर 1,28,054 हो गई।

iii. 83.70 मिलियन बुनियादी बचत खाते खोले गये।

iv. 7.35 मिलियन के सी सी और जी सी एस खोले गए।

v. 37 मिलियन व्यक्ति/परिवारों को ऋण से जोड़ा गया।

vi. आई सी टी आधारित खातों का हिस्सा काफी बढ़ा- एन एफ ए में आई सी टी की प्रतिशतता 25% से बढ़ कर 45% हो गई।

स्रोत :रिजर्व बैंक

सारणी 3.5: मार्च 2010 से सितम्बर 2012 तक की अवधि के लिए एफ आई पी की प्रगति

(Summary of all banks including RRBs)

विवरण	Year ended Mar 10	Year ended Mar 11	Year ended Mar 12	Quarter ended Sept 12
शाखाओं की कुल संख्या	85457	91145	99242	101413
ग्रामीण शाखाओं की संख्या	33433	34811	37471	38281
नियोजित सी एस पी की संख्या	34532	60993	116548	128054
बैंकिंग आउटलेट- गांव > 2000 उप जोड	37791	66447	112130	117570
बैंकिंग आउटलेट -गांव < 2000 उप जोड़	29903	49761	69623	82132
बैंकिंग आउटलेट- सभी गांव- शाखाएं	33378	34811	37471	38281
बैंकिंग आउट्लेट - सभी गांव - बी सी	34174	80802	141136	158159
बैंकिंग आउटलेट- सभी गांव- अन्य साधन	142	595	3146	3262
बैंकिंग आउटलेट - सभी गांव - जोड़	67694	116208	181753	199702
बी सी की माध्यम से कवर किए गए शहरी स्थल	447	3771	5891	10985

स्रोत :रिजर्व बैंक

लेनदेनों की संख्या तथा उनके मूल्य पर और आईसीटी आधारित कारोबारी आउटलेट के माध्यम से वितरित ऋण पर अधिक है। इस दिशा में, बैंकों को सूचित किया गया है कि उनके प्रधान कार्यालयों द्वारा तैयार की गई वित्तीय समावेशन योजनाओं को संबंधित नियंत्रक कार्यालयों और शाखा स्तर पर अलग कर दिया जाए और इस संबंध में प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा की जाए।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए)

3.71 बीमा उत्पाद प्राप्त करने के लिए कई नगरों तथा गांवों में बहुत छोटे या एक - व्यक्ति कार्यालयों का बहुत बड़ा बीमा कार्यालयों का नेटवर्क उपलब्ध है। जनसंख्या के ग्रामीण,आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, आईआरडीए विनियमों ने इन क्षेत्रों को बीमा के अधीन कवर करने के लिए बीमाकर्त्ताओं पर उत्तरदायित्व डाला है।

3.72 बीमा क्षेत्र की संभावना और निष्पादन को आम तौर पर दो पैरामीटरों के संदर्भ में अर्थात बीमा की पहुँच और बीमा के घनत्व से मापा जाता है। (चार्ट 3.5 से 3.16) । जब इस क्षेत्र को 2000 में निजी क्षेत्र के लिए खोला गया था तब बीमा पहुँच 2.32 थी, (जीवन 1.77 और गैर जीवन 0.55) और 2011 में बढ़कर 4.10 हो गई है। (जीवन 3.4 और गैर जीवन 0.7)। भारत में 2000 में बीमा घनत्व यूएस डॉलर 9.9 था जो 2011 में बढ़कर यूएस डॉलर 59 हो गया (जीवन 49 और गैर जीवन 10) । वर्ष 2011-12 के लिए कुल जीवन बीमा का 31 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में जारी किया गया। गैर जीवन क्षेत्र में रू. 74.7 बिलियन का कारोबार जो कुल गैर जीवन बीमा कारोबार का 14.1 प्रतिशत है, ग्रामीण क्षेत्रों से हुआ।

3.73 आईआऱडीए ने माइक्रो बीमा विनियम जारी किए हैं जो जीवन तथा जीविका के जोखिम सरल और निम्न टिकट प्रीमियम उत्पाद देते हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा कई श्रेणियों के व्यक्तियों तथा ईकाईयों पर जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा कारोबारी प्रतिनिधि के लिए विचार किया गया था, कुछ अपवादों को छोड़कर, आईआरडीए द्वारा माइक्रो इंश्योरेंस पात्रता के लिए विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में कार्य कर रहे कई जिला सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और शहरी सहकारी बैंक को भी माइक्रो इंश्योरेंस एजेंटों के रूप में कार्य करने की अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है । एक जीवन बीमा कंपनी और एक साधारण

चार्ट 3.15: चुनिंदा देशों में बीमा (2011)

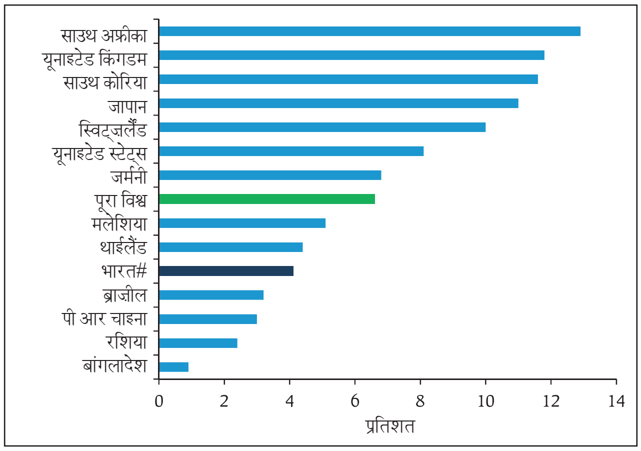

नोट: # आंकड़े वित्तीय वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 से संबंधित हैं।
स्रोत: आई आर डी ए

चार्ट : 3.16: चुनिंदा देशों में बीमा डेंसिटी (2011)

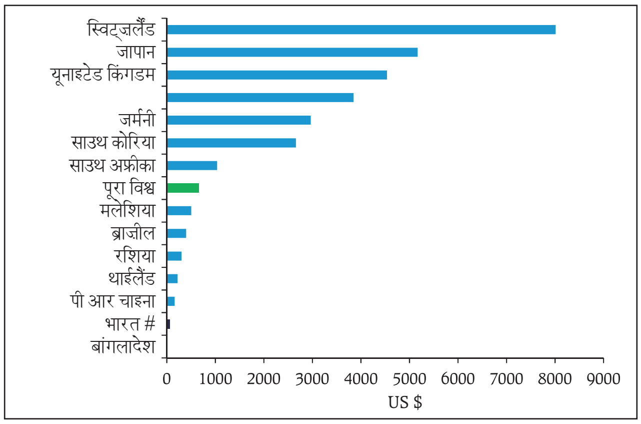

नोट: # आंकड़े वित्तीय वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 से संबंधित हैं।
स्रोत: आई आर डी ए

[20] आई आर डी ए से

[21] बीमा पहुंच को किसी वर्ष में जी डी पी में प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।

[22] बीमा डेंसिटी को किसी वर्ष में कुल जनसंख्या में प्रीमियम के अनुपात के रूप परिभाषित किया गया है।(तुलना में सुविधा के लिए यू एस $ में)

बीमा कंपनी के अतिरिक्त, फसल बीमा देने के सीमित प्रयोजन से भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर एक माइक्रो बीमा एजेंट को अनुमति देने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधित विनियम उन अलग- अलग बीमा एजेंटों जो, 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, को माइक्रो बीमा पारिश्रमिक के उच्चतर प्रतिशत के पात्र बनाते हैं । यह भी प्रस्ताव है कि दूसरे और उसके बाद के वर्षों के प्रीमियम को माइक्रो बीमा एजेंटों के माइक्रो बीमा कारोबार पोर्टफोलियो के साथ जोड़ दिया जाए ताकि कारोबार की गुणवत्ता को प्रोत्साहन और उस पर बल दिया जा सके।

3.74 माइक्रो बीमा उत्पादों के स्कोप के संबंध में, वर्तमान विनियमों में, गैर जीवन माइक्रोबीमा उत्पाद अलग - अलग व्यक्तियों के खुदरा जोखिम को कवर करते हैं। वे माइक्रो, छोटे तथा मध्यम उद्यमों के संस्थागत जोखिम को कवर नही करते जो देश की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं । इसलिए यह प्रस्ताव है कि एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 7 के अधीन यथापरिभाषित माइक्रो, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को जारी सामान्य(गैर जीवन) बीमा पॉलिसियों को प्रतिवर्ष प्रति पॉलिसी 25000/- रूपये तक के प्रीमियम के लिए गैर-जीवन माइक्रो बीमा कारोबार माना जाएगा। लेकिन गैर जीवन बीमा कंपनियों को यह पर्याप्त विवेकाधिकार होगा कि क्या एमआई एजेंट नियुक्त किए जाएं, यदि हां तो एमएसई क्षेत्र के किस खंड/ उद्यम के लिए ।

पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)

3.75 वृद्धावस्था सुरक्षा असंगठित क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं का एक अभिन्न अंग है और यह एक महत्वपूर्ण कल्याण लक्ष्य होना चाहिए । असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों के लिए एनपीएस - स्वावलंबन योजना प्रारंभ करना ताकि वे अपने उत्पादक वर्षों में (सरकार द्वारा सह - अंशदान सहित) छोटी-छोटी राशियां जमा कर सके, वृद्धावस्था आय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना छोटी - छोटी बचत को बढ़ाती है और सरकार की देयता को कम करने और निधीयन आवश्यकता का अनुमान लगाने में सहायता करती है। मैक्सिको,वियतनाम आदि जैसे कई देश इस प्रकार की सह -अंशदायी पेंशन योजनाएं चलाते हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

3.76 विभिन्न उपायों के माध्यम से सेबी वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। कुछ और अधिक व्यापक वित्तीय समावेशन प्रप्त करने, डीमैट खातों को प्रोत्साहित करने तथा खुदरा वैयक्तिक निवेशकों के लिए डीमैट खातों में प्रतिभूतियां बनाए रखने की लागत कम करने के लिए सेबी ने निर्णय लिया है कि सभी निक्षेपागार सहभागी (डीपी) सीमित सेवाओं सहित एक ''बेसिक सर्विसेज डीमैट एकाउंट'' उपलब्ध कराएंगें जो 50000 रूपये की धारिता के लिए कोई शुल्क नहीं लगाएंगें और 200,000 रूपये तक की धारिता के लिए 100/- का सांकेतिक शुल्क लगाएंगें । छोटे-छोटे निवेशकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए (जो करदाता न हों) और जिनके पास पैन नंबर/ बैंक खाता न हो, के वाय सी आवश्यकता(जैसे कि पैन, खाता संख्या,आदि) में कुछ शर्तों के अधीन 20,000 रूपये के निवेश प्रति निवेशक, प्रति म्युच्युअल फंड, प्रति वित्तीय वर्ष छूट दी गई है। अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में म्युच्युअल फंड उत्पादों के वितरण को बढ़ावा देने के लिए, 30 आधार अंक तक के अतरिक्त टी ई आर लगाने की अनुमति दी गई बशर्ते 15 नगरों से अधिक निवल प्रवाह प्रबंधन के अधीन 15 प्रतिशत / कुल निवल प्रवाहों का कम से 30 प्रतिशत हों। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में म्युच्युअल फंड की पहुँच बढ़ाने के लिए म्युच्युअल फंड वितरकों की संख्या बढ़ाने जैसे उपाय किए जा रहे हैं ।

3.77 पूरे भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए सेबी ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। निवेशकों को शिक्षित करने के लिए और जगरूकता बढ़ाने के लिए निवेशक जागरूकता कार्यक्रम/ कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। विभिन्न एक्सचेंजों, निक्षेपागारों तथा व्यापार निकायों के साथ मिलकर क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किये जाते हैं। ऐसे सेमिनारों का उद्देश्य अधिक लोगों तक पहुंचना और मुख्य रूप से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों पर ध्यान केंद्रित करना है। सेबी ने निवेशक संघों तथा एक्सचेंजों, निक्षेपागारों तथा विभिन्न व्यापार निकायों आदि के साथ संबंध जारी रखा है। उसने रिसोर्स पर्सन्स के माध्यम से वित्तीय शिक्षा अभियान प्रारंभ किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य समूहों को वित्तीय धारणाओं से अवगत कराना है। ये चैनलबद्ध आर पी निवेशक संघों के माध्यम

[23] पी एफ आर डी ए से

[24] सेबी से

से आयोजित निवेशक शिक्षा कार्यक्रम में इजाफा करते हैं। विद्यालय स्तर पर(म्यूनिसिपल विद्यालयों सहित) एक महत्वपूर्ण कौशल के रूप में राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान के साथ मिलकर विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए एक पाकेटमनी कार्यक्रम के तहत 8वीं और 9वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को लक्ष्य बनाया गया है।

एन एस एफ ई (वित्तीय शिक्षा पर राष्ट्रीय रणनीति)

3.78 एन एस एफ ई पर एफ एस डी सी की उपसमिति द्वारा गठित वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के संबंध में तकनीकी समूह के तत्वाधान में एक प्रारूप दस्तावेज तैयार किया गया है । इसमें वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त भारत की परिकल्पना की गई है। तकनीकी समूह ने भारत के लिए एन एस एफ ई तैयार करने के लिए एक उप समूह गठित किया था। समूह द्वारा तैयार की गई रणनीति में जागरूकता बनाने के तरीके और उपभोक्ताओं को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच; विभिन्न प्रकार के उत्पादों की उपलब्धता और उनकी विशिष्टताएं; जानकारी को उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तीय आचरण में बदलना; तथा वित्तीय सेवाओं के ग्राहकों को उनके अधिकार और दायित्व समझाना शामिल हैं । इस रणनीति में अलग अलग व्यक्तियों, वित्तीय क्षेत्र विनियामकों, शैक्षिक संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं, बहुविध अंतर्राष्ट्रीय सहभागी तथा केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकार से सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। इसमें वित्तीय शिक्षा अभियान के लिए पांच वर्ष का समय निर्धारित किया गया है।(चार्ट-3.17)

3.79 एन एस एफ ई के प्रारूप को अगस्त 2012 में सभी वित्तीय विनियामकों द्वारा पब्लिक डोमेन में रखा गया। इस समय इसके कार्यावयन के लिए तकनीकी समूह रणनीति और मानचित्र तैयार कर रहा है।

चार्ट- 3.17: एन एस एफ ई के लिए कार्रवाई योजना

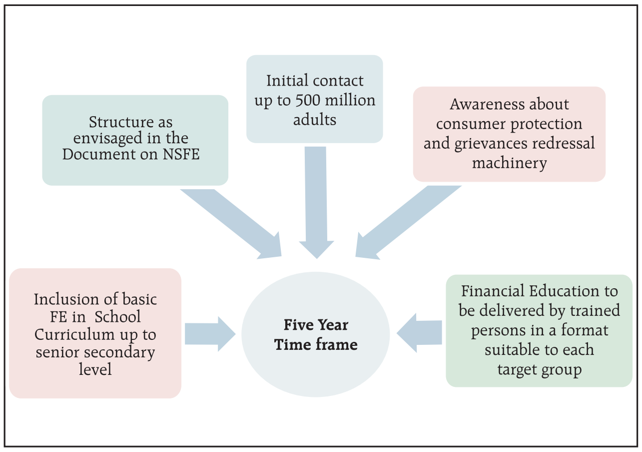

अनुलग्नक

कार्य-प्रणाली

समष्टिगत स्थिरता मानचित्र

समष्टिगत स्थिरता मानचित्र सात उप-सूचकांकों पर आधारित है और इनमें से प्रत्येक समष्टिगत जोखिम के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित है। समष्टिगत जोखिम से संबंधित प्रत्येक उप-सूचकांक में किसी विशिष्ट क्षेत्र में जोखिम को दर्शानेवाले विशिष्ट मानदंडों को शामिल किया जाता है। ये उप-सूचकांक समष्टिगत या वित्तीय चर जैसे सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रास्फीति, ब्याज दर या बैंकों की आस्ति की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव के आधार पर चुने गए हैं। समग्र समष्टिगत स्थिरता सूचकांक के उप-सूचकांक और उनके घटकों का संक्षिप्त ब्योरा निम्नलिखित हैः

वैश्विक सूचकांक: वैश्विक सूचकांक विश्व अर्थव्यवस्था के उत्पादन में वृद्धि पर आधारित है। उत्पादन में वृद्धि में गिरावट से सामान्यतः घरेलू अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से प्रभावित करता है और इसकी वजह से विशेष रूप से, घरेलू निर्यात के लिए मांग प्रभावित होती है। वैश्विक स्तर पर विकास से घरेलू अर्थव्यवस्था को होनेवाला पूंजीगत प्रवाह प्रभावित होता है। इसलिए, उत्पादन में वृद्धि में गिरावट होने से जोखिम की संभावना बढ़ जाती है।

घरेलू अर्थव्यवस्था में वृद्धि: घरेलू अर्थव्यवस्था वृद्धि सूचकांक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से संबद्ध होता है। सामान्यतः जब वृद्धि में गिरावट होती है तो बैंकों की आस्ति की गुणवत्ता, पूंजीगत प्रवाह और समग्र समष्टिगत स्थिरता पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए, वृद्धि में गिरावट होने से जोखिम की संभावना बढ़ जाती है।

मुद्रास्फीति: मुद्रास्फीति सूचकांक की गणना के लिए थोकमूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति प्रयुक्त होता है। मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी से व्यक्तियों की क्रयशक्ति कम हो जाती है और कारपोरेट के निवेश के निर्णय जटिल होते हैं। इसलिए मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी से जोखिम संभावना अधिक हो जाती है।

बाह्य वित्तीय असुरक्षितता सूचकांक: जीडीपी अनुपात के प्रति चालू खाता का घाटा, आयात कवर और कुल कर्ज के प्रति अल्प कालीन कर्ज बाह्य वित्तीय असुरक्षितता सूचकांक में शामिल किए जाते हैं। भारतीय संदर्भ में, चालू खाता घाटा (सीएडी) निर्यात की तुलना में जब आयात अधिक हो तो, उसके वित्तीयन के लिए संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता को दर्शाता है। विदेशों से पूंजीगत प्रवाह उतार-चढ़ाव से भरा होता है और इस उतार-चढ़ाव से सीएडी का वित्तयीन करना समस्याजनक हो सकता है, इस प्रकार इससे बाह्य वित्तीय असुरक्षितता बढ़ती है। इसी प्रकार, आयात का रिजर्व कवर और कुल कर्ज के प्रति अल्पकालीन कर्ज का अनुपात बाह्य वित्तीय असुरक्षितता के सूचक हैं। बढ़ता हुआ सीएडी और कुल कर्ज के प्रति अल्पकालीन कर्ज का अनुपात और गिरता हुआ आयात का कवर वित्तीय असुरक्षितता को दर्शाता है।

राजकोषीय सूचकांक: राजकोषीय सूचकांक राजकोषीय घाटे और प्राथमिक घाटे (ब्याज भुगतान को छोड़कर राजकोषीय घाटे) पर आधारित है। उच्चतर घाटे से उच्चतर जोखिम की संभावना होती है। उच्च सरकारी घाटा सामान्यतः निवेश के लिए निजी क्षेत्र को उपलब्ध संसाधनों को कम करता है और मुद्रास्फीति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।

कारपोरेट सूचकांक: लाभ मार्जिन के जरिए कारपोरेट क्षेत्र की सुदृढ़ता का पता चलता है। इस क्षेत्र से होनेवाले जोखिम इससे प्रतिलोम रूप से संबद्ध हैं। इसी प्रकार, ब्याज कवरेज अनुपात यह दर्शाता है कि क्या फर्म अपने ब्याज संबधी व्यय को पूरा कर पाने में सक्षम हैं या नहीं। निम्नतर ब्याज कवरेज अनुपात उच्चतर जोखिमों से संबद्ध है।

घरेलू सूचकांक: घरेलू सूचकांक में जमा अनुपात के प्रति वृद्धिशील ऋण और खुदरा अनर्जक आस्तियां शामिल हैं। दोनों चरों में होनेवाली बढ़ोतरी से उच्चतर जोखिम की संभावना होती है।

मौजूदा मानचित्र जून 2012 तक उपलब्ध डाटा पर आधारित है।

वित्तीय बाजार स्थिरता मानचित्र

वित्तीय बाजार की स्थिरता के आकलन के उद्देश्य से, वित्तीय बाजार स्थिरता मानचित्र को तैयार किया गया है जो चार क्षेत्रों/बाजारों पर आधारित हैं, जो हैं - बैंकिंग क्षेत्र, विदेशी मुद्रा बाजार, इक्विटी बाजार, और कर्ज बाजार। ये संकेतक विभिन्न क्षेत्रों/बाजारों से चुने गए हैं जो इस प्रकार हैं ; i) बैंकिंग क्षेत्र : सीएनएक्सबैंक इन्डेक्स और निफ्टी इन्डेक्स का बैंकिंग बीटा। सीडी दर और सीडी दर से घटाते हुए अंतर्निहित वायदा दर, ii) विदेशी मुद्रा बाजारः दैनिक भारतीय रुपये - यूएस डालर विनिमय दर का सीमैक्स, जिसे $X_t/Max(X_i$, $i=1,2,..$ एक वर्ष तक) के रुप में परिभाषित किया गया है। जहां X_t समय t पर भारतीय रुपये - यूएस डालर विनिमय दर है, और विदेशी मुद्रा विनिमय दर का 25 डेल्टा जोखिम परिवर्तन है।

iii) इक्विटी बाजारः निफ्टी सीमैक्स और इंडिया VIX का प्रतिलोम ; और iv) कर्ज बाजारः कारपोरेट बांड जो कि ए, एए, और एएए के रूप में श्रेणी निर्धारण किए गए कॉरपोरेट बॉण्ड का औसत प्रतिलाभ है और 10 वर्षीय सरकारी बॉण्ड प्रतिफल, सीपी दर।

मानचित्र के निर्माण के पहले समान स्तर पर संकेतकों को परिवर्तित करने के लिए भिन्नता - समानता रुपांतरण का प्रयोग किया जाता रहा है। आधारभूत संकेतकों के सामान्य औसत जो कॉबवेब मैप के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, के आधार पर चुने गए चार क्षेत्रों/बाजारों के लिए चार संकेतक तैयार किए गए थे।

मौजूदा मानचित्र नवंबर 2012 तक अद्यतन डाटा पर आधारित है।

बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक

बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक (बीएसआई) किसी विशिष्ट अवधि में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता को प्रभावित करनेवाली अंतरनिहित स्थितियों में परिवर्तन और जोखिम कारकों का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक संश्लिष्ट सूचकांक के निर्माण के लिए निम्नलिखित अनुपात प्रयुक्त किए जाते हैः

तालिका : बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक (बीएसआई) के निर्माण के लिए प्रयुक्त संकेतक

आयाम	आयाम			
सुदृढ़ता	सीआरएआर	टीयर -II पूंजी के प्रति टीयर -I पूंजी	पूंजी और आरक्षित निधि के प्रति कुल आस्तियों के रूप में लीवरेज अनुपात	
आस्ति गुणवत्ता	कुल अग्रिमों के प्रति निवल एनपीए	कुल अग्रिमों के प्रति सकल एनपीए	सकल एनपीए के प्रति अवमानक अग्रिम	मानक अग्रिम के प्रति पुनः विन्यास किया गया मानक अग्रिम
लाभप्रदता	आस्तियों पर प्रतिलाभ	निवल ब्याज मार्जिन	लाभ में वृद्धि	
चलनिधि	कुल आस्तियों के प्रति अर्थसुलभ आस्तियां	कुल आस्तियों के प्रति ग्राहक - जमाएं	ग्राहकों की जमाओं के प्रति गैर-बैंक अग्रिम	कुल जमाओं के प्रति 1 वर्ष में परिपक्व होनेवाली जमाएं
प्रभावशीलता	आय के प्रति लागत	स्टाफ व्यय के प्रति (ऋण + जमाएं) कारोबार		कुल व्यय के प्रति स्टाफ व्यय

पांच संश्लिष्ट सूचकांक सुदृढ़ता, आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता, चलनिधि, प्रभावशीलता को दर्शाते हैं। प्रत्येक सूचकांक बैंक कार्यप्रणाली का आयाम दर्शाता है और शून्य (न्यूनतम) और 1 (अधिकतम) का मान ग्रहण करता है। प्रत्येक सूचकांक इसके निर्माण के लिए निर्धारित नमूना अवधि के दौरान एक सापेक्षी माप है जहां अधिक मान का आशय है कि उस आयाम में जोखिम उच्च स्तर का है। इसलिए, किसी विशिष्ट आयाम में सूचकांक के मान में बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि अन्य अवधियों की तुलना में उस अवधि में, आयाम में जोखिम में बढ़ोतरी हुई है। आयाम के लिए प्रयुक्त होनेवाले प्रत्येक अनुपात के लिए बैंकिंग क्षेत्रों के लिए एक भारित औसत निकाला जाता है, जहां भार कुल बैंकिंग प्रणाली आस्तियों के प्रति एकल बैंक आस्ति के अनुपात के रूप में हैं। 'किसी दिए गए दिनांक पर अनुपात से घटाएं नमूना अवधि में न्यूनतम मान भागित नमूना अवधि में अधिकतम मान ऋण नमूना अवधि में न्यूनतम मान' के रुप में प्रत्येक सूचकांक को सामान्यीकृत किया जाता है। प्रत्येक आयाम का संश्लिष्ट माप उस आयाम के लिए प्रयुक्त होनेवाले भारित औसत के सामान्यीकृत अनुपात के रूप में परिकलित किया जाता है, जहां निर्धारित किए गए भार केमल्स रेटिंग के मूल्यांकन के लिए निर्धारित अंकों पर आधारित होते हैं। प्रत्येक आयाम के लिए एकल संश्लिष्ट सूचकांक के आधार पर बैंकिंग स्थिरता संकेतक का निर्माण, इन पांच संश्लिष्ट उप-सूचकांकों के सामान्य औसत के रूप में किया जाता है।

मौजूदा मानचित्र और संकेतक के लिए, मूल्यांकन की नमूना अवधि मार्च 2001 से सितंबर 2012 की ली गई थी।

चुनिंदा बैंकों के व्युत्पन्नी संविभाग का दबाव परीक्षण

दबाव परीक्षण प्रणाली बैंकों के प्रतिनिधिपरक नमूना सेट के व्युत्पन्नी संविभाग पर केन्द्रीत है। यथा दिसंबर 2011 के अंत में व्युत्पन्नी संविभाग के आनुमानिक मूल्य के संदर्भ में ऊपर के 25 बैंक इस विश्लेषण के लिए चुने गए हैं। नमूना में दिए गए प्रत्येक बैंक का यथा 30 सितंबर, 2012 को उनके व्युत्पन्नी संविभाग पर दबावग्रस्त स्थितियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने को कहा गया था।

घरेलू बैंकों के मामले में, घरेलू और विदेशी, दोनों ही परिचालनों का डेरिवेटिव पोर्टफोलियो शामिल था। विदेशी बैंकों के मामले में, केवल घरेलू (यानी भारतीय) स्थिति पर ही विचार किया गया था। इस जांच में प्रभावी हेजिंग वाले डेरिवेटिव ट्रेड को छूट दी गई थी जबकि दूसरे सभी ट्रेड को शामिल किया गया।

दबाव परिदृश्यों में चार संवेदनशीलता जांचों को शामिल किया गया जिसमें मानदंडों के रूप में स्पॉट यूएसडी/आईएनआर दर और घरेलू व्याज दर शामिल थे।

सारणी: संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए आघात

	घरेलू ब्याज दरें	
आघात 1	ओवरनाइट	**+250 बीपीएस**
	1 वर्ष तक	**+150 बीपीएस**
	1 वर्ष से ऊपर	**+100 बीपीएस**

	घरेलू ब्याज दरें	
आघात 2	ओवरनाइट	**-250 बीपीएस**
	1 वर्ष तक	**-150 बीपीएस**
	1 वर्ष से ऊपर	**-100 बीपीएस**

	विनिमय दरें	
आघात 3	यूएसडी/आईएनआर	**+20 प्रतिशत**

	विनिमय दरें	
आघात 4	यूएसडी/आईएनआर	**-20 प्रतिशत**

एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण - दबाव जांच

तिमाही निगरानी के एक भाग के रूप में दबाव जांच किए गए जिसमें क्रेडिट जोखिम, ब्याज दर जोखिम, इक्विटी मूल्य जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम, चलनिधि जोखिम आदि को शामिल किया गया। इन आघातों के प्रति वाणिज्यिक बैंकों की आघातसहनीयता का अध्ययन किया गया। इस विश्लेषण में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं। शहरी सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के क्रेडिट जोखिम का एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण भी किया गया।

क्रेडिट जोखिम

बैंकों की आघात-सहनीयता का पता लगाने के लिए, क्रेडिट पोर्टफोलियो पर, पूरे पोर्टफोलियो के साथ-साथ चुने गए सेक्टरों के लिए, प्रावधानीकरण आवश्यकताओं में एक ही समय में होने वाली वृद्धि के साथ, एनपीए के बढ़ते स्तरों के द्वारा आघात दिया गया था। क्रेडिट संक्रेंद्रण जोखिम की जांच के लिए, शीर्ष व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और सबसे बड़े समूह उधारकर्ता के चूक का अनुमान लगाया गया था। इस प्रकार अनुमानित प्रावधानीकरण आवश्यकताओं को मौजूदा प्रावधानों से समायोजित किया गया और यदि कोई शेष प्रावधानीकरण आवाश्यकताएं हो तो उसे बैक की पूँजी से घटाया गया।

यह विश्लेषण, समग्र स्तर के साथ-साथ एक बैंक के स्तर, दोनों ही तरह से किए गए, जो 30 सितम्बर 2012 की स्थिति के अनुसार पर्यवेक्षी आंकड़ों पर आधारित था। परिदृश्य में मानक, अवमानक और संदिग्ध/हानि अग्रिम के लिए क्रमशः 1

प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बढ़े हुए प्रावधानीकरण आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया। एनपीए में अनुमानित वृद्धि को उसी अनुपात में अवमानक, संदिग्ध और हानि श्रेणियों में बांटा गया जो एनपीए के मौजूदा स्टॉक पर लागू था। अतिरिक्त प्रावधानीकरण आवश्यकता को क्रेडिट पोर्टफोलियो के बदली गई संरचना पर लागू किया गया था।

चलनिधि जोखिम

चलनिधि दबाव जांचों का उद्देश्य, कोई बाहरी चलनिधि सहायता संसाधन लिए बिना अप्रत्याशित चलनिधि पलायन का सामना करने में बैंक की क्षमता का मूल्यांकन करना है। यह विश्लेषण सितम्बर 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार किया गया। परिदृश्य जमाकर्ताओं के विश्वास में अकस्मात कमी के कारण अनपेक्षित जमा आहरणों के अलग-अलग अनुपातों (जमाओं के प्रकार के आधार पर) और उनके निधियन के लिए उपलब्ध चलनिधि आस्तियों की पर्याप्तता चित्रित करते हैं।

चलनिधि आस्तियों की परिभाषाएं इस प्रकार ली गईः

1 नकदी + अंतर बैंक जमा + एसएलआर निवेश

2 नकदी + अंतर बैंक जमा + अत्यधिक एसएलआर निवेश (केवल 23 प्रतिशत की सांविधिक आवश्यकता से अधिक)

- यह मान लिया गया कि बैंक केवल चलनिधि आस्तियों की बिक्री के माध्यम से जमाओं के दबावग्रस्त आहरण का सामना करेंगे।
- निवेशों की बिक्री उनके बाज़ार मूल्य पर 10 प्रतिशत की कमी करते हुए की गई।
- दबाव जांच स्थिर मोड में किया गया।

इक्विटी मूल्य जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम

इक्विटी मूल्य में परिवर्तन, भारतीय रुपए में तेजी/मंदी, भारतीय रुपए के प्रतिफल वक्र में बदलाव के कारण पोर्टफोलियो के मूल्य में गिरावट या आय में हानि की गणना अनुमानित आघात की वजह से बैंकों के कुल नुकसान के लिए की गई। इस प्रकार अनुमानित कुल हानि को बैंकों की पूँजी में से कम किया गया।

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम के लिए, निवेश पोर्टफोलियो पर मूल्यांकन प्रभाव (पोर्टफोलियो हानि) की गणना के लिए, अवधि विश्लेषण दृष्टिकोण को अपनाया गया। लागू आघात के आधार पर प्रत्येक टाइम बकेट के लिए निवेशों पर पोर्टफोलियो हानि की गणना की गई। इसके परिणामस्वरूप नुकसान/लाभ का इस्तेमाल प्रभावित सीआरएआर प्राप्त करने के लिए किया गया। बैंकिंग बही पर जांचों के लिए मूल्यांकन प्रभाव की गणना इस अनुमान के अंतर्गत की गई थी कि एचटीएम पोर्टफोलियो बाज़ार के लिए चिह्नित किया जाएगा। ट्रेडिंग बही में ब्याज दर आघातों के लिए अलग अभ्यास में, ब्याज धारित आस्तियों पर प्रत्येक टाइम बकेट के लिए मूल्यांकन क्षतियों की गणना अवधि विश्लेषण दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हुए की गई।

शहरी सहकारी बैंक

क्रेडिट जोखिम

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (एसयूसीबी) के क्रेडिट जोखिम पर दबाव जांच किए गए जिसके लिए मार्च 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार उनके आस्ति पोर्टफोलियो का उपयोग किया गया। ये जांच एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित थे। सीआरएआर पर प्रभाव का अध्ययन दो अलग-अलग परिदृश्यों में किया गया। अनुमानित परिदृश्य इस प्रकार थेः

परिदृश्य I:

- प्रयुक्त आघातः सकल अनर्जक आस्तियों में 50 प्रतिशत की वृद्धि
- प्रावधानीकरण अपेक्षा 50 प्रतिशत तक बढ़ाई गई।
- अतिरिक्त प्रावधानों के द्वारा पूँजी (टियर I व II) कम की गई।

परिदृश्य II:

- प्रयुक्त आघातः सकल अनर्जक आस्तियों में 100 प्रतिशत की वृद्धि
- प्रावधानीकरण अपेक्षा 100 प्रतिशत तक बढ़ाई गई।
- अतिरिक्त प्रावधानों के द्वारा पूँजी (टियर I व II) कम की गई।

चलनिधि जोखिम

नकदी प्रवाह के आधार पर 1-28 दिनों के समय-सीमा में चलनिधि दबाव परीक्षण भी किया गया जहां 1-28 दिनों की समय-सीमा में 20 प्रतिशत से अधिक का नकदी बहिर्गमन के अंतर (नकारात्मक अंतर(नकदी बहिर्गमन की तुलना में नकदी आगमन कम) को दबावग्रस्त समझा गया।

परिदृश्य I: 1-28 दिनों की समय-सीमा में नकदी के बहिर्गमन में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि (नकदी आगमन में कोई परिवर्तन नहीं)

परिदृश्य II: 1-28 दिनों की समय-सीमा में नकदी के बहिर्गमन में 100 प्रतिशत तक की वृद्धि (नकदी आगमन में कोई परिवर्तन नहीं)

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनडी-एसआई) - ऋण जोखिम

जून 2012 को समाप्त अवधि के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (जमाएं नहीं लेनेवाली और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण) पर उनकी आस्ति संविभाग का प्रयोग करते हुए ऋण जोखिम संबंधी दबाव परीक्षण किया गया। ये परीक्षण एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण पर आधारित थे। दो अलग-अलग परिदृश्यों के तहत सीआरएआर पर इसके प्रभाव के अध्ययन किया गया। इस परिदृश्य में एनपीए की मौजूदा स्टॉक में 200 से 500 प्रतिशत की बढ़ोतरी मानी गई। एनपीए में परिकल्पित बढ़ोतरी को अवमानक, संदिग्ध और हानिकर श्रेणियों में उसी अनुपात में किया गया जिस अनुपात में ये एनपीए की मौजूदा स्टॉक में हैं। अतिरिक्त प्रावधानिकरण की अपेक्षाओं को मौजूदा पूंजी की स्थिति से समायोजित किया गया। वैयक्तिक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ-साथ कुल स्तर पर यह दबाव परीक्षण किया गया।

प्रणालीगत चलनिधि सूचकांक (एसएलआई)

एसएलआई बाजार के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करनेवाले निम्नलिखित चार संकेतकों का प्रयोग करता है :

भारित औसत मांग दर- भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर

3 माहवाले वाणिज्यिक पत्र (सीपी) की दर - 3 माहवाले जमा प्रमाणपत्र (सीडी) दर

3 माहवाले सीडी दर - 3 माह की अंतर्निहित जमा दर

भारित औसत मांग दर - 3 माहवाले ओवरनाईट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) दर

प्रणालीगत चलनिधि सूचकांक (एसएलआई) सृजित करने के लिए, सामान्य या अंतर-समान मानक पद्धति का प्रयोग किया गया है

समष्टिगत दबाव परीक्षण

बैंकों के आघात सहन करने की क्षमता का आकलन करने के लिए समष्टिगत आर्थिक वेरिएबल्स की कार्यप्रणाली के तौर पर ऋण जोखिम का मॉडल बनाया गया। ऋण जोखिम दबाव परीक्षणों की गणना बैंकिंग प्रणाली की कुल राशियों को समष्टिगत आर्थिक वेरिएबल्स से संबद्ध करनेवाले विभिन्न आर्थिक मॉडलों का उपयोग करते हुए की गई है, जैसे (i) कुल प्रणाली के एनपीए डाटा पर मल्टीवैरिएट लॉगिट रिग्रेशन; (ii) गिरावट अनुपात (नयी एनपीए का आगमन) के संदर्भ में मल्टीवैरिएट रिग्रेशन; (iii) गिरावट अनुपात का उपयोग करते हुए कुल वीएआर;(iv) गिरावट अनुपात का क्वान्टाईल रिग्रेशन, (v) बैंक-समूह वार गिरावट अनुपात डाटा पर मल्टीवैरिएट पैनल रिग्रेशन; और (vi) कुल क्षेत्रपरक एनपीए के लिए मल्टीवैरिएट रिग्रेशन। बैंकिंग प्रणाली की कुल राशियों में शामिल हैं- मौजूदा और पहले की कुल एनपीए का मूल्य (एनपीए अनुपात) और नये एनपीए का आगमन (गिरावट अनुपात), जबकि समष्टिगत आर्थिक वेरिएबल्स में शामिल हैं-सकल घरेलू उत्पाद का विकास, अल्पकालीन ब्याज दर (मांग दर), थोकमूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति, सकल घरेलू उत्पाद के प्रति निर्यात का अनुपात *(*Ex/GDP), सकल घरेलू उत्पाद के प्रति सकल राजकोषीय घाटा का अनुपात *(GFD/GDP)* और आरईईआर।

एक ओर जहां मल्टीवैरिएट रिग्रेशन बैंकिंग प्रणाली के एनपीए और पूंजी पर चुनिंदा समष्टिगत आर्थिक वेरिएबल्स के प्रभाव का मूल्यांकन करता है, वहीं वीएआर मॉडल बैंकों की पूंजी और एनपीए अनुपात पर समग्र आर्थिक दबाव की स्थिति के प्रभाव को दर्शाता है, जिसके तहत फीड-बैक प्रभाव को भी शामिल किया जाता हैॅ इन पद्धतियों में, एनपीए/गिरावट अनुपात के कंडिशनल माध्य का आकलन किया जाता है और यह माना गया कि ऋण की गुणवत्ता पर समष्टिगत वेरिएबल्स का प्रभाव समान रहेगा, चाहे ऋण गुणवत्ता का स्तर कुछ भी हो जो हमेशा सही नहीं हो सकता है। इस अनुमान को सहज बनाने के लिए ऋण की गुणवत्ता का अनुमान लगाने के लिए क्वांटाइल रिग्रेशन को अपनाया गया है जिसमें कंडिशनल माध्य की जगह कंडिशनल क्वांटाइल का अनुमान लगाया गया है।

मॉडलिंग ढांचा

कुल एनपीए (npa) / गिरावट अनुपात (SR) पर समष्टिगत आर्थिक आघातों के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित मल्टीवेरिएट मॉडलों को चलाया गया: [1]

- समग्र बैंकिंग प्रणाली मल्टीवेरिएट लॉगिट[2] रिग्रेशन:

$$logit_npa_t = \alpha_1 + \beta_1\, logit_npa_{t-1} - \beta_2\, \Delta GDP_{t-2} + \beta_3\, call_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{Ex}{GDP}\right)_{t-2}$$

जहाँ, $\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ और $\beta_4 > 0$.

- समग्र बैंकिग प्रणाली मल्टीवेरिएट रिग्रेशन:

  यह विश्लेषण सम्पूर्ण रूप से वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के लिए समग्र स्तर पर गिरावट अनुपात पर किया गया।

$$SR_t = \alpha_1 + \beta_1\, SR_{t-1} - \beta_2\, \Delta GDP_{t-2} + \beta_3\, Call_{t-1} - \beta_4 \left(\frac{Ex}{GDP}\right)_{t-2} + \beta_5 \Delta WPI_t + \beta_6 \left(\frac{GFD}{GDP}\right)_{t-1}$$

जहाँ, $\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ और $\beta_6 > 0$.

- वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (वीएआर):

  विभिन्न समष्टिगत आर्थिक आघातों पर बैंकिंग आघातसहनीयता का अनुमान लगाने के लिए वेक्टर ऑटोरिग्रेशन (वीएआर)[3] दृष्टिकोण को अपनाया गया है। वीएआर मॉडल का लाभ यह है कि इससे समष्टिगत आर्थिक वेरिएबल्स और बैंक की स्थिरता वेरिएबल के बीच पारस्परिक प्रभाव पूरी तरह अभिग्रहित होते हैं। यह फीडबैक प्रभाव को भी अभिग्रहित करता है।

  अनुमानिक रूप में, आर्डर p (VAR(p)) के माध्य-आधारित वीएआर को इस तरह से लिखा जा सकता है

$$y_t = A_1 y_{t-1} + \ldots\ldots + A_p y_{t-p} + u_t \quad ; t=0,1,2,3,\ldots.$$

  जहाँ $y_t = (y_{1t}, \ldots\ldots, y_{Kt})'$ t समय में चर वस्तुओं का वेक्टर $(K \times 1)$ है, A_1 (i=1,2,...p) स्थायी $(K \times K)$ गुणांक मेट्रिक्स हैं और $u_t = (u_{1t}, \ldots\ldots, u_{Kt})'$ आयामीय व्हाइट नॉयस या नवोन्मेषी प्रक्रिया है।

  अनुमान लगाने के लिए वीएआर प्रणाली, गिरावट अनुपात, मांग दर, मुद्रास्फीति, विकास और आरईईआर चुने गए। वीएआर का उचित क्रम न्यूनतम सूचना मापदंड के साथ-साथ दूसरे निदानों के आधार पर चुने गए हैं और उपयुक्त क्रम दो पाए गए। तदनुसार, क्रम 2 (वीएआर 2) के वीएआर का अनुमान लगाया गया था और एआर विशेषता वाले बहुपदी के घनमूल के आधार पर मॉडल के स्थिरता की जांच की गई थी। चूंकि सभी घनमूल इकाई परिधि के भीतर पाए गए इसलिए चुना गया मॉडल स्थिरता स्थिति को पूरा करने वाला पाया गया था। चुने गए वीएआर के आवेग प्रतिक्रिया प्रकार्य का उपयोग करते हुए विभिन्न समष्टिगत आर्थिक आघातों के प्रभाव को निर्धारित किया गया था।

---

[1] गिरावट अनुपात, निर्यात/जीडीपी, और मांग दर अपेक्षित अवधि के अनुसार समायोजित किए गए।

[2] मॉडल के विस्तृत विनिर्देशों के लिए, कृपया वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट -दिसंबर 2010 देखें। एनपीए के लॉगिट रूपांतरण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

$$Logit_npa_t = L(NPA_t) = Ln\left(\frac{NPA_t}{1-NPA_t}\right)$$

[3] वीएआर मॉडल के विस्तृत विनिर्देशों के लिए, कृपया वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट - जून 2010 देखें।

- क्वांटाइल रिग्रेशनः

  कंडिशनल क्वांटाइल के वांछित स्तर पर गिरावट अनुपात का अनुमान लगाने के लिए, 0.75 क्वांटाइल (जो गिरावट अनुपात का मौजूदा क्वांटाइल है) पर निम्नलिखित क्वांटाइल रिग्रेशन का उपयोग किया गया थाः

$$SR_t = \alpha_1 - \beta_1 SR_{t-1} - \beta_2 \Delta GDP_{t-1} + \beta_3 Call_{t-4} - \beta_4 \left(\frac{Ex}{GDP}\right)_{t-1} + \beta_5 \Delta WPI_t + \beta_6 \left(\frac{GFD}{GDP}\right)_{t-1}$$

  जहाँ $\alpha_1, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ और $\beta_6 > 0.$

- बैंक समूह वार पैनल फिक्स्ड-इफेक्ट रिग्रेशनः

  बैंक समूह वार पैनल रिग्रेशन को मॉडल बनाया गया जिसमें गिरावट अनुपात को समष्टिगत आर्थिक वेरिएबल्स के प्रकार्यों के रूप में विचार किया गया था। समग्र मॉडल विनिर्देशनों के साथ बैंक समूह प्रभाव की पहचान की गई।

$$SR_{it} = \alpha_i + \beta_1 SR_{i(t-1)} - \beta_2 \Delta GDP_{t-1} + \beta_3 Call_{t-2} - \beta_4 \left(\frac{Ex}{GDP}\right)_{t-1}$$

  जहाँ α_i बैंक समूह निर्दिष्ट मानदंड है और $\alpha_i, \beta_1, \beta_2, \beta_3,$ और $\beta_4 > 0$

- सेक्टोरल मल्टीवेरिएट रिग्रेशनः

  विभिन्न सेक्टरों पर समष्टिगत आर्थिक आघातों के प्रभाव का मूल्यांकन मल्टीवेरिएट रिग्रेशन मॉडलों के द्वारा किया गया था जिसमें प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग-अलग कुल एनपीए अनुपात का इस्तेमाल किया गया। आश्रित वेरिएबल्स में लैग्ड एनपीए, सेक्टोरल जीडीपी ग्रोथ, मुद्रास्फीति और अल्पकालिक ब्याज दर शामिल हैं।

गिरावट अनुपातों से एनपीए और सीआरएआर की व्युत्पत्ति, जिसका अनुमान ऊपर उल्लिखित ऋण जोखिम अर्थमितीय मॉडलों से लगाया गया था, निम्नलिखित अनुमानों पर आधारित थेः 16 प्रतिशत का क्रेडिट ग्रोथ; 5 प्रतिशत की वसूली दर; 2.5 प्रतिशत पर बट्टे खाते में डालना और 18 प्रतिशत का जोखिम भारित परिसंपत्ति संवृद्धि जबकि लाभ संवृद्धि का अनुमान आधार-रेखा, मध्यम जोखिम और भारी जोखिम के तहत क्रमशः 15 प्रतिशत; 5 प्रतिशत और -5 प्रतिशत किया गया। लाभ का न्यूनतम 25 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित खाते में अनिवार्यतः अंतरित करने का अनुमान लगाते हुए विनियामक पूँजी विकास के न्यूनतम रहने का अनुमान है। एनपीए के वर्तमान स्टॉक के प्रचलन के अनुसार विभिन्न उप-श्रेणियों में नए एनपीए का वितरण किया गया था। अग्रिमों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रावधानीकरण आवश्यकताएं इस प्रकार हैं, मानक अग्रिमों के लिए 0.4 प्रतिशत, अवमानक अग्रिमों के लिए 20 प्रतिशत, संदिग्ध अग्रिमों के लिए 75 प्रतिशत और हानि वाले अग्रिमों के लिए 100 प्रतिशत। अनर्जक अग्रिमों के अनुपात का अनुमानित मूल्य ''तुलनपत्र दृष्टिकोण'' का उपयोग करते हुए पूँजी अनुपातों में रूपांतरित किए गए जिसके द्वारा प्रावधानों और निवल लाभों के माध्यम से तुलनपत्र में पूँजी प्रभावित होती है। यह माना गया है कि मौजूदा ऋण प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात भविष्य के प्रभाव के लिए नियत रहेगा।